www.dhyeyaias.com

फरवरी 2021 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

विशेषांक

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

खण्ड–2

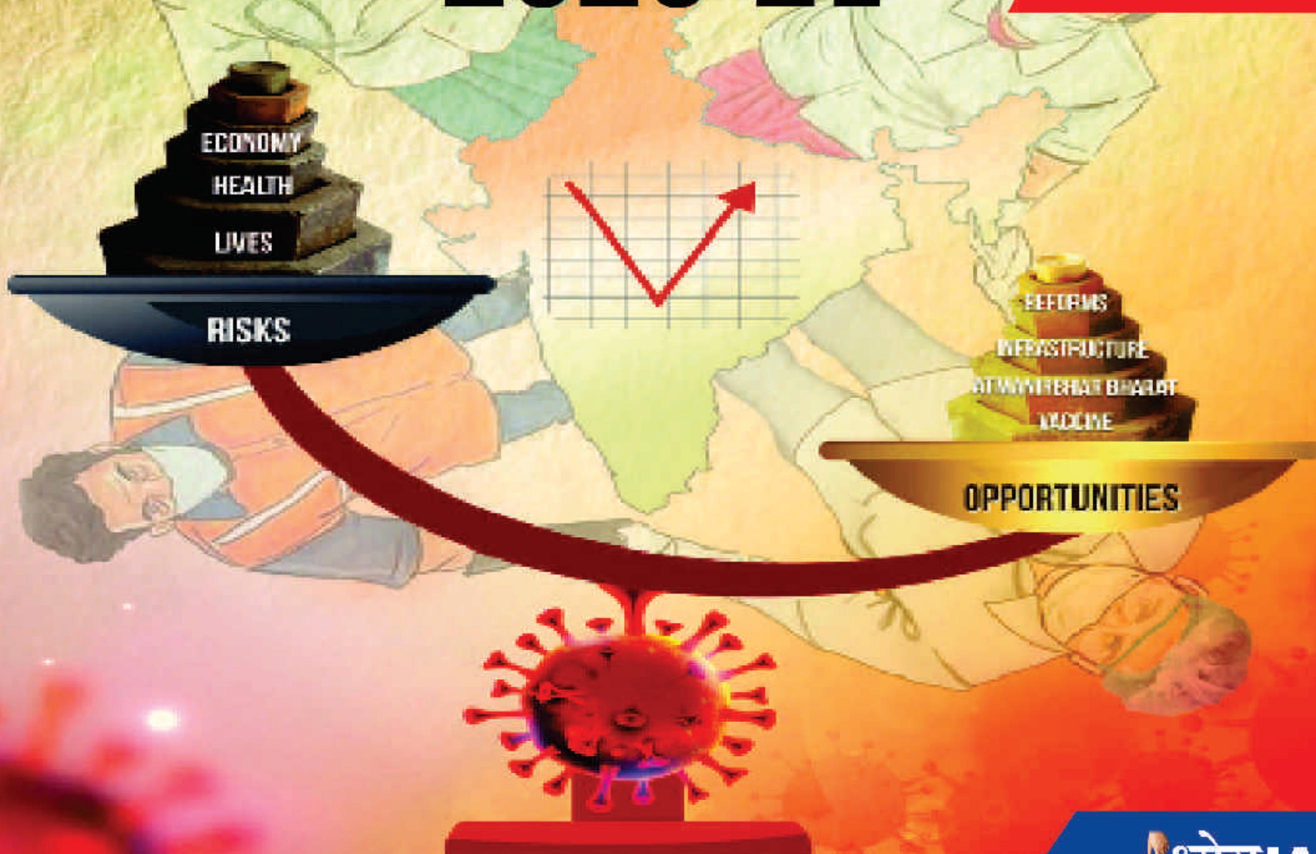

ध्येयIAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS most trusted since 2003

PERFECT 7 Weekly Current Affairs

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी
ध्येय IAS की एक नई पहल
फरवरी 2021 | अंक 02

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office
ध्येयIAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

- 2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक वृहद दृष्टिकोण — 01-15
- राजकोषीय विकास — 16-25
- वैदेशिक क्षेत्र — 17-34
- मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता — 35-38
- कीमतें और महँगाई — 39-45
- सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन — 46-51
- कृषि और खाद्य प्रबंधन — 52-63
- उद्योग एवं आधारभूत संरचना — 64-76
- सेवाएं — 77-80
- सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास — 81-87

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

आर्थिक समीक्षा 2020–21

खण्ड–2

01 2020–21 अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक वृहद दृष्टिकोण

- नोवल कोविड-19 वायरस ने वर्ष 2020 में दुनिया को अव्यवस्था में डालकर सभी के लिए भय का माहौल सृजित करके उनके आवागमन, सुरक्षा और सामान्य जीवन को प्रभावित किया। इसने, भारत और दुनिया के लिए एक सदी में सबसे विकट आर्थिक चुनौती पेश की। इलाज या वैक्सीन के बिना, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति इस व्यापक संकट से निपटने के लिए केंद्रीय बन गई। रोग के वक्र को समतल करने की अनिवार्यता को आसन्न मंदी की आजीविका लागत के साथ जोड़ा गया था, जो महामारी को रोकने के लिए आवश्यक लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंधों से निकला था। इस अंतर्निहित व्यापार-बंद ने 'जीवन बनाम आजीविका' की नीति दुविधा को जन्म दिया।
- दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए नीतिगत उपकरणों की एक श्रृंखला तैनात की जैसे कि प्रमुख नीतिगत दरों को कम करना, मात्रात्मक सहजता के उपाय, ऋण की गारंटी, नकद हस्तांतरण और राजकोषीय प्रोत्साहन के उपाय।
- अनलॉक चरण के दौरान, जब अनिश्चितता में गिरावट आई और एक तरफ सब्सिडी बचत करने के लिए एहतियाती मकसद था, एक ओर आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, दूसरी ओर, भारत ने अपने राजकोषीय खर्च में वृद्धि की। एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने मौद्रिक नीति संचरण को करते हुए अस्थायी नैतिकता के माध्यम से देनदारों को प्रचुर मात्रा में तरलता और तत्काल राहत सुनिश्चित की। इस प्रकार, भारत की मांग-पक्ष नीति इस विचार को रेखांकित करती है कि त्वरक पर दबाव डालते समय ब्रेक को दबाया जाता है, जिसमें केवल अपशिष्ट ईंधन होता है।
- प्रारंभिक कठोर लॉकडाउन जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण था और V के आकार की आर्थिक प्राप्ति हुई। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट और भाग्यवादियों ने भारत के आगे और पीछे की नीतिगत प्रतिक्रियाओं के सिसिफस भाग्य से बच निकलने को जारी रखा, जिससे अर्थव्यवस्था का लगातार अनलॉक हो रहा है। जैसा कि अनुमान था, जबकि लॉकडाउन में Q1 में जीडीपी में 23 प्रतिशत का संकुचन हुआ, रिकवरी में V के आकार का है, जो कि क्यू 2 में 7.5% की गिरावट और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के रूप में देखा गया है। जुलाई से, एक लचीली V के आकार की रिकवरी शुरू हो रही है, जैसा कि Q1 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में रिकवरी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, Q1 में तेज गिरावट के बाद, उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे बिजली की मांग, ई-वे बिल, जीएसटी संग्रह, स्टील में निरंतर पुनरुत्थान, खपत, आदि का शासनकाल अंतर्राज्यीय आंदोलन और रिकॉर्ड-उच्च मासिक जीएसटी संग्रह ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के अनलॉक होने को चिह्नित किया है। वाणिज्यिक पत्र जारी करने में तेज वृद्धि, पैदावार में आसानी, और MSMEs के लिए मजबूत ऋण वृद्धि ने उद्यमों के जीवित रहने और बढ़ने के लिए ऋण प्रवाह में सुधार किया। निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी से हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार 18 महीने के आयात को कवर करता है। मुद्रास्फीति, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों से प्रेरित, वर्ष के अधिकांश के लिए 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रही; दिसंबर में नरमी से आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने में आसानी हुई।

महामारी का प्रसार

वैश्विक प्रसार

- वुहान, चीन में इसके पहले प्रकोप के बाद से, कोविड-19 ने अंटार्कटिका (दिसंबर, 2020 में) और 220 से अधिक देशों सहित सभी महाद्वीपों को संक्रमित किया है। स्वास्थ्य का झटका, हालांकि वैश्विक है, कुल संक्रमण, मृत्यु दर और वसूलियों के मामले में देशों में विभिन्न प्रक्षेप पथ के माध्यम से प्रेषित किया गया है। महामारी के प्रारंभिक चरणों में, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (AE) कुल मामलों और कुल मौतों के 70 प्रतिशत से अधिक के साथ असंगत रूप से प्रभावित थीं। ब्राजील, भारत, मैक्सिको, रूस और तुर्की जैसे उभरते बाजार और कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में भी महामारी तेजी से बढ़ी है, जो अब कुल मामलों और कुल मौतों का लगभग 50 प्रतिशत है। हाल के महीनों में, एकदोहराने की लहर के बीच AEs-विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरो क्षेत्र के देशों ने मामलों की बढ़ती हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है; EMDEs में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्रों में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट है कि महामारी से AEs प्रभावित हुए हैं।

1 (क): संचयी पुष्टि मामलों में हिस्सेदारी | **1 (ख): संचयी मौतों में हिस्सा**

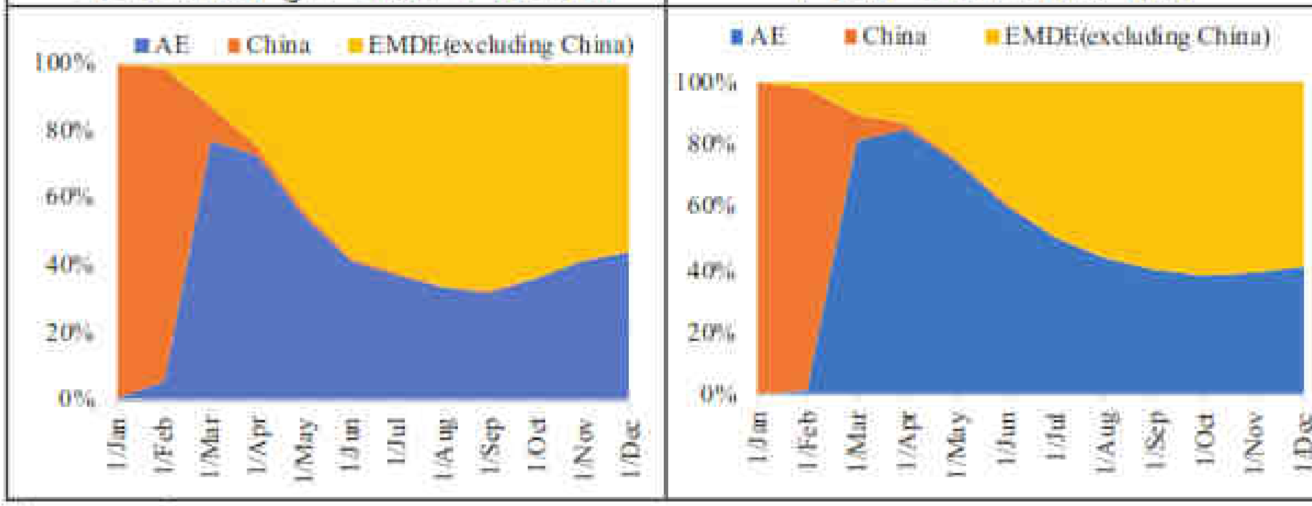

- महामारी का प्रसार तरंगों में हुआ है जैसा कि चित्र 2 में स्पष्ट है। AEs अपनी तीसरी तरंगों का अनुभव कर रहे थे, दोनों मामलों और मौतों के मामले में, वर्ष के अंत में जबकि EMDEs (चीन और भारत को छोड़कर) अपनी दूसरी लहरों का सामना कर रहे थे। चीन ने फरवरी, 2020 में मामलों की पहली लहर का अनुभव किया जिसके बाद वह प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ। भारत ने सितंबर, 2020 तक अपनी पहली लहर का अनुभव किया, जिसके बाद वह प्रभावी रूप से प्रसार का प्रबंधन करने में सक्षम हो गया-अब तक दूसरी लहर से बचा है।

2 (क): वे मामलें जिनकी पुष्टि हो चुकी हैं

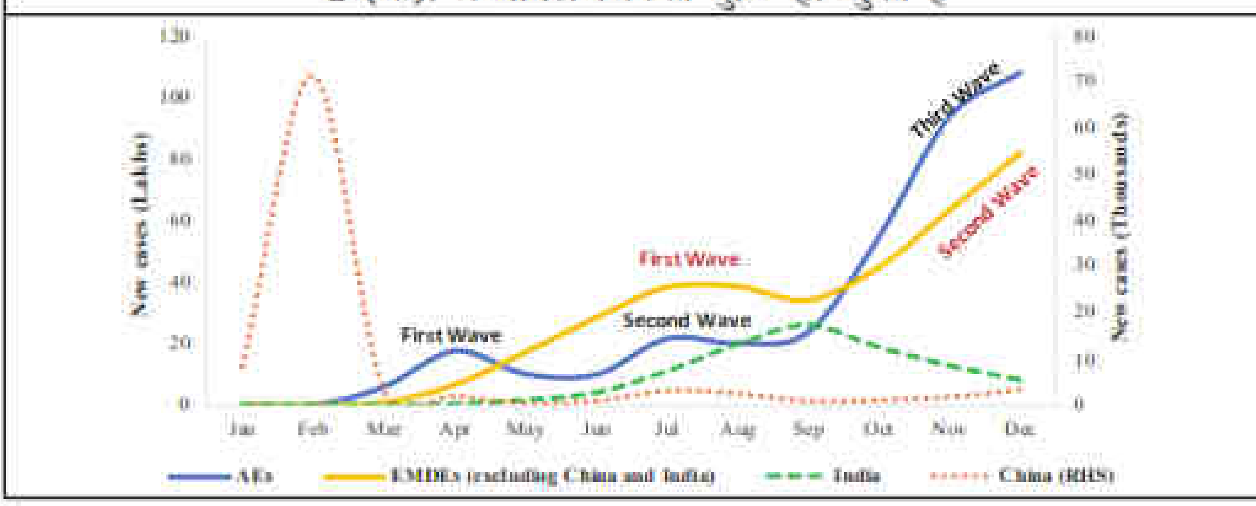

2 (ख): मृत्यु

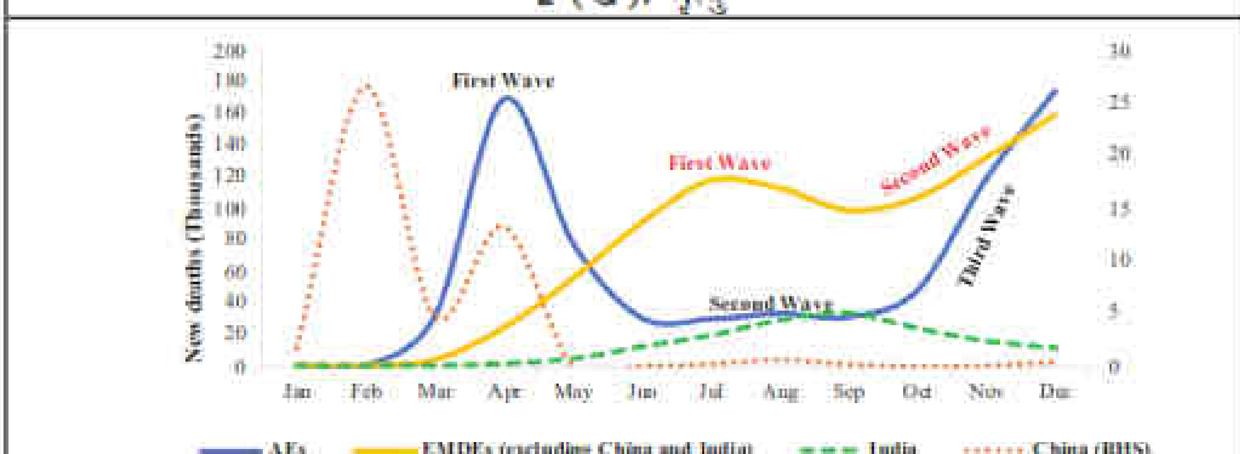

भारत में महामारी का प्रसार

- भारत ने मार्च-अप्रैल-, 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान एक कठोर राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू की, जिसके बाद क्रमिक उपायों को शामिल किया गया और रोकथाम उपायों को चरणबद्ध किया गया। भारत ने 17 सितंबर, 2020 को 11.12 लाख सक्रिय मामलों के साथ सितंबर के मध्य में अपनी चोटी को पार किया और 16 सितंबर, 2020 पर 97,860 दैनिक नए मामले। इसके बाद, त्योहारी सीजन और सर्दियों के मौसम की शुरुआत के बावजूद जनवरी, 2021 में नए मामले घटकर 16,000 से भी कम हो गए हैं। भारत में पुष्टि किए गए मामलों ने 1.06 करोड़ से अधिक को छू लिया है, जो दुनिया के कुल मामले के लगभग 11 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व स्तर पर नए मामलों में भारत का हिस्सा सितंबर, 2020 में 31 प्रतिशत से घटकर दिसंबर, 2020 में 4 प्रतिशत हो गया है। मई, 2020 में 12 दिनों से दिसंबर, 2020 तक 249 दिनों तक बढ़ रहे मामलों के दोगुने समय के साथ प्रसार की गति को नियंत्रित किया गया है, (चित्र 4 ख)।

भारत में कोविड-19 का प्रसार

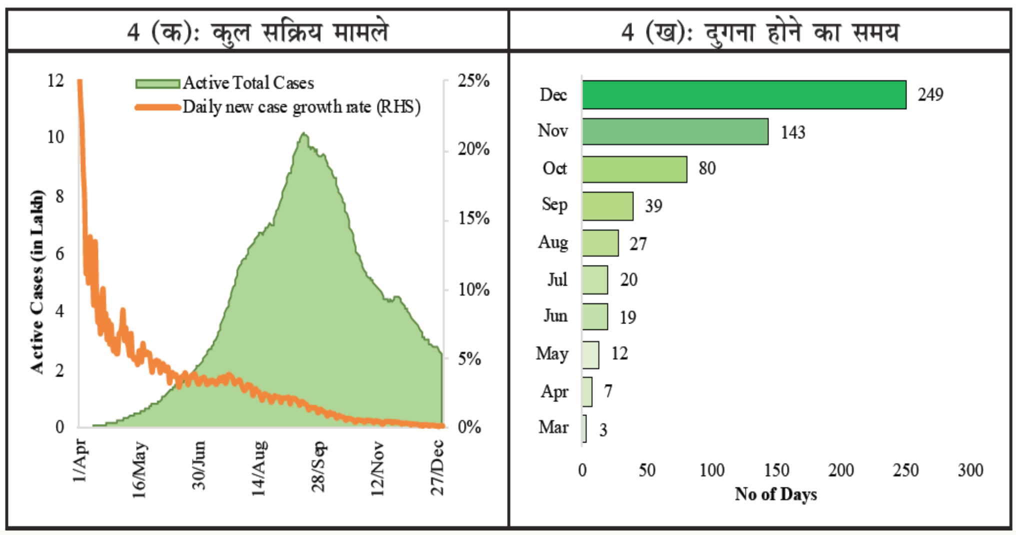

- भारत में 31 दिसंबर, 2020 तक कुल मृत्यु 1.48 लाख थी, जिसमें देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में होने वाले 50 प्रतिशत से अधिक घातक परिणाम थे। महामारी के दौरान, महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य रहा है (चित्र 6 क)। उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में मृत्यु (चित्र 6 ख) के संदर्भ में एकल लहर का अनुभव हुआ। उत्तरी क्षेत्र में तीन मौत की लहरें देखी गई, दूसरी लहर सबसे घातक साबित हुई क्योंकि पहली लहर के दौरान मौतें 1.7 गुना अधिक थीं। प्रति व्यक्ति की दृष्टि से, पश्चिमी क्षेत्र 27 लाख प्रति लाख मौतों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र में 13 मौतें प्रति लाख (चित्र 6ख) हैं। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जोन में प्रति व्यक्ति मृत्यु दर क्रमशः 6 और 4 प्रति लाख मौतों में कम रही है।

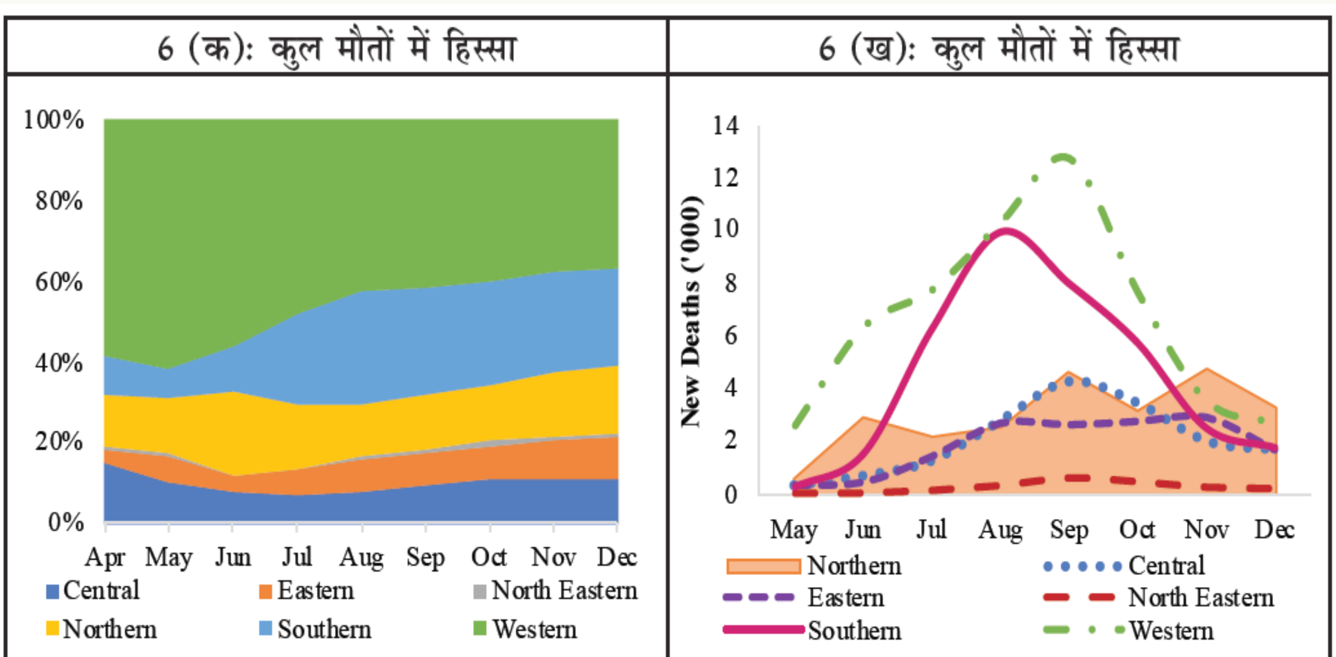

परीक्षण में तेजी लाना

- समय पर पहचान, शीघ्र अलगाव और प्रभावी उपचार की दिशा में पहले कदम के रूप में, प्रभावी परीक्षण को संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में पहचाना गया था। महामारी की एक विशेषता है, जो अपने डाह को बढ़ाती है, असिमटोमैटिक लोगों द्वारा इसका संभावित संचरण था। इसलिए, बड़े पैमाने पर परीक्षण मामलों की त्वरित पहचान के लिए जरूरी था, प्रसार और समय पर उपचार को रोकने के लिए तत्काल अलगाव। यह प्रभावी संपर्क अनुरेखण और भावी मामलों के समय पर अलगाव में भी मदद करेगा।

भारत में परीक्षण की शुरूआत

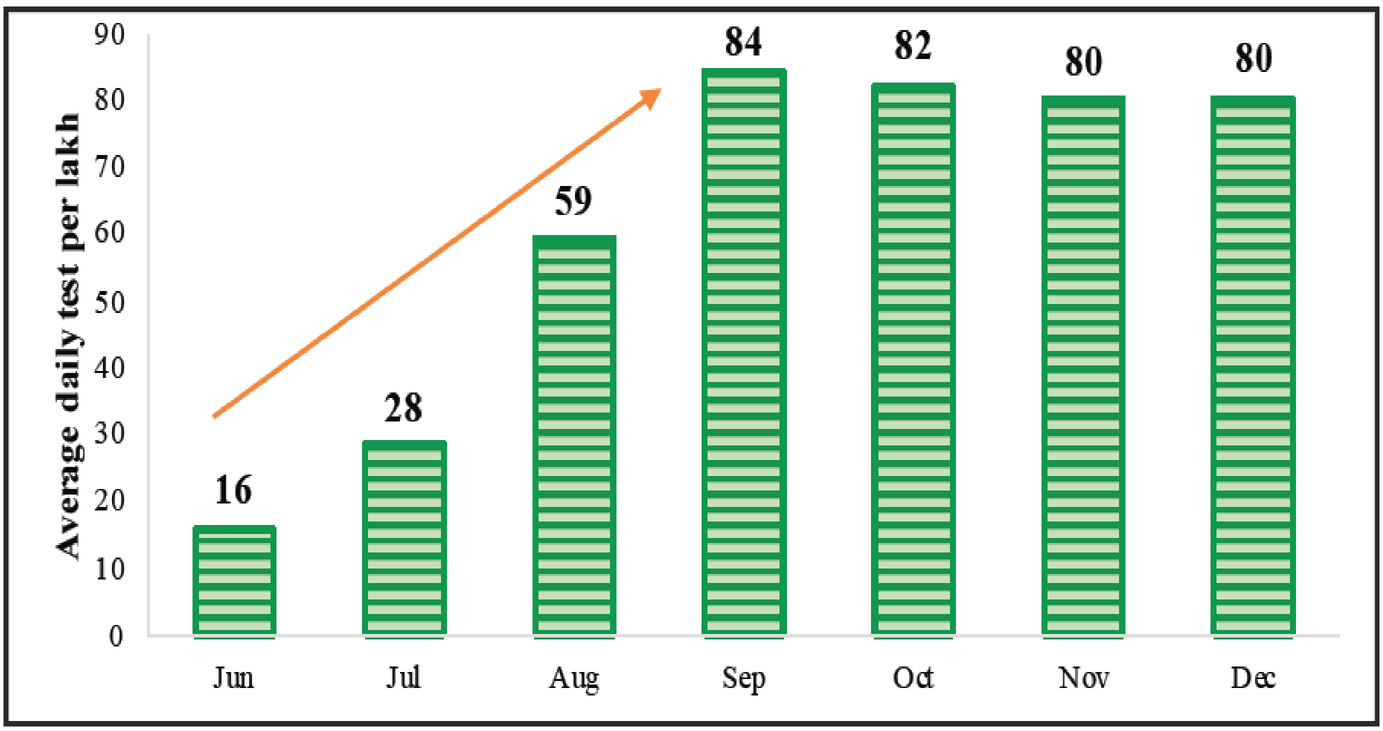

- भारत ने तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई। जनवरी 2020 में, भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 के लिए केवल एक प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था। आज देश भर में 2300 से अधिक प्रयोगशालाएँ हैं, जो इसके निदान के लिए आणविक परीक्षण करती हैं-भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। भारत ने परीक्षण आधारिक संरचना के विस्तार पर एक समर्पित जोर के साथ दैनिक परीक्षणों के संचालन में जबरदस्त प्रगति दिखाई है। ''टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट'' रणनीति पर ध्यान देते हुए, भारत ने 31 दिसंबर, 2020 तक संचयी टैस्ट पॉजिटिव दर के साथ लगभग 18.5 करोड़ संचयी कोविड-19 नमूनों का परीक्षण किया है।
- कोविड-19 के संचरण और घातकता की अभूतपूर्व गति ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट को जन्म दिया, जिसके कारण 10 करोड़ से अधिक पुष्ट मामलों और 21 लाख से अधिक मृत्यु दर के एक विशाल मानव हताहत का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली इलाज और निवारक वैक्सीन की अनुपलब्धता को देखते हुए, यह जरूरी था कि विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करके प्रसार को समाहित किया जाए। हालाँकि, इसने दुनिया भर की सरकारों के समक्ष महत्वपूर्ण नीतिगत दुविधाएँ प्रस्तुत कीं।

नीति दुविधा अंतर्निहित कोविड-19

'जीवन बनाम आजीविका'

- महामारी के तेजी से प्रसार को देखते हुए, तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकता थी, 'महामारी विज्ञान वक्र को फैलाने' के प्रभाव को कम करने के लिए ''वक्र को समतल करने'' के उद्देश्य वायरस के संचरण को धीमा करना, वक्र के शिखर को धक्का देना और समय के साथ मामलों के वितरण को फैलाना। देशों ने, तद्नुसार, दुनिया भर में विभिन्न गैर-फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (NPIs) को अपनाया, जैसे कार्य और स्कूल बंद होने, यात्रा पर प्रतिबंध, सार्वजनिक घटनाओं को रद्द करना और आंतरिक आंदोलन के प्रतिबंधों के माध्यम से सामाजिक अलगाव के उपायों जैसे कि संक्रमित लोगों को बाहर निकालना, आबादी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क और उन्नत परीक्षण का पता लगाना। रोकथाम के उपायों ने स्वास्थ्य और परीक्षण के बुनियादी ढांचे में गड़बड़ी की अनुमति दी, वायरस के प्रसार को कम किया और 'लोगों की जान' बचाई।

समतल कोविड-19 संक्रमण वक्र के बीच व्यापार-बंद और मंदी की अवस्था का सामना

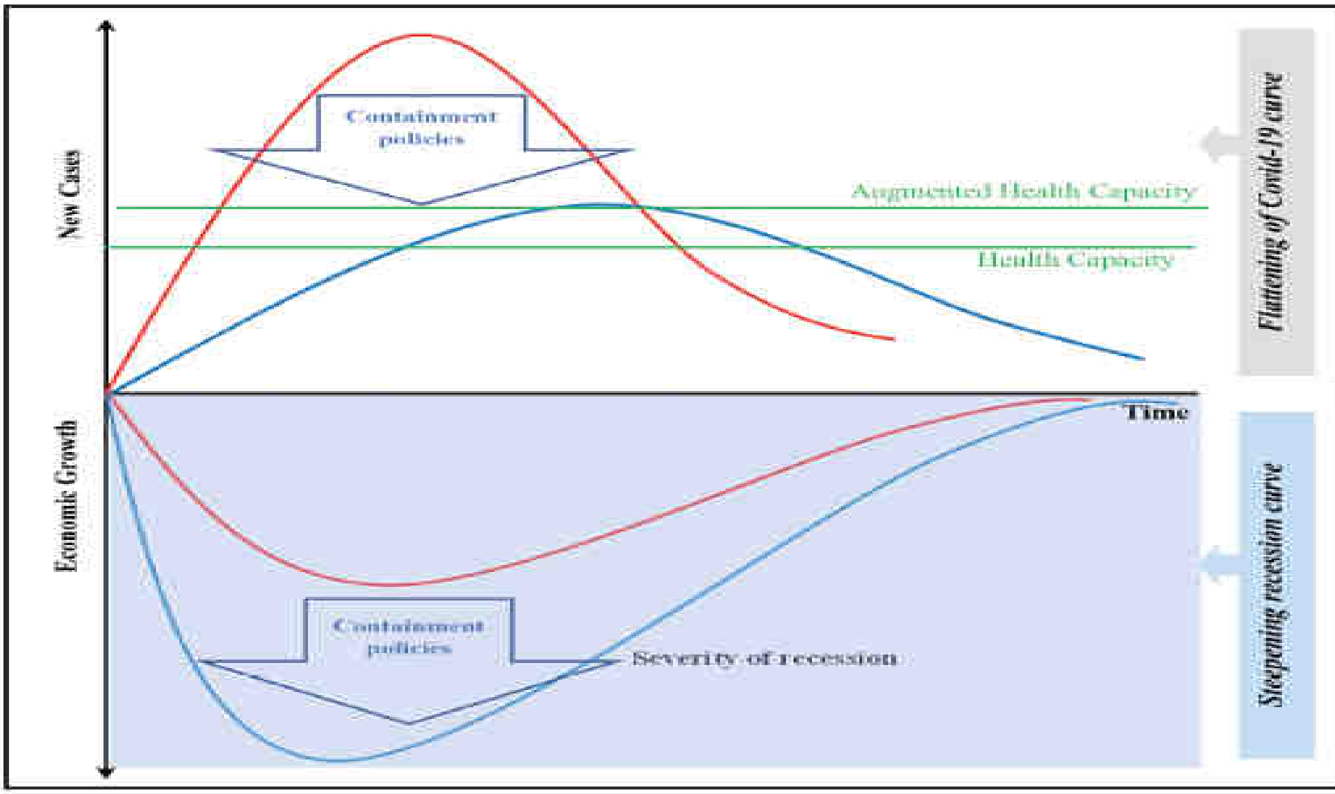

मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष की चुनौतियाँ

- महामारी के दौरान एक अनोखा आर्थिक झटका लगा है जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं (चित्र 11) में एक साथ आपूर्ति और मांग के दोनों को प्रभावित शुरू कर दिए हैं। अनिश्चितता, कम आत्मविश्वास, आय में कमी, कमजोर विकास की संभावना, संसर्ग की आशंका, सभी संपर्क-संवेदनशील गतिविधियों को बंद करने के कारण खर्च करने के विकल्प को कम करना और वित्तीय और तंग वित्तीय और ऋण की स्थिति एहतियाती बचत को ट्रिगर करती है, व्यवसायों और परिणामी गिरावट के बीच जोखिम का बढ़ना। खपत और निवेश में-पहले ऑर्डर की मांग को झटका। आर्थिक गतिविधि को बंद करने और पहले के आदेश की आपूर्ति के झटके के लिए श्रम नेतृत्व के प्रतिबंधित आंदोलन के कारण आपूर्ति श्रृंखला का व्यवधान।

वैश्विक महामारी से दुगुने आर्थिक झटके

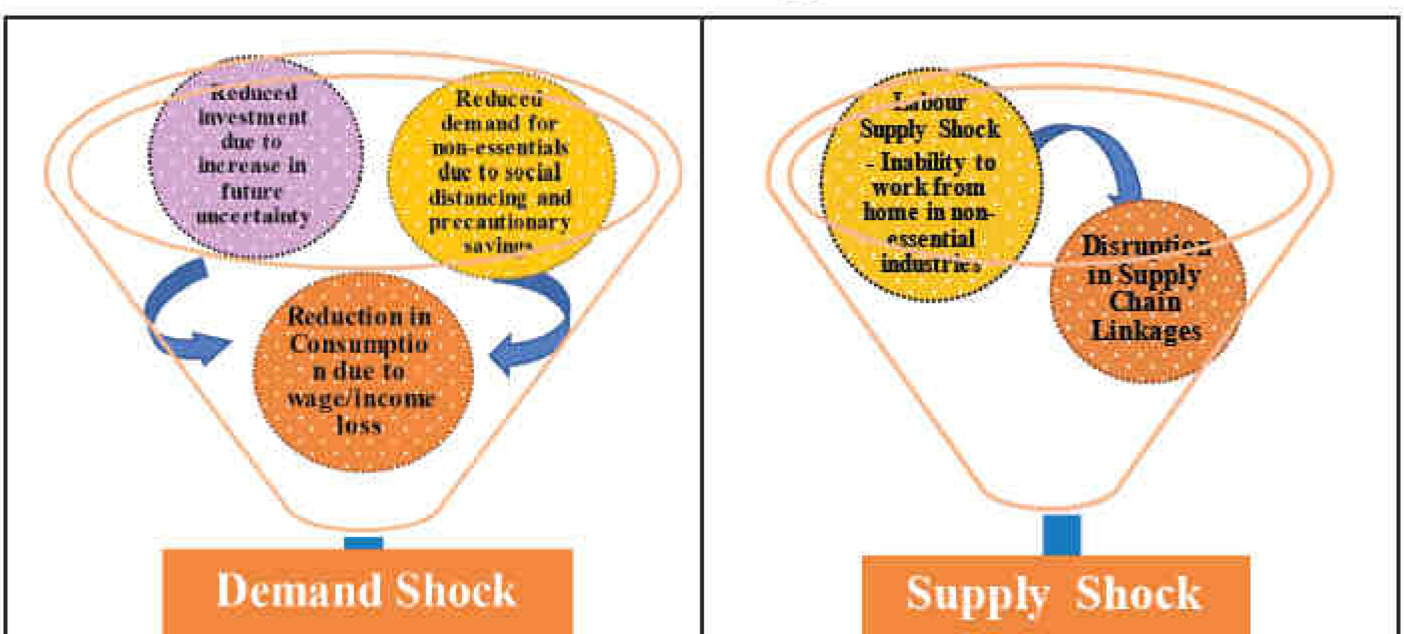

- पहले आदेश की आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों पर अनुक्रमिक दूसरे दौर का प्रभाव हो सकता है। प्रारंभिक आपूर्ति के झटके, जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी और आय में कमी हुई, कुल मांग में दूसरी गिरावट आ सकती है और उत्पादक क्षमता की हानि हो सकती है, जिससे दूसरे ऑर्डर की आपूर्ति को झटका लग सकता है। इन प्रभावों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, वैश्विक गतिविधि को कम करने और कमोडिटी की कीमतों को नीचे धकेलने के लिए मांग और आपूर्ति के फीडबैक लूप्स में हिस्टैरिसीस प्रभाव पैदा करने की क्षमता है-जब घर कम मांगते हैं, तो फर्मों को कम राजस्व मिलता है, जो फर्मों द्वारा कम गतिविधि में फीड होता है, और इस प्रकार घरेलू आय में कमी आती है।
- 'महामारी विज्ञान वक्र' को 'समतल करने के लिए नीतियों, इसलिए, डिजाइन की गई आर्थिक नीतियों के साथ-साथ आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप होने वाले झटके को कम करने और मंदी की अवस्था को समतल करने के लिए लक्षित होना चाहिए। हालाँकि, महामारी के संभावित प्रसार के बारे में अभूतपूर्व अनिश्चितता थी। इसलिए महामारी में नीति निर्माताओं के आगे अभूतपूर्व दुविधाएं पैदा हुई-आजीविका बनाम जीवन और महामारी के जुड़वां घटनों को समतल करना और परिणामी आर्थिक मंदी।

महामारी द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था का विघटन

- महामारी ने वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व स्वास्थ्य चुनौतियों को उठाया और अद्वितीय नीतिगत दुविधाएं पैदा कीं। 2018 के बाद से, वैश्विक उत्पादन में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने के कारण व्यापार तनाव, राजनीतिक अस्थिरता, धीमी मांग और औद्योगिक गतिविधि में कमी जैसे विभिन्न कारकों के कारण थी। कोविड-19 महामारी ने गंभीर मांग और आपूर्ति में विच्छेद पैदा करके मंदी को बढ़ा दिया है। आधिकारिक गतिविधियों और निजी निर्णयों दोनों के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है। महामारी के बाद की आर्थिक संभावनाओं और नीतियों के बारे में अनिश्चितता ने निवेश की गति को रोक दिया है शिक्षा में व्यवधानों ने मानव पूंजी संचय को कम कर दिया है और वैश्विक मूल्य श्रृंखला और महामारी के मार्ग की व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन पर तौला है।
- अप्रैल 2020 का महीना ''ग्लोबल लॉकडाउन' का महीना बन गया, जिसमें विश्व आर्थिक गतिविधि एक ठहराव पर आ गई-2020 की दूसरी तिमाही के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट आई। वैश्विक उत्पादन में एक सदी में सबसे तेज संकुचन देखने की उम्मीद है, जिसमें अनुबंध किया जा रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा क्रमशः प्रदान किए गए अनुमानों (चित्र 12) के अनुसार 2020 में 3.5-4.3 प्रतिशत की श्रेणी में संकुचन देखा गया है। 2020 और 2021 में वैश्विक GDP का संचयी नुकसान लगभग 9 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है-जापान और जर्मनी की संयुक्त अर्थव्यवस्थाओं से अधिक। चीन को छोड़कर, EMDEs की तुलना में 5.4 प्रतिशत पर आउटपुट का नुकसान AEs में अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020 (चित्र 12) के लिए 5.0 प्रतिशत पर था। यह EMDEs की तुलना में AEs में फैली महामारी के अधिक गंभीर प्रभाव के साथ संरेखित है जैसा कि अध्याय के शुरुआती भाग में देखा गया था। वर्ष के जुलाई-सितंबर तिमाही में लॉकडाउन को आसान बनाने और आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान के साथ वैश्विक विकास के अनुमानों को वर्ष के माध्यम से ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। AEs में कोविड-19 संक्रमण दर में पुनरुत्थान के कारण वैश्विक गतिविधि में पलटाव, हालांकि, असमान और वश में किया गया है, जो वर्ष की दूसरी छमाही की शुरुआत से ही है।

वैश्विक विकास में प्रवृत्ति

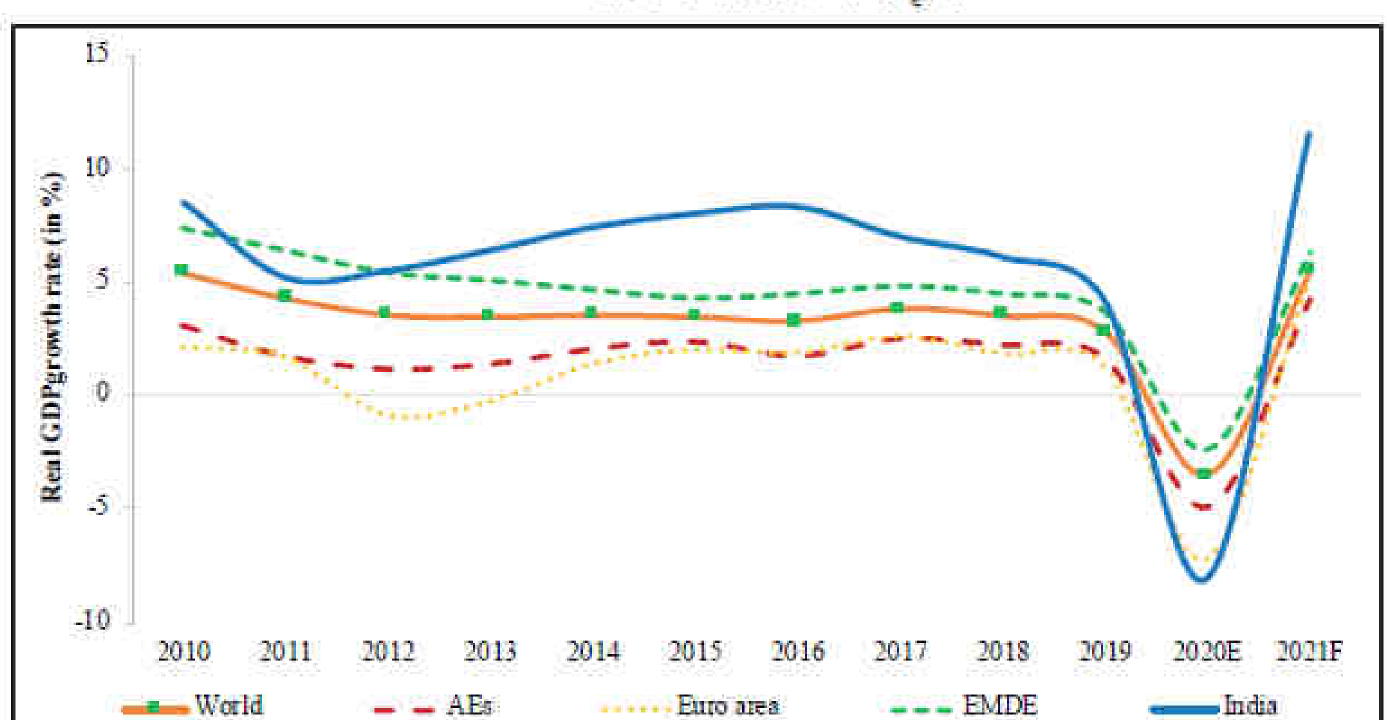

एक वी आकार के सुदृढ प्रक्षेपवक्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था

- मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही 21 और 7.5 प्रतिशत 7.5 Q2% FY 2020 में तेज संकुचन देखा गया था। तब से, कई उच्च आवृत्ति संकेतक ने क्षेत्रों में एक वी-आकार की वसूली का प्रदर्शन किया क्षेत्रों में एक असमानता, अंतर और प्रेरक शक्ति के साथ। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने हुए हैं, क्योंकि धीरे-धीरे लॉकडाउन की गति कम होती जा रही है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन के रास्ते पर मजबूती से रखा है।
- सरकार और RBI द्वारा प्रदान की गई असाधारण मौद्रिक और राजकोषीय सहायता के पीछे वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के कोविड-19 महामारी प्रेरित अभूतपूर्व चढ़ाव से भारत की आर्थिक गतिविधि में तेजी से सुधार हुआ है। क्यू 1, क्यू 2 और क्यू 3 से अधिक उच्च आवृत्ति संकेतकों के समग्र आंदोलन ने क्यू 2 में तेजी से पिकअप और क्यू 3 में पूर्व महामारी के स्तर तक बढ़ते अभिसरण का संकेत दिया। जैसे-जैसे भारत की गतिशीलता और महामारी के रुझान में सुधार हुआ है और, ई-वे बिल, रेल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की खपत जैसे संकेतक न केवल महामारी के स्तर तक पहुंच गए, बल्कि पिछले वर्ष के स्तरों से भी आगे निकल गए। इस साल विनिर्माण क्षेत्र में भी तेजी देखी गई, बढ़ती डिजिटल बिक्री में ग्रामीण मांग में उछाल और डिजिटल लेनदेन में संरचनात्मक खपत में बदलाव हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामारी का पूर्ण प्रभाव अभी भी अप्रभावित है और भविष्य में विकास की संभावनाएं इस नीति की गति पर निर्भर होंगी जो आवश्यक नीतिगत धुरी की आवश्यकता को बढ़ाते हुए घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव के जोखिम के साथ है।

सेक्टोरल ट्रेंड

- कृषि को 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के झटके को झेलने के लिए सेट किया गया है, Q1 और Q2 दोनों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ। यह एकमात्र क्षेत्र है जिसने 2020-21 के दोनों तिमाहियों में समग्र सकल मूल्य वर्धित (GVA) में सकारात्मक योगदान दिया है। यह इंगित करता है कि रबी की कटाई और खरीफ बुवाई के लिए कृषि गतिविधियां कोविड-प्रेरित तालाबंदी से अप्रभावित थीं। भरपूर खरीफ फसल की उम्मीद को देखते हुए, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2020-21 फसल वर्ष के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो 2019-20 (चित्र 22) में प्राप्त रिकॉर्ड उत्पादन से 1.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष भर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, बफर्स को मजबूती प्रदान करने और आपूर्ति को चैनलाइज करने में निरंतर वृद्धि करते हुए बुआई स्वस्थ बनी रही (चित्र 23)।

चित्र 22: भारत में खाद्यान्न उत्पादन

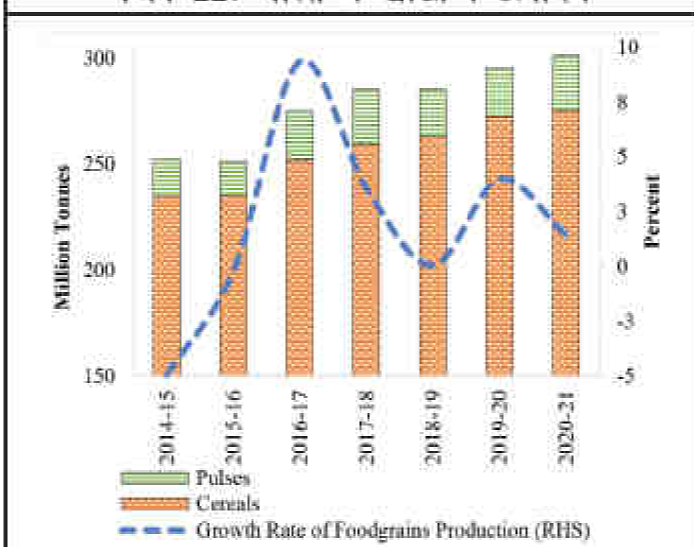

चित्र 23: चावल और गेहूं की खरीद/वसूली

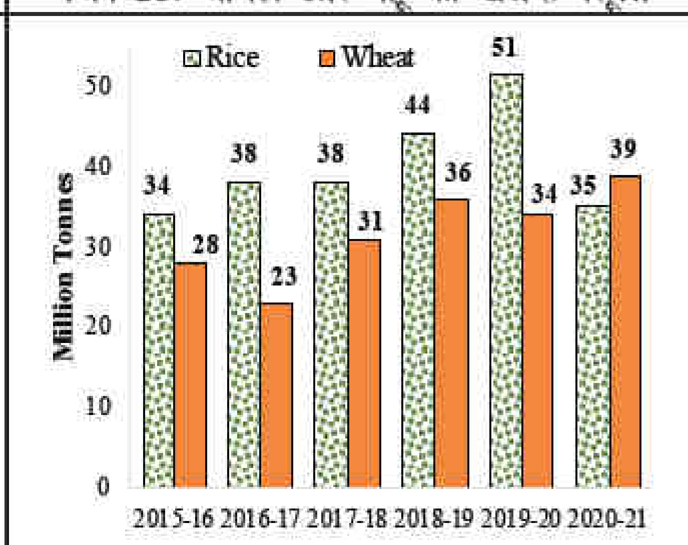

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और आधारिक संरचना में सुधार के माध्यम से पिछले वर्षों में ग्रामीण मांग सरकार के जोर से लचीली बनी हुई है। छोटे गांवों, ग्रामीण आवास और स्वच्छता, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आधारिक संरचना का प्रावधान और MGNREGS के माध्यम से टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण से ग्रामीण सड़कों पर पिछले छह वर्षों में फिर से सक्रिय ध्यान केंद्रित किया गया है। इन उपायों को ग्रामीण डिजिटाइजेशन और वित्तीय समावेशन ड्राइव द्वारा प्रबलित किया गया है, जो कोविड-19 के दौरान मांग धक्का उपायों के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता करता है।
- औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर तेजी के साथ पुनर्जीवित अंतर और अंतर-राज्य आंदोलन ने अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति में लौटने की शुरुआत की। ई-वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, रेल भाड़ा और पोर्ट कार्गो यातायात न केवल बरामद हुए बल्कि पिछले वर्ष के स्तर को तीसरी तिमाही: 2020-21 में पार कर गए, जबकि रेल यात्री आय और घरेलू विमानन में लगातार गिरावट देखी गई (आंकड़े 26 और 27)। भारतीय सेवा क्षेत्र ने दिसंबर में तीसरे सीधे महीने के लिए पीएमआई सेवा उत्पादन और नए कारोबार के बढ़ने के साथ महामारी से प्रेरित गिरावट से अपनी वसूली को बनाए रखा।

ई-वे बिल

- ई-वे बिल राजस्व संकलन, आपूर्ति श्रृंखला सुधार और रसद वृद्धि का एक मजबूत अग्रणी संकेतक है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के साथ, कुल ई-वे बिल ने अप्रैल 2020 में 74 प्रतिशत का तीव्र संकुचन देखा। अंतर राज्य का परिमाण और अंतर राज्य व्यापार 89% तक गिर गया। पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में अप्रैल 2020 में क्रमशः 80 प्रतिशत। जबकि अप्रैल 2020 में सभी दूरी श्रेणियों के लिए ई-वे बिल तेजी से अनुबंधित हुए, 1000 किमी से अधिक की दूरी वाले ई-वे बिलों में अधिकतम गिरावट देखी गई।

- जोखिम से बचने और मौन ऋण जोखिम (चित्र 29) के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ऋण की स्थिति बनी रही। अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान थोक बैंक ऋण की रूपरेखा ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों में इस प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। जबकि समग्र बैंक ऋण वृद्धि और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण धीरे-धीरे अपने अप्रैल के चढ़ाव से क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, क्रमशः 1 जनवरी को, यह पिछले वर्ष के स्तरों की तुलना में सुस्त बना रहा। अक्टूबर 2020 में कृषि के क्षेत्र में तैनाती, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वृद्धि में अक्टूबर 2019 में 7.1 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत की तेजी आई है। अक्टूबर 2020 में निर्माण, व्यापार और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में लचीला ऋण प्रवाह देखा गया, जबकि बैंक मौन रहे। विनिर्माण क्षेत्र के लिए। अक्टूबर 2010 में अक्टूबर 2010 में 5.5 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 6.5 फीसदी की रफ्तार से सर्विस सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ हुई। जबकि पर्सनल लोन में अक्टूबर 2020 में 9.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले 17.2 फीसदी ग्रोथ के साथ वाहन लोन जारी रहा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अक्टूबर 2020 में 8.4 प्रतिशत की त्वरित वृद्धि दर्ज करते हुए अक्टूबर 2019 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- गैर-बैंक वित्तपोषण पक्ष पर, म्युचुअल फंडों के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान 17.73 प्रतिशत बढ़ी। इन फंडों ने ऋण बाजारों में तरलता की कमी के बीच वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आक्रामक मोचन दबावों का सामना किया। हालांकि, म्यूचुअल फंड के लिए RBI की विशेष तरलता खिड़की ने उन्हें बनाए रखने में मदद की। RBI के तरलता बढ़ाने के उपायों ने वाणिज्यिक पत्र (CP) जारी करने और फैले हुए ढील को बढ़ावा दिया। दिसंबर 2020 में, CP जारी करने में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो नवंबर 2020 में लाख 1.21 लाख करोड़ की तुलना में 1.88 लाख करोड़ तक पहुंच गई। CP के प्रभावी भारित औसत यील्ड दिसंबर 2020 में 3.6 प्रतिशत तक पहुंचने में आसानी रही। म्यूचुअल फंड NBFCs की हिस्सेदारी, IL & FS प्रकरण को काफी हद तक कम करने के बाद, नवंबर 2020 में मार्च 2020 से लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- भारत वित्त वर्ष 2020-21 में पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी और तेजी से रिकवरी की संभावनाओं के बीच वैश्विक परिसंपत्ति बदलावों के बीच FDI ने डाला। मार्च 2020 में एक बेजोड़ वैश्विक पोर्टफोलियो निवेशक सेलऑफ के बाद, FPI प्रवाह की वृद्धि दर जून में देखी गई थी, जिसमें वैश्विक मौद्रिक सहजता और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों के बीच जोखिम भूख की वापसी, पैदावार के लिए नए सिरे से खोज और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के संकेत थे। नेट FPI इनफ्लो ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मासिक उच्च स्तर दर्ज किया। अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान इक्विटी में 30.0 बिलियन अमरीकी डालर का प्रवाह देखा गया, जो पिछले वर्ष के मूल्य से पांच गुना था-भारत उभरते बाजारों में एकमात्र देश था। 2020 में इक्विटी FII प्रवाह प्राप्त करें (चित्र 34)। इन इनफ्लो के परिणामस्वरूप, बंबई संसेक्स और निफ्टी ने भारत के बाजार-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को अक्टूबर 2010 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत के पार कर दिया। हालांकि, यह वित्तीय बाजारों और वास्तविक क्षेत्र के बीच के संबंध में चिंताओं को बढ़ाता है।

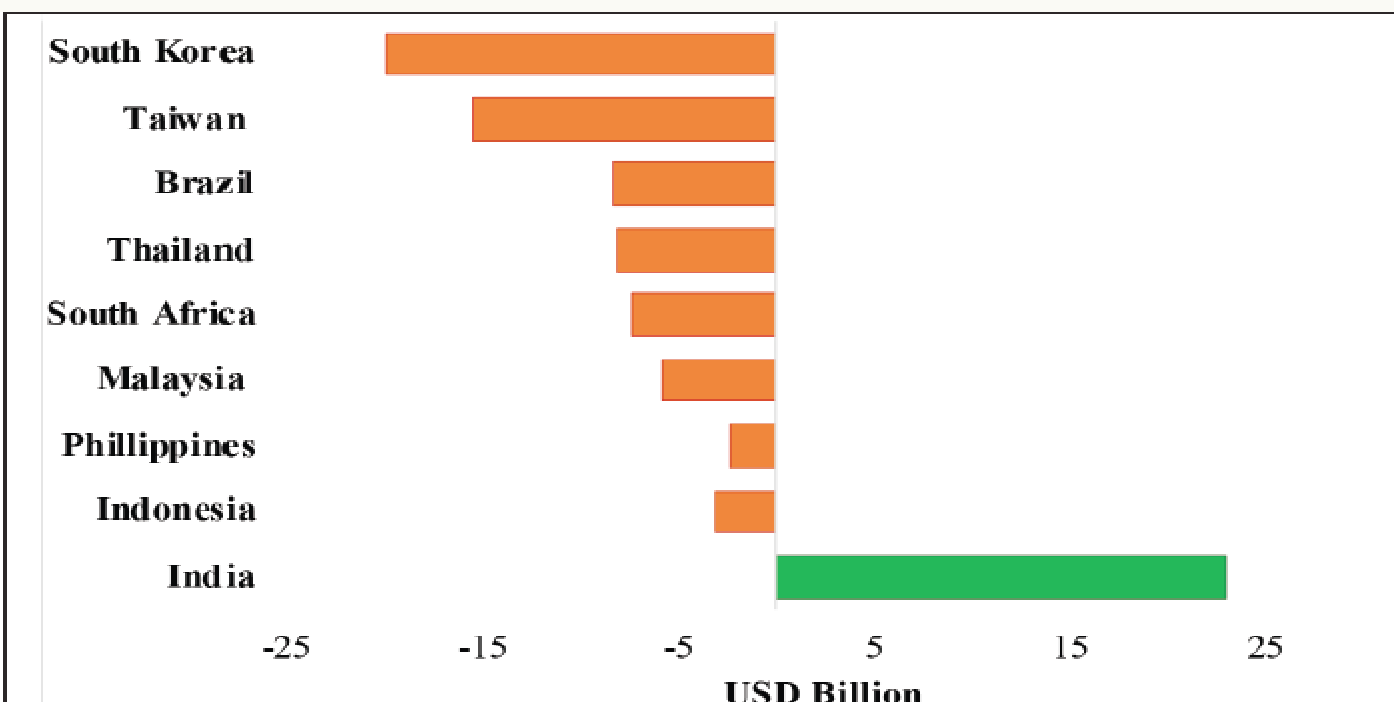

GVA, श्रम बाजार और राजकोषीय स्थिति पर कोविड-19 का प्रभाव: एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

- कोविड-19 स्वास्थ्य सदमे का भौगोलिक फैलाव राज्यों की पहले से मौजूद आर्थिक कमजोरियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस भंगुरता की व्याख्या तीन मोर्चों पर की जा सकती है- जीवीए की भंगुरता, श्रम बाजार की भंगुरता और राजकोषीय भंगुरता। उच्चतम उत्पादन में योगदान देने वाला राज्य और देश का कोविड-19 उपरिकेंद्र यानी महाराष्ट्र संपर्क-संवेदनशील सेवा क्षेत्र के झटके से जूझ रहा है (इसका 56% उत्पादन उस क्षेत्र से आ रहा है) और श्रम बाजार के तनाव ने देश के स्तर पर MSMEs के उच्च प्रतिशत में हिस्सेदारी दी। जबकि तमिलनाडु और केरल निर्माण क्षेत्र के झटके के लिए सबसे अधिक भंगुर हैं, एक विनिर्माण मंदी गुजरात और जम्मू और कश्मीर की आर्थिक वसूली के लिए जोखिम देती है। हालांकि, पंजाब अपेक्षाकृत लचीले कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र में गंभीर अनौपचारिक श्रम झटके महसूस होने की उम्मीद है। अनौपचारिक क्षेत्र के झटके वाली सेवाएं दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों को भी असुरक्षित बनाती हैं। हालांकि, दिल्ली की आरामदायक राजकोषीय स्थिति, जो प्रमुख कोविड-19 हॉटस्पॉट में से एक है, स्वास्थ्य को झटका देने के लिए कुशन प्रदान करती है। देश के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माण संबंधी अनौपचारिक क्षेत्र के झटकों की सर्वव्यापकता सबसे गंभीर है। जबकि बिहार की आर्थिक नाजुकता इसकी चुनौतीपूर्ण राजकोषीय स्थिति के कारण है, इस प्रमुख आउट-माइग्रेशन राज्य की पुनर्प्राप्ति संभावनाएं कोविड-19 से प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन से उभरती हुई ग्रामीण मांग को धक्का देती हैं।

कोविड -19 को नीति प्रतिक्रिया

वैश्विक

- वायरस के प्रसार को कम करने में मदद करने के लिए, कई देशों ने आवश्यक उपायों को लागू किया। इनमें स्कूल बंद करना, गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक परिवहन को निलंबित करना, आंदोलन पर प्रतिबंध, सीमा बंद करना और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं। कोविड-19 के घरेलू प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए, कई देशों ने सार्वजनिक सूचना अभियानों, व्यापक-आधारित परीक्षण और संभावित रूप से ज्ञात मामलों से अवगत कराए गए व्यक्तियों के संपर्क ट्रेसिंग के साथ इन सामाजिक गड़बड़ी के उपायों को पूरक बनाया है। लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण आपूर्ति-पक्ष बाधाओं को लागू किया, जो कि आमतौर पर व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से गैर-व्यापार सेवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार को कम करते हैं।
- अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र और समाज के हर पहलू पर महामारी के बेजोड़ प्रभाव ने अधिकारियों से समान अद्वितीय नीति प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने तरलता समर्थन और नियामक परिवर्तनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों को तैनात किया है। वैश्विक स्तर पर 11.7 ट्रिलियन डॉलर या वैश्विक जीडीपी के 12 प्रतिशत के करीब (11 सितंबर, 2020 तक) अभूतपूर्व वित्तीय प्रतिक्रिया ने कमजोर घरों और फर्मों को जीवनदान दिया है। इन उपायों में शामिल हैं, अस्थायी कर कटौती, नकदी और तरह-तरह के स्थानान्तरण, बेरोजगारी लाभ, मजदूरी सब्सिडी, और तरलता समर्थन शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (चित्र 37) द्वारा ऋण, गारंटी और इक्विटी इंजेक्शन शामिल हैं।

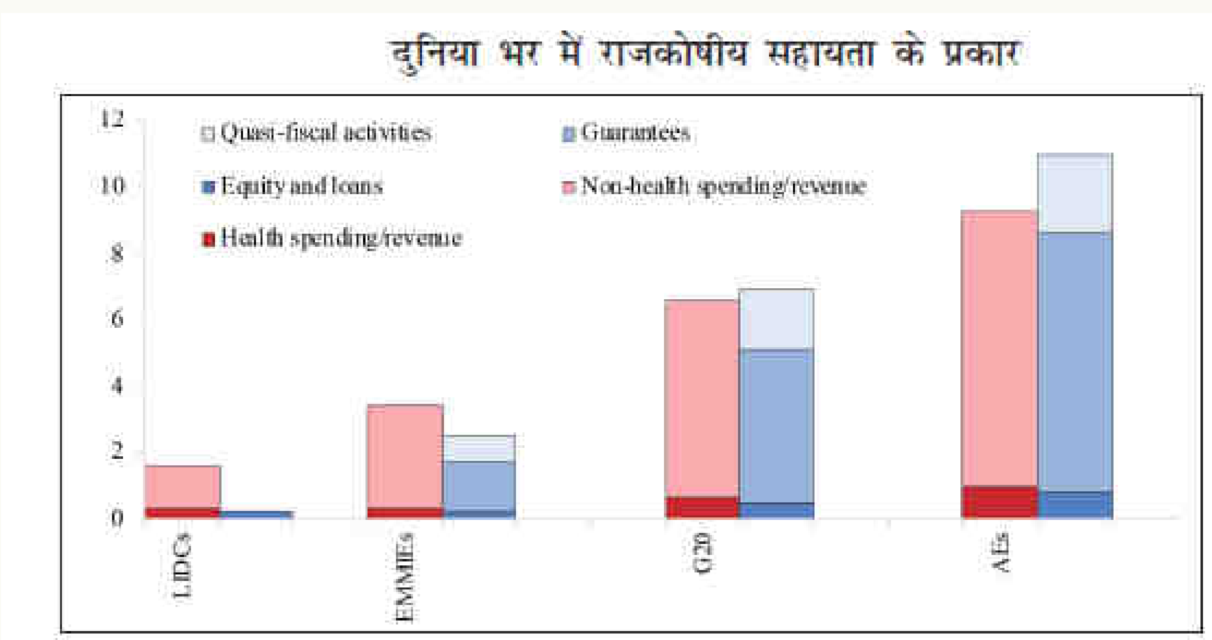

- दुनिया भर में मौद्रिक अधिकारियों ने गतिविधि का समर्थन करने के लिए अल्पकालिक नीति दरों और आरक्षित आवश्यकताओं में व्यापक-आधारित कटौती के साथ मौद्रिक स्थितियों को आसान बनाया है और वित्तीय बाजारों को स्थिर करने के लिए आपातकालीन तरलता सहायता प्रदान की है। दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक दीर्घकालिक परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम (कई EMDEs में पहली बार) के रूप में अपरंपरागत मौद्रिक नीति हस्तक्षेपों में लगे हुए हैं, सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, परिसंपत्ति प्रावधान की आवश्यकताओं में छूट और उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ऋण

प्रावधान का समर्थन कर रहे हैं। A बैंकिंग प्रणाली में आरक्षित धन के संबंधित इंजेक्शन बांड बाजारों को स्थिर करने, बांड की पैदावार को कम करने, विनिमय दरों पर दबाव डाले बिना इक्विटी की कीमतों को बढ़ाने में प्रभावी रहे हैं।

भारत की सामरिक बहु-प्रचारित नीति प्रतिक्रिया

- भारत ने महामारी के विघटनकारी प्रभाव को पहचान लिया और देश में प्रसार के निराशाजनक अनुमानों के बीच अपने स्वयं के अनूठे पथ का चार्ट बनाया। यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में मई, 2020 के अंत तक 30 करोड़ मामले और कई हजार मौतें होंगी। तेजी से बदलाव और बढ़ती अनिश्चितता के समय, 'जान है तो जहान है' का स्पष्ट उद्देश्य और 'प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने' से सरकार को 'जीवन बनाम आजीविका' की दुविधा का सामना करने में मदद मिली, नीतिगत बदलावों के क्रम को गति दी गयी और विकसित स्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को अनुकूलित किया। भारत ने (प) रोकथाम उपायों से युक्त एक चार-तरफा रिक्तिपूर्व, और सक्रिय रणनीति को अपनाया, जिसमें शामिल हैं (i) रोकथाम के उपाय, (ii) लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता और अनलॉक चरण के दौरान मांग के धक्के पर कैलिब्रेटेड राजकोषीय समर्थन, (iii) वित्तीय उपाय और (iv) कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए संरचनात्मक सुधार। नीति की प्रतिक्रिया महामारी के विभिन्न चरणों के अनुरूप थी, लोगों को सफलता प्रदान करने, मांग का समर्थन करने, पूर्व-महामारी के स्तर को ठीक करने और वित्तीय और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विकासशील आवश्यकताओं को अपनाना। एक क्रमिक, सुचारु परिवर्तन को 'जान है तो जहान है' से 'जान भी और जहान भी' के लिए तैयार किया गया था।
- 24 मार्च, 2020 को 21 दिनों के लिए एक राष्ट्रव्यापी 'कड़े' लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और बाद में इसे 31 मई, 2020 तक बढ़ाया गया था। ऑक्सफोर्ड सरकार के प्रतिसाद ट्रैकर के अनुसार, भारत सबसे पहले एक सख्त लॉकडाउन (100 के साथ सूचकांक) लागू करने वालों में से था, लॉकडाउन लगाने के समय कुछ मामले होने के बावजूद। लॉकडाउन ने स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया को मजबूत करने, परीक्षण को रैंप करने और सामाजिक दूरी के अभ्यास के प्रति सार्वजनिक जुड़ाव/जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक समय प्रदान किया। महामारी की शुरुआत में, भारत लगभग पूरी तरह से आयातित वेंटिलेटर, पीपीई किट और एन -95 मास्क पर निर्भर था। केंद्र सरकार ने महामारी की प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न चुनौतियों को पहचान लिया और देश भर में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति से अधिक सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया। कोविड-19 मामलों के उचित प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाई गई थी, (i) हल्के या पूर्व-लक्षण वाले मामलों के लिए अलगाव बेड के साथ कोविड केयर सेंटर; (ii) मध्यम मामलों के लिए ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड के साथ समर्पित कोविद हेल्थ सेंटर (DCHC) और (iii) गंभीर मामलों के लिए ICU बेड के साथ समर्पित कोविड अस्पताल (DCH) को लागू किया गया है। 29 दिसंबर 2020 तक कुल 2,70,710 ऑक्सीजन समर्थित अलगाव बेड, 81,113 आईसीयू बेड (40,627 वेंटिलेटर बेड सहित) और 5,91,496 बेड वाले 12,669 संगरोध केंद्र बनाए गए थे। टेक्सटाइल उद्योग ने पीपीई किट और एन 95 मास्क के उत्पादन को बढ़ा-चढ़ा कर और महामारी को पीपीई किट के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरने और एन 95 मास्क के 32 लाख टुकड़ों के दैनिक उत्पादन तक पहुँचने की महामारी की चुनौती को जन्म दिया।
- RBI ने अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिति के प्रबंधन के लिए कई पारंपरिक और अपरंपरागत तरलता बढ़ाने के उपाय किए। इन उपायों में, अन्य बातों के अलावा, 6 फरवरी से 4 दिसंबर, 2020 के बीच ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद के माध्यम से रूपये 2.7 लाख करोड़ से अधिक की टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में दो खरीद नीलामी ओएमओ के माध्यम से 20,000 करोड़।, तीन साल तक के टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (TLTROs) के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये, फरवरी-मार्च 2020 में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (LTROs) के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ रुपये, कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कमी 28 मार्च, 2020 से निवल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत से बैंकों की आवश्यकता, बैंकिंग प्रणाली में प्राथमिक तरलता में लगभग 1.37 लाख करोड़ की वृद्धि, सीमांत के तहत रातोंरात उधार लेने के लिए बैंकों की सीमा बढ़ा दी। स्थायी सुविधा (MSF), म्युचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा और सभी भारत के वित्तीय संस्थानों यानी नाबार्ड, NHB, SIDBI और EXIM बैंक के लिए 75,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा दी। RBI और भारत सरकार द्वारा H1: 2020-21 के दौरान NBFC द्वारा सामना की गई तरलता की बाधाओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय, योग्य NBFC/HFC से अल्पकालिक कागजात खरीदने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) की स्थापना करना था, जो फिर अपनी मौजूदा देनदारियों को बुझाने के लिए आय का उपयोग करें।
- कॉर्पोरेट तनाव में सुधार लाने के लिए, सरकार ने 25 मार्च, 2020 से 25 मार्च 2021 तक या उसके बाद उत्पन्न होने वाली चूक के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 7, 9 और 10 के तहत नई इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने को निलंबित कर दिया। RBI ने भी 1 मार्च से लोन स्थगन की घोषणा की। 2020 से 31 अगस्त 2020 तक एक परिसंपत्ति वर्गीकरण वितरण और कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए विशेष संकल्प ढांचे के किये। उपरोक्त विंडो के तहत लागू की जा सकने वाली रिजॉल्यूशन योजनाओं के तहत, उधारदाताओं को दो साल तक की अतिरिक्त मोहलत देने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, MSME खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां 1 मार्च, 2020 तक बैंकों और NBFCs के कुल जोखिम 25 करोड़ या उससे कम थे, कुछ शर्तों के अधीन, परिसंपत्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना पुनर्गठन की अनुमति दी गई थी।
- भारत की प्रतिक्रिया यह मानने में अद्वितीय रही है कि महामारी का उत्पादक क्षमता पर दीर्घकालिक विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन, तदनुसार, व्यक्तियों और फर्मों के अल्पकालिक संकट को दूर करने के लिए कल्याणकारी उपायों के साथ घोषित एक समग्र पैकेज था; और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक संकट को कम करने के लिए संरचनात्मक सुधार। अर्थव्यवस्था के क्रमिक अनलॉकिंग के साथ, प्रोत्साहन उपायों का फोकस उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन, पूंजी व्यय और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में निवेश जैसे पुनरुद्धार उपायों की ओर बढ़ा। महामारी की आवश्यकताओं के अनुसार नीति में बारीक अनुकूलन केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय पर आधारित था। इसलिए, समग्र नीति प्रतिक्रिया का उद्देश्य कोविड के बाद की दुनिया के अवसरों और समस्याओं (तालिका 1) से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक मुलायम और लचीला बनाना है।

कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत में नीति पैकेज		
उपाय	**उपाय**	**नीति उपकरण**
• रोकथाम के उपाय	• रोकथाम और बंद करने की नीति • संचरण की रोकथाम	• स्कूल बंद करना • 21 दिनों के लिए पूरा राष्ट्र-व्यापी लॉक-डाउन • यात्रा प्रतिबंध/रोक • सार्वजनिक स्थानों को बंद करना/सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करना • गैर-जरूरी आर्थिक गतिविधियों की कटौती • रेड जोन (हॉट स्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों की जोखिम रूपरेखा • सामाजिक भेद मानदंड • मास्क का अनिवार्य उपयोग
• राजकोषीय नीति के उपाय	• स्वास्थ्य • कल्याण • कर उपाय • मांग धक्का (Push) • निवेश धक्का	• आपातकालीन स्वास्थ्य कोष (रु. 150 बिलियन) • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा • MGNREGS के तहत दैनिक वेतन में वृद्धि • गरीब कल्याण रोजगार अभियान - ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका निर्माण • कर और योगदान नीति में परिवर्तन • राज्यों को सहायता, उधार को सुधारों से जोड़ना • **आत्म निर्भर भारत पैकेज 1** • MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) • MSMEs के लिए निधियों के माध्यम से स्ट्रेस्ड • एमएसएमई और इक्विटी इन्फैक्शन के लिए अधीनस्थ ऋण • NBFCs और MFIs की सहायता के लिए आंशिक गारंटी योजना का विस्तार • स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा • DISCOM के लिए तरलता इंजेक्शन • एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए विशेष तरलता योजना • MUDRA शिशु ऋण के लिए ब्याज सबमिशन • हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना-MIG • नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी • KCC के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट • एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण, पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड • हर्बल खेती को बढ़ावा • मधुमक्खी पालन की पहल • सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए • व्यवहार्यता अंतराल निधि योजना • आत्म निर्भर भारत पैकेज 2 • पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना • LTC वाउचर योजना • त्यौहार अग्रिम • **आत्म निर्भर भारत पैकेज 3** • आत्म निर्भर विनिर्माण के लिए बूस्ट - उत्पादन जुड़े • प्रोत्साहन

		• ग्रामीण रोजगार के लिए बूस्ट • कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान भारतीय टीका विकास • आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना • औद्योगिक बुनियादी ढांचा, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू • रक्षा उपकरण • कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी • सभी के लिए आवास - PMAY-U • NIIF डेट PF में इन्फ्रास्ट्रक्चर-इक्विटी के लिए बूस्ट • परियोजना निर्यात के लिए बूस्ट- EXIM बैंक के लिए सहायता
• मौद्रिक उपाय	• पॉलिसी की दरें • लिक्विडिटी • संपत्ति खरीद • ऋण अधिस्थगन	• रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 बीपीएस से कम करना। • ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन • तीन वर्षों तक के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTROs) लक्षित • बैंकों की सीआरआर आवश्यकता में कमी • बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया • कार्यशील पूंजी समर्थन-अवधि ऋण अधिस्थगन, • ब्याज का आवर्तन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील • संवर्धित WMA उधार सीमा और सीएसएफ निकासी नियमों में छूट • तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में आसानी • विचलन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील • स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (VRR) के तहत एफपीआई के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को जानें
• मौद्रिक उपाय	• पॉलिसी की दरें • लिक्विडिटी • संपत्ति खरीद • ऋण अधिस्थगन	• रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 115 और 155 • बीपीएस से कम करना। • ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के माध्यम से • टिकाऊ तरलता का इंजेक्शन • तीन वर्षों तक के दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTROs) लक्षित • बैंकों की सीआरआर आवश्यकता में कमी • बैंक की उधारी की सीमा को बढ़ाया • कार्यशील पूंजी समर्थन-अवधि ऋण अधिस्थगन, ब्याज का आवर्तन और वित्तपोषण आवश्यकताओं में ढील • संवर्धित डॉ. उधार सीमा और सीएसएफ निकासी • नियमों में छूट • तनावग्रस्त परिसंपत्ति के अनुपालन में आसानी • विचलन, पूंजी बफर और तरलता कवरेज आवश्यकताओं में ढील • स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (VRR) के तहत एफपीआई के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को जानें

• संरचनात्मक सुधार	• कृषि • एमएसएमई • श्रम • बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) • बिजली • सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण • खनिज क्षेत्र • उद्योग • अंतरिक्ष • रक्षा	• कृषि • किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 • मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 का किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता • आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 • **MSMEs** • नई MSME परिभाषा MSMEs को आकार में बढ़ने और रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाने वाली सभी कंपनियों के लगभग 99% को कवर करती है • निर्माण और सेवा MSMEs के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना • **श्रम** • चार श्रम कोडों का अधिनियमन, मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता • 'एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण' • ओपन • **बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)** • दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता (OSP) दिशानिर्देशों का सरलीकरण। कई आवश्यकताएं, जिन्होंने कंपनियों को 'वर्क फ्रॉम होम' और 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर' नीतियों को अपनाने से रोका।
		• **बिजली** • टैरिफ नीति सुधार: उपभोक्ताओं को बोझ न करने की अक्षमता, क्रॉस सब्सिडी में प्रगतिशील कमी, खुली पहुंच का समयबद्ध अनुदान आदि। • संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण • केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs • गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण • खनिज क्षेत्र • कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन • एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन शासन • का परिचय। • उद्योग • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना • अंतरिक्ष • उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी • कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला स्तरीय खेल का • मैदान • तकनीक-उद्यमियों को दूरस्थ-संवेदी डेटा प्रदान करने के • लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति • तकनीक • रक्षा • आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण • ऑटोमैटिक रूट के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में • एफडीआई की सीमा 49: से बढ़ाकर 7 की जाएगी 4:

		• संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण **सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण** • केवल रणनीतिक क्षेत्रों में PSUs • गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण **खनिज क्षेत्र** • कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन • एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन शासन का परिचय। **उद्योग** • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना **अंतरिक्ष** • उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को प्रदान किया जाने वाला स्तरीय खेल का मैदान • तकनीक-उद्यमियों को दूरस्थ-संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक डेटा नीति • तकनीक **रक्षा** • आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण • ऑटोमैटिक रूट के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में • एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 7 की जाएगी 4% • निर्माण और सेवा MSMEs के बीच कृत्रिम अलगाव को हटाना **श्रम** • चार श्रम कोडों का अधिनियमन, मजदूरी कोड, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर संहिता • 'एक श्रम रिटर्न, एक लाइसेंस और एक पंजीकरण' • ओपन

V आकार की अर्थिक पुनः प्राप्ति

- वित्त वर्ष 2020-21 तिमाही में कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव और महामारी को नियंत्रित करने के लिए किए गए रोकथाम उपायों को दर्शाता है। संकुचन भारत के सबसे कड़े लॉकडाउन में से एक के प्रवर्तन के अनुरूप था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मापे गए सरकारी रिस्पांस स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में परिलक्षित होता था। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत बने रहे क्योंकि धीरे-धीरे तालाबंदी का दौर जारी रहा, साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन के आश्चर्यजनक समर्थन ने अर्थव्यवस्था को रिकवरी के रास्ते पर मजबूती से खड़ा कर दिया।
- NSO ने 2019-20 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2020-21 में वास्तविक GDP के 7.7 प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है। यह पिछले चार दशकों में पहला वार्षिक संकुचन और स्वतंत्रता के बाद से सबसे कठिन को चिह्नित करता है। 1965-66 और 1971-72 में संकुचन युद्धों और सूखे के साथ हुआ, जबकि 1979-80 का वर्ष एक गंभीर सूखे और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा था। इन सभी वर्षों में एक सामान्य कारक कृषि उत्पादन में गिरावट थी। वर्ष 2019-20, इसके विपरीत, प्रचुर मात्रा में मॉनसून के साथ कृषि क्षेत्र अग्रणी रहा है, जो अर्थव्यवस्था के चांदी के रूप में उभर रहा है। इस वर्ष में संकुचन 'एक बार एक सदी के संकट' के प्रभाव को इंगित करता है जो महामारी और संबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा फैलाया गया है।

आउटलुक

- 2020-21 में अनुमानित 7.7 प्रतिशत महामारी-चालित संकुचन के बाद, भारत की वास्तविक जीडीपी 2021-22 में 11.0 प्रतिशत और मामूली जीडीपी 15.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ये रूढ़ीवादी अनुमान विलोम संभाव्यता को प्रदर्शित करता है जो आर्थिक गतिविधियों में निरंतर विमुद्रीकरण के कारण प्रकट हो सकते हैं क्योंकि कोविड-19 टीकों के रोलआउट से कर्षण इकट्ठा होता है। इससे सुधारों और आपूर्ति नियमों में शिथिलता, ढांचागत निवेशों को बढ़ावा देने, उत्पादकता से जुड़ी विनिर्माण योजनाओं को बढ़ावा देने, सेवा क्षेत्र के लिए पेंट-अप मांग में सुधार, रोल के बाद विवेकाधीन उपभोग में वृद्धि के कारण आपूर्ति पक्ष द्वारा समर्थन किया जाएगा। वैक्सीन और क्रेडिट में लेने से पर्याप्त तरलता और कम ब्याज दर मिलती है। यह रास्ता 2019-20 के पूर्ण स्तर पर 2.4 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज करेगा-जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को पूर्व-महामारी स्तर तक पहुंचने और जाने में दो साल लगेंगे। ये अनुमान भारत के लिए 2021-22 में 11.5% वास्तविक जीडीपी वृद्धि और 2022-23 में 6.8% आईएमएफ के अनुमान के अनुरूप हैं। भारत को आईएमएफ के अनुसार अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की उम्मीद है।

- नया साल लंबे समय से प्रतीक्षित कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी और विभिन्न देशों में टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत के साथ शुरू हुआ है। आपातकालीन उपयोग के लिए स्वदेश निर्मित दो टीकों की मंजूरी के साथ, भारत ने 16 जनवरी, 2020 को मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक डिजिटल प्रणाली (विन-को) टीके स्टॉक की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है-प्लेटफॉर्म, भंडारण तापमान और वास्तविक समय के आधार पर वैक्सीन के लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग।
- भारत छह दिनों के भीतर 10 लाख वैक्सीन रोल-आउट करने वाला सबसे तेज देश बन गया। भारत 22 जनवरी, 2021 को ब्राजील और मोरक्को को निर्यात शुरू करने के साथ विभिन्न देशों के लिए वैक्सीन के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। वैक्सीन के तेजी से रोल आउट से स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर आशावाद को बल मिलता है- आशाएं सेवा क्षेत्र, निजी उपभोग और निवेश में एक मजबूत रिकवरी।

02 राजकोषीय विकास

परिचय

- वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2020 में एक अभूतपूर्व संकट का अनुभव किया। कोविड-19 महामारी ने देशों को लॉकडाउन का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जिसका आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बाजारों और समाज के कमजोर वर्गों के अस्तित्व पर अचानक और तीव्र प्रभाव पड़ा। सदमे और अनिश्चितता के इस चरण के बीच बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपायों, वैश्विक जीडीपी के 12 प्रतिशत की राशि, महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर उठाए गए थे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति उपायों के संयोजन में, संकट के समय में एक प्रभावी नीति उपकरण के रूप में उभरी।
- महामारी के लिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अन्य देशों से अलग थी। कई अन्य देशों के विपरीत, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के पुनः प्रवर्तन के लिए एक फ्रंट-लोडेड भव्य प्रोत्साहन पैकेज चुना, भारत सरकार ने एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण अपनाया। शुरुआत में दृष्टिकोण था कि लॉकडाउन के प्रारंभिक चरण में समाज के गरीब और कमजोर लोगों और विशेष रूप से व्यापार क्षेत्र (विशेषकर एमएसएमई) के लिए एक कुशन प्रदान करना था। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम, जन धन खातों में सीधे ट्रान्सफर, साथ ही साथ क्रेडिट के लिए सरकार की गारंटी, वित्तीय समय सीमा का स्थगन आदि शामिल थे। अर्थव्यवस्था की क्रमिक अन-लॉकिंग के साथ, राजकोषीय प्रोत्साहन का ध्यान घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों से बढ़ाया गया है जैसे कि पूंजीगत व्यय, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन और खपत बढ़ाने की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

कोविड-19 महामारी के लिए राजकोषीय स्थिति और प्रतिक्रिया

- वर्ष 2020-21 की महामारी ने अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय चुनौतियों को आवश्यक बना दिया है, जो अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं की विशेषता थी, जो कमजोर लोगों के लिए जीविका और आजीविका के बुनियादी साधन सुनिश्चित करने, एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत के उपाय, अतिरिक्त स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं से निपटने के लिए कोविड-19 से लड़ने और मांग को बढ़ावा देने के उपायों के लिए निर्देशित थे। इस अवधि के दौरान, सरकार ने व्यय के प्रबंधन में सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड रणनीति का पालन किया।
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली दो तिमाहियों के दौरान, मंत्रालयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। श्रेणी 'ए' में मंत्रिमंडल/मंत्रालय जनता को राहत या कल्याण प्रदान कर रहे थे। इन मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों पर कोई व्यय प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और वास्तव में बढ़ा हुआ आवंटन उन्हें उपलब्ध कराया गया था। अन्य मंत्रालय/मंत्रिमंडल जो सीधे तौर पर महामारी में शामिल नहीं थे, उन्हें 'बी' श्रेणी में रखा गया और प्रति तिमाही उनके बजट का 20% खर्च करने की अनुमति दी गई। महामारी की स्थिति में कम प्राथमिकता वाले मंत्रालयों/मात्रिमंडलों को 'सी' श्रेणी में रखा गया था और पहली दो तिमाहियों में अपने बजट का 15% खर्च करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, श्रेणी बी और सी मंत्रालयों/मंत्रिमंडलों में भी, घरेलू पूंजीगत व्यय पर खर्च की अनुमति इन उच्चतम सीमा से परे की थी। इस वर्गीकरण ने सरकार को यह सुनिश्चित करने में सक्षम किया कि राजस्व प्राप्तियों में तीव्र संकुचन के बावजूद आवश्यक गतिविधियों के लिए धनराशि पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई थी, और पुनः प्राथमिकता के लिए दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण किया गया था।
- तीसरी तिमाही के प्रभाव से, व्यय की उच्चतम सीमा को संशोधित पूर्ण वर्ष के आवंटन के आधार को ढीला/रिलैक्स् कर दिया गया था। संशोधित आवंटन से अर्थव्यवस्था पर सबसे सकारात्मक प्रभाव या तो फिर से विकास या तो कल्याण की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में उन क्षेत्रों में व्यय का एक बड़ा पुनः प्राथमिकताकरण हुआ। संशोधित आवंटन के भीतर मंत्रालयों को व्यय का समय तय करने की अनुमति दी गई थी। पूंजीगत व्यय पर प्रतिबंधों की अनुपस्थिति के बावजूद, पहले दो तिमाहियों में पूंजीगत व्यय की गति को प्रतिबंध क्षेत्रों/कटेनमेंट जोन में गतिविधि प्रतिबंधों के कारण रोका गया था, और ठेकेदारों और श्रमिकों की अक्षमता या अक्षमता के कारण कार्यों को पूरा करने के लिए।
- तीसरी तिमाही में गति और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ, सरकारी व्यय की गति में तेजी आई है। महामारी से राहत के लिए, सरकार ने उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर अधिकतम प्राथमिकता दी है जिसका अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। अप्रैल से दिसंबर 2020 तक का पूंजीगत व्यय 3.17 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय से 24% अधिक था। कुल व्यय में भी 11% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 21.11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान 23.4 लाख करोड़ रुपये हो गई। मासिक व्यय के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2020 के अंतिम तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में अक्टूबर में कुल 9.5 प्रतिशत, नवंबर में 48.3 प्रतिशत और दिसंबर में 50.2 प्रतिशत की कुल व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2020 के आखिरी तीन महीनों के दौरान पूंजीगत व्यय अक्टूबर में 129.5 प्रतिशत, नवंबर में 248.5 प्रतिशत और दिसंबर में 81.9 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में था।

- राजस्व मोर्चे पर भी वसूली स्पष्ट है, क्योंकि मासिक सकल जीएसटी संग्रह ने पिछले 3 महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। दिसंबर 2019 से अधिक जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, दिसंबर 2020 के महीने के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से यह सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अप्रैल से नवंबर 2020-21 के लिए सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2020 के अंत में केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा 114.8 प्रतिशत 2019-2020 में इसी अवधि के दौरान की तुलना में बीई का 135.1 प्रतिशत रहा (तालिका 1). महामारी से उत्पन्न स्थितियों की भयावहता को देखते हुए, भारत सहित अधिकांश देशों में आर्थिक दृष्टि से तनाव हो रहा है, घाटा आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। सरकार द्वारा आवश्यक संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के सकल बाजार उधार का लक्ष्य बजट अनुमान 7.8 लाख करोड़ रुपये से 12 लाख करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया था।

तालिका-1

2020-21 के लिए अनंतिम परिणाम (नवंबर 2020 तक)

		2020-21 बीई	लाख करोड़ रुपये में		संबंधित बीई का प्रतिशत		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)	
			2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)	2019-20 (अप्रैल - नवंबर)	2020-21 (अप्रैल - नवंबर)
1	राजस्व प्राप्तियां	20.21	9.83	8.13	50.1	40.2	13.0	-17.3
2	सकल कर राजस्व	24.23	11.74	10.26	47.7	42.4	0.8	-12.6
3	राज्यों को सौंपा गया	7.84	4.22	3.34	52.1	42.6	-2.3	-20.7
4	कर राजस्व (नेट केंद्र के लिए)	16.36	7.51	6.88	45.5	42.1	2.6	-8.3
5	गैर कर राजस्व	3.85	2.33	1.24	74.3	32.3	67.8	-46.6
6	गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां	2.25	0.29	0.18	24.2	8.1	10.4	-37.5
7	गैर ऋण प्राप्तियां	22.46	10.12	8.31	48.6	37.0	12.9	-17.9
8	कुल व्यय	30.42	18.20	19.06	65.3	62.7	12.8	4.7
9	राजस्व व्यय	26.30	16.06	16.65	65.6	63.3	13.0	3.7
10	पूंजीगत व्यय	4.12	2.14	2.41	63.2	58.5	11.7	12.8
11	राजस्व घाटा	6.09	6.23	8.52	128.4	139.9	13.0	36.8
12	राजकोषीय घाटा	7.96	8.08	10.76	114.8	135.1	12.7	33.1
13	प्राथमिक घाटा	0.88	4.66	6.92	1076.5	785.3	26.5	48.5

- वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय नीति ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित व्यय मांगों को पूरा करने के लिए व्यय के पुनर्गठन और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया है। अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान कुल सरकारी व्यय बजट अनुमान के 62.7 प्रतिशत पर रुका था, जबकि अप्रैल से नवंबर 2019 में यह 65.3 प्रतिशत था। 2019-20 में इसी अवधि की तुलना में 2020-21 के पहले आठ महीनों के दौरान राजस्व व्यय में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्योंकि नवंबर 2020 तक के लेखा आकड़े यह दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम आठ महीनों के दौरान सब्सिडी में 14% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 2 देखें) चालू वर्ष के दौरान संशोधित आकालनों में सब्सिडी व्यय पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में गिरावट ने 2020-21 के दौरान एक महत्वपूर्ण राजकोषीय शॉक अब्सॉर्बर के रूप में काम किया, क्योंकि इससे पेट्रोलियम सब्सिडी में गिरावट आई और उत्पाद शुल्क से राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई (पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण)।

तालिका-2

प्रमुख सब्सिडीयों पर व्यय

आइटम्स	बजट अनुमान (रुपए लाख करोड़ में)		अप्रैल से नवंबर (रुपए लाख करोड़ में)		पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि की दर (अप्रैल -नवम्बर)		
	2020-21	2018	2019	2020	2018	2019	2020
कुल प्रमुख सब्सिडी	2.28	2.19	2.35	2.02	6.3	7.3	-14.0
खाद्य सब्सिडी	1.16	1.42	1.32	1.16	5.3	-7.2	-12.0
पोषक तत्वों पर आधारित उर्वरक सब्सिडी	0.24	0.20	0.22	0.16	14.9	11.3	-29.6
यूरिया सब्सिडी	0.48	0.33	0.51	0.50	4.6	52.7	-1.8
पेट्रोलियम	0.41	0.23	0.30	0.20	8.1	27.7	-31.9

- लाँग टर्म एसेट और अवसंरचना के निर्माण का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 25,000 करोड़ रुपये से सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजी उपकरण पर पूंजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान को बढ़ाया था। यह बजट 2020-21 में अनुमानित रूप से 4.12 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त है। अप्रैल से नवंबर 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय 2019-20 में इसी अवधि में 12.8 प्रतिशत बढ़ा है।
- पिछले महीनों के दौरान, राजस्व संग्रह में वसूली के सकारात्मक संकेत मासिक जीएसटी संग्रह में सकारात्मक वृद्धि और अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020 के महीने के लिए राजस्व प्राप्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 2019 के संबंधित महीनों के सापेक्ष देखे गए हैं। हालाँकि, आर्थिक गतिविधियों पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, विशेष रूप से व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट आय में गिरावट, वस्तुओं और सेवाओं की खपत और वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आई है, यह उम्मीद की जाती है कि 2020-21 के दौरान कर राजस्व बजट अनुमान से कम हो सकता है। इसलिए महामारी और प्रत्याशित राजस्व की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष के दौरान घोषित प्रोत्साहन पैकेजों से संबंधित व्यय की समवर्ती मांग को ध्यान में रखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट अनुमान को पार कर सकता है।
- कोविड्-19 से प्रेरित राजकोषीय प्रणाली पर इस आघात को ध्यान में रखते हुये, इसलिए महत्वपूर्ण चिंता यह है कि क्या मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति की रणनीति को विकास या राजकोषीय नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। संकटों के समय में विरुध आवर्ती विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजी उपभोग व्यय और निजी निवेश पर गुणक प्रभावों के माध्यम से जीडीपी में वृद्धि को बढ़ावा देने की उम्मीद है। इस तरह उच्च जीडीपी वृद्धि से मध्यम अवधि में आय के संग्रह में आसानी होगी, और इससे एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सक्षम होगा।

भारत सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन

- कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की एक लचीली वसूली की सुविधा और लॉकडाउन के चलते, भारत सरकार और आरबीआई ने कुल मिलाकर 29.87 लाख करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि की घोषणा की, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 15% है। इसमें से 9% सकल घरेलू उत्पाद का प्रोत्साहन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रोत्साहन को निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रदान किया गया था:
  - विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज, 13-17 मई 2020 से घोषित किया गया।
  - 12 अक्टूबर 2020 को घोषित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के उपाय।
  - 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत उपायों की घोषणा की गई।
- इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि कुछ अन्य देशों द्वारा अपनाए गए राजकोषीय नीति दृष्टिकोण के विपरीत, जिसमें एक ही बार में बड़ी मांग प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन चरणबद्ध तरीके से पेश किया गया था। मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों और छोटे व्यवसायों के लिए। लॉकडाउन के शुरुआती चरण में विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई। इसमें गरीबों और कमजोर, आजीविका कार्यक्रमों, गारंटियों और नकदी /लिक्विडिटी बढ़ाने वाले उपायों के लिए सीधे खाद्य हस्तांतरण शामिल थे। इसके बाद, लॉकडाउन और प्रतिबंधों को स्थिर खोलने के साथ, उपभोग की मांग को फिर से बढ़ाने के लिए मांगने वाले पक्ष को प्रोत्साहन दिया गया था। जब लॉकडाउन के हटने के बाद आर्थिक सुधार शुरू हुआ, तो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन/इन्सेन्टिव जैसे निवेश बढ़ाने के उपायों, पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के कदमों पर प्रोत्साहन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राजकोषीय प्रोत्साहन- आत्मनिर्भर भारत पैकेज

उपायों की अनुक्रमणिका	राशि (करोड़ रुपए)	जीडीपी' के % के रूप में
मार्च 2020		
कुल प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा	1716441	8.8
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज	170000	0.87
स्वास्थ्य उपायों के बारे में प्रधान मंत्री की घोषणा	15000	0.08
22.03.2020 से घोषित कर उपायों के कारण हुई राजस्व की हानि	7800	0.04
मई 2020		
प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	20000	0.10
अतिरिक्त एमजीएनआरईजीएस आवंटन	40000	0.21
व्यापार और श्रमिकों के लिए ईपीएफ समर्थन	2800	0.01
ईपीएफ दरों में कमी	6750	0.03
डीआईएससीओएम के लिए नकदी इंजेक्शन	90000	0.46
टीडीएस / टीसीएस दरों में कमी	50000	0.26
2 महीने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति	3500	0.02
एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन डबल्यू /सी सुविधा	300000	1.54
तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण	20000	0.10
एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से इक्विटी इन्फ्यूजन	50000	0.26
एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआई के लिए विशेष नकदी योजना	30000	0.15
एनबीएफसी / एमएफआई की देयताओं के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0	45000	0.23
मुद्रा शिशु ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता	1500	0.01
स्ट्रीट वेंडर्स को विशेष क्रेडिट सुविधा	5000	0.03
हाउसिंग सीएलएसएस-एमआईजी	70000	0.36
नाबार्ड के माध्यम से अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी	30000	0.15
केसीसी के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट	200000	1.03

खाद्य माइक्रो उद्यम	10000	0.05
ऊपर से कुल: ऑपरेशन ग्रीन्स	500	0.00
एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड	100000	0.51
पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	15000	0.08
हर्बल खेती को बढ़ावा	4000	0.02
मधुमक्खी पालन पहल	500	0.00
सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना	8100	0.04
जून 2020		
जुलाई से नवंबर (5 महीने) तक पीएमजीके अन्न योजना का विस्तार	82911	0.43
अक्टूबर 2020		
बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर	37000	0.19
एलटीसी वाउचर योजना	28000	0.14
फेस्टिवल एडवांस	8000	0.04
नवम्बर 2020		
आत्मनिर्भर विनिर्माण के लिए बढ़ावा - उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	145980	0.75
आत्मनिर्भर 3.0 के तहत ग्रामीण रोजगार के लिए बढ़ावा	10000	0.05
कोविड सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास अनुदान - भारतीय टीका विकास	900	0.00
आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (समग्र रूप से 36,000 करोड़ रुपये)	6000	0.03
औद्योगिक अवसंरचना, औद्योगिक प्रोत्साहन और घरेलू रक्षा उपकरण	10200	0.05
कृषि के लिए समर्थन - उर्वरक सब्सिडी	65000	0.33
सभी के लिए आवास - पीएमएवाई-यू	18000	0.09
अवसंरचना के लिए बढ़ावा - एनआईआईएफ ऋण में पीएफ इक्विटी इन्फ्यूजन	6000	0.03
परियोजना निर्यात के लिए बढ़ावा - एक्जिम बैंक के लिए सहायता	3000	0.02

'जीडीपी के लिए 2020-21 के लिए पहले उन्नत अनुमानों यानी 1,94,81,975 रुपये का उपयोग किया गया है।

कर प्रशासन में सुधार

- सरकार ने अधिक पारदर्शी, कुशल और कर-दाता अनुकूल कर प्रशासन के दीर्घकालिक लाभों के उद्देश्य से लगातार सुधार उपायों को अपनाया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम 'ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' प्लेटफॉर्म की शुरुआत है। 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनरेस्ट' का प्लेटफॉर्म अगस्त 2020 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना और करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच भौतिक इंटरफेस को समाप्त करना था। प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं (i) प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और एआई का उपयोग और (ii) राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में करदाताओं को पहचानना। प्लेटफॉर्म टैक्स प्रशासन सुधारों के 3 स्तंभों पर खड़ा है, यानि कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर। प्लेटफॉर्म को डेटा एनालिटिक्स और एआई, डायनेमिक ज्यूरिस्डिक्शन, मामलों के स्वचालित अनियमित आवंटन, टीम आधारित मूल्यांकन / समीक्षा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर / समीक्षा के प्रावधान का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से यादृच्छिक चयन जैसे निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है और विभिन्न शहरों में आदेश को अंतिम रूप देना और करदाताओं और आईटी विभाग के बीच भौतिक इंटरफेस की कोई आवश्यकता नहीं है।

फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2020

- फेसलेस असेसमेंट योजना, 2019 (जिसे पहले ई-असेसमेंट योजना कहा जाता था और अगस्त 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था) इस विचार पर आधारित थी कि आईटी टीमों के मामलों का रैंडम आवंटन और आयकर अधिकारियों और करदाता के बीच आमने-सामने के संपर्क को समाप्त करने से कार्यकुशलता, गैर-विवेकाधीन, असेसमेंट की निष्पक्ष एकल खिड़की प्रणाली का नेतृत्व कर सकती है। 2020 में, फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 के दायरे को योजना के विस्तार में देश भर में लंबित सभी असेसमेंट मामलों को लाकर विस्तृत किया गया और घोषणा की कि योजना के बाहर पारित कोई भी आदेश अमान्य होगा।
- इस योजना ने दिल्ली में एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएफएसी) स्थापना की, विभाग और करदाता के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु के रूप में जिसकी अगुवाई प्रिंसिपल चीफ कमीश्नर ऑफ इंकम टैक्स ने की। करदाता और विभाग से मूल्यांकन/असेसमेंट प्रक्रिया से संबंधित सभी नोटिस या संचार एफएसी के माध्यम से कराई जाती हैं। असेसमेंट की प्रक्रिया को और सुगम बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हैं जो आकलन करने की शक्ति के साथ निहित हैं।

फेसलेस अपील योजना 2020

- फेसलेस अपील्स स्कीम, 2020 के तहत, गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, संवेदनशील और खोज मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर और काले धन अधिनियम से संबंधित अपीलों के अपवाद के साथ सभी आयकर अपील को फेसलेस इकोसिस्टम के तहत एक फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा।
- यह योजना केंद्रीय स्तर पर ई-अपील की कार्यवाही के संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में एक नेशनल/राष्ट्रिय फेसलेस अपील्स सेंटर (एनएफएपीसी) की स्थापना करती है। एनएफएसी के तहत ई-अपील की कार्यवाही को सरल बनाने के लिए रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर(एनएफएपीसी) हैं। अपील यूनिट, जिनकी अध्यक्षता एक या अधिक आयुक्त (अपील) करते हैं और उन्हें आरएफएसी के अंतर्गत रखा जाता है। एनएएफसी करदाता और अंतर्निहित अपील यूनिटस् के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु होगा; और अपील यूनिटस् और नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर / असेसमेंट अधिकारी। सभी आंतरिक और बाह्य संचार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होते और एसेसि या एसेसिंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती है।

टैक्सपेयर चार्टर

- 'ऑनरिंग द ऑनेस्ट' प्लैटफॉर्म बनाने का तीसरा स्तंभ टैक्सपेयर चार्टर की शुरुआत है। भारत के लिए टैक्सपेयर चार्टर में आयकर विभाग द्वारा प्रतिबद्धताओं और करदाताओं के दायित्व शामिल हैं।
- भारत सरकार द्वारा टैक्सपेयर चार्टर का परिचय ऑनरिंग द ऑनरेस्ट प्लेटफॉर्म के एक भाग के रूप में किया गया है, इस प्रकार, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह करदाता के लिए उचित, विनम्र और उचित उपचार के महत्व पर जोर देता है। टैक्सपेयर चार्टर में आईटी विभाग की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - करदाताओं के लिए विनम्र, निष्पक्ष और उचित व्यवहार।
  - करदाताओं का साथ ईमानदारी का व्यवहार जब तक विभाग के पास अन्यथा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
  - न्यायोचित और निष्पक्ष अपील प्रक्रिया और रिवियू प्रक्रिया।
  - कानून के तहत कर अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए सटीक और पूरी जानकारी।
  - हर आयकर कार्यवाही में समयबद्ध निर्णय (कानून के तहत निर्धारित समय के अंदर)।
  - कानून के अनुसार देय कर की सही राशि का संग्रह।
  - विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन करके करदाता की गोपनीयता का सम्मान, और आवश्यक पूछताछ,
  - परीक्षण या प्रवर्तन कार्रवाई की तुलना में अधिक दखल सुनिश्चित नहीं करता है।
  - जब तक कानून द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक करदाता द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का खुलासा न करके गोपनीयता बनाए रखें।
  - कर अधिकारियों के कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - करदाता को अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देने का प्रावधान।
  - शिकायत दर्ज करने और इसके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान।
  - न्यायोचित और निष्पक्ष प्रणाली और समयबद्ध तरीके से कर मामलों को हल करना
  - विभाग द्वारा सेवा मानकों को प्रकाशित करना और समय-समय पर कर रिपोर्ट करना।
  - अनुपालन की लागत कम करने के लिए प्रावधान, क्योंकि विधिवत् कर कानून का पालन करते समय अनुपालन की लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

सरकारी वित्त में प्रवृत्तियां: केंद्र, राज्य और सामान्य सरकार

केन्द्र सरकार वित्त

- वर्ष 2019-20 के दौरान, आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों का अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय प्रभाव था। परिणामस्वरूप 2019-20 के लिए फिस्कल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो 2019-20 आरई में परिकल्पित राजकोषीय घाटे की तुलना में 0.8 प्रतिशत अधिक था, और 2018-19 में राजकोषीय घाटे की तुलना में 1.2 प्रतिशत अधिक था। प्रभावी राजस्व घाटा, जो वर्तमान व्यय पर वर्तमान प्राप्तियों में कमी को पकड़ता है, 2018-19 के सापेक्ष 2019-20 पीए में जीडीपी का 1 प्रतिशत बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

प्राप्तियों में प्रवृत्ति

- केंद्र सरकार की प्राप्तियों को मोटे तौर पर गैर-ऋण और ऋण प्राप्तियों में विभाजित किया जा सकता है। गैर-ऋण प्राप्तियों में कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं, और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां जैसे ऋणों की वसूली और विनिवेश रसीदें। ऋण प्राप्तियों में ज्यादातर बाजार उधार और अन्य देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें सरकार भविष्य में चुकाने के लिए बाध्य है।

कर राजस्व

- बजट 2020-21 में सकल कर राजस्व/ग्रोस तक्ष रेविन्यू (जीटीआर) 24.23 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीडीपी का 10.8 प्रतिशत है। यह 2019-20 के संशोधित अनुमानों/रेवाइस्ड एस्टीमेट (आरई) पर 12 प्रतिशत और 2019-20 पीए पर 20.6 प्रतिशत की वृद्धि करता है। प्रत्यक्ष कर, जिसमें मुख्य रूप से कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, जीटीआर का लगभग 55 प्रतिशत गठन करता हैं। इन्हें 2019-20 के सापेक्ष 12.7 प्रतिशत और 2019-20 पीए के सापेक्ष 27.2 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। दूसरी तरफ, अप्रत्यक्ष कर 2019-20 पीए के मुकाबले 11.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 आरई और 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी। जीटीआर में विभिन्न करों के योगदान के रूप में परिकल्पित 2020-21 बीई को चित्र 10 में दिखाया गया है।

चित्र-10

2019-20 बीई में सकल कर राजस्व में करों की संरचना

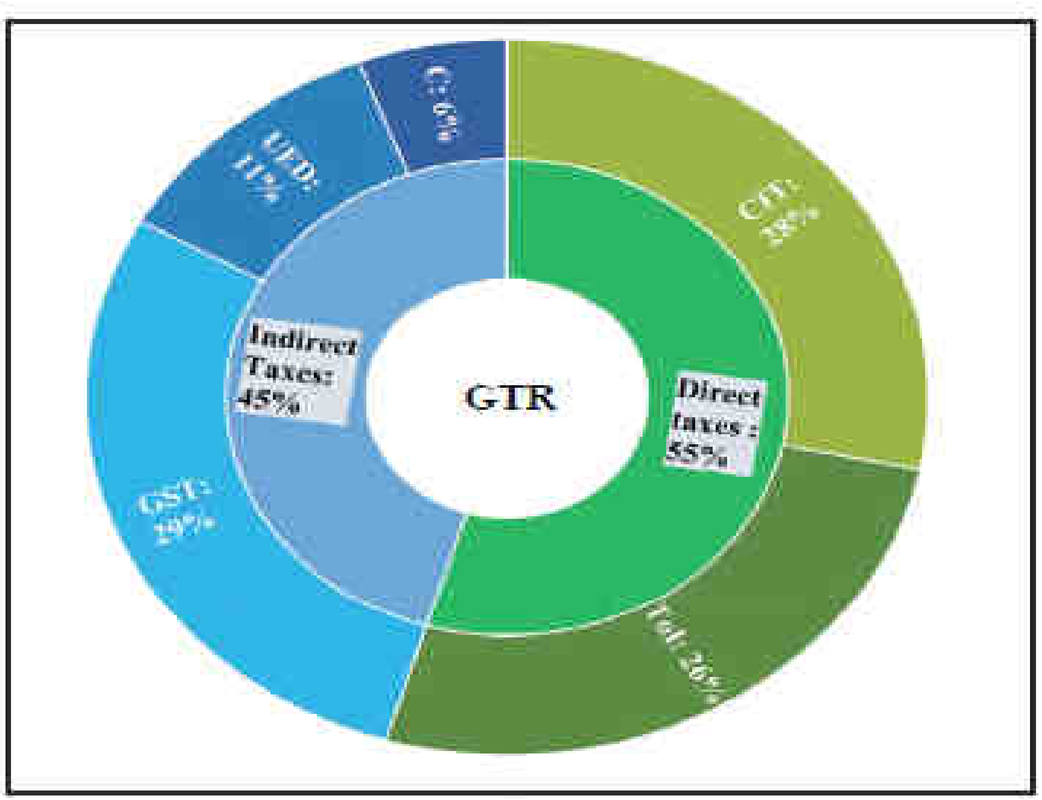

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

गैर-कर राजस्व

- गैर-कर राजस्व में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ऋणों पर मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिशेष सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और लाभ भारत सरकार को हस्तांतरित, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्तियां और बाहरी अनुदान शामिल हैं। बजट 2020-21 में गैर-कर राजस्व के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये, जीडीपी का 1.7 प्रतिशत, 2019-20 पीए की तुलना में 0.1 प्रतिशत अंक बढ़ाने का लक्ष्य था। गैर कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत लाभांश और लाभ से उठाया जाने की परिकल्पना की गई है। गैर-कर राजस्व के लिए 2020-21 बीई के रूप में 3.85 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति बीई का 32.3 प्रतिशत रही है।

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

- गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से ऋण और अग्रिमों की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण प्राप्तियों के कुल पूल में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का योगदान 2018-19 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत 2019-20 पीए हो गया है, मुख्य रूप से कमी निर्विवाद आय के कारण। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों 2.3 लाख करोड़ रुपये आंकी गई हैं जो कि 2020-21 बीई में जीडीपी का 1 प्रतिशत है। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का प्रमुख घटक विनिवेश प्राप्तियां हैं जो सरकार द्वारा स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री पर सरकार को प्राप्त होती हैं (रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री सहित)। सरकार ने 2020-21 BE के अनुसार विनिवेश आय के आधार पर 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की परिकल्पना की। केंद्र के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के लिए 2020-21 बीई के मुकाबले 2.3 लाख करोड़ रुपये, नवंबर 2020 तक वास्तविक प्राप्ति 0.18 लाख करोड़ रुपये रही है।

व्यय में प्रवृतियाँ

- व्यय के मोर्चे पर, बजट 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय अनुमानित है, जिसमें 26.3 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 4.12 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है, जो क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 11.7 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2019-20 पीए पर 2020-21 बीई में कुल व्यय की प्रत्याशित वृद्धि जीडीपी का 0.3 प्रतिशत है, जो राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में जीडीपी के 0.15 प्रतिशत के बराबर है।
- राजस्व व्यय, जो कि कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, को 2020-21 बीई में 2019-20 पीए पर 11.9 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। यह 2018-19 में 2019-20 पीए में राजस्व व्यय की 17 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष मामूली वृद्धि दर है। ब्याज भुगतान (26 प्रतिशत), रक्षा राजस्व व्यय (9 प्रतिशत), प्रमुख सब्सिडी (10 प्रतिशत), राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान (22 प्रतिशत) और पेंशन (8 प्रतिशत) प्रमुख वस्तुएं हैं राजस्व व्यय जो कुल मिलाकर 2019-20 पीए के अनुसार कुल व्यय का लगभग 65% था।

राज्यों का हस्तांतरण

- केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है, जो पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, स्थानीय निकायों को अनुदान और वित्तीय वर्ष 2020 के लिए आपदा प्रबंधन अनुदान से संबंधित है। FC-XV ने ग्रांट-इन-एड को 2020-21 के दौरान राज्यों को हस्तांतरण के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए की सिफारिश की, स्थानीय निकायों और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स को अनुदान जो कि पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए FC-XIV द्वारा अनुशंसित लगभग 50% अधिक है।

केन्द्र सरकार ऋण

- केंद्र सरकार की कुल देनदारियों/लाइअबिलिटीज में भारत के समेकित कोष के खिलाफ अनुबंधित ऋण शामिल हैं, जिसे तकनीकी रूप से सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, साथ ही साथ सार्वजनिक खाते में देयताएं भी शामिल हैं। इन देनदारियों/लाइअबिलिटीज में मौजूदा विनिमय दर पर बाहरी ऋण (वित्तीय वर्ष का अंत) शामिल है, लेकिन एनएसएसएफ से राज्यों की उधारी की सीमा तक एनएसएसएफ की देनदारियों का हिस्सा और एनएसएसएफ से बाहर की सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश, जो केंद्र सरकार के घाटे का वित्तपोषण नहीं करते हैं। मार्च 2020 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां 95.07 लाख करोड़ रुपये थी। इनमें से 90 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण था और शेष 10 प्रतिशत सार्वजनिक खाते की देनदारियों के लिए थे, जिनमें राष्ट्रीय लघु बचत कोष, राज्य भविष्य निधि, आरक्षित निधि और जमा और अन्य खाते शामिल थे।
- चित्र 11 से पता चलता है कि केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के तुरंत बाद तेजी से गिरावट आई और पिछले दशक के दौरान एक ही स्तर पर कायम रही है।

चित्र-11

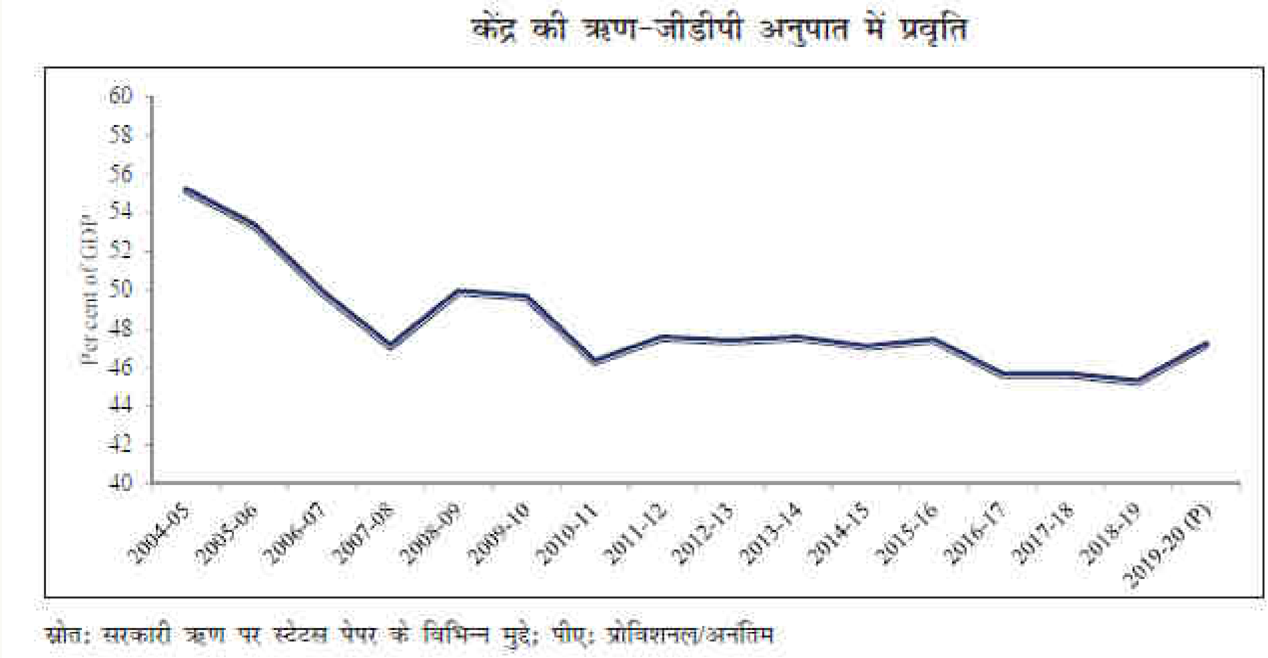

स्रोत: सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर के विभिन्न मुद्दे; पीए: प्रोविशनल/अनंतिम

राज्य वित्त

- राज्यों ने 2020-21 बीई में जीडीपी के समेकित सकल राजकोषीय घाटा 2.8 प्रतिशत के लिए बजट किया था। कोविड्-19 के प्रकोप से पहले अपने बजट पेश करने वाले राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमान जीएसडीपी का 2.4 प्रतिशत था, जबकि पोस्ट-लॉकडाउन प्रस्तुत किए गए बजट का औसत 4.6 प्रतिशत जीएसडीपी (स्टेट फाइनेंस पर आरबीआई का अध्ययन) था। चित्र 12 में पिछले 3 वर्षों में सम्मिलित राज्य के लिए राजकोषीय समेकन की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जिसमें जीडीपी का औसत सकल घरेलू उत्पाद 2.46 प्रतिशत है। राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 के दौरान अनुमानित बजट अनुमान के सापेक्ष जल्द बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र-12

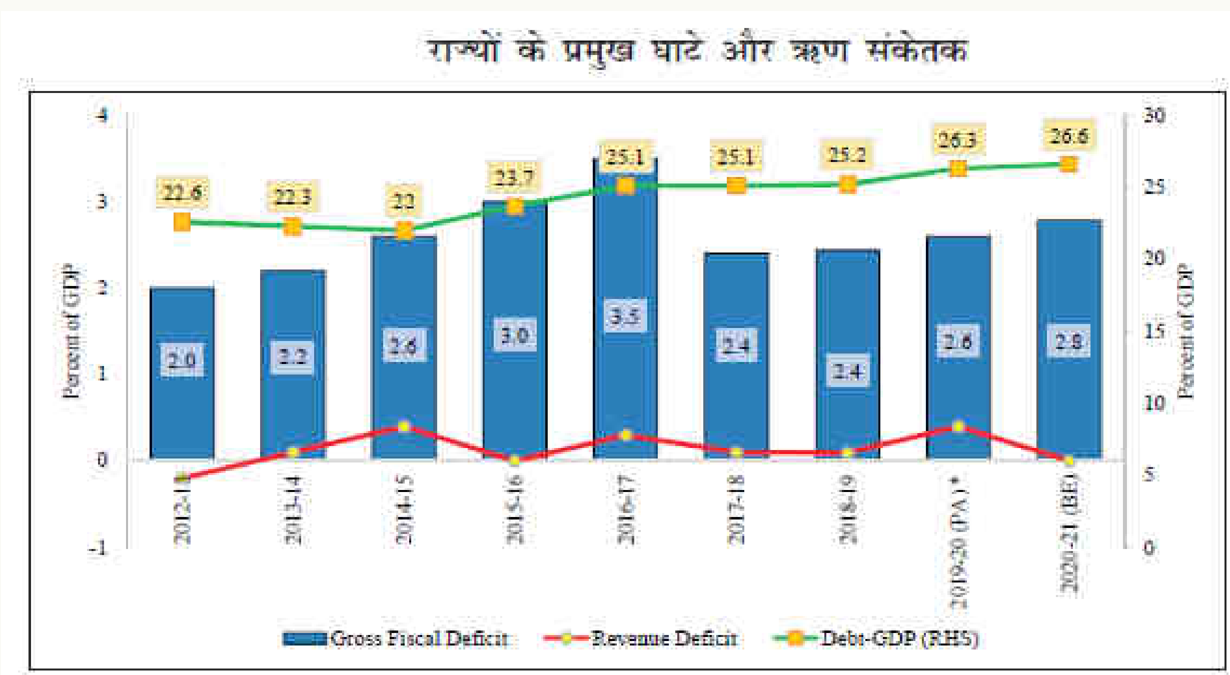

- राज्य सरकारों के 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों के संयुक्त कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व को 2019-20 आरई से अधिक 11.8 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत के आधार पर 2019-20 में बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, जो 2019 में प्रदर्शित विकास से अधिक है। व्यय पक्ष पर, 2020-21 बीई में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्रमशः 8.2 प्रतिशत 11.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ क्रमशः 2019-20 आरई में परिकल्पित किया गया।

आउटलुक

- वर्ष 2020-21 राजकोषीय दृष्टिकोण से एक कठिन वर्ष रहा है। अप्रैल से नवंबर 2020 के लिए उपलब्ध प्रवृतियों के आधार पर, वर्ष के दौरान वित्तीय गिरावट होने की संभावना है। सरकार की राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया मांग और आपूर्ति पक्ष की नीतियों का एक संयोजन है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के दायरे में महामारी के झटके के खिलाफ कुशन है और बाद में आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, कुल मांग में सुधार को बनाए रखने के लिए, यह उम्मीद की जाती है कि सरकार को विस्तारक राजकोषीय रुख के साथ जारी रखना पड़ सकता है। वर्ष के दौरान पेश किए गए विभिन्न प्रमुख सुधारों के साथ-साथ व्यय समर्थन से मध्यम अवधि के विकास के लिए आवश्यक गति प्रदान करने की संभावना है। भारत द्वारा अपनाए गए कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण से यदि आवश्यक हो तो राजकोषीय आवेग को बनाए रखने के लिए जगह मिलती है। वृद्धि की वसूली मध्यम अवधि में आय के संग्रह को आसान बनाएगी, और इस तरह एक स्थायी राजकोषीय मार्ग को सक्षम बनाएगी।

03 वैदेशिक क्षेत्र

- कोविड-19 महामारी ने 2020 महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है; हालांकि, शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्तपोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय 2020 में 9.2 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।
- इस पृष्ठभूमि से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए जिसमें शामिल हैं-उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रयास निर्यात को सुगम बनाने में अधिक सहायक होंगे।
- कोविड-19 ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की बढ़ती परस्परता द्वारा उत्प्रेरित प्रसार के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। परिणामी संकट ने वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, कमोडिटी/माल की कीमतों में गिरावट, बाहरी वित्तपोषण की खराब स्थिति और चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिए अलग-अलग प्रभाव के साथ एक तीव्र आघात किया है। 2020 के पहले पांच महीनों में माल व्यापार (गुड्स ट्रेड) की वैश्विक मात्रा 2019 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम थी-जो वैश्विक संकट के पहले पांच महीनों में अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही।

वैश्विक आर्थिक परिवेश

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने अप्रैल 2020 में, विश्व व्यापार के व्यवसाय में 2020 में 13-32 प्रतिशत की गिरावट की भविष्यवाणी की। हालांकि, लॉकडाउन में ढील/छूट दिए जाने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी को कम करने के साथ, जून और जुलाई के महीनो में व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ ने अक्टूबर 2020 में अपने अनुमानों को संशोधित किया है जिसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसके बाद 2021 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अक्टूबर 2020 संस्करण में, आईएमएफ ने 2020 में विश्व उत्पादन में 4.4 प्रतिशत की तेज गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन 2020 के विश्व व्यापार की मात्रा में अप्रैल 2020 में की गई भविष्यवाणी अर्थात क्रमश: 3.0% तथा 11.0% की तुलना में 10.4 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जीडीपी के साथ-साथ व्यापार की मात्रा के संकुचन को उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की तुलना में अधिक गंभीर संकुचन होने का अनुमान है।

चित्र 1 : वर्ल्ड आउटपुट और ट्रेड वॉल्यूम की वृद्धि में रुझान

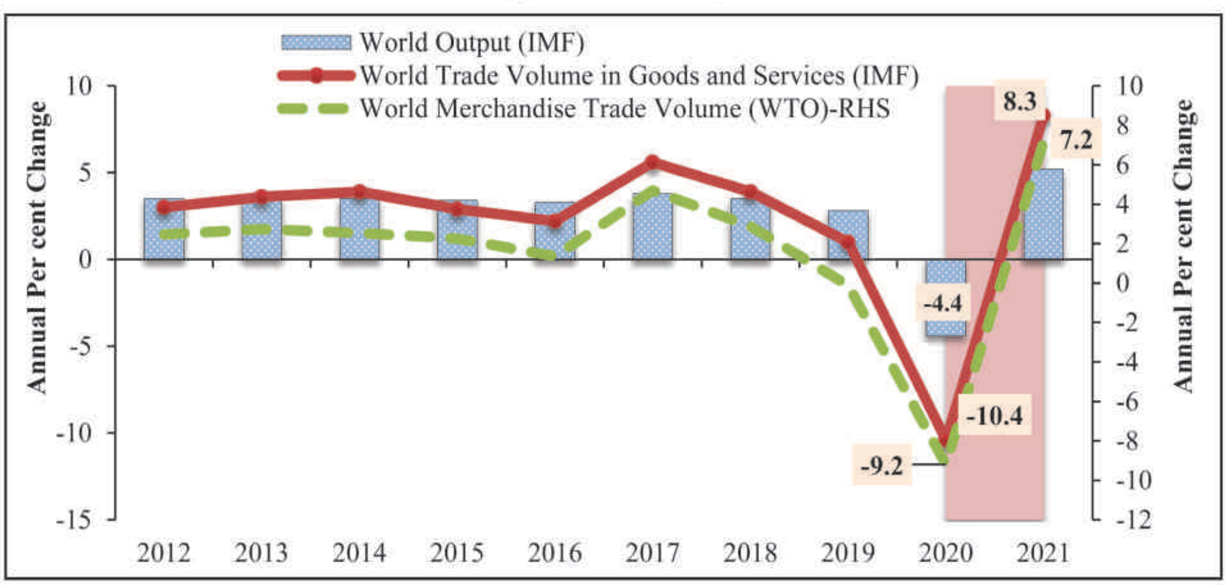

स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन
नोट : 2020 और 2021 के आंकड़े अनुमानित हिस्से के रूप में दर्शाए गए हैं।

- विश्व व्यापार संगठन से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वैश्विक व्यापार में, वैश्विक स्तर पर 2020 की दूसरी तिमाही में अब तक सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उक्त तिमाही के लिए डब्ल्यूटीओ का माल व्यापार बैरोमीटर सूचकांक 84.5-2007 के बाद से अब तक रिकॉर्ड पर सबसे कम था यानि, सूचकांक के लिए बेसलाईन वैल्यू 100 के 15.5 अंक के नीचे और पिछले साल की समान अवधि से 18.6 अंक नीचे है।

- हालांकि, व्यापार पर प्रभाव क्षेत्रों में काफी भिन्नता है। 2020 में (क्यू 3 तक), एईएस को निर्यात में 12.9 प्रतिशत और आयात में 10.8 प्रतिशत की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि ईएमडीई ने निर्यात में कम संकुचन 7.6 प्रतिशत और आयात में 10.1 प्रतिशत की कमी देखी। ईएमडीई के बीच, दक्षिण पूर्व एशियाई निर्यात उन्मुख देशों में अभी भी निर्यात में 2.4 प्रतिशत की कमी और आयात में 9.6 प्रतिशत की कमी देखी गई है।
- जबकि कृषि उत्पादों का व्यापार दूसरी तिमाही (-5 प्रतिशत बनाम -21 प्रतिशत) में दुनिया के औसत से कम हो गया, यह ईंधन और खनन उत्पादों के मामलों में तेजी से गिर गया (38 प्रतिशत) क्योंकि कीमतें गिर गईं। इसके अलावा, मोटर वाहन उत्पादों के व्यापार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि, दूरसंचार उपकरण (जिसमें स्मार्टफोन भी शामिल हैं), इलेक्ट्रॉनिम्क्स (घर से काम करने की सुविधा के लिए) और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में व्यापार की वृद्धि हुई।
- आईएमएफ की अक्टूबर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 के अनुसार, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में कमजोरियां बढ़ी हैं, क्योंकि फर्मों ने नकदी की कमी और संप्रभु क्षेत्र में सामना करने के लिए अधिक कर्ज लिया है, क्योंकि अर्थयवस्था का समर्थन करने के लिए राजकोषीय घाटे ने विस्तार किया है।
- अभी तक ईएमडीई पर इसका प्रभाव छह देशों-अरजेंटीना, इक्वाडोर, बेलीज, लेबनान, सूरीनाम और जाम्बिया-की अपेक्षा कम रहा है जिन्होंने अपने सॉवरेन ऋण पर चूक की है और केवल पहले दो ने अपने ऋणों का पुनर्गठन किया है। 2021 में संभावित ऋण चूक हो सकती है क्योंकि उस वर्ष चुकौती के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी ऋण का अनुमान है। भविष्य के मार्ग की कमियों को नीतिगत समर्थन की सीमा और पुनर्प्राप्ति (वसूली) की गति से तय किया जाएगा, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों और देशों में असमान होने की उम्मीद है।
- संक्षेप में कहा जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अभूतपूर्व कोविड-19 के आघात के प्रभाव में ही है। इस अनिश्चित और अस्थिर वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच, भारत का वैदेशिक क्षेत्र तन्यता के लिए एक प्रमुख प्रशामक के रूप में उभरा है। भारत की आवश्यक वैदेशिक संतुलन स्थिति को लगातार तीन तिमाहियो में अधिशेष चालू खाता शेष, पोर्टफोलियो कैपिटल इनफ्लो की फिर से शुरुआत, मजबूत एफओआई इनफ्लो और विदेशी मुद्रा रिजर्व के निरंतर निर्माण द्वारा समर्थित किया गया है।
- वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान, भारत के निर्यात और आयात में वैश्विक व्यापार में संकुचन के अनरूप ही तीव्र संकुचन देखा गया। आयात में गिरावट से निर्यात में कमी आई है-जिसके कारण पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान यूएस +49.2 बिलियन की तुलना में +9.8 बिलियन के छोटे व्यापार घाटे के रूप में भारत ने 18 वर्षों के अंतराल के बाद जून, 2020 के महीने में व्यापार अधिशेष दर्ज किया। जून से अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के साथ, भारत के मर्चेंडाइज व्यापार में एक क्रमिक पुनरुद्धार हुआ। अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मात्र 57.5 बिलियन अमरिकी डालर था।

चित्र 3 : मर्चेंडाइज ट्रेड बेलेंस (व्यापारिक माल व्यवसाय संतुलन), निर्यात और आयात की वृद्धि दर

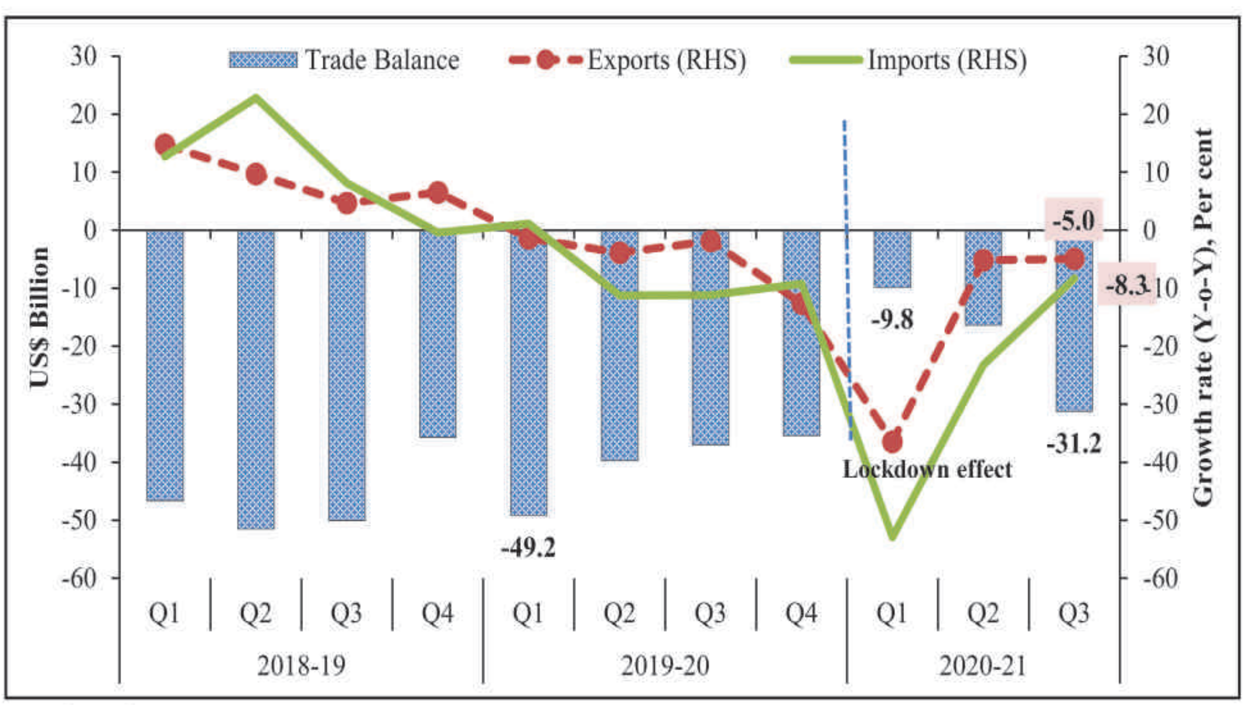

स्रोत : वाणिज्य विभाग

3.9 प्रमुख वस्तुओं का विवरण जिसमें भारत में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा जो क्रमशः तालिका 1 और तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका-1: उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेन्डाइज्ड व्यापार संतुलन अनुकूल है।

(यूएस $ बिलियन में मूल्य)

क्रम सं.	उत्पाद	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)
1	औषधि फॉर्मुलेशन, जैविक	10.6	12.4	1.5	1.7	9.0	10.7
2	समुद्री उत्पाद	4.8	4.0	0.1	0.1	4.7	3.8
3	सोना तथा अन्य कीमती धातु से बने आभूषण	9.6	4.0	0.5	0.2	9.1	3.8
4	आरएमजी कॉटन और ऐस्सेसरी	5.6	3.9	0.4	0.2	5.2	3.7
5	सूती कपड़े और परिधान	4.0	3.5	0.4	0.2	3.6	3.3
6	लोहा एवं इस्पात	6.4	7.7	8.0	4.7	-1.6	3.0
7	लौह अयस्क	1.7	2.8	0.1	0.1	1.6	2.7
8	बासमती चावल	2.5	2.7	0.0	0.0	2.5	2.7
9	(बासमती के अलावा) चावल	1.3	2.6	0.0	0.0	1.3	2.6
10	पेट्रोलियम उत्पाद	28.5	15.4	18.0	13.1	10.6	2.3

स्रोत: डीओसी

नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

तालिका-2: उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेन्डाइज व्यापार प्रतिकूल है।

(यूएस $ बिलियन में मूल्य)

क्रम सं.	उत्पाद	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)
1	कच्चा तेल	0.0	0.0	68.0	31.2	-68.0	-31.2
2	सोना	1.2	0.6	20.6	12.3	-19.4	-11.7
3	कोयला, कोक और ब्रिक्टिस आदि	0.1	0.0	15.6	9.7	-15.5	-9.7
4	टेलीकॉम उपकरण	3.1	2.2	10.3	9.8	-7.2	-7.6
5	इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे	1.7	1.5	11.7	8.7	-10.0	-7.2
6	वनस्पति तेल	0.1	0.3	6.4	6.8	-6.3	-6.5
7	कम्प्यूटर हार्डवेयर और सहायक उपकरण	0.2	0.2	6.5	6.6	-6.3	-6.4
8	निर्मित उर्वरक	0.1	0.1	5.0	5.5	-5.0	-5.4
9	कच्चा प्लास्टिक पदार्थ	2.4	2.3	7.2	5.2	-4.8	-2.9
10	एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और पुर्जे	0.9	0.8	7.0	3.6	-6.0	-2.8

स्रोत: डीओसी

नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

तालिका 3: भारत का प्रमुख देशों के साथ मर्चेन्डाइज्ड व्यापार संतुलन

अमेरिकी डॉलर बिलियन में कीमत

क्रम संख्या	देश	निर्यात		आयात		व्यापार संतुलन	
		अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)	अप्रैल नवंबर 2019-20 (सं.)	अप्रैल नवंबर 2020-21 (अनं.)
1	यूएसए	35.6	31.3	25.1	16.3	10.5	15.0
2	बांग्लादेश	5.3	5.0	0.8	0.6	4.5	4.4
3	नेपाल	4.8	3.4	0.5	0.4	4.3	3.0
4	यूके	5.7	4.6	4.5	2.6	1.2	2.0
5	नीदरलैंड	5.7	3.8	2.4	1.9	3.4	1.9
6	श्रीलंका	2.6	2.1	0.6	0.4	2.0	1.7
7	तुर्की	3.4	2.3	1.5	0.9	1.9	1.4
8	कतर	0.8	0.8	6.0	4.6	-5.3	-3.8
9	दक्षिण कोरिया	3.1	2.9	10.9	7.1	-7.8	-4.2
10	इंडोनेशिया	2.5	2.7	9.6	7.3	-7.0	-4.6
11	स्विटज़रलैंड	0.8	0.9	12.8	5.8	-12.0	-4.9
12	सऊदी अरब	3.8	3.6	18.2	9.2	-14.4	-5.6
13	इराक	1.3	1.0	15.4	7.6	-14.1	-6.6
14	चीन	11.5	13.6	46.9	38.8	-35.4	-25.2

स्रोत: डीओसी

मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट

- अप्रैल-दिसंबर 2020-21 के दौरान कुल निर्यात यूएस +200.8बिलियन हुआ। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान (-) 2.4 प्रतिशत की तुलना में (-) 15.7 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) निर्यात का समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्यात प्रदर्शन में नकारात्मक योगदान रहा है जबकि ये कुल निर्यात का लगभग 10-15 प्रतिशत है। पीओएल निर्यात में गिरावट काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से आई है, जो पिछले साल की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान (-) 54.0 प्रतिशत की गिरावट के साथ तथा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही तक (-) 28.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ बनी रही। दूसरी ओर, गैर-पीओएल निर्यात, जिसने 2020-21 के प्रथम तिमाही में निर्यात के संकुचन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, सकारात्मक रूप से बदल गया और तीसरी तिमाही (चित्र 4) में निर्यात निष्पादन में सुधार करने में मदद की। गैर-पीओएल निर्यातों के भीतर, कृषि और संबद्ध उत्पादों, दवाओं और दवा और अयस्कों और खनिजों में लचीला और अभिलिखित विस्तार साबित हुआ। हालांकि, प्रमुख वस्तुएं जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न और आभूषण ने निर्यात वृद्धि को नीचे खींच लिया।
- दवा (ड्रग) फार्मूलेशन, जैविक उत्पादों में लगातार सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और हाल के महीनोंमें इनमें निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। इसके कारण अप्रैल-नवंबर 2020 में इसकी हिस्सेदारी अप्रैल-नवंबर 2019 के 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गई, जिससे यह शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं (चित्र 6) के बीच दूसरी सबसे बड़ी निर्यात की गई वस्तु बन गई। इससे यह साबित हो रहा है कि भारत में 'दुनिया की फार्मेसी' बनने की क्षमता है (बॉक्स 1)। आयरन एंड स्टील एक अन्य कमोडिटी है जिसका शेयर उक्त अवधि में 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, महामारी से संबंधित व्यवधानों ने मोटर वाहन/कारों के निर्यात मेतीव्र गिरावट का नेतृत्व किया, क्योंकि अब यह क्षेत्र अप्रैल 2020 में निर्यातित शीर्ष 10 वस्तुओं में से एक नहीरह गया है।
- भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में तीसरे स्थान पर है; यह मात्रा के मामले में, चीन और इटली के बाद आता है और मूल्य के मामले में 14वीं सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को दस वर्ष की अवधि के दौरान 2010 में 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2019 में 2.6 प्रतिशत कर लिया है। 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के मामले में भारत 11 वे स्थान पर था और जर्मनी, स्वीटज़रलेण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष तीन स्थानों पर थे।

- वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार 2023 तक 1.5 ट्रिलीयन यू.एस. डालर से आगे निकल जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग का वर्तमान मूल्य 41 बिलियन यू एस डालर है तथा 2024 तक इसमें यूएस +65 बिलियन तथा 2030 तक लगभग यूए +120-130 बिलियन तक की वृद्धि की संभावना है। प्रमुख कच्चे माल का बेस और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता ने भारत को जेनेरिक दवाओं के लिए एक अंतराष्ट्रीय विनिर्माण केन्द्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा भारत एक मात्र ऐसा देश है, जिसकी यूएसए के बाहर यूएस-एफ डी ए कम्पलेंट फार्मा प्लांट (एपीआई सहित 262 से अधिक) की एक बड़ी संख्या है।
- जहां तक शीर्ष निर्यात देशों का सम्बन्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवम्बर, 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात बाजार के रूप से बना हुआ है, जबकि चीन अप्रैल-नवम्बर 2019 में तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। अप्रैल-नवम्बर 2019 में 5.4 प्रतिशत तथा अप्रेल 2020 में लगभग 7.8 प्रतिशत निर्यात चीन को किया गया। अंतिम वर्ष की तुलना में, शीर्ष के दस निर्यात देशों में मलेशिया नया जुड़ा है, जबकि शीर्ष के दस देशों में नेपाल का कोई भी स्थान है।

उत्पाद व्यापार आयात

- विगत वर्ष इसी अवधि के दौरान (-) 7.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2020 के दौरान (-) 29.1 प्रतिशत के संकुचन के साथ 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आयात था। पी ओ एल आयात में स्पष्ट गिरावट है जो कुल माल के आयात के एक चौथाई के लगभग है और ये सभी प्रकार की निर्यात वृद्धि में गिरावट लाती है। (चित्र. 8)। इस अवधि के दौरान, पीओएल आयतों का मूल्य 53.7 बिलियन अमीकी डॉलर से (-) 44.5 प्रतिशत तक घटी है, जो (-) 16.7 प्रतिशत तक पी ओ एल आयात की मात्रा में कमी लाती है, तथा कच्चे तेल के मुल्य में (भारतीय बाजार) (-) 30.2 प्रतिशत की कमी लाती है। जबकि 2020-21 की पहली तिमाही (Q 1) में कुल व्यापार आयात (-) 52.9 प्रतिशत तक अनुबन्धित था, और दूसरी व तीसरी तिमाही (Q 2 व Q3) में संकुचन ढील की गति क्रमशः (-) 23.2 प्रतिशत तथा (-) 8.3 प्रतिशत रहा है। आयातों में यह सुधार सोने और चांदी के आयात में सकारात्मक वृद्धि और पी ओ एल गैर सोना और चांदी के संकुचन को कम करके योगदान दिया गया था। सोने और चांदी का आयात, भारतीय आयातोके लागभग 7-9 प्रतिशत की औसत का अनुबन्धन, 10.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2020-21 की (Q3) तीसरी तिमाही में 33.0 प्रतिशत की गतिशिल वृद्धि का साक्षी है। यह मुख्यरूप से अन्तर्राष्ट्रीय सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ है। उर्वरक, वनस्पति तेल, दवा एवं फार्मास्युटिकल और कम्प्यूटर हार्डवेयर, सहायक उपकरणों ने गैर-पीओएल, गैर-साने, चांदी आयातों की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया है जबकि पूंजीगत वस्तुओं ने इनकी कमियों में योगदान दिया है।
- कच्चा पेट्रोलियम अप्रैल-नवम्बर 2020 में सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली वस्तु बनी हुई है, जिसकी हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत है तथा साथ ही साथ अप्रैल नवम्बर 2019 में 21.0 प्रतिशत थी। सोने के आयात की हिस्सेदारी अप्रैल-नवम्बर 2020 में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.3 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई है, जिससे यह दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया है। अप्रैल-नवम्बर 2020 में शीर्ष 10 आयात वस्तुओं की सूची में कम्पयूटर हार्डवेयर तथा पेरिफेरल नई वस्तु जुड़ी है। यह अब अधिक लोगों के घर से काम करने के कारण बढ़ी मांग से कुल आयातित वस्तुओं का 3.0 प्रतिशत है।
- अप्रैल-नवम्बर 2020 में भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत के लिए मूल आयात करने वाले 10 शीर्ष देशों में, चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना। आयात की भागीदारी अप्रैल-नवंबर 2019 में 14.5 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-नवम्बर 2020 में 17.7 प्रतिशत हो गई। जबकि स्वीटजरलैण्ड शीर्ष 10 आयात स्रोतों में शामिल नहीं है, जर्मनी 3.7 प्रतिशत कि कुल हिस्सेदारी के साथ सूची में नया जुड़ाव है।
- बांग्लादेश एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है क्योंकि इसकी 2011-19 के दौरान प्रभावशाली मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 8.6 रही है। जो भारत की तुलना में 0.9 प्रतिशत, तथा विश्व की तुलना में 0.4 प्रतिशत अधिक है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की विश्व निर्यात में हिस्सेदारी 2011 में 0.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 0.3 प्रतिशत हो गई है। शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं का निर्यात 2015 के बाद से बांग्लादेश के कुल निर्यात के 90 प्रतिशत से अधिक रहा। ये पांचों वस्तुएं मुख्य रूप से वस्त्र परिधान और फुटवियर उद्योग से सम्बन्धित है, यह अत्यधिक श्रम-गहन है और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। दूसरी और, निर्यात के मामले में, भारत का व्यापाार अधिक व्यापक है, क्योंकि शीर्ष पांच वस्तुएं संयुक्त रूप से कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत योगदान करती है और ये वस्तुएं पूंजी और प्रौद्योगिकी गहन है।

अदृश्य (इनविजीबल)

- महामारी की शुरूआत और संक्रमण में गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवजाही पर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण यात्रियों के आने में तेज संकुचन के बावजूद, अप्रैल से सितंबर 2020 तक नेट सेवाओं की प्राप्तियां एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 41.7 बिलियन अमेरिकी डालर पर स्थिर रहीं। सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप से सॉफटवेयर आधारित सेवाओं को दे रहा था, जो कुल सेवाओं के निर्यात का 49 प्रतिशत था।
- निवल निजी हस्तांतरण प्राप्तियाँ, विदेशों में कार्यारत भारतीयों द्वारा मुख्य रूप से प्रेषण का प्रतिनिधित्व करते हुए, वित वर्ष 2020-21 के एच-1रू में कुल 35.8 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकावले 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह घ्यान रखना जरूरी है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विदेश में रह रहे प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत की है (17.5 मिलियन) और भारत 2019 में 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता था। हालांकि विश्व बैंक के अनुसार, 2020 में कम से और मधयम आय वाले देशों (LMICS) में प्रेषण के घटने के अनुमान 7.2 प्रतिशत है। भारत के लिये, 2020 में लगभग 8.9 प्रतिशत तक के 76 बिलियन डॉलर के कम होने का अनुमान है। वित्तिय और अन्य गैर उत्पादित परिसंपत्तियों के उत्पादन और स्वामित्व से जुड़े सीमापार के भुगतान के कारण नेट आउट गो, जो 2011-12 के बाद से ऊपर की बढ़ रहा था, 2010-20 में इसमें गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 में यूएसएस की प्राथमिक आय का शुद्ध बहिर्वाह 16.8 बिलियन था, जबकि एक वर्ष पहले यह इसी अवधि में 14.7 बिलियन अमेरिकी डालर था।

भुगतान शेष का चालू खाता

- भारत का चालू खाता घाटा गत 10 वर्षों में औसतन सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत रहा है। वित्तीय वर्ष 2006-07 की चौथी तिमाही के बाद, 13 वर्षों के अंतराल के बाद यह तिमाही अधिशेष दर्ज किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में सिलसिलेवार चालू खाता अधिशेष द्वारा जारी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में, उत्पाद आयात में अत्यधिक संकुचन और यात्रा सेवाओं के लिए कम व्यय के कारण चालू प्राप्तियों (15.1 प्रतिशत) की तुलना में चालू 34.7 भुगतानो (30.8 प्रतिशत से) में तेज गिरावट हुई परिणामस्वरूप 34.7 बिलियन अमेरीकी डॉलर का चालू खाता अधिशेष (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। माल और सेवाओं के आयातों में प्राप्त रूझानों से यह अपेक्षित है कि 17 वर्षों की अवधि के बाद भारत वार्षिक चालू खाता अधिशेष, जो सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत है, का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

भुगतान शेष का पूंजीगत/वित्तीय खाता

- विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ईसीबी) की शुद्ध अदायगी और बैंकिग पूंजी में कमी के कारण शुद्ध पूंजी प्रवाह वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 40.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विपरीत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सामान्य रहा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शुद्ध विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई जो एक वर्ष पूर्व इसकी तुलना में 28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- अप्रैल-अक्टूबर, 2020 के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया जो 2019-20 के पहले सात महीनों की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक रहा, जो वैश्विक निवेशकों के बीच पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति का समर्थन करता है। जहातक सेक्टर-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध है, अप्रैल-सितम्बर 2019 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अप्रैल-सितम्बर 2020 में 17.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह के मामले में सिंगापुर सर्वाधिक निवेश करने वाला देश बना हुआ है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका ने एक साल पहले इसी अवधि में चौथे स्थान की तुलना में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- मार्च 2020 में अभूतपूर्व बिकवाली के बाद, महामारी की शुरूआत में वैश्विक निवेशकों के बीच मंदी की आशंका को दर्शाते हुए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में विशेष रूप से इक्विटी अंतर्वाह मेमजबूत बदलाव देखा, पिछले वर्ष, अप्रैल-दिसंबर, 2020 में 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में गत वर्ष इस अवधि में शुद्ध एफपीआई 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई। भारतीय इक्विटी को प्रचुर मात्रा में वैश्विक नकदी द्वारा समर्थित किया गया है, बाद की तिमाहियों में बेहतर कॉर्पोरेट आय और कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन ने आर्थिक सुधार की संभावनाओं को फिर से प्रज्वलित किया है। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वैश्विक मानक सूचकांक में भारतीय शेयरों की वृद्धि से विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने में मदद मिली है।
-
- पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में, बैंकिंग पूंजी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जो 2019-20 की पहली छमाही के 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह से अधिक था। पुनर्भुगतान से बढ़े सकल संवितरणों के कारण और नए संवितरण से अधिक भुगतान के साथ, ईसीबी पर शुद्ध बहिर्वाह अप्रैल-सितंबर, 2020 में 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। अनिवासी लोगों द्वारा जमा के कारण शुद्ध प्रवाह अप्रैल-सितंबर 2019 में 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 4.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

विदेशी कर्ज

- सितंबर 2020 के अंत में, भारत का विदेशी कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो कि मार्च 2020 के अंत के स्तर से 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (0.4 प्रतिशत) कम दर्ज किया गया। प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्यह्रास के कारण हुए वैल्यूएशन लॉस को छोड़कर, विदेशी कर्ज में कमी 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही होती। विदेशी कर्ज के सबसे बड़े घटक के रूप में ईसीबी, सितंबर 2020 अंत में 207 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मार्च 2020 अंत के स्तर से 5.8 प्रतिशत संकुचित रहा। जबकि दूसरे सबसे बड़े घटक के रूप में अनिवासी जमा का स्टॉक मार्च 2020 अंत के स्तर की तुलना में 5.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 137.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, व्यापार ऋण (आयात-वित्तपोषित) 2.0 प्रतिशत की कमी के साथ 99.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर तीसरा सबसे बड़ा घटक रहा। सरकारी कर्ज मार्च 2020 अंत में 100.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 103.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- ईसीबी बकाया, मार्च 2020 अंत के 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितंबर 2020 अंत में 163.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ कम था। अधिकांश ईसीबी वाणिज्यिक ऋण और प्रतिभूति उधारों के रूप में था जो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर (77.2 प्रतिशत) में था और गैर-वित्तीय निगमोकी पहुंच में था (74.5 प्रतिशत)। ईसीबी की औसत परिपक्वता 6 वर्ष थी, अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान पंजीकृत ऋणों के लिए संदर्भ दर पर मासिक भारित औसत मार्जिन के औसत से मापी गई ईसीबी की लागत, 1.9 प्रतिशत थी जो हाल के वर्षों की तुलना में अधिक थी।
- सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2020 अंत में 20.6 प्रतिशत से सितंबर 2020 अंत में 21.6 प्रतिशत के साथ थोड़ा बढ़ा (तालिका 4)। हालांकि, रिजर्वस्2 में अधिक वृद्धि के कारण कुल विदेशी मुद्रा भण्डार का अनुपात और अल्पकालिक ऋण (मूल्य और बचत) में सुधार हुआ। विदेशी ऋण के कुल स्टॉक में अल्पकालिक ऋण मूल परिपक्वता का हिस्सा, जो संभावित ऋण सुभेद्यता का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, में भी सुधार हुआ है। हालांकि चालू प्राप्तियों को दर्शाते हुए, ऋण सेवा अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान), मार्च 2020 अंत में 6.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2020 अंत में बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गया।

तालिका 4: बाह्य ऋण सुभेद्यता सूचक (प्रतिशत जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए)

सूचक	मार्च अंत				सितंबर अंत
	2013	2018	2019	2020 (सं.)	2020 (अनं.)
कुल विदेशी कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	529.3	543.1	558.2	556.2
जीडी का विदेशी ऋण	22.4	20.1	19.8	20.6	21.6
कुल ऋण का अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता)	23.6	19.3	20	19.1	18.5
कुल ऋण का अल्पकालिक ऋण (बचत परिपक्वता)	42.1	42.0	43.4	42.4	44.6
कुल ऋण का रियायती ऋण	11.1	9.1	8.7	8.8	9.0
कुल ऋण का रिज़र्व	71.3	80.2	76	85.2	97.4
रिज़र्व का अल्पकालिक ऋण का अनुपात	33.1	24.1	26.3	22.5	19.0
रिज़र्व का अल्पकालिक (बचत परिपक्ता)	59	52.3	57	49.5	45.5
ऋण सेवा अनुपात	5.9	7.5	6.4	6.5	9.7

स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय
नोट: आर: संशोधित, पी: अनंतिम

- जून 2020 अंत में दुनिया का कुल विदेशी ऋण 89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था जो एक तिमाही पहले (2.2 प्रतिशत) की तुलना में मार्च 2020 अंत के स्तर से 1.0 प्रतिशत की कम दर से बढ़ा है। कुल विदेशी ऋण स्टॉक के 23.9 प्रतिशत के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक ऋणग्रस्त देश है। जून 2020 अंत तक 554.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्टॉक के साथ भारत को वैश्विक रूप से 23वें स्थान पर रखा गया है। विशेष डाटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) की रिपोर्ट तैयार करने वाले देशों के बीच, जून 2020 अंत तक भारत के विदेशी ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल का विश्लेषण यह रेखांकित करता है कि भारत का अल्पकालिक ऋण अंश, 18.9 प्रतिशत है जो न केवल 24.2 प्रतिशत के औसत अंश से कम है, अपितु किसी भी शीर्ष 20 ऋणी देशों से भी कम है। इसके अलावा, एसडीडीएस और सामान्य डेटा प्रसार मानक (जीडीडीएस) देशों के मध्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी सेक्टर की हिस्सेदारी जून 2020 अंत में 18 प्रतिशत थी जो साधारण है और औसत हिस्सेदारी, 29.7 प्रतिशत से कम है।

कुल भुगतान शेष

- भारत, एक विकासशील और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था होने के नाते, आमतौर पर चालू खाते पर घाटे को चलाता है ताकि उच्च निवेश के लिए विदेशी बचत के साथ घरेलू बचत को पूरक बनाया जा सके। चालू खाता घाटा आमतौर पर एक पूंजी खाता अधिशेष द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बाद से, भारत चालू खाता अधिशेष का अनुभव कर रहा है और मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भुगतान शेष की स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

भारतीय रुपया विनिमय दर

- 2019-20 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में 1.4 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ अक्टूबर 2019 अंत और मार्च 2020 अंत के मध्य यह अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में कमजोर रहा। यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और येन के प्रति इसका मूल्यह्रास क्रमश: 4.5 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत रहा। 3.28 16 अप्रैल 2020 को अपने न्यूनतम स्तर 76.86 रुपये के स्तर पर मूल्यह्रास के बाद, घरेलू इक्विटी बाज़ार में एफ.पी.आई. प्रवाह और अमेरिकी डालर में कमज़ोरी के कारण, रुपये में पुन: सुधार हो गया। 36 मुद्रा NEER के संदर्भ में मार्च 2020 से दिसम्बर 2020 के बीच रुपये में 2.9 प्रतिशत का ह्रास हुआ हुई REER के संदर्भ में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- मुद्रा नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एन.ई.ई.आर.) (व्यापार आधारित भार) के संदर्भ में अक्तूबर 2020 से मार्च 2020 की अवधि में रुपया 2.0% तक ह्रासित हुआ और यह वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आर.ई.ई.आर.) के संदर्भ में 4.1 प्रतिशत सुधार है, हालंकि, आर.ई.ई.आर. के संदर्भ में इसमें 2.1% सुधार हुआ।

विदेशी मुद्रा भंडार

- 2020-21 की प्रथम छमाही में आरक्षित निधियों में सुधार के लिए चालू खाता बैलेंस में सुधार एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, मज़बूत पूंजी प्रवाह, विशेषकर अनुवर्ती माह में, एफ.डी.आई. और एफ.पी.आई. 18 दिसंबर, 2020 तक 586.1 बिलियन अमेरिकी डालर, विदेशी मुद्रा भंडार को उच्चतर

स्तर पर ले गया और इसमे 16 माह तक के आयात को सम्मिलित कर लिया। सितंबर 2020 की समाप्ति तक चीन, जापान, स्विटजलैंड और रुस के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। मार्च 2020 की समाप्ति तक 229.7% की तुलना में सितंबर 2020 की समाप्ति तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देयताएं विदेशी मुद्रा भंडार 210.7% है।

चित्र 19: विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों और इमपोर्ट कवर के स्रोत

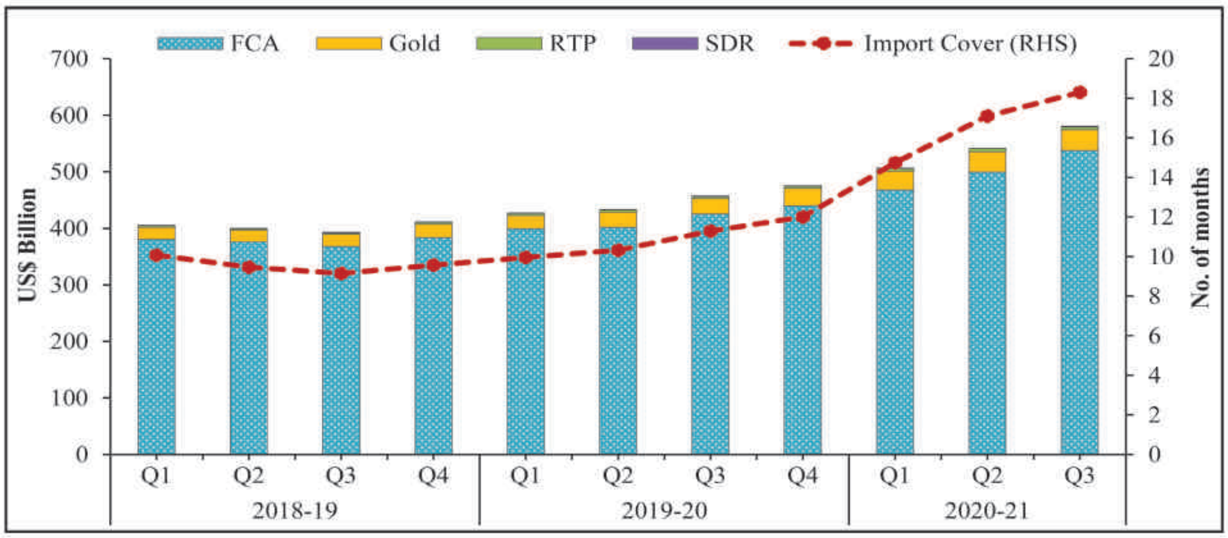

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)

व्यापार की सुविधा

- अक्षम और अत्यधिक बोझिल नियामक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण व्यापार रोधों को कम करने के उद्देश्य से, विश्व-व्यापार संगठन की बैठक में व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) हुए, और इनको 22 'फरवरी 2017 से लागू किया गया। तदनुसार, भारत में राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ), अगस्त 2016 में गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव थे। इसमें वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) को तैयार किया गया था जिसमें वे विशिष्ट गतिविधिया सम्मिलित थीं जिससे व्यापार की अतिरिक्त बाधाओं को दूर किया जा सकता था। वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए, एक नई राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) को तैयार किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त सुधारों को लाया जाए और व्यापार सुविधा प्रयासों को सहारा दिया जाए तथा दक्ष, पारदर्शी, जोखिम आधारित, समन्वित, डिजिटल, परिपूर्ण व प्रौद्योगिकी संचारित प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर क्लीयरेंस इकोसिस्टम को बदला जा सके।
- भारत एनसीटीएफ के मार्गदर्शन में टीएफए कार्यान्वयन में पहले से ही बड़े प्रयास कर रहा है। कई प्रतिबद्धताओं जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना (अनुच्छेद 10.4), माल की निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन (अनुच्छेद 7.4) आदि को, जो कि नियत वर्ष 2022 तक नहीं तो अनिवार्य हो जातीं, पहले ही कार्यान्वित कर विश्व व्यापर संगठन को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता अधिसूचना जिनमें आयात निर्यात प्रक्रियाओं, (इनक्वारी प्वाइंटों) पूछताछ स्थानों, सिंगल विंडो आदि से संबंधित सूचना सम्मिलित है, को अप्रैल 2019 में अधिसूचित कर दिया गया है जिससे पारदर्शिता और खुलेपन पर आधारित भारत का व्यापार को सुविधाजनक बनाए जाने का संकल्प निरूपित होता है। इसके आगे कोविड-19 के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विनियामक उपाय किए गए और छूट को बढ़ाया गया, जिसमें 24x7 क्लीयरेंस, समर्पित सिंगलविंडो, आयात घोषणाओं में विलंब के लिए क्षमादान, देर से दाखिल शुल्क जमा करने की छूट, बांड के बजाय वचन पत्र आदि शामिल हैं। व्यापार में भावी निर्णायक स्थिति प्राप्त करने और ट्रेड ऑटोमेशन के लक्ष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों में भारत सबसे आगे रहा है, और सतत रूप से इस दिशा में सुधार कर रहा है, जिसका उल्लेख यूनाइटेड नेशन के डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड पर किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में मिलता है।

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट

- भारत की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) शामिल है, को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2018 के शुरूआत में विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी गई थी। डब्ल्यूटीओ पैनल की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया है कि डम्ै एक ''निषिद्ध-सब्सिडी'' है और इसे वापस ले लेना चाहिए, भारत सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की है। उद्योग का समर्थन जारी रखने और निर्यात समुदाय के बीच किसी भी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए, सरकार ने सभी निर्यात वस्तुओं के लिए 1 जनवरी 2021 से प्रभावी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का अनुपालन करने वाली एक नई योजना, जिसका नाम निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट है, आरंभ कर दी है।
- इस योजना के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले शुल्क और करों जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, परिवहन के लिए उपयोग किए गए ईंधन पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर जिनके लिए किसी अन्य वर्तमान प्रणाली के अधीन न तो छूट दी जाती है अथवा न ही धन की वापसी होती है, उन से संबंधित राशि को निर्यातकों के सीमा-शुल्क के बही खाते में वापस कर दिया जाएगा। क्रेडिट का उपयोग आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है या इसे अन्य आयातकोको हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे निर्यात के लिए लेनदेन में आसानी होती है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट की दरों को वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

- घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, 1.46 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- इस योजना से विश्व स्तर पर भारतीय निर्माता को इन दस क्षेत्रों में प्रतियोगी बनाने की उम्मीद जागेगी, मूल-योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा; दक्षता सुनिश्चित होगी; बड़े पैमाने की किफायतें होंगी; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उत्पादन-पूर्व सुविधाएं मिलेंगी; निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। यह योजना वैश्विक पूंजी-बहुल कंपनियो के भारत में उत्पादन आरंभ करने के लिए भी उत्प्रेरित करती है। उत्पादन में विकास और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात से भारतीय उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा और विचारों का अनुभव प्राप्त होगा जिससे उसकी क्षमताओं मेऔर अधिक नवोन्मेष लाकर सुधार करने में सहायता मिलेगी। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और विनिर्माण संबंधी नियमों के अनुकूल बनाए जाने से न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ने में सहायता मिलेगी अपितु देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र को उत्पादन पूर्व सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इससे अर्थव्यवस्था का व्यापक विकास होगा और रोजगार के विशाल अवसर उत्पन्न होंगे।

कुछ आधारभूत संबंधित पहले जो क्रियान्यवन के विभिन्न स्तरो पर है, वे निम्न प्रकार है-

- भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया अम्ब्रेला-कार्यक्रम है जिसमें लगभग 107 बिलियन डॉलर के निवेश के द्वारा 80,000 किमी से अधिक की सड़कों, राजमार्गों, ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेस वे, पुलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- सागरमाला कार्यक्रम का लक्ष्य पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास, पत्तन संयोजकता संवर्धन, पत्तन संबंधी औद्योगीकरण, तटीय-समुदाय विकास (कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट) और तटीय-पोत परिवहन (कोस्टल शिपिंग) को प्रोत्साहन देना है। 508 परियोजनाओं की पहचान की गई है और 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है।
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क-संचलन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो माल एकत्र करने, वितरण और बहुल माध्यम परिवहन को सक्षम बनाएगा। इनके द्वारा आधुनिक यंत्रचालित मालगोदाम क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ बॉन्डेड स्टोरेज यार्ड में रखे हुए माल की सीमा-शुल्क-निकासी, मालगोदाम प्रबंधन सेवाओं (वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज) जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।
- समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का उद्देश्य परिवहन के प्रति यूनिट खर्च में बचत करना है जिसमेमालगाड़ियों की गति को बढ़ाया जाएगा और रेल-वैगन की दो क्रमिक लोडिंग के बीच समय के अंतराल को कम किया जाएगा। लगभग 70 प्रतिशत माल की डीएफसी में स्थानांतरित होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे भारतीय रेल की क्षमता का उपयोग अन्यत्र किया जा सकेगा।
- एक्सपोर्ट स्कीम के लिए ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर (टीआईईएस) का उद्देश्य राज्यों से निर्यात की वृद्धि के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहायता करना है।
- कुछ डिजिटल/तकनीकी पहल जिनका विकास किया जा रहा है।
- लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड परफॉरमेंस मॉनिटरिंग टूल (एलपीपीटी) विभिन्न संभार-तंत्र आधार भूत संरचनाएं जैसे, पत्तन, विमानपत्तन, राष्ट्रीय और राजमार्गों से जुड़े विभिन्न कॉरिडोर, इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी, इत्यादि) के प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन और आस्तियों के उपयोग का समसामयिक मोनीटरन करता है।
- भारत लॉजिस्टिक प्लेटफ़ार्म (आईएलओजी)-सरकार द्वारा वर्षों से अनेक सूचना-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग किया जा रहा है जैसे कि भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईगेट) और व्यापार सुविधा के लिए सिंगल विंडो इंटरफ़ेस फॉर ट्रेड (एसडब्ल्युआईएफटी); समुद्रपत्तनो में कार्गो हैंडलिंग के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस); भारतीय रेल द्वारा माल संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ''वाहन'' (राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण प्रणाली)। हालांकि, प्रत्येक प्रणाली के स्वामी ने महत्वपूर्ण अंतरालों को छोड़ते हुए।
- घटक प्रणालियां जिनका विकास भारतीय लॉजिस्टिक प्लेटफार्म के साथ-साथ किया जा रहा है और जिनको सार्वजनिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से भारतीय लॉजिस्टिक प्लेटफार्म के साथ जोड़ दिया जाएगा वे इस प्रकार हैं-सिक्योरिटी लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज (आधार एंड ब्लॉकचेन बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल); ट्रक विजिबिलिटी एंड पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म (ई-बिल तथा वाहन के साथ एकीकृत); नेशनल ई-रजिस्टर ऑफ वेयरहाउसिंग; डिजिटल ट्रैकिंग; लॉजिस्टिक अकाउंट नंबर (एलएएन); डिजिटल ग्रीन कॉरिडोर; डिजिटल पोर्ट डीकॉनजेशन एंड कंटेनर ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम।
- यह अनुमान किया जा रहा है कि संभार-तंत्र क्षेत्र में 12 मिलियन कामगारों को रोजगार मिलेगा जिसमें मुख्यता भू-परिवहन, मालगोदाम (भंडारण और पैकेजिंग) आपूर्ति श्रृंखला और कोरियर व तत्काल कोरियर सेवाएं सम्मिलित होंगी। उन्हें समुचित कौशल प्रदान करने के लिए, स्कूल स्तर पर कक्षा 9 और 10 के लिए लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला पर पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीआई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और राज्य कौशल मिशन के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक में शुरू किया जाएगा।

04 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

- कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व झटके के कारण, मौद्रिक नीति को मार्च 2020 से बहुत सरल बना दिया गया था। मार्च 2020 से रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स (बीपीएस/इचे) की कटौती की गई है।
- आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति के प्रबंधन हेतु ओएमओ, दीर्घावधि रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन आदि जैसे परंपरागत और गैरपरंपरागत उपायों को अपनाया। हालांकि अर्थव्यवस्था में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों, दोनों ही के द्वारा ऋण वृद्धि को कम करने के कारण वित्तीय प्रवाह बाधित रहा। उच्च आरक्षित धन वृद्धि कम (समायोजित) धन गुणक के कारण पूरी तरह से आनुपातिक धन में परिवर्तित नहीं हुई।
- इस वर्ष जमा और उधार दरों में पॉलिसी रेपो दरों के हस्तांतरण में भी सुधार देखा गया और नए रुपये ऋण (फ्रेश रूपी लोन) और बकाया रुपये ऋण (आउटस्टैंडिंग रूपी लोन) पर भारित औसत ऋण दर में क्रमशः 94 बेसिक प्वाइंट्स और 67 बेसिक प्वाइंट्स की कमी आई।

2020-21 के दौरान मौद्रिक विकास

- रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 27 मार्च 2020 को अपने पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति कथन में पॉलिसी रेपो रेट को 75 बेसिक प्वाइंट्स से कम कर 5.15 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत करने का फैसला किया था। इसके अलावा, रिवर्स रेपो दर को 90 बेसिक प्वाइंट्स कम कर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया था, इस प्रकार रिजर्व बैंक में निष्क्रिय रूप में धन जमा करने के लिए बैंकों के लिए विषम परस्थिति बनाई गई और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण देने के लिए उन्हें अपनी निधियों का उपयोग करने को विवश किया गया।
- अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2020 में हुई बैठकों में एमपीसी ने पॉलिसी दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। हालांकि मुद्रास्फीति की दर कुछ महीनों के लिए हाशिए से उपर थी, समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति को बनाए रखने वाले अंतर्निहित कारकों को झटका लगा है लेकिन अर्थव्यवस्था के अनलॉक होते ही समय के साथ वे वापस पटरी पर लौटेंगे, आपूर्ति श्रृंखला बहाल होगी और गतिविधियां सामान्य होने लगेंगी। आरबीआई ने हाल ही में हुई अपनी एमपीसी की बैठक में अनुमानित जीडीपी विकास दर में संशोधन किया और 2020-21 के लिए इसे (-) 9.5 प्रतिशत की बजाए (-) 7.5 प्रतिशत कर दिया।

बैंकिंग क्षेत्र

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए/ GNPA) अनुपात (यानि सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में जीएनपीए) में कमी आई और यह मार्च 2020 के आखिर में 8.2 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 7.5 रह गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी/ SCBs) का पुनर्गठित मानक अग्रिम (आरएसए/ RSA) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.36 प्रतिशत से बढ़ कर 0.41 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर, एससीबी के स्ट्रेस्ड एडवांसेस अनुपात में गिरावट दर्ज की गई और मार्च 2020 के आखिर में जहां से 8.6 प्रतिशत था वहीं सितंबर 2020 के आखिर में 7.9 प्रतिशत रह गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के आखिर में 10.25 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के आखिर में कम हो कर 9.4 प्रतिशत रह गया और स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेश्यो मार्च 2020 के आखिर के 10.75 प्रतिशत के मुकाबले सितंबर 2020 के आखिर में 9.96 प्रतिशत रह गया। इस अवधि के दौरान, शुद्ध एनपीए रेश्यो में भी कमी दर्ज की गई और यह सितंबर 2020 के आखिर में एससीबी के लिए 2.1 प्रतिशत और पीएसबी के लिए 2.85 प्रतिशत पर रही।
- सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के बैंकों के पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital to risk-weighted asset ratio, सीआरएआर/CRAR) में सुधार के कारण मार्च 2020 और एससीबी के पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि हुई और सितंबर 2020 के दौरान यह 14.7 से बढ़ कर 15.8 प्रतिशत हो गई। एससीबी की वार्षिक निवेश पर आय (आरओए/ RoA) में 2020-21 की पहली छमाही (एच 1) के दौरान थोड़ा सुधार हुआ और यह 0.07 प्रतिशत से 0.64 प्रतिशत हो गया, हालांकि उनका इक्विटी पर आय (आरओई/ त्वम्) में भी सुधार हुआ और इसी अवधि के दौरान यह 0.78 प्रतिशत से 7.68 प्रतिशत हो गया। मुख्य रूप से कोविड-19 राहत उपायों के तहत दी गई छूट के कारण मार्च 2016 से मार्च 2020 तक नकारात्मक लाभप्रदता अनुपात दर्ज करने के बाद, पीएसबी के लिए आरओए (RoA) और आरओई (RoE) जून 2020 में सकारात्मक बनी और सितंबर 2020 में समाप्त हुई तिमाही तक सकारात्मक बनी रही। (तालिका 3) यह मुख्यतः उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए अधिस्थगन तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण पर लगाई गई रोक के कारण हुआ है।

बैंकिंग क्षेत्र में नियामक उपाय

वाणिज्यिक बैंक

- **पीएसबी का विलयः** एंकर बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के साथ अन्य 10 पीएसबी का एकीकरण, यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया है।
- **एमएसएमई ऋणों का पुनर्गठनः** एमएसएमई के ऐसे ऋण जो डिफॉल्ट थे लेकिन 1 जनवरी, 2019 को 'मानक/ स्टैंडर्ड' थे, को, कुछ शर्तों के तहत

संपत्ति वर्गीकरण के दर्जे में कमी किए बिना, एक बार पुनर्गठन की अनुमति थी, जैसे 1 जनवरी, 2019 तक उधारकर्ताओं पर बैंकों और एनबीएफसी का कुल जोखिम (गैर-निधि आधरित सुविधाओं समेत) 25 करोड़ रुपयों से अधिक न हो। उधार लेने वाली संस्था को जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। हालांकि, यह शर्त उन एमएसएमई पर लागू नहीं होगा जिन्हें जीएसटी-पंजीकरण से छूट दी गई है। कोविड-19 के कारण होने वाली गिरावट को देखते हुए व्यवहार्य एमएसएमई इकाईयों को सहयोग प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2019 की कट-ऑफ तिथि को 1 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया था। बैंकों को 31 मार्च 2021 तक पुनर्गठन लागू करना होगा।

- **मौद्रिक नीति परिसंरचण-**ऋणों के बाहरी मानदंड निर्धारित करना: आरबीआई ने एससीबी (आरआरबी को छोड़ कर) द्वारा लिए गए अग्रिमों पर ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया। हालांकि बैंकों को निर्धारित या फ्लोटिंग ब्याज दरों पर सभी श्रेणियों के अग्रिम देने की सुविधा दी गई, नियमों के अनुसार ऐसी दरों को उचित और पारदर्शी होना चाहिए और इन्हें आंतरिक या बाह्य मानदंड दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति के परिसंरचण को मजबूत बनाने के लिए बैंकों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल या रीटेल ऋणों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था और एमएसएमई को भी फ्लोटिंग रेट ऋण बाहरी मानदंडों जैसे रेपो रेट, ट्रेजरी बिल रेट और फाइनेंशल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमि टेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित किसी भी दूसरे बाहरी मानदंड तक देने की सुविधा दी गई। बैंक इस प्रकार के बाहरी मानदंडों से जुड़े ऋणों को अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी दे सकते हैं। पारदर्शिता, मानकीकरण और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण उत्पादों का आसानी से समझना सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को एक ऋण श्रेणी में एकसमान बाहरी मानदंड को अपनाने की सलाह दी गई थी। बाहरी मानदंड प्रणाली के तहत, ऋण के लिए ब्याज रीसेट अवधि को भी तीन महीने कम कर दिया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य उधारकर्ताओं को नीतिगत रेपो दरों में कमी का अधिक बार लाभ देना था। इसके अलावा, वर्तमान उधारकर्ताओं को बाहरी मानदंड से जुड़े ब्याज दर का लाभ उपलब्ध कराने के लिए (बेस रेट/ एमसीएलआर), बैंकों को आपसी सहमति वाली शर्तों पर ऐसे उधारकर्ताओं को स्विचओवर का विकल्प देने की सलाह दी गई थी।

सहकारी बैंक

- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य में संशोधन:** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए समग्र ऋण लक्ष्य को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी/ANBC) या क्रेडिट इक्विवैलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीसीई/ CEOBSE), जो भी अधिक हो, को वर्तमान 40 प्रतिशत के स्तर से बढ़ा कर 31 मार्च 2024 तक एएनबीसी या सीईओबीएससी, जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **एमएसएमई के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत सहकारी बैंकों को योग्य सदस्य ऋण दाता संस्था के रूप में समावेश करना-दिशानिर्देश जारी करना:** सभी सहकारी बैंकों को सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 2018 में बनाई गई ''इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (आईएसएस)'' के तहत योग्य ऋणदाता संस्था के रूप में शामिल किए जाने की सलाह दी गई है। यह योजना योग्य एमएसएमई को उनके बकाया, नए/ वृद्धिशील सावधि ऋण/ कार्यशील पूंजी पर, उनकी वैधता अवधि के दौरान, ब्याज में प्रति वर्ष दो प्रतिशत की राहत प्रदान करती है।
- **सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को बड़े जोखिमों से अवगत कराना:** यूसीबी में ऑफ साइट पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने और वित्तीय संकट का समय से पता लगाने के लिए 500 करोड़ रुपयों और उससे अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी को सीआरआईएलसी (CRILC) रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन लाने का फैसला किया गया था। तदनुसार, यूसीबी को क्रेडिट की जानकारी देनी होगी। इसमें यूसीबी किसी खाते को स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) बनाने के साथ-साथ ऐसे सभी उधारकर्ताओं की जानकारी देगा जिनका कुल ऋण जोखिम 5 करोड़ रुपयों या उससे अधिक का है। कुल ऋण जोखिम में उधारकर्ता पर निवेश जोखिम समेत सभी कोष-आधारित और गैर-कोष आधारित जोखिम शामिल किए जाएंगे।
- **एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए जोखिम सीमा और बड़े ऋण जोखिम:** यूएसबी के बीच क्रेडिट कान्सन्ट्रेशन रिस्क (ऋण संक्रेंदण जोखिम) को कम करने के लिए, एकल उधारकर्ता और उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण जोखिम मानकों में क्रमशः यूसीबी की पूंजीगत निधि का 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत एवं यूसीबी के टीयर-I पूंजी को 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया था। संशोधित ऋण जोखिम सीमाएं यूसीबी द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के नए ऋणों पर लागू होगा और 31 मार्च 2023 तक उन्हें संशोधित सीमा से अधिक अपने वर्तमान ऋण जोखिमों को उल्लिखित संशोधित सीमाओं के भीतर लाना होगा। इसके अलावा, यूसीबी के पास उनके कुल ऋणों और अग्रिमों का न्यूनतम 50 प्रतिशत हो, इसमें 25 लाख रुपयों ङ. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पढ़ी जाए) के तहत रिटर्न जमा करना-समय सीमा में विस्तार: कोविड-19 महामारी के जारी रहने के कारण यूसीबी को होने वाली परेशानियों को देखते हुए, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भेजने की समय-सीमा को पहले तीन महीनों के लिए यानि 30 सितंबर 2020 तक, बढ़ाया गया था तथा इसके बाद, समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 31 (धारा 56 के साथ पढ़ी जाए) के तहत रिटर्न जमा करना-समय सीमा में विस्तार:** कोविड-19 महामारी के जारी रहने के कारण यूसीबी को होने वाली परेशानियों को देखते हुए, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भेजने की समय-सीमा को पहले तीन महीनों के लिए यानि 30 सितंबर 2020 तक, बढ़ाया गया था तथा इसके बाद, समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन:** बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020: बैंकिंग विनियमन अधिनियम को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार यूसीबी के नियामक शासन में

किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं-

- रिजर्व बैंक को यूसीबी के प्रबंधन का अधिकार दिया गया जिसकी वजह से अब वह यूसीबी के प्रबंधन संबंधी निर्देश जारी कर सकता है। इसमें चेयरमैन/ एमडी/ सीईओ की नियुक्ति की मंजूरी, एमडी/ सीईओ को हटाने और उनके वेतन की मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा, यूसीबी के बोर्ड में विशेष क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान/ व्यवहारिक अनुभव वाले 51 प्रतिशत सदस्य होने ही चाहिए।
- निदेशक-संबंधी ऋणों/ अग्रिमों को अनुमति देने पर वैधानिक प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है और संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंकों में एक ही निदेशक पद रखे जाने पर रोक लगा दी गई है।
- रिजर्व बैंक को यूसीबी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/ पद से हटाने को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
- संशोधित अधिनियम के प्रावधान यूसीबी को इक्विटी/ प्रेफरेंस/ स्पेशल शेयरों और डिबेंचरों/ बॉन्ड्स/ प्रतिभूतियों को जारी कर पूंजी में बढ़ोतरी करने में सक्षम बनाएंगे। ये सभी इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी शर्तों के अधीन होंगे।
- रिजर्व बैंक को यूसीबी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण बर्खास्त करने का अधिकार होगा, हालांकि एक ही राज्य में काम करने वाले यूसीबी के मामले में, रिजर्व बैंक अपने इस अधिकार का प्रयोग संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से करेगी।
- रिजर्व बैंक को स्वैच्छिक/ अनिवार्य एकीकरण को मंजूरी देने और केंद्र सरकार की अनुमति के साथ यूसीबी के पुनर्गठन योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। संशोधित अधिनियम, रिजर्व बैंक के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा यूसीबी को बंद किए जाने की अनुमति देता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश

- 2020-21 (दिसंबर तक) भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के माध्यम से 2.1 लाख करोड़ रुपयों का निवल आमद हुई थी, 2019-20 में इसी अवधि के दौरान निवल आमद 0.81 लाख करोड़ रुपयों की थी। एफपीआई (अधिग्रहण लागत पर) द्वारा कुल संचयी निवेश में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि आई और यह 31 दिसंबर 2019 में 259.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 31 दिसंबर 2020 को 273.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

बीमा क्षेत्र

- बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता का आकलन दो संकेतकों पर किया जाता है-इंश्योरेंस पेनेट्रेशन (बीमा पैठ) और इंश्योरेंस डेंसिटी (बीमा घनत्व)। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन की गणना जीडीपी के बीमा प्रीमियम प्रतिशत के रूप में की जाती है और इंश्योरेंस डेंसिटी की गणना आबादी के बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में की जाती है।
- भारत में, जहां 2001 में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 2.71 प्रतिशत थी, में लगातार वृद्धि हुई और 2019 में यह 3.76 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, एशिया यानि मलेशिया, थाईलैंड और चीन में 2019 में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन क्रमशः 4.72, 4.99 और 4.30 प्रतिशत था। वर्ष 2019 में, भारत में जीवन बीमा के लिए पेनेट्रेशन 2.82 प्रतिशत था जबकि गैर-जीवन बीमा इससे कहीं कम, 0.94 प्रतिशत था (तालिका 13 और 14)। विश्व में, 2019 में, जीवन बीमा के क्षेत्र में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 3.35 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत था। हालांकि भारत में दोनों ही क्षेत्रों में पेनेट्रेशन कम है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में गैर-जीवन बीमा के क्षेत्र में यह विशेष रूप से कम है।

कोविड-19 के कारण किए गए कुछ महत्वपूर्ण नियामक उपाय इस प्रकार हैं:

- केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया गया और 54 बीमा कंपनियों को यूआईडीएआई की आधार प्रमाणन सेवाओं के माध्यम से कागजरहित केवाईसी प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई।
- कोविड-19 बीमारी के लिए कवरेज देने के साथ अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरु करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए, ये निर्देश 31/3/2021 तक मान्य हैं। दिशानिर्देश के अनुसार 1) जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वाली सभी कंपनियों को कोविड-19 विशिष्ट अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी देने की अनुमति दी गई। 2) पॉलिसी न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 11 माह की होगी 3) जीवन बीमा करने वालों को केवल लाभ.आधारित पॉलिसी देने की अनुमति है, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने वाले क्षतिपूर्ति आधारित और लाभ आधारित, दोनों प्रकार का बीमा कर सकते हैं, 4) बीमा कर्ता, 2016 एचआई (HI) नियमों में निर्धारित मूल्य मानदंडों और इसके तहत जारी किए गए निर्देशों का पालन करेंगें, 5) प्रतीक्षा अवधि 15 दिनों से अधिक की नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के अलग से कुछ जोड़े जाने की अनुमति नहीं है। आजीवन नवीकरण, माइग्रेशन और पोर्टबिलिटी लागू नहीं है।
- मानक लाभ-आधारित पॉलिसी. कोरोना रक्षक पॉलिसी और मानक स्वास्थ्य पॉलिसी- कोरोना कवच पॉलिसी, के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन्हें क्षतिपूर्ति आधार पर दिया जाएगा और बीमाकर्ताओं को इन उत्पादों को 10 जुलाई 2020 से उपलब्ध कराने को कहा गया था।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता

- दिसंबर 2016 से संहिता बनाए जाने के बाद से, 31 दिसंबर 2020 तक 4,117 आवेदन स्वीकार किए गए हैं (चित्र 19)। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजलूशन प्रॉसेस/ सीआईआरपी) के लागू होने से पहले ही लगभग 23 प्रतिशत मामलों को सुलझाया या बंद किया जा चुका था। 1420 मामलों, जिनके लिए सीआईआरपी (CIRP) प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, नतीजे के रूप में समाधान के करीब 3.6 गुणा परिशोधन

हुआ है। हालांकि इससे संहिता के प्रदर्शन की वास्तविक तस्वीर नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिशोधन की प्रक्रिया के 73 प्रतिशत (799 मामले) मामले और समाधान की प्रक्रिया के 33 प्रतिशत (101 मामले) मामलों को पूर्व के औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड(बीआईएफआर) से लाया गया था। आईबीसी, बीआईएफआर परंपरा वाले 101 मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। इनमें से ज्यादातर मामलों को अधिकांश निवल मूल्य समाप्त हो चुका डेड कॉर्पस (निष्क्रिय राशि) माना जाता है। ऐसे 91 मामलों को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना, अपने-आप में उपलब्धि है। गैर-बीआईएफआर परंपरा के लिए सीआईआरपी ने अब तक 195 का समाधान और 288 का परिशोधन किया है। इसका यह भी अर्थ है कि बीआईएफआर मामलों से तुलना करने पर गैर-बीआईएफआर संपत्ती मामलों के लिए समाधान दर तीन गुना अधिक, 40 प्रतिशत, है।

कोविड-19 को देखते हुए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

- सरकार ने दिवालिया प्रक्रिया को शुरु करने के लिए आवश्यक चूक राशि की सीमा को, मार्च 2020 के अंत में, बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कर दिया था।
- दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश, 2020, में धारा 10ए को शामिल किया गया ताकि धारा 7, 9 और 10 के तहत कॉरपोरेट ऋणकर्ता (सीडी) पर, 25 मार्च 2020 को या उसके बाद, होने वाली किसी भी चूक के लिए कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू न कि जा सके। इसे 3 महीने के लिए 25 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 तक और बढ़ा दिया गया था।

इसके अलावा, न्यायपालिका और नियामक द्वारा कई उपाय किए गए थे, इनमें शामिल हैं:

- आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार सीआईआरपी में पहले से वर्तमान मामलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर सभी मामलों के लिए सीमा अवधि को बढ़ा दिया, यह 15 मार्च 2020 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक प्रभावी बना रहेगा।
- एनसीएलएटी/NCLAT ने, 30 मार्च 2020 को जारी आदेश में, ने निर्णय दिया कि संहिता की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को समाधान प्रक्रिया के अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा, और यह आदेश उन सभी मामलों पर लागू होगा जिनमें सीआईआरपी शुरु की जा चुकी है और एनसीएलटी की किसी पीठ के समक्ष लंबित है या एनसीएलएटी में अपील की गई है। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि एनसीएलएटी द्वारा संहिता के तहत किसी भी एक या अन्य अपील के तहत पारित कोई भी अनंतिम आदेश/स्थगन आदेश अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।
- आईबीबीआई ने उपरोक्त नियमों में संशोधन किया ताकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को ऐसी किसी भी गतिविधि की समय-सीमा में न गिना जाए जिसे लॉकडाउन के कारण पूरा न किया जा सकता हो, सीआईआरपी और परिशोधन प्रक्रिया के संबंध में, यह संहिता में प्रदत्त कुल समय-सीमा के अधीन है।

अध्याय एक नज़र में

- मौद्रिक नीति 2020 में उदार बनी रही।
- मार्च 2020 से अब तक रेपो दर में 115 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई।
- वर्ष 2020-21 में प्रणालीगत तरलता (सिस्टेमिक लिक्विडिटी) अधिशेष बनी हुई है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंध हेतु ओएमओ, दीर्घकालिक रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि जैसे कई परंपरागत और गैर-परंपरागत उपाय किए।
- मुद्रा आपूर्ति वृद्धि के लिए उच्च आरक्षित धन वृद्धि का संरचण केवल आंशिक था, इससे तरलता संरचण में अव्यवस्था का पता चलता है क्योंकि बैंकों को रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई में अधिक पैसा जमा रखना पड़ रहा था।
- बैंकों की ऋण वृद्धि में 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत पर आ गई। बैंकिंग क्षेत्र से ऋण लिए जाने में कमी व्यापक मंदी की साक्षी है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2020 के आखिर में 8.21 प्रतिशत था जो सितंबर 2020 के आखिर में 7.49 प्रतिशत रह गया। हालांकि इसे महामारी के कारण ऋणकर्ताओं को दी गई संपत्ति वर्गीकरण राहत के साथ देखा जाना चाहिए।
- इस वर्ष जमा और उधार देने की दरों में कम नीति दरों के मौद्रिक संचरण में सुधार हुआ। 20 जनवरी 2021 को निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और क्रमशः 14644.7 तथा 49792.12 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।
- आईबीसी के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की बसूली दा (इसकी स्थापना से) 45 प्रतिशत से अधिक रही है।
- कोविड-19 महामारी के मददेनजर कॉर्पोरेट इन्सॉलवेन्सी रिसॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) की शुरूआत को 25 मार्च 2020 को या उसके पश्चात उत्पन्न किसी भी प्रकार की चूक के लिए 6 माह तक निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन को 24 सितंबर 2020 तथा 22 दिसंबर 2020 को दो वार तीन-2 माह के लिए। विस्तारित किया गया था। सतत समाधान के साथ-साथ इस छूट के कारण कुल मामलों में मामूली कमी आई।

05 कीमतें और महँगाई

संदर्भ

- वर्ष 2013-14 के बाद से सीपीआई-सी मुद्रास्फीति कम हो गई है हालांकि, 2020 में मुद्रास्फीति की गति में काफी बदलाव देखने को मिला है। कुल मिलाकर, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति कोविड-19 की वजह से लागू किये गये लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे अधिक रही और बाद में आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण यह उच्चतर स्थिति बनी रही। मुद्रास्फीति की दर बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का आसमान छूना है, जिसमें वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 9.1 की वृद्धि हुई। कोविड-19 की वजह से उत्पन्न व्यवधानों की वजह से, कीमतों की गति में समग्र वृद्धि देखने को मिली, जिसकी वजह से अप्रैल 2020 से ही मुद्रास्फीति की गति तीव्र बनी रही, जबकि सकारात्मक आधार प्रभाव एक मध्यम कारक रहा है। ग्रामीण-शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति जो वर्ष 2019 में अधिक थी, उसमें नवंबर 2019 से गिरावट देखी गई जो 2020 में जारी रही। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में पिछले वर्ष की इसी अवधि में (-) 0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत की तुलना में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही। सर्वेक्षण से पता चला है कि CPI-C मुद्रास्फीति पर एकमात्र फोकस चार कारणों से उपयुक्त नहीं हो सकता है। पहला, खाद्य मुद्रास्फीति, जिसका CPI-C में महत्वपूर्ण योगदान है, प्राथमिक रूप से आपूर्ति-पक्ष कारकों द्वारा नियोजित है। दूसरा, मौद्रिक नीति के लिए मुख्य लक्ष्य के रूप में इसकी भूमिका को देखते हुए, CPI-C में परिवर्तन मुद्रास्फीति संभावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यह आपूर्ति पक्ष कारकों द्वारा नियोजित किए जाने वाले CPI-C में मुद्रस्फीति के बावजूद होता है जो खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। तीसरा, खाद्य मुद्रास्फीति के अनेक घटक खाद्य और पेय समूह में विस्तृत अंतर सहित पारगमनीय है।

परिचय

- कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न वैश्विक सामाजिक संकट द्वारा वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने की वजह से वर्ष 2020 अभूतपूर्व था। घरेलू मोर्चे पर, दो विपरीत शक्तियाँ कार्य कर रही थी। एक तरफ, तो निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग की दर कम हो गई थी। दूसरी तरफ, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होने की वजह से, खाद्य मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था के खुलने के दौरान भी जारी रही, हालाँकि हाल के महीनों में इसका प्रभाव मंद हुआ है। कुल मिलाकर, लॉकडाउन अवधि के दौरान और बाद में भी हैडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति की दर अधिकतम बनी रही और इसका कारण आपूर्ति के पक्ष में व्यवधान उत्पन्न होना था । कोविड-19 के प्रकोप और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की कीमतों में और तेज गिरावट के परिणामस्वरूप सुस्त आर्थिक गतिविधियों की वजह से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति का स्वरूप कमजोर बना रहा। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में, कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आई, हालांकि मुद्रास्फीति के पिछले वर्ष के समान स्तर पर समाप्त होते हुए भी कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तेजी आई है।

मुद्रास्फीति में मौजूदा रूझान

- वर्ष 2014 से 2018 के दौरान, सीपीआई-कंबाइंड (सीपीआई-सी) पर आधारित हैडलाइन इन्फ्लेशन (मुद्रास्फीति) कम होने के मार्ग पर अग्रसर थी। हालाँकि वर्ष 2019 से, इसमें एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई, और आज-कल मुद्रास्फीति में संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्ष 2014-15 में औसत सीपीआई-सी मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018-19 में लगातार गिरकर 3.4 प्रतिशत पर आ गई और वर्ष 2019-20 में 4.8 प्रतिशत दर्ज की गई। यह वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में औसतन 6.6 प्रतिशत रही और दिसंबर 2020 में 15 महीने के निचले स्तर 4.6 प्रतिशत पर पहुँच गई। सीपीआई-सी के विभिन्न समूहों के भीतर, चालू वर्ष में मुद्रास्फीति में वृद्धि व्यापक थी और मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि द्वारा उत्प्रेरित थी, जो कि वर्ष 2018-19 में 0.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6.7 प्रतिशत हो गई और आगे वर्ष 2020-21 में प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) 9.1 हो गई और मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण सब्जी की कीमतों में वृद्धि होना रहा। हालांकि, सरकार द्वारा किये गए तेज उपायों की वजह से अक्टूबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर दिसंबर 2020 में 3.4 प्रतिशत पर रह गई। सीपीआई कोर (गैर-खाद्य गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019-20 में 4.0 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में औसतन 5.4 प्रतिशत (अप्रैल-दिसंबर) पर रही गई। मौजूदा वर्ष में मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि सेवाओं वाले विविध समूह के वजह से हुई। विविध समूह में परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति की वृद्धि अधिकतम रही, जो वर्ष 2019-20 में 2.4 प्रतिशत की तुलना में मौजूदा वर्ष में बढ़ कर 9.4 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसके अतिरिक्त, सोने और चाँदी की कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव ने मुख्य मुद्रास्फीति दर को बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। यद्यपि, सीपीआई-सी के मुख्य समूह स्तर पर, आवास मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 6.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 4.5 प्रतिशत पर पहुँच गई और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में और कम होकर 3.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई।
- डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 4.3 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 1.7 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 0.1 प्रतिशत पर आ गई। यह अप्रैल से जुलाई 2020 तक नकारात्मक स्थिति में रही और दिसंबर 2020 में 1.2 प्रतिशत पर पहुँच गई। मौजूदा वर्ष में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी मुख्य रूप से ईंधन और विद्युत की दरों में गिरावट आने की वजह से आई है। वर्ष के दौरान संपूर्ण विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता के कारण प्रमुख ईंधन उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई ईंधन और विद्युत मुद्रास्फीति वर्ष 2018-19 में 11.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2020-21 में (-) 1.8 प्रतिशत पर आ गई तथा इसमें और आगे (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 12.2 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 में 6.9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में 4.2 प्रतिशत और डब्ल्यूपीआई कोर मुद्रास्फीति बढ़कर वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में (-) 0.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 0.8 प्रतिशत पर पहुँच गई।

सीपीआई-सी आधार 2012 के चयनित समूहों में मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)

विवरण	वजन	2018-19	2019-20	2020-21रु	जुलाई-20	अगस्त -20	सितंबर-20	अक्टूबर -20	नवंबर -20	दिसंबर -20 (P)
सभी वस्तुओं	100.0	4.3	1.7	-0.1	-0.2	0.4	1.3	1.3	1.6	1.2
खाद्य सूचकांक	24.4	0.6	6.9	4.2	4.7	4.8	7.2	6.2	4.3	0.9
खाद्य लेख	15.3	0.3	8.4	3.9	4.5	4.4	8.4	7.1	3.9	-1.1
अनाज	2.8	5.5	7.5	-1.4	0.7	-1.6	-3.7	-5.2	-5.5	-6.5
दलहन	0.6	-9.4	15.9	12.1	10.2	9.9	12.5	16.1	13.0	9.7
सब्जियां	1.9	-8.4	31.2	7.1	8.2	7.2	38.1	26.7	12.2	-13.2
फल	1.6	-1.7	3.2	-1.3	-3.0	-0.3	-4.6	-4.3	-3.8	1.4
दूध	4.4	2.4	2.5	5.1	4.7	4.4	5.6	5.7	5.5	3.9
अंडा, मांस और मछली	2.4	1.7	6.5	3.4	5.3	6.2	4.1	4.2	0.6	1.4
खाद्य उत्पाद	9.1	0.9	4.1	5.0	5.0	5.5	4.9	4.4	4.9	4.9
वनस्पति और पशु तेल और वसा	2.6	7.5	1.4	17.3	15.9	17.7	18.7	20.6	23.2	21.8
चीनी	1.1	-10.7	3.9	0.1	3.3	0.5	-0.8	-1.5	-0.8	-0.3
फ्यूल और पॉवर	13.2	11.6	-1.8	-12.2	-9.8	-9.1	8.6	-11.1	-9.9	-8.7
गैर-खाद्य निर्मित उत्पाद (कोर)	55.1	4.2	-0.4	0.8	-0.2	0.6	1.3	1.8	2.6	4.1

मुद्रास्फीति की प्रवृत्तिः गति और आधार प्रभाव

- मौसमी उतार-चढ़ाव के प्रभाव को निर्मूल करने के उद्देश्य से सामान्य तौर पर सूचकांक में बारह महीने के दौरान होने वाले परिवर्तनों का उपयोग करके मुद्रास्फीति के रुझान की व्याख्या की जाती है। हालांकि, मुद्रास्फीति में साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) परिवर्तन का उपयोग करने के साथ एक चुनौती यह है कि यह हाल के मूल्य परिवर्तन और एक वर्ष पहले मूल्य के परिवर्तन के बीच अंतर नहीं करता है। जब आधार महीने में सीपीआई में परिवर्तन का वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, तो इसे आधार प्रभाव कहते हैं। इसलिए आधार अवधि में सीपीआई में असामान्य परिवर्तनों से मापे गए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में परिवर्तन के योगदान आधार प्रभाव है। इसलिए हमें अंतर करने की जरूरत हैं कि क्या मुद्रास्फीति में परिवर्तन मौजूदा माह में कीमतों में हुए बदलाव की वजह से हैं या आधार अवधि में कीमतों में हुए बहुत अधिक बदलाव की वजह से (आइसलैंड केंद्रीय बैंक, 2007)।
- खाद्य तथा पेय समूह के मामले में मुद्रास्फीति का जो प्रारूप देखने को मिला, वही प्रारूप भी सीपीआई हैडलाइन तथा सीपीआई कोर मुद्रास्फीति पर भी देखने को मिला। नवंबर 2020 में, कीमतों की गति के मंद होने के साथ उच्च आधार प्रभाव ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खाद्य तथा पेय समूह के विभिन्न उप-समूहों के बीच विभिन्न प्रकार का प्रतिमान उभरा। उदाहरण के लिए, अनाजों के मामले में नकारात्मक मूल्य वृद्धि और सकारात्मक आधार प्रभाव की वजह से जुलाई 2020 से वाई-ओ-वाई मुद्रास्फीति में कमी आई। तेल और वसा के मामले में, उच्च मुद्रास्फीति अधिकांश मूल्य गति में पर्याप्त उछाल से प्रेरित रही है जबकि इस मामले में आधार प्रभाव मध्यम रहा है। सब्जियों के मामले में, जुलाई 2020 के बाद से मुद्रास्फीति अधिकांशतः मूल्य गति में बहुत अधिक वृद्धि से प्रेरित रही है।
- परिवहन तथा संचार और पर्सनल केयर व प्रभावों के मामले में, अप्रैल 2020 के बाद से मुद्रास्फीति में वृद्धि कीमतों की दरों में आई अचानक उछाल रही है। हालाँकि, परिवहन तथा संचार के मामले में अगस्त 2020 से कीमतें पर्याप्त स्थिर हुई है जबकि पर्सनल केयर व प्रभावों के मामले में कीमतों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलकर, कीमतों में वृद्धि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में परिवर्तन पर हावी रही है। इसलिए, मुद्रास्फीति विशेष रूप से सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित था।

मुद्रास्फीति के उत्प्रेरकः खाद्य मुद्रास्फीति का विलक्षण प्रभाव

- खाद्य और पेय समूह वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के साथ-साथ 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति का प्रमुख उत्प्रेरक था, हालाँकि वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 53.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में इसका योगदान बढ़कर 59.0 प्रतिशत हो गया। विविध समूह मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता समूह था, जिसने समग्र मुद्रास्फीति में 26.8 प्रतिशत का योगदान दिया। विविध समूहों के बीच में उप-समूहों में परिवहन और संचार तथा पर्सनल केयर और प्रभावों ने सबसे अधिक योगदान दिया।
- सीएफपीआई पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति, जो अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक नकारात्मक अवस्था में रही, ने 2019 की दूसरी छमाही में तीव्र वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होना रहा है, हालाँकि, इसके बाद हाल के महीनों में कीमतों में कमी आई। मार्च 2020 के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति की ऊँची दर कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुए आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधानों की ओर संकेत करता है। सीएफपीआई में खाद्य उप-समूहों का योगदान यह प्रदर्शित करता है कि सब्जियाँ, 'मांस-मछली', 'तेल-वसा', तथा 'दाल-उत्पाद' मौजूदा वर्ष में खाद्य मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदान-कर्ता थे। सब्जियों के कीमतों में तीव्र गिरावट की वजह से दिसंबर 2020 में सब्जी का योगदान नकारात्मक हो गया। जिन अनाजों ने जून 2018 में अधिक योगदान दिया, बाद में उनका योगदान धीरे-धीरे कम होता गया।
- सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान सब्जियों की मुद्रास्फीति दर बढ़ती रही। जून 2020 में यह घटकर 4 प्रतिशत रह गई और जुलाई से नवंबर 2020 तक दो अंकों में बनी रही। सब्जियों की बढ़ती मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से कम मांग वाले मौसम में आलू और प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। प्याज के मामले में, अप्रैल 2020 में आवक में 74 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि आलू के मामले में अगस्त 2020 में 62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि, सरकार द्वारा इन वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाए गए, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2020 में सब्जियों की मुद्रास्फीति में (-) 10.4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई।
- इसके अतिरिक्त, तेल और वसा और मसालों की मुद्रास्फीति ने चालू वर्ष में बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की है। हालांकि, अप्रैल 2020 के बाद से प्रमुख खाद्य समूहों के मुद्रास्फीति में भारी गिरावट दर्ज की गई, जैसे अनाज और उत्पादों की मुद्रास्फीति, जो अप्रैल 2020 में 7.8 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 1.0 प्रतिशत रह गया और चीनी जो अप्रैल 2020 में 10.3 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2020 में 0.5 प्रतिशत रह गया।
- कोविड-19 के उपरांत रिवर्स प्रवासीकरण, कारखानों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और उत्पादन तथा वितरण नेटवर्क में अन्य लेनदेन की लागत बढ़ने की वजह से थोक कीमतों में उछाल देखने को मिली। यद्यपि कुल तिलहन का उत्पादन क्रमशः वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है, लेकिन वर्ष 2019-20 में सोयाबीन के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए सूरजमुखी के खरीफ उत्पादन में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। सूरजमुखी का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से लगातार घट रहा है और वर्ष 2019-20 में इसमें मामूली वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019-20 में भी सरसों का उत्पादन कम हो गया है।
- आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को आम आदमी के घरों के खाद्य बजट पर प्रभाव द्वारा अनुभव किया जा सकता हैं। इस संबंध में भोजन की प्लेट की लागत का आकलन करने का एक प्रयास थैलिनोमिक्स (बॉक्स 2) के रूप में खंड- ।, आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 में किया गया था।

थैलिनोमिक्सः वर्ष 2020-21 में भोजन के एक प्लेट की लागत

- आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 संस्करण. । ने "थैलिनोमिक्स": भारत में एक प्लेट भोजन का अर्थशास्त्र शीर्षक अध्याय में एक थाली की एक अद्वितीय संकल्पना पेश की है। अध्याय में वर्णित इस क्रियाविधि की मदद से और एक भारी काम करने वाले एक भारतीय वयस्क पुरुष श्रमिक (NIN, 2011) के लिए निर्धारित आहार दिशानिर्देशों के आधार पर अनाज, दालों/मांस, सब्जी, मसाले, खाद्य तेल और ईंधन के अनुशंसित आहार भत्तों का उपयोग करते हुए और एनएसओ द्वारा सीपीआई-सी के लिए संग्रह किए गए आकड़ों का उपयोग करते हुए एनएसओ ने थाली सूचकांक का संकलन किया है। उपभोक्ता सर्वेक्षण के 68वें चक्रिय आकड़ों (2011-12) के आधार पर राज्य-वार अनाजों, दालों आदि के हिस्से का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए पीडीएस की कीमतें और शहरी क्षेत्रों में समृद्ध बाजारों के संबंध में मदों की कीमतों को बाहर रखा गया है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पीडीएस की खपत को छोड़ने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थाली की लागत घर में पकाए गए भोजन की लागत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु जब यह पीडीएस की खपत को छोड़कर पूरी तरह से थली के उक्त घटकों के लेन-देन की कीमतों के आधार पर होगा, तो यह सच हो सकता है कि घर के लिए वास्तविक लागत यहाँ परिकलित किए गए लागत से भिन्न हो सकती है और यह एक राज्य में पीडीएस प्रणाली की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। कदाचित, यही कारण है कि अनेक राज्यों में, ग्रामीण थाली की कीमत इसके शहरी समकक्ष से थोड़ी अधिक है। निम्न तालिका अप्रैल 2019 से शाकाहारी और मांसाहारी थैलियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर थाली की कीमत के प्रवृत्ति को दर्शाती है। यद्यपि जून 2020 से नवंबर 2020 के बीच थाली की लागत में वृद्धि देखी गई है, तथापि दिसंबर के महीने में इसमें गिरावट देखी गई है, जो अनेक कई आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है।
- विभिन्न राज्यों के मध्य थाली की लागत में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर 2020) में, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक महंगी शाकाहारी थाली अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (38.7) में थी जबकि सबसे सस्ती थाली (23.1) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में थी। उसी अवधि के दौरान मांसाहारी थाली के सम्बन्ध में देखा जाएँ, तो सबसे महँगी मांसाहारी थाली अरुणाचल प्रदेश (48.5) के ग्रामीण क्षेत्र में थी जबकि सबसे सस्ती मांसाहारी थाली चंडीगढ़ (29.9) के ग्रामीण क्षेत्र में थी। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर 2020) में, शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक महंगी शाकाहारी थाली अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (40.0) में थी जबकि सबसे सस्ती थाली (24.0) मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में थी। उसी अवधि के दौरान मांसाहारी थाली के सम्बन्ध में देखा जाएँ, तो सबसे महँगी मांसाहारी थाली मिजोरम प्रदेश (52.4) के ग्रामीण क्षेत्र में थी जबकि सबसे सस्ती मांसाहारी थाली हरियाणा (28.0) के ग्रामीण क्षेत्र में थी।

राज्यों में मुद्रास्फीति

- चालू वर्ष के दौरान अधिकांश राज्यों में सीपीआई-सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई है। हालाँकि क्षेत्रीय विभिन्नता मौजूद है। वर्ष 2020-21 (जून-दिसंबर) में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच रही जो उसी अवधि के दौरान गत वर्ष (-0) 0.3 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत थी। 17 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में में, समग्र मुद्रास्फीति मौजूदा वित्त-वर्ष में अखिल भारतीय औसत से कम है और दिल्ली में सबसे निम्न मुद्रास्फीति है, उसके बाद दादर और नगर हवेली में सबसे कमतर मुद्रास्फीति है।
- मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदा वर्ष में ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक शहरी मुद्रास्फीति देखी गई है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ पूर्व के राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति देखने को मिली है। इन राज्यों ने उच्च शहरी मुद्रास्फीति को देखा है।
- अत्यधिक मांग की वजह से बढ़ती तेज मुद्रास्फीति की गति पर लगाने में एक सख्त मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यद्यपि, मौजूदा परिदृश्य एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल की वजह से सीपीआई मुद्रास्फीति में मौजूदा तेजी मुख्य रूप से आपूर्ति-पक्ष से संबंधित घटना है। इसका मूल्यांकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कृषि वस्तुओं जैसे प्याज, टमाटर और आलू की बाजार में आवक-जिनकी कीमतों में हाल के समय में उछाल देखने को मिला है-गत वर्ष की तुलना में बहुत कम रही है (चित्र 20)। इसके अतिरिक्त, सीपीआई-सी में सभी वस्तुओं का वजन एनएसओ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 पर आधारित है। वर्ष 2011-12 के बाद के दशक में, सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के वजन में शायद महत्वपूर्ण कमी आई होगी। सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के संशोधित वजन को कैप्चर करने की जरूरत है ताकि देश में मुद्रास्फीति की सही तस्वीर पेश की जा सके। इसके अतिरिक्त, खुदरा ई-कॉमर्स लेनदेन के बढ़ते संदर्भ में, निर्माण मूल्य सूचकांकों के लिए मूल्य डेटा के ऐसे नए स्रोतों को शामिल करना आवश्यक है।

मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ

- मौजूदा वर्ष के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए एक वर्ष आगे के मुद्रास्फीति के अनुमानों में वृद्धि हुई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के व्यावसायिक मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के सर्वेक्षण के अनुसार, सीपीआई-सी मुद्रास्फीति के लिए एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति का अनुमान फरवरी 2020 में 4.0 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर अक्टूबर 2020 में 4.4 प्रतिशत हो गई। घरों के मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं के सर्वेक्षण, जिसका आयोजन आरबीआई ने किया, के अनुसार मार्च 2020 के 9.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति की तुलना में नवंबर 2020 में 9.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, हालाँकि सितंबर 2020 की तुलना में यह कम थी। मुद्रास्फीति अनुमानों की गति कमोवेश सीपीआई-सी द्वारा मापे गए मौजूदा मुद्रास्फीति की गति की दिशा में रही है। सीपीआई-सी के मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होने की वजह से इसका एक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। कीमतों में बदलाव का एक मीट्रिक होने की वजह से, जो घरों से संबंधित हो सकते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करके मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता हैं।

वैश्विक वस्तुओं की कीमतें

- वर्ष 2019 के दौरान संपूर्ण विश्व में जिंसों की मांग कमजोर रहने और उसके बाद कोविड-19 महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व में आरोपित प्रतिबंधों की वजह से इन वस्तुओं की मांग में परिणामी कमी के कारण कीमतों धातुओं और उर्वरकों की कीमतों को छोड़कर वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में दिसंबर 2019 के स्तर से जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच गिरावट देखने को मिली। कोविड-19 का सबसे अधिक प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की वजह से ऊर्जा की कीमतों पर पड़ा। हालाँकि, महामारी के बाद ओपेक+देशों (विश्व बैंक) द्वारा उत्पादन में कटौती की वजह से ऊर्जा की कीमतों में सुधार देखने को मिला है, हालाँकि यह गत वर्ष के स्तर से अभी भी नीचे बना हुआ है। महामारी की वजह से आरोपित प्रतिबंधों की अवधि के दौरान कृषि वस्तुओं की कीमतें कमोबेश स्थिर बनी रही। इसे अन्य वस्तुओं की तुलना में इन वस्तुओं के लिए मांग की कम आय के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कृषि वस्तुओं, धातुओं और खनिजों और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि अब सकारात्मक स्थिति में लौट आई है। खाद्य तेल की कीमतें कृषि वस्तुओं की कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख दबाव कारक के रूप में डाल रही थी। चीन में अधिक औद्योगिक मांग की वजह से धातुओं की कीमतें बढ़ी हैं। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के (-) 14.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रैल -दिसंबर) में ऊर्जा सूचकांक में वृद्धि औसत (-) 35.1 प्रतिशत रही। दूसरी ओर, वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के (-) 3.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रल-दिसंबर) में कृषि सूचकांक में वृद्धि औसत 5.2 प्रतिशत रही। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसंबर) के 12.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 (अप्रल-दिसंबर) में कीमती धातुओं में 28.9 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली।

एनएचबी रेसिडेक्स

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भी अपने राज्य स्तर पर पीएसएफ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम को वित्तीय सहायता दी गई है।
- भारत सरकार ने मोजाम्बिक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि भारत में दालों (तूर और अन्य दालों) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। एमओयू 2020-21 के दौरान 2 एलएमटी दालों के आयात की कल्पना की गई है।

- पीएमजीकेवाई और एएनबी पैकेज के अधीन मुफ्त आपूर्ति के लिए पीएसएफ बफर से दालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
- भारत सरकार बाजार मूल्य को स्थिर करने के लिए पीएसएफ के अधीन प्याज के बफर स्टॉक को बनाए रखती है। कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए कमजोर मौसम/अवधि के दौरान बफर स्टॉक से प्याज खुदरा एजेंसियों/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को खुदरा हस्तक्षेप और खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से एक अंशांकित तरीके से जारी किया जाता है। सितंबर 2020 से प्याज की मध्यम कीमतों को कम करने के लिए, रबी 20 सत्र में प्याज का लगभग 1 एलएमटी का बफर स्टॉक अंशांकित तरीके से जारी किया गया है। सरकार ने खरीफ 2020-21 के दौरान 1 एलएमटी प्याज की खरीद के लिए स्वीकृति दी है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम

- सरकार नियमित रूप से कीमतों की स्थिति की समीक्षा करती है और इसने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। दालों, प्याज, और आलू के बढ़ते कीमतों के मद्देनजर, इन जिंसों की उपलब्धता में सुधार करने और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में i. दिनांक 14.09.2020 के प्रभाव से प्याज के निर्यात को प्रतिबंधित करना, जिसे 1.01.2021 से निरस्त कर दिया गया, ii. ईसी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 23.10.2020 के प्रभाव से प्याज के स्टॉक को सीमित करने का आदेश लागू करना ताकि जमाखोरी को रोका जा सकें, यह आदेश 31.12.2020 को कालातीत हो गया, iii. आयात पर प्रतिबंधों को आसान बनाना, एकीकृत चेक-पोस्ट पर आयात की सुविधा देना, आयात के लिए लाइसेंस जारी करना और आयात शुल्क में कमी करना, शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में प्याज, अरहर की दाल और मसूर दाल का आयात बढ़ा और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आई।

अनुचित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के अन्य उपायों में शामिल हैं:

- मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना को कुशलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और यह योजना दालों की कीमतों को स्थिर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है और इसने सभी हितधारकों को महत्वपूर्ण लाभ दिया है। वर्ष 2016 में सरकार ने उचित बाजार हस्तक्षेप के लिए 20 लाख टन दालों के एक अद्वितीय बफर के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (एनएएफईडी) और लघु किसान कृषि व्यवसायी परिसंघ (एसएफएसी) द्वारा नवंबर 2015 से जुलाई 2017 के दौरान 16.71 लाख टन की घरेलू खरीद के माध्यम से 20.50 लाख टन दाल का बफर स्टॉक तैयार किया गया था जबकि धातु और खनिज व्यापार निगम और भारतीय स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 3.79 लाख टन का आयात किया था। वर्ष 2015-16 और 2016-17 खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) तथा वर्ष 2016-17 और 2017-18 रवि विपणन सत्र (केएमएस) के दौरान किसानों तथा किसान संघटनों से बफर स्टॉक की घरेलू खरीद की गई थी, जिससे लगभग 8.5 लाख किसान लाभान्वित हुए।

निष्कर्ष

वर्ष 2020-21 के दौरान, खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में विपरीत दिशा में गतिशीलता देखने को मिली। जबकि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी देखने को मिली, डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की गति मंद ही रही। कोविड-19 महामारी की वजह से आपूर्ति-पक्ष के चरमराने से खाद्य वस्तुओं से संबंधित खुदरा मुद्रास्फीति बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इसने मुद्रास्फीति के समग्र रूप से बढ़ने में योगदान दिया। वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने और आवश्यक वस्तुओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप से महामारी के प्रभाव के कम होने की संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति पहले ही दिसंबर में कमजोर हुई है जिससे समग्र मुद्रास्फीतिकारी दबाव में कमी आई। आगे बढ़ते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति के कम होने पर, समग्र मुद्रास्फीति के और कम होने की संभावना है। दूसरी ओर, मांग की बढ़ती स्थितियों के वजह से निर्माताओं के लिए मूल्य निर्धारण शक्ति में सुधार के साथ डब्ल्यूपीआई के सकारात्मक क्षेत्र में बने रहने की संभावना है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

पृष्ठभूमि

- आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु अधिनियम की आपूर्तियों की देखभाल अधिनियम, 1980 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन ''आवश्यक वस्तुओं'' को धारा 2 ए में अनुसूची के अधीन अनिवार्य वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है। मौजूदा समय में सात जिंसों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। (1) दवाएँ (2) उर्वरक (चाहे अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (3) खाद्य तेल (खाद्य तिलहन और तेल सहित) (4) रुई से पूर्ण रूप से बना हुआ सूत; (5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; (6) कच्चा जूट और जूट वस्त्र; (7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज; (ii) पशुओं के चारे का बीज; (iii) जूट बीज; (iv) कपास का बीज। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को आवश्यक

वस्तुओं को विनियमित करने का अधिकार देता है। यह कार्य विनियमन, लाइसेंस, परमिट, खरीदने या बेचने के कीमतों पर नियंत्रण के माध्यम से, बिक्री को प्रतिबंधित कर/रोक लगा कर, किसी भी जानकारी/ आंकड़ों के संग्रह, बहियों और खातों का निरीक्षण आदि के मध्यम से सरकार वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करती है।

संशोधन की आवश्यकता

- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 भारतीय कृषि में बदलाव लाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा परामर्श और विचार-विमर्श की एक लम्बी श्रृंखला की परिणति थी, जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग, नीति आयोग, और पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था और विशेष रूप से कृषि उपज के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन सहित प्रमुख अनुशंसाएं की थीं।
- जब सारा देश कोविड-19 महामारी की पीड़ा से कराह रहा था, वैसी नाजुक स्थिति में भी लचीले कृषि उद्योग ने आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण योगदान-कर्ता के रूप में अपनी क्षमता दिखाई। निवेश और विकास की गति तेज करने के लिए सुधारों को लागू करना तत्कालीन समय की मांग थी। व्यापार करने में आसानी के आधार पर एक सक्षम माहौल का निर्माण और ईसी अधिनियम के अधीन निरंतर वैधानिक नियंत्रणों के डर को दूर करना आवश्यक था और यह एक ऐसा सुधारात्मक कदम था जिसके बारे में उपरोक्त-वर्णित उच्चाधिकार समिति पहले से ही सुझाव दे चुकी थी।
- **संशोधन सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करता हैं:** ईसी आयोग अधिनियम में संशोधन ''अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप'' के डर को दूर करके किसानों, निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं, मूल्य श्रृंखला के अन्य प्रतिभागियों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हित को संतुलित करता है। इसके साथ ही, कुछ असाधारण परिस्थितियों में विनियमन के लिए सरकार के पास शक्ति बरकरार रखी गई है।
- यह संशोधन न केवल निर्यातकों, प्रसंस्करण- कर्ताओं और अन्य मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को ईसी अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा के दायरे से बाहर ले जाता है, बल्कि इन सीमाओं को लागू करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र भी उपलब्ध कराता है। अब मूल्य ट्रिगर्स को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है-अर्थात खराब होने वाले खाद्य-पदार्थों के लिए 100 प्रतिशत और खराब नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों के कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
- **यह किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक विकल्प देता है:** ईसी अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ अन्य अध्यादेशों ने किसानों को अधिसूचित बाजार यार्ड के बाहर कृषि उपज की बिक्री और खरीद, अनुबंध खेती की सुविधा और किसानों को प्रत्यक्ष विपणन से जुड़ने की सुविधा दी है। यह किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगा और उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत पाने में मदद करेगा। अब ईसी अधिनियम के अधीन बहुत अधिक विनियमन और स्टॉक करने के डर के बिना बाजार के प्रतिभागी सीधे किसानों से कृषि उपज खरीद सकते हैं। इससे उपज का अधिकतम मूल्य पाने के किसानों की मोलजोल अर्थात सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी।
- **निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा:** ईसी अधिनियम के अधीन ''अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप'' विशेष रूप से कटाई के बाद के कार्यों में कृषि क्षेत्र में निवेश के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा था। जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में निजी क्षेत्र झिझक रहा था क्योंकि इनमें से अधिकांश वस्तुएं ईसी अधिनियम के दायरे में आती थीं और उन पर स्टॉक करने की सीमाएं अचानक लागू होती थीं। अब ईसी अधिनियम के अधीन निर्यातकों, प्रसंस्करण-कर्ताओं और अन्य मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों पर कोई भी सीमा लागू नहीं होगी। यह कदम अब निजी निवेश को आकर्षित करने में मददगार होगा। परिणामत: किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर भंडारण और बढ़िया कीमतें मिलेंगी।
- **मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों को बढ़ावा देकर खेती के दौरान कृषि उपज के बर्बादी को कम करेगा:** एमओएफपीआई की वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी) के एक अध्ययन के आकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि फसल की कटाई और कटाई के बाद मुख्य कृषि उत्पादों के होने वाले वार्षिक हानि का अनुमान 92,651 करोड़ रूपए लगाया गया है और यह अनुमान वर्ष 2014 के थोक कीमतों पर वर्ष 2012-13 के आकड़ों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। फलों और सब्जियों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। खराब होने वाली कृषि उपजों की जबर्दस्त पैदावार होने के बावजूद भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं की मदद से इस नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है और यह उपाय किसानों के लिए उत्पादकों के मूल्य को कम करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ईसी अधिनियम में संशोधन से मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों को एक बहुत आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इन वस्तुओं में स्टॉक सीमा के अचानक नियमन के डर को पर्याप्त कम किया जाएगा।
- **कीमतों को स्थिर करने में सहायता करता है:** बाजार के प्रतिभागियों के इस क्षेत्र में पदार्पण मौजूदा समय की मांग है ताकि वे अपने निवेश से किसानों को स्थिर मूल्य उपलब्ध करा सकें। ईसी अधिनियम के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से कृषि-खाद्य वस्तुओं को मुक्त करना संगठित व्यापार, बहुत जरूरी मूल्य स्थिरीकरण, शीत भंडारण और लॉजिस्टिक में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण के लिए निवेश को आकर्षित करेगी।

यह निवेशकों की ईसी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप के अंतर्निहित आशंकाओं को भी दूर करेगा। उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से व्यापक पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का दोहन होगा, जो निजी क्षेत्र/कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगा।

- **उपभोक्ताओं की सुरक्षा:** सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विनियामक माहौल को उदार बनाते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी सुनिश्चित किया है। संशोधन में उल्लेख किया गया है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ऐसे कृषि खाद्य पदार्थों के कीमतों को विनियमित किया जा सकता है। जब कभी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होगी, तो स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया गया है कि इस मूल्य वृद्धि को स्टॉक पर सीमाएं आरोपित करने के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। पहले वर्ष के दौरान उस वस्तु की कीमत की तुलना पूर्ववर्ती पांच वर्षों में औसत कीमतों के साथ की जाएगी; दोनों संख्याओं में से नीचे का आधार आंकड़ा होगा और यदि खराब होने वाली वस्तु के लिए उस उपज की मौजूदा कीमत 100 प्रतिशत से अधिक होने या खराब नहीं होने वाली वस्तु के लिए उसकी कीमत के 50 प्रतिशत अधिक होने के मामले में, स्टॉक को सीमित करने की लक्ष्मण रेखा होगी। यद्यपि, एक मूल्य श्रृंखला प्रतिभागी की स्थापित क्षमता और एक निर्यातक की निर्यात मांग को इस तरह की अधिरोपित स्टॉक सीमा से छूट रहेगी। सरकार के पास अब अनेक साधन उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। इन उपायों में विभिन्न आवश्यक खाद्य पदार्थों (अनाज, दाल और प्याज) के बफर और निर्यात पर प्रतिबंध और आयात उदारीकरण जैसे उचित व्यापार नीति का इस्तेमाल शामिल हैं। कीमतों के प्रबंधन के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है।

वैसी परिस्थितियाँ जब स्टॉक सीमा लागू की जा सकती हैं।

- संशोधन ऐसे कृषि खाद्य वस्तुओं के स्टॉक पर सीमा आरोपित करने के निर्णय लेने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड उपलब्ध कराता है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 में वैसी स्थितियों का उल्लेख किया गया है जब अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों सहित कृषि खाद्य सामग्री की आपूर्ति को विनियमित किया जाएगा। उन स्थितियों में युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल है। कृषि उपज की स्टॉक सीमा को लागू करने और नियमन के लिए शर्त है एक वर्ष से पहले की कीमत पर या पिछले 5 वर्षों के औसत खुदरा मूल्य की तुलना में बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि; या गैर-कृषि योग्य कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि, जो भी कम हो। 21 अक्टूबर 2015 को रु. 55.6 प्रति किलोग्राम की तुलना में प्याज के मूल्य के वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर 21 अक्टूबर 2019 को रु. 45.53 प्रति किलोग्राम की कीमत और पिछले पाँच वर्षों के औसत खुदरा मूल्यों के आधार पर रु. 25.86 प्रति किलोग्राम को ध्यान में रखते हुए, जमाखोरी की जाँच के लिए स्टॉक सीमा लगाकर प्याज की बिक्री को विनियमित करने का निर्णय लिया गया। 23 अक्टूबर 2020 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 मीट्रिक टन तय की गई है।

संशोधन के बाद राज्य सरकार की शक्ति

- आवश्यक वस्तुओं पर स्टॉक सीमा लागू करने या जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने की राज्य सरकारों की शक्तियों को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 सीमित नहीं करता है। राज्यों के पास अभी भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, आवागमन, परिवहन आदि को विनियमित करने के लिए परमिट, लाइसेंस आदि जारी करने सहित अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। 29 अक्टूबर, 2020 को जारी परामर्श से यह स्पष्ट है कि सभी राज्यों को मंडियों से प्याज खरीदने के तीन दिन बाद पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की अनुमति दी जाए, इससे पहले कि स्टॉक सीमा अधिरोपित करने के आदेश पर कोई कार्रवाई की जाए।

06 सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

- 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और 169 संबद्ध लक्ष्यों के साथ सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा में एक व्यापक विकासात्मक एजेंडा भी शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को समाहित करता है। सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में SDG को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पहल की गई हैं। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कई सक्रिय जलवायु कार्रवाई कर रहा है। जैसा कि UNFCCC और इसके पेरिस समझौते में अनिवार्य है। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन देश द्वारा प्रस्तुत 'राष्ट्रीय स्तरीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) देश की विकासात्मक अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यह ''सर्वोत्तम प्रयास'' के दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत ने अपने एनडीसी में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू CO_2 उत्पाद में उत्सर्जन की मात्रा को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने की; वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40, संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने की तथा वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करने के लिए वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। कोविड-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन का अविश्वसनीय प्रभाव इस तथ्य को दोहराता है कि सतत विकास ही एकमात्र आगे का रास्ता है।

प्रस्तावना

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनोवायरस रोग 2019 (कोविड-19) के प्रकोप को 30 जनवरी 2020 को महामारी घोषित किया। परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, जिसे बाद में एक महामारी के रूप में घोषित किया गया, इसने मानव और आर्थिक लागतों को अपने विकास लक्ष्यों पर वापस लाने और SDG की प्राप्ति हेतु गंभीर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है।
- वर्ष 2020 में ऐसा माना जाता था कि विकसित देश जलवायु वित्त के लिए संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। COP26 का 2021 तक का स्थगन भी इसका एक बेहतर है।
- भारत महामारी द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व संकट का अपवाद नहीं है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने, आजीविका के नुकसान का पता लगाने और आर्थिक सुधारों को प्रारंभ करने तथा व्यापक रूप से लागू करने और परिचित कराने की आवश्यकता से उभर रही उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि, निरंतर विकास की आवश्यकता देश की विकास रणनीति के मूल में बनी हुई है।

भारत और सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

- भारत सरकार ने अपनी की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में SDG को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई सक्रिय कदम उठाए हैं। 2020 में, भारत की SDG पहलों का मुख्य आकर्षण स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) है, जिसमें सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक फोरम (HLPF) को प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में SDG की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- इस समीक्षा के अनुसार 1000 से अधिक सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ परामर्श VNR रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया की आधारशिला रही गई है। परामर्श में चौदह विशिष्ट समूह शामिल हैं। परामर्श का फोकस ''किसी को पीछे नहीं छोड़ना'' का सिद्धांत था, जो SDG के दिल में स्थित है।
- इन हितधारकों के परामर्श ने कार्य और एसडीजी की ओर भारत की प्रगति पर प्रतिक्रिया के लिए एक मंच प्रदान किया। संस्थागत संवाद के लिए इस मंच को व्यापक रूप से प्रतिभागियों के बीच स्वीकार किया गया था। इन चुनौतियों की असंख्य अभिव्यक्तियों को बनाए रखने के लिए राज्य और बाजार की कार्रवाई के लिए, कार्य की प्रकृति को अनुकूली, पुनरावृत्ति और प्रतिक्रिया पर आधारित होना होगा, जो संस्थागत संवाद प्रदान कर सकता है।
- VNR (स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा) की तैयारी ने SDGs पर निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव को मजबूत करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। हाल के दिनों में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी) (CSR) पहल के तहत निजी क्षेत्र का वर्चस्व SDG के ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक प्रमुख आय है। VNR प्रक्रिया ने व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता के ढांचे को अपनाने में तेजी को बढ़ाया और उद्योग के अग्रणियों के बीच अधिक चेतना पैदा की। इस 'व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्टिंग समिति की रिपोर्ट में प्रतिध्वनित किया गया है जिसे 2020 में जारी किया गया था। व्यावसायिक रिपोर्ट और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) रिपोर्ट में उल्लिखित रूपरेखाएं सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों (NGRBC) से जुड़ी हैं।) BRSR प्रारूप में वार्षिक वित्तीय खुलासों के साथ गैर-वित्तीय प्रकटीकरणों की बढ़ती प्रवृति को शामिल किया गया है, जो पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों की मान्यता प्रदान करता है।

SDG का स्थानीयकरण

- 2030 एजेंडा के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से SDG का स्थानीयकरण किसी भी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। अनिवार्य रूप से, स्थानीयकरण वाले SDG में प्रासंगिक संस्थानों और हितधारकों द्वारा SDGs को राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर पर लागू करने, नियोजन, निगरानी और परिपालन की प्रक्रिया शामिल है।

संस्थाओं के जुड़ाव और सहयोग के मामले में, यह परिणामी है कि राष्ट्रीय स्तर पर SDG को प्राप्त करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें कैसे एक साथ काम करती हैं; और कैसे स्थानीय स्तर पर SDG लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उप-व्यावसायिक और स्थानीय नीति, योजना और कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। एसडीजी सफलताओं में तेजी लाने के लिए, देश ने सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का दृष्टिकोण अपनाया है जो विभिन्न विकास परिणामों में राज्यों के बीच राष्ट्र निर्माण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में केंद्र-राज्य सहयोग पर आधारित है। SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड, जिसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर SDG प्रदर्शन को मापने और निगरानी करने का प्रमुख उपकरण है। केंद्र सरकार और संबद्ध संस्थानों के सहयोग से SDG प्राप्त करने के लिए राज्यों को संस्थागत रूप से सशक्त और तैयार किया जाता है। इसलिए, केंद्र सरकार के साथ SDG के स्थानीयकरण की प्रक्रिया में राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तालिका 2: JNNSM के तहत लक्ष्य का चरण वार वितरण

क्रम संख्या	अनुप्रयोग खंड	चरण 1 के लिए संचयी लक्ष्य (2010-13)	रण 2 के लिए संचयी लक्ष्य (2013-17)	चरण 3 के लिए संचयी लक्ष्य (2017-22)
1	सौर संग्राहक	7 मिलियन वर्ग मीटर	15 मिलियन वर्ग मीटर	20 मिलियन वर्ग मीटर
2	ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोग	200 मेगावाट	1000 मेगावाट	2000 मेगावाट
3	उपयोगिता ग्रिड शक्ति, छत सहित	1,000-2000 मेगावाट	4000-10,000 मेगावाट	20000 मेगावाट

स्रोत: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वयं के विशिष्ट संदर्भों में SDG के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत संरचनाएं बनाई हैं। कई राज्यों ने समन्वय, अभिसरण और डेटा प्रबंधन को अधिक सटीक और पूर्वानुमेय करने के लिए प्रत्येक विभाग के भीतर और जिला स्तरों पर नोडल तंत्र भी बनाया है।

महामारी के दौरान केंद्र सरकार का SDG से संबंधित हस्तक्षेप

- कोविड-19 महामारी ने, आगे किसी भी विकास रणनीति के मूल में स्थायी विकास को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। महामारी ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को चुनौती दी है, इससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और देश में भोजन और पोषण उपलब्धता में असमानता बढ़ गई है। इसने ऐसे संस्थानों और तंत्रों के महत्व को दोहराया जो देश को बाहरी चुनौतियों को दृढ़ता से झेलने में सक्षम बनाने में सहायक हो सकते हैं। महामारी की अवधि ने केंद्र और राज्य सरकारों के संरक्षण और आजीविका के सृजन के समन्वित प्रयासों को देखा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और रोग-संचार से पैदा हुए दबाव का सामना करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। कारगर पहलों के कारण देश ने कोविड-19 महामारी के तात्कालिक प्रभाव को कम करने में सफल रहा है और इस मुश्किल की घड़ी में भी अपने सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर आगे बढ़ते रहने में सक्षम बना। इसके अलावा कृषि श्रम बल तथा एमएसएमई सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे सुधारात्मक उपाय किए गए हैं जिनका एसडीजी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा। राज्य सरकारों ने भी इस महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न कारगर पहल करके तथा राहत कार्यक्रमों के जरिए महामारी की मार झेल रहे लोगो को मदद देने के कई उपाय किए हैं।
- सरकार ने (i) 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा को 3 चरणों में उपलब्ध कराने (ii) 2022 तक 20 मिलियन सोलर लाइट सहित 2,000 मेगावाट की ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग और (iii) 20 मिलियन वर्ग मीटर सौर तापीय कलेक्टर क्षेत्र के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) का शुभारंभ किया है।
- इसके बाद, सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2021-22 तक ग्रिड 20000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को 2021-22 से 100,000 मेगावाट तक बढ़ा दिया है।
- जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (CCAP) एक केंद्रीय योजना है, जिसे देश में जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता के निर्माण और समर्थन के लिए जनवरी 2014 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना और उपयुक्त संस्थागत ढांचा स्थापित करना और पांच साल की अवधि के लिए 290 करोड़ रू. की कुल लागत पर जलवायु क्रियाओं को लागू करना था। CCAP योजना के दो महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय कार्बोनेशियस एयरोसोल कार्यक्रम (NCAP) और दीर्घकालिक पारिस्थितिक वेधशालाएँ (LTEO) हैं। NCAP एक बहु-संस्थागत कार्यक्रम है जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई के नेतृत्व में 17 संस्थानों के संघ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन वर्ष 2017-18 में किया गया था और यह पांच साल की अवधि की परियोजना है। LTEO CCAP योजना के तहत 5 साल की अवधि के लिए एक और परियोजना है और वर्ष 2019-2020 में शुरू की गई थी। CCAP की अवधि शुरू में 2017-18 से 2019-20 तक थी और बाद में इसे 218.43 करोड़ रू. के बजट परिव्यय के साथ 2020-21 तक बढ़ा दिया गया था।

- उपरोक्त के अलावा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (नाबार्ड) के रूप में राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई 2015-16 में 350 करोड़ रू. के बजट आवंटन के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संचालित किया गया था। यह योजना 364 करोड़ रू. के वित्तीय निहितार्थ के साथ 31 मार्च 2020 तक 12 वीं पंचवर्षीय योजना से आगे बढ़ती रही है। NAPCC का उद्देश्य ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय सरकारों की योजनाओं के माध्यम से चल रही गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सितंबर 2020 तक, NAFCC द्वारा 8,47.5 करोड़ रू. की लागत वाली 30 परियोजनाओं (दो बहु राज्य क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित) को मंजूरी दे दी गई है और ये परियोजनाएँ कृषि, जल, वानिकी, शहरी, तटीय क्षेत्रों, प्रबंधन, समुद्री प्रणाली, पर्यटन और मानव स्वास्थ्य आपदा में 27 राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- सरकार विश्वसनीय, सस्ते और सक्षम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बाजार में लाने को प्रोत्साहित करने हेतु 1 अप्रैल 2015 से भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से भंगीकार करने और विनिर्मित करने की अंगीकार योजना लागू कर रही है। इस योजना के पहले चरण का विस्तार समय-समय पर होता रहा है और 31 मार्च 2019 तक योजना को अंतिम रूप देने की तारीख निर्धारित की गई थी।
- इस योजना के पहले चरण के अनुभव एवं निष्कर्ष को देखते हुए सभी शेयरधारकों एवं उद्योग संघों से परामर्श करने के पश्चात् FAME योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से 1000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 7000 ई-बसों, 5 लाख ई -3 व्हीलर, 55000 ई -4 व्हीलर (पैसेंजर कार मजबूत हाइब्रिड) और 10 लाख ई-2 व्हीलर का समर्थन करके मांग उत्पन्न करना है।

भारत की NDC और इसकी आगामी चुनौतियाँ

- भारत ने माना है कि उसके विकास का मार्ग एक होना चाहिए जो सतत विकास के सभी तीन स्तंभों, अर्थात, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पर्याप्त जोर देता है। वर्तमान पीढ़ी द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित जलवायु क्रियाओं के संबंध में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी पर भी बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा है। हालांकि, इंट्रा-जेनरेशनल इक्विटी की अनिवार्यता, यानी गरीबी उन्मूलन और न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक विकास को एक तरफ नहीं रखा जा सकता है। जलवायु लक्ष्यों का कार्यान्वयन वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के साथ जुड़ा हुआ है।
- राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग है कि अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं के कारण अत्यधिक संवेदनशील देश होने के नाते भारत के लिए पहली प्राथमिकता अनुकूलन है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण कार्बन स्टॉक बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समय बीतने के साथ बिगड़ने की आशंका है। इसलिए, भारत के अनुकूलन के प्रयासों को और तेज करना होगा और इसके साथ ही अनुकूलन लागत में वृद्धि होगी। मिशन मोड पर अनुकूलन और शमन कार्रवाई को लागू करने के लिए देश घरेलू संसाधनों पर निर्भर है। इसलिए, विशेष रूप से देश के लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा करने के लिए वित्तपोषण के विचार महत्वपूर्ण रहेंगे। कोविड-19 महामारी के साथ, देश का प्राथमिक ध्यान जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। यहां तक कि जलवायु कार्रवाई भी एक प्राथमिकता है।
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एकीकृत दृष्टिकोण अपेक्षित है ताकि आवश्यक संसाधनों को जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए आवश्यक बनाया जा सके। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों को वर्तमान में जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्ध स्तर को हासिल करने के लिए जितना कार्य करना है, उससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त का वर्तमान दायरा, पैमाना और गति, अपर्याप्त है, क्योंकि जलवायु वित्त संबंधी आवश्यकताओं के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है, जो विकसित देशों द्वारा 2020 तक प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता यह जो बहुत मामूली दायित्व है लेकिन अभी तक यह भी /प्राप्त नहीं हुआ है।

जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता

- 1992 में रियो सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC- कन्वेंशन) को अपनाने के बाद से, जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय तंत्र विकसित हुआ है और समस्या को संबोधित कर वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए कई जलवायु परिवर्तन के समझौतों और निर्णयों को अपनाया गया है। नवीनतम संधि-पेरिस समझौते को कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए दिसंबर 2015 में UNFCCC के तहत अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि से जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है, जो इस सदी के पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को समर्थन मिला। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन से वर्तमान में किए गए समझौतों और लिए गए फैसलों के संक्षिप्त इतिहास को चित्र 6 में दर्शाया गया है।

दलों के सम्मेलन का 25 वां सत्र (COP 25)

- COP 25 जिसका शीर्षक 'चिली मैड्रिट टाइम फॉर एक्शन' है, में उन अनवरत चुनौतियों पर जोर दिया गया है, जो विकासशील देश वित्तीय, प्रौद्योगिकी और क्षमता-निर्माण समर्थन तक पहुंचने में सामना करते हैं। इसने विकासशील राष्ट्रों को सहायता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता दी, ताकि वे अपने राष्ट्रीय अनुकूलन और शमन प्रयासों को मजबूत कर सकें। इस निर्णय ने विकासशील देश पार्टियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष जुटाने के लक्ष्य के लिए विकसित देश की पार्टियों द्वारा की गई प्रतिबद्धता को भी याद किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा के मुद्दे पर, न केवल जलवायु परिवर्तन शमन के प्रयास परंतु विकासशील देशों के दलों से लेकर विकसित देशों के दलों से 'अनुकूलन और कार्यान्वयन' के साधन की सहायता सहित संतुलित एवं विकसित विचार के लिए उपलब्ध स्वीकार्य निर्णय शामिल है।

पार्टी के सम्मेलन का 26 वां सत्र (COP 26) और 2020 के बाद के मुद्दे

- कोविड-19 महामारी के कारण, COP26 और पूर्ववर्ती UNFCCC सहायक निकायों के सत्रों को अब 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। COP26 से पारदर्शिता तंत्र अनुच्छेद 6 (बाजार और गैर-बाजार तंत्र); राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान के लिए सामान्य समय सीमा; दीर्घकालीन जलवायु वित्त आदि पर निर्णय लेने की उम्मीद है। COP 26 के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं- नुकसान और हानि के लिए वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का अभिशासन, 2020 से पूर्व के कार्यान्वयन पर काम जारी रखना और कन्वेंशन के तहत दीर्घकालिक वैश्विक लक्ष्य की दूसरी आवधिक समीक्षा और इसे प्राप्त करने की दिशा में समग्र प्रगति। वित्त मामलों पर, जलवायु वित्त की परिभाषा और जलवायु वित्त के मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण के लिए एक सामान्य लेखांकन पद्धति पर आम सहमति पर पहुंचना आवश्यक है। विकासशील देशों की आवश्यकताओं के आधार पर जलवायु वित्त, 2020 के बाद के नए सामूहिक लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है।

स्थिरता के साथ वित्त सरेखित करना

सतत विकास के लिए वित्त संबर्धित करना

- स्थायी वित्त में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत अक्टूबर 2019 में यूरोपीय आयोग के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस (सतत वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय मंच) (IPSF) में संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में शामिल हो गया। 16-सदस्यीय क्षेत्राधिकार प्लेटफॉर्म में विश्व की 50 प्रतिशत आबादी, लगभग 50 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और लगभग 55 प्रतिशत वैश्विक GHG उत्सर्जन है। मंच को एक सदस्य संचालित अनौपचारिक और समावेशी इकाई के रूप में डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म स्वीकार करता है कि वित्तीय बाजारों की वैश्विक प्रकृति में वित्तपोषण की वैश्विक संसाधनों की जरूरतों को वित्तपोषण से जोड़कर एक ग्रीन, निम्न-कार्बन और जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था में संक्रमण को वित्त देने में मदद करने की बड़ी क्षमता है। यह प्लेटफॉर्म एक्सचेंजों की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा और जहाँ उपयुक्त होगा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भों में मतभेदों को स्वीकार करते हुए, विशेष रूप से टैक्सोनोमी, प्रकटीकरण, मानकों और लेबल के क्षेत्रों में पहल और पर्यावरणीय वित्त के दृष्टिकोण पर समन्वय का प्रयास करता है।

चित्र 6: रियो सम्मेलन 1992 से 24 वें सत्र के लिए पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी 24) - लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त इतिहास

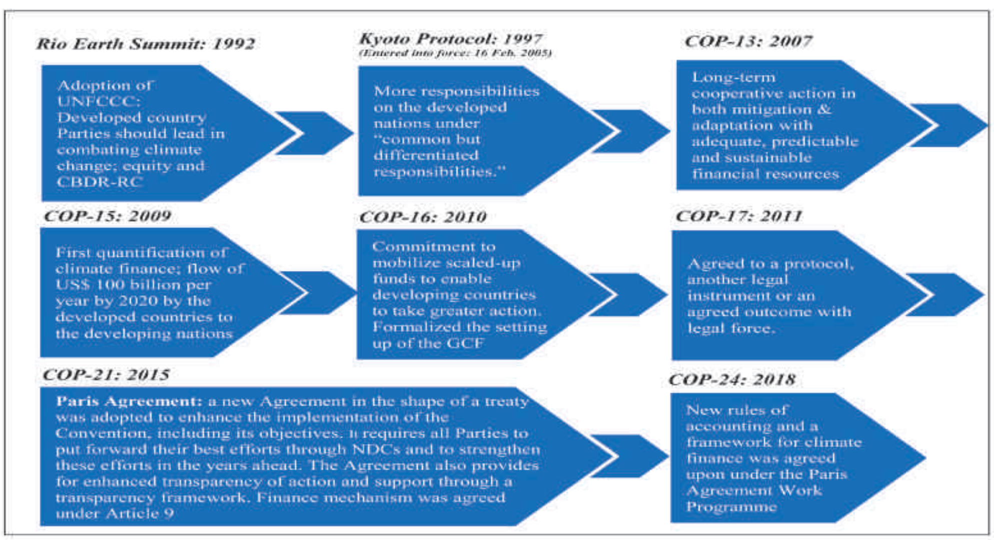

स्रोत: COP संबंधी विभिन्न निर्णय; जीसीएफ: ग्रीन क्लाइमेट फंड

जलवायु जोखिम बीमा

- जलवायु जोखिम बीमा आजीविका के नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने और आपदाओं से संभावित संपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है। कृषिविदों के सामने मूल जोखिम मौसम परिवर्तनशीलता और फसल की उपज की अनिश्चितता है। इसकी तीव्रता और परिमाण भारत में विशेष रूप से अधिक है, यह देखते हुए बहुसंख्या किसान कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर करते हैं, उनके पास फसल की विफलता के विनाशकारी परिणामों से निपटने के लिए बेहद सीमित साधन और संसाधन हैं। इस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, ''जलवायु परिवर्तन'' को समाप्त करके, फसल बीमा देश के अधिकांश किसानों के साथ जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एक आवश्यकता बन जाता है। कृषि के लिए मौसम सूचकांक बीमा को (2003 में), जटिल प्रक्रियाओं, नैतिक जोखिम, प्रतिकूल चयन और संस्थागत ऋण के लिए कम प्रवेश से जटिल प्रक्रियाओं से ग्रस्त होने के कारण बहुत सफलता नहीं मिली। भारतीय कृषि में बीमा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि-बड़ी संख्या में छोटे और बिखरे हुए भू-भाग, बदलती जलवायु और मिट्टी की स्थिति, बुनियादी आंकड़ों की कमी और कृषि प्रथाओं की विविधता की वजह से इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके अलावा, किसानों के बीच फसल बीमा का स्वरूप और कार्यों के बारे में ज्ञान की व्यापक कमी है, जिनमें से अधिकांश अनपढ़ और गरीब हैं।

विकासात्मक योजनाएँ और पर्यावरण संरक्षण-अभिसरण की आवश्यकता

- कई केंद्रीय और राज्य स्तर की प्रोत्साहन योजनाएं (विशेषत: कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान और राज्य सौर नीतियां) कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे कि बारिश के क्षेत्रों में ग्रामीण सुधार के लिए सामुदायिक पैमाने पर पानी की आपूर्ति और सिंचाई के लिए विकेंद्रीकृत सौर प्रणाली। कुछ जलापूर्ति योजनाएं सौर आधारित पंपिंग प्रतिष्ठानों को मंजूरी देने से पहले भूजल आकलन को अनिवार्य बनाती हैं। हालांकि, ये आकलन क्षेत्र के जलवायु अनुमानों पर विचार नहीं करते हैं। इसी तरह, पूरे देश में सौर सिंचाई पंपों को बिना किसी प्रोत्साहन के किसानों को भूमिगत जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। शुष्क अवधि के दौरान उत्पादन घाटे को कम करने में इस तरह की योजनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है; लेकिन भूजल के निरंतर निष्कर्षण का कारण भी हो सकता है। इन प्रोत्साहन योजनाओं को फसल पद्धति, स्थानीय पर्यावरण और जलवायु अनुमानों पर विचार करके डिजाइन करने की आवश्यकता है, और किसानों को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के अभिसरण न केवल कम कार्बन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करते समय स्थानीय सुधार करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में बहुत आवश्यक तकनीकी उन्नति का समर्थन करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने में क्रेडिट बाजार को भी प्रभावित करेगा।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पहल

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) 6.37 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने हाल ही में दो नए पहल - विश्व सौर बैंक और 'एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल' शुरू किया है-जो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तावित विश्व सौर बैंक ISA के सदस्यों के बीच सौर ऊर्जा परियोजनाओं के
- लिए समर्पित वित्तपोषण विंडो की आवश्यकता को पूरा करेगा। यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल शर्तों पर कम-लागत वित्तपोषण प्रदान करने के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय/द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों के साथ सह-वित्तपोषण में संलग्न होने की उम्मीद है। 'एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल' की दृष्टि भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ISA की पहली सभा में रखी गई थी। इस पहल का उद्देश्य एक अंतर-जुड़ा हुआ ग्रीन ग्रिड बनाना है जो उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन को सक्षम करेगा और मांग केंद्रों को इसकी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। सोलर रूफटॉप प्रोग्राम में ISA की प्रगति समान रूप से उल्लेखनीय रही है, जिसमें सदस्य देशों से 1 GW से अधिक की मांग है। इसने स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि और टीकों के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन और सौर ऊर्जा के अन्य नवीन अनुप्रयोगों पर अपने प्रोग्रामेटिक फोकस को विविधता प्रदान की है।
- ISA ने सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (WSTS) का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को अत्याधुनिक और अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन कराना है। शिखर सम्मेलन ने सस्ती लागत पर नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया।

आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सितंबर 2019 में डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रॉस्ट्रक्चर के लिए गठबंधन की शुरुआत के बाद से, कोविड 19 महामारी द्वारा मानवीय गतिविधि के सभी पहलुओं में आपदा लचीलापन की आवश्यकता को उजागर किया गया है। CDRI भारत की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता की एक अन्य अभिव्यक्ति है। यह गठबंधन एक समावेशी बहु-हितधारक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका नेतृत्व और प्रबंधन राष्ट्रीय सरकारें करती हैं, जहां बुनियादी ढांचे के आपदा लचीलापन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी
- उपलब्ध कर, इसका आदान-प्रदान होता है। दिसंबर 2020 तक, 19 देश और 4 बहुपक्षीय संगठन गठबंधन के सदस्य बन गए हैं। CDRI पर भारत और ब्रिटेन की सह-अध्यक्षता है।
- CDRI सभी महाद्वीपों से विकास और जोखिम के विभिन्न स्तरों पर शामिल देशों को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता के विस्तार पर काम कर रहा है। भविष्य की पहल का उद्देश्य सदस्य देशों को आपदाओं से सीखने में मदद करना है, जिससे रिकवरी और पुनर्निर्माण का समर्थन किया जा सके, शासन को बेहतर बनाया जा सके और लचीले बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए शासन और वित्तपोषण में सुधार किया जा सके।

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

- स्थायी और व्यापक आर्थिक विकास के लिए जलवायु और आर्थिक नीतियों के संरेखण को संभव सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत का प्रयास एक मजबूत विकास और सतत विकास पथ सुनिश्चित करना है जिसमें सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर जलवायु परिवर्तन जोखिमों का मुकाबला करना शामिल है। भारत ने शमन और अनुकूलन दोनों रणनीतियों पर कई पहल की हैं, जिसमें स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रणाली पर जोर दिया गया है; लचीला शहरी बुनियादी ढाँचा; जल परिरक्षण और संरक्षण; सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क; योजनाबद्ध वनीकरण, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, वानिकी, तटीय और निम्न-क्षेत्रीय प्रणाली और आपदा प्रबंधन का समर्थन करना भी शामिल है। ISA और CDRI अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महत्वपूर्ण कार्रवाई के प्रमाण हैं।

- देश GHG उत्सर्जन से अपने आर्थिक विकास को सफलतापूर्वक अलग करने की राह पर है। स्वच्छ ऑटोमोबाइल ईंधन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने 2024 में अपनाने की प्रारंभिक तिथि से पहले, 1 अप्रैल, 2020 को ही BS-IV से BS-VI उत्सर्जन मानदंड को अपना लिया है। सौर ऊर्जा क्रांति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रयास उल्लेखनीय है और इसने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 'एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड' को लागू किया है।
- भारत की सक्रिय जलवायु क्रियाएं मुख्य रूप से घरेलू बजटीय संसाधनों पर निर्भर करती हैं। भारत द्वारा समय पर प्रस्तुत NDC लक्ष्यों के निष्पादन को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण है। जलवायु वित्त विकसित देशों की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में एक दायित्व है क्योंकि वे औद्योगिक क्रांति के बाद से जमा हुए वातावरण में GHG के स्टॉक के लिए प्रमुख योगदानकर्ता हैं। विकसित देशों से जलवायु वित्त के दायरे, पैमाने और गति में अपेक्षित गति की कमी पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में चल रही जलवायु क्रियाओं को मजबूत करने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में सहायता जुटाना और वितरित करना चाहिए।

07 कृषि और खाद्य प्रबंधन

परिचय

- कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने संपूर्ण विश्व में लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। कृषि कार्यों और किसानों को भी इस वैश्विक महामारी का दंश झेलना पड़ा क्योंकि कोविड की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने कृषि मशीनरी सहित कृषि आदानों के एक-स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन को प्रभावित किया। रबी फसल के कटाई के मौसम के शुरू होने के साथ ही राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कृषि श्रमिकों के उनके मूल निवास स्थान पर वापस लौटने की वजह से कृषि क्षेत्र को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ा। हालाँकि भारतीय कृषि प्रणाली ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलता दिखाई। अन्य क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के मध्य वर्ष 2020-21 के दौरान सतत कीमतों पर 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्ज्वल क्षेत्र थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी प्रतिकूल स्थितियों के साथ, कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से चावल, गेहूं, दाल और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति की वजह से खाद्य सुरक्षा बनी रही। कृषि क्षेत्र को आगे सशक्त बनाने तथा सहयोग करने के लिए, भारत सरकार ने आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि तथा खाद्य प्रबंधन के लिए मुख्य घोषणाएँ	
घोषणाएँ	**उद्देश्य**
1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि	फार्म-गेट और संग्रहण बिंदु पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ कटाई के बाद वित्तीय रूप से व्यवहार्य प्रबंधन अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना (एमएफई)	एफएसएसएआई खाद्य मानकों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उन्नयन, ब्रांड का निर्माण करने और विपणन में सहयोग देने के लिए एमएफई को 2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए ₹ 20,000 करोड़।	इसका उद्देश्य मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह, कोल्ड चेन, बाजार इत्यादि जैसे अवसंरचनाओं को विकसित करके समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यपालन का एकीकृत, सतत् और समावेशी विकास करना है।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	इसका लक्ष्य मवेशियों, भैंस, बकरी तथा सूअरों का 100 टीकाकरण सुनिश्चित करते हुए पैर और मुंह की बीमारी (एफएमडी) और ब्रसेलोसिस को नियंत्रित करना है।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि - 15,000 करोड़।	यह डेयरी प्रसंस्करण में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिसका लक्ष्य मूल्य जोड़ने के साथ मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था के लिए अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
'टॉप' से टोटल तक	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा परिचालित 'ऑपरेशन्स ग्रीन्स' को टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों तथा सब्जियों तक प्रसारित करना।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि विपणन और कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता आश्वासन में सुधार।	विधायिका का सुधार कृषि जिंसों जैसे अनाजों, दालों, तिलहनों आदि को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से अलग करना चाहती है, जिसका लक्ष्य कृषि विपणन में सुधार करना तथा अनुबंध विपणन को प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना	इस योजना का उद्देश्य लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड-धारकों की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो कोविड द्वारा प्रेरित लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो गया था।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना	इस योजना का लक्ष्य प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस लाभ दिलवाना है।

कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन

कृषि क्षेत्र में जोड़ा गया सकल मूल्य

- सीएसओ द्वारा 29 मई को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए मौजूदा कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8 प्रतिशत है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए तथा विगत छः वर्षों के दौरान देश के सकल जीवीए में मौजूदा कीमतों पर गत छः वर्षों के दौरान कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी का उल्लेख तालिका 1 में किया गया हैं।

	वर्ष					
मद	2014-15	2015-16	2016-17*	2017-18#	2018-19@	2019-20**
सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के हिस्सेदारी (प्रतिशत)	18.2	17.7	18.0	18.0	17.1	17.8
फसलों की हिस्सेदारी	11.2	10.6	10.6	10.4	9.4	NA
पशुपालन की हिस्सेदारी	4.4	4.6	4.8	5.1	5.1	NA
वानिकी और लॉगिंग की हिस्सेदारी	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	NA
मछली पकड़ने तथा मत्स्यपालन की हिस्सेदारी	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	NA

स्रोत: कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी-एफडब्ल्यू)।

नोट: दिनांक 29 मई 2020 को सीएसओ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय 2019-20 के लिए जारी किए गए अस्थायी आकड़ों के अनुसार 31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। दूसरा संशोधित अनुमान। तीसरा संशोधित अनुमान।

- देश के जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में केवल 17.8 प्रतिशत रह गया जो एक ऐसी विकास प्रक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है जिसमें गैर-कृषि क्षेत्रों का सापेक्ष प्रदर्शन अधिक प्रभावी हो जाता है। कृषि क्षेत्र के भीतर, फसलों तथा वानिकी का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 11.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में केवल 9.4 प्रतिशत रह गया। पशुपालन तथा मत्स्यपालन उद्योग के हिस्सेदारी में वृद्धि ने फसल क्षेत्र के हिस्से में कमी की क्षतिपूर्ति की है।

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विकास

- समय बीतने के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीवीए के विकास दर में उतार-चढ़ाव आता रहा है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जीवीए 7.2 प्रतिशत की दर से सिकुड़ गया; तथापि कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए के विकास ने 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर बनाएं रखी।

स्थाई (2011-12) मूल्यों (प्रतिशत में) पर अर्थव्यवस्था तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए का विकास

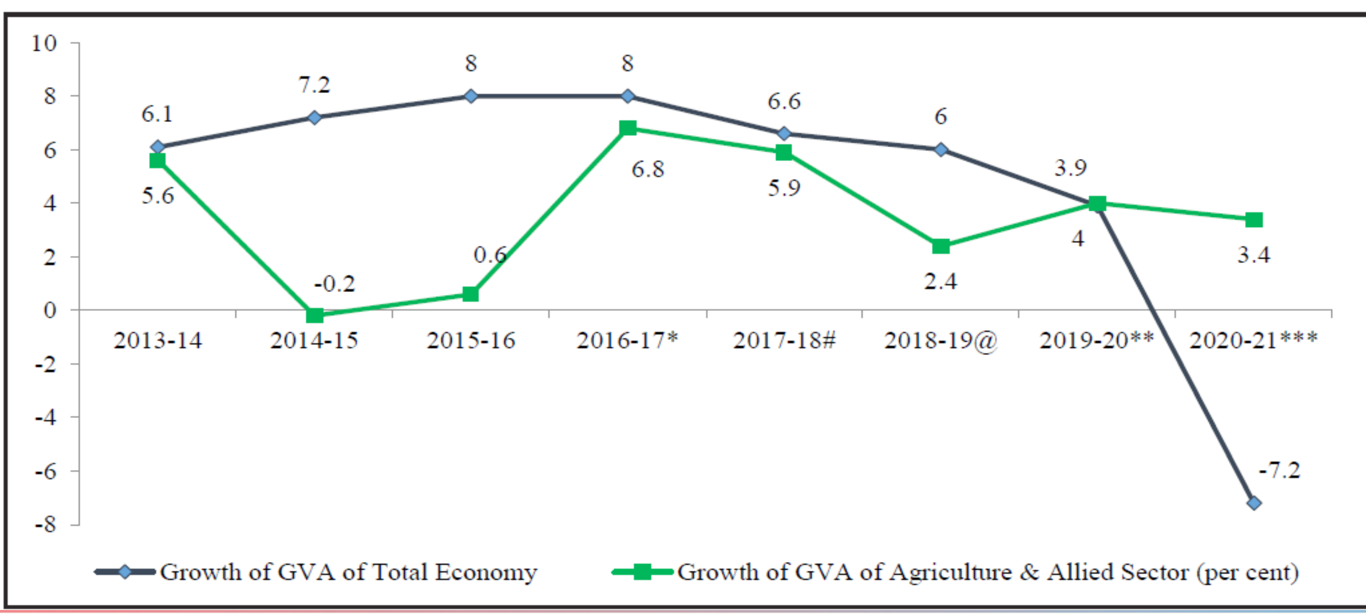

स्रोत: डीएसी और एफडब्ल्यू से प्राप्त आकड़ों के आधार पर।

नोट: ''दिनांक 29 मई 2020 को सीएसओ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय आय 2019-20 के लिए जारी किए गए अस्थायी आकड़ों के अनुसार। /

31 जनवरी 2020 को जारी किए गए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार। दूसरा संशोधित अनुमान। ' तीसरा संशोधित अनुमान।

*** राष्ट्रीय आय के लिए 7 जनवरी 2021 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार।

सकल पूंजी निर्माण

- इस सेक्टर में जीवीए के सापेक्ष कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता रहा है, जो वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 16.4 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीसीएफ का वर्ष 2011-12 की आधार कीमतों में हिस्सेदारी को चित्र 3 में दिखाया गया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जीसीएफ (वर्ष 2011-12 के आधारभूत कीमतों पर)

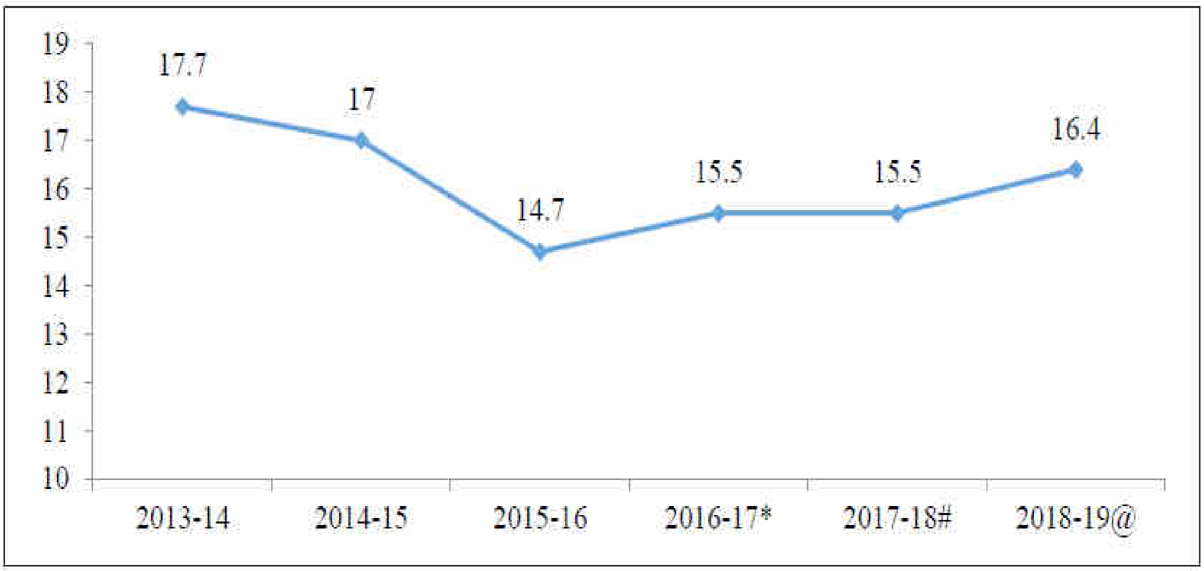

फसलों का उत्पादन

- वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक), देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलयन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान हुए 269.78 मिलियन टन औसत उत्पादन से 26.87 मिलियन टन अधिक था।

चावल और गेंहू फसलों के उत्पादन की प्रवृति (मात्रा मिलियन टन में)

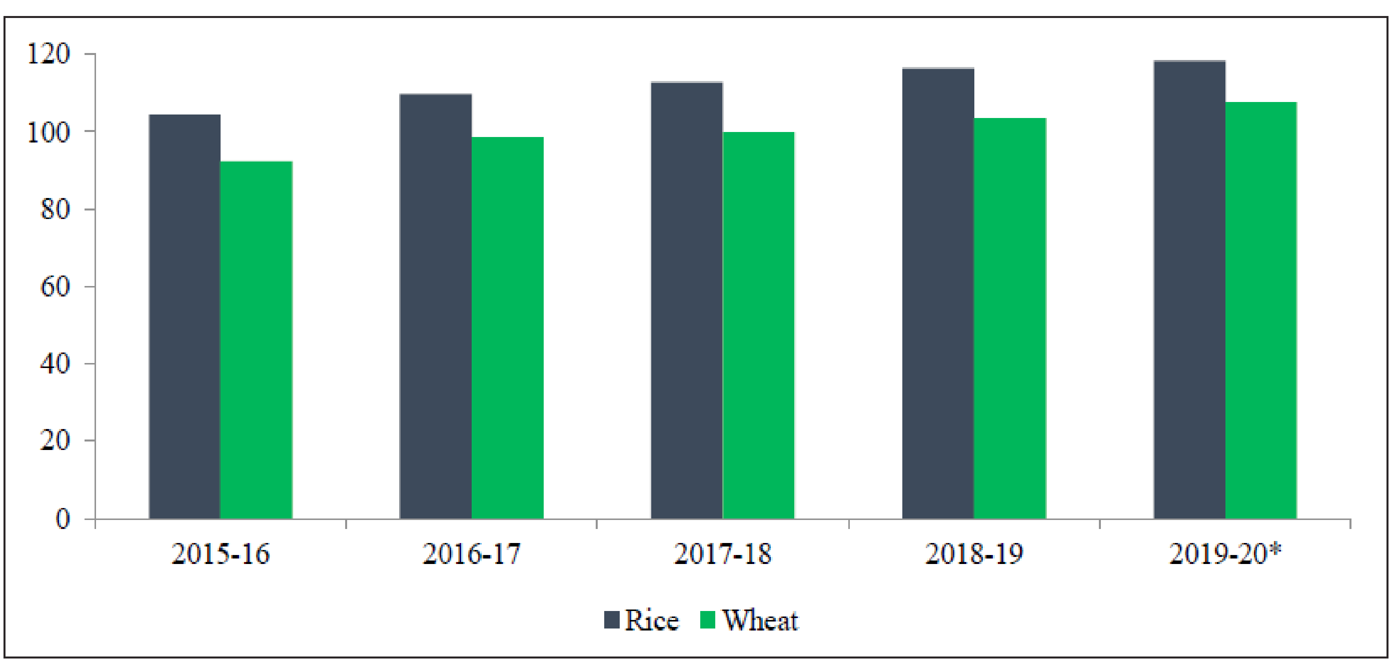

कृषि साख

- भारत में बड़ी संख्या में छोटे सीमांत किसानों को संसाधनों की कमी से जूझते हुए देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती-बाड़ी की सफलता के लिए समय पर पर्याप्त साख की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए साख प्रवाह का लक्ष्य ₹13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरूद्ध 13,92,469.81 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वही वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए साख प्रवाह के लिए॒ 15,00,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 30 नवम्बर 2020 तक 9,73,517.80 करोड़ रूपये वितरित किया गया था। आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में घोषित किए गए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक साख अंर्तवाह बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। हालाँकि, एग्रीकल्चर साख का क्षेत्रीय वितरण दक्षिणी क्षेत्र के पक्ष में अधिक झुका रहा है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों का हिस्सा बहुत कम रहा है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 नवम्बर 2020 तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का कुल वितरण में, एग्रीकल्चर साख में दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक थी जबकि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए यह 2 प्रतिशत से भी कम था। एनईआर में कृषि ऋण की इतनी कम हिस्सेदारी होने की वजह देश के कुल जीसीए में उत्तर पूर्वी राज्यों के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का देश के कुल जीसीए में लगभग 2.74 प्रतिशत योगदान है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश उत्तरी पूर्वी राज्यों में भूमि का सामुदायिक मालिकाना हक मौजूद है। ये दो कारक हैं, जो एनईआर में किसान साख कार्ड (केसीसी) ऋणों के संवितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये ऋण खेत के दस्तावेजों को बंधक रखकर दिए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण वास्तव में सकल फसली क्षेत्र से संबंधित है।

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

कृषकों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के निर्माण के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 15.05.2020 को 1 लाख करोड़ के कृषि अवसरंचना निधि की घोषणा की। तदनुसार, कृषि अवसरंचना निधि के अधीन वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना औपचारिक रूप से भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 09.08.2020 को शुरू की गई।

यह योजना वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2029-30 तक जारी रहेगी। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण संबंधी वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिक कृषि शाख समितियों (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों को (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कृषकों, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप और केंद्रीय/राज्य एजेंसीयां स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना, आदि को बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

इस वित्तपोषण योजना के अंतर्गत सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज में अनुदान दी जाएगी, हालाँकि, इस ऋण की अधिकतम सीमा॒ 2 करोड़ रूपये तक है। यह अनुदान अधिकतम 7 वर्षों के लिए देय होगी। साख गारंटी निधि के अधीन सूक्ष्म तथा लघु उद्योग (सीजीटीएमएसई) योजना साख गारंटी निधि के लिए॒ 2 करोड़ तक ऋण के लिए इस वित्तपोषण सुविधा से योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।

सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 11 निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ डीएसी एंड एफडब्ल्यू ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है। आकड़ों के अनुसार, 15. 1.2021 तक, योजना के अंतर्गत 3055 पैक्स को नाबार्ड द्वारा सैद्धान्तिक रूप से 2991 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। लगभग 2741 करोड़ रूपये के ऋण राशि के लिए पैक्स ने 3774 से अधिक आवेदन जमा किए हैं। पैक्स को छोड़कर अन्य संस्थाओं द्वारा पोर्टल के माध्यम से 1695 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से॒ 934 करोड़ के ऋण की मांग करते हुए 964 आवेदन प्रथम दृष्ट्या योग्य पाए गए और उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिया गया है। बैंकों ने 964 आवेदनों में से 230 आवेदन को॒ 235 करोड़ की ऋण राशि के लिए स्वीकृति दी है।

कृषि वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

- वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने लगभग ₹252 हजार करोड़ के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया। भारत ने जिन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया, उनमें यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल तथा बांग्लादेश शामिल हैं। भारत से मुख्य रूप से निर्यात किए गए कृषि तथा संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसालें, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल हैं। यद्यपि भारत उपरोक्त वर्णित कृषि-उत्पादों के व्यापार में प्रमुख स्थान रखता है तथापि वैश्विक कृषि व्यापार में इसके कृषि उत्पादों का हिस्सा 2.5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।
- भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के बाद से, भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 2.52 लाख करोड़ रूपये के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जबकि 1.47 लाख करोड़ रूपये के कृषि उत्पादों का आयात किया। कृषि निर्यात के कुल मूल्य में प्रमुख दस कृषि वस्तुओं की हिस्सेदारी के पिछले छह वर्षों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कृषि-निर्यात की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान सबसे अधिक रही है। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 के 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में लगभग 19 प्रतिशत तक पहुँच गई। कुल कृषि निर्यात मूल्य में बासमती चावल की हिस्सेदारी भी इस अवधि के दौरान बढ़ती रही है। इस अवधि में अन्य जिन वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, उनमें गैर-बासमती चावल, मसालें तथा चीनी शामिल हैं। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कुल कृषि निर्यात मूल्य में भैंस के मांस और कच्चे कपास जैसी वस्तुओं के हिस्सेदारी में कमी आई है। इस अवधि में अरंडी के तेल और चाय जैसे वस्तुओं की हिस्सेदारी कमोबेश स्थिर रही है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

- सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि एमएसपी को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखा जाएगा। उपरोक्त उल्लिखित सिद्धांत के आधार पर, सरकार ने हाल ही में 2020-21 सत्र के लिए सभी अनिवार्य खरीफ तथा रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की है।

खरीफ फसल की एमएसपी

- विपणन सत्र 2020-21 के लिए, सरकार ने 1 जून 2020 को खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी नाइजर सीड (₹ 755 प्रति क्विंटल) में की गई, उसके बाद तिल (₹ 370 प्रति क्विंटल), फिर उड़द (₹ 300 प्रति क्विंटल) और कपास (लंबा अनाज) (₹ 275 प्रति क्विंटल) में की गई। किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान बाजरे (83 प्रतिशत) पर लगाया गया और उसके बाद क्रमशः उड़द (64 प्रतिशत), तुर (58 प्रतिशत) और मक्के (53 प्रतिशत) पर लाभ प्राप्त होने का अनुमान व्यक्त किया गया। शेष फसलों के लिए, किसानों के लिए उत्पादन की लागत पर लाभ के लगभग कम से कम 50 प्रतिशत तक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

फसल बीमा

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक दूरदर्शी अभियान है और इसका लक्ष्य संपूर्ण देश में किसानों को न्यूनतम समान प्रीमियम पर समग्र जोखिम समाधान उपलब्ध कराना है। किसानों के लिए जोखिम के समग्र समाधान की प्रक्रिया के रूप में, यह योजना बुआई से पहले, कटाई के बाद.बुआई रूकने से होने वाली हानि और बीच मौसम के प्रतिकूलताओं सहित.संपूर्ण फसल चक्र के दौरान कवरेज उपलब्ध कराती है। जोखिमों जैसे जल-प्लावन, बादल के फटने और प्राकृतिक आग लगने जैसे स्थानीय आपदाओं की वजह से व्यक्तिगत खेत के स्तर पर हानियों तथा कटाई के बाद हानियों को भी कवर किया जाता है। पूर्व-पीएमएफबीवाई के दौरान बीमा कवरेज 15100 रूपए प्रति हेक्टेयर से बढ़कर पीएमएफबीवाई में 40700 रूपए प्रति हेक्टेयर हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2021 को इस योजना ने सफल निष्पादन के पांच वर्ष पूरे किएँ।
- निरंतर उन्नत बनाने के लिए, फरवरी में इसके जीर्णोद्धार के बाद सभी किसानों के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाया गया। इसके साथ ही, राज्य भी बीमित राशि को न्यायपूर्ण बनाने के लिए लचीलता प्रदान कर रहे है ताकि किसानों द्वारा पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा सकें। प्रति वर्ष इस योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। 12 जनवरी 2021 तक, 900000 करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। आधार को जोड़ने से दावे के निपटान में तेजी आई है और दावे का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए और दावा लगभग 8741.30 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।

पीएम-किसान

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना वर्ष 2019 में की गई और इसका लक्ष्य कृषि योग्य भूमि रखने वाले देश भर के सभी भूमिध ारक किसान परिवारों के आय में सहयोग करना था, हालाँकि इसके अधीन कुछ अपवर्जन भी शामिल था। इस योजना के अंतर्गत, 6000 रूपए का भुगतान प्रति वर्ष 2000 रूपए के तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता था। जब से यह योजना 25 दिसम्बर 2020 से शुरू हुई है, किसानों के खातों में 1.10 लाख करोड़ रुपये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभों की 7वीं किस्त दिसम्बर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये की राशि जमा की जा चुकी है।

संबद्ध क्षेत्रः पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन

- पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, इस सेक्टर ने 8.24 प्रतिशत की सीएजीआर दर से विकास किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रवार सकल मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान जीवीए में (निरंतर कीमत पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है। पशुपालन उद्योग ने वर्ष 2018-19 में कुल जीवीए में 4.2 प्रतिशत का योगदान दिया।

दूध

- दूध उत्पादन के मामले में भारत संपूर्ण विश्व में पहले स्थान पर है। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाए किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में दूध का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 198.4 मिलियन टन हो गया'। वर्ष 2014-15 के दौरान दूध उत्पादन का वार्षिक विकास दर 6.27 प्रतिशत था, उसके बाद इसमें स्थिर वृद्धि होना जारी रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20' के दौरान दूध उत्पादन में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20' में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन थी।
- दूध की मांग के बारे में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक अखिल भारतीय स्तर पर दूध तथा दूध उत्पादों के मांग का 266.5 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस उपभोग में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 57 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि वर्ष 2030 के अनुमानों के अनुसार, दूध की प्रति व्यक्ति खपत ग्रामीण क्षेत्र (404 मिलीमीटर) की तुलना में शहरी (592 मिलीमीटर) क्षेत्र में निरंतर अधिक होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

पशुओं की आबादी तथा उत्पादन

- एफएओएसटीएटी के उत्पादन आकड़ों (2018) के अनुसार, संपूर्ण विश्व में अण्डों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। देश में अण्डों का उत्पादन 78.48 बिलियन (2014-15) से बढ़कर 114.38 बिलियन (2019-20') हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, अण्डों के उत्पादन का विकास दर 4.99 प्रतिशत था, और उसके बाद उत्पादन में बहुत सुधार हुआ और वर्ष 2019-20' के दौरान इसने 10.19 प्रतिशत का विकास दर्ज किया। वर्ष 2019-20' के दौरान, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अण्डों की उपलब्धता 86 रही। विगत चार दशकों में पोल्टरी उद्योग ने अभूतपूर्व प्रगति की है। गैर-वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन की विधि का परित्याग कर, वर्तमान में पोल्टरी उद्योग ने अत्याधुनिक तकनीक से वाणिज्यिक उत्पादन की विधि को अपना लिया है। चित्र 12 में प्रति व्यक्ति दूध तथा अण्डों की उपलब्धता को प्रदर्शित किया गया है।

दूध तथा अण्डों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

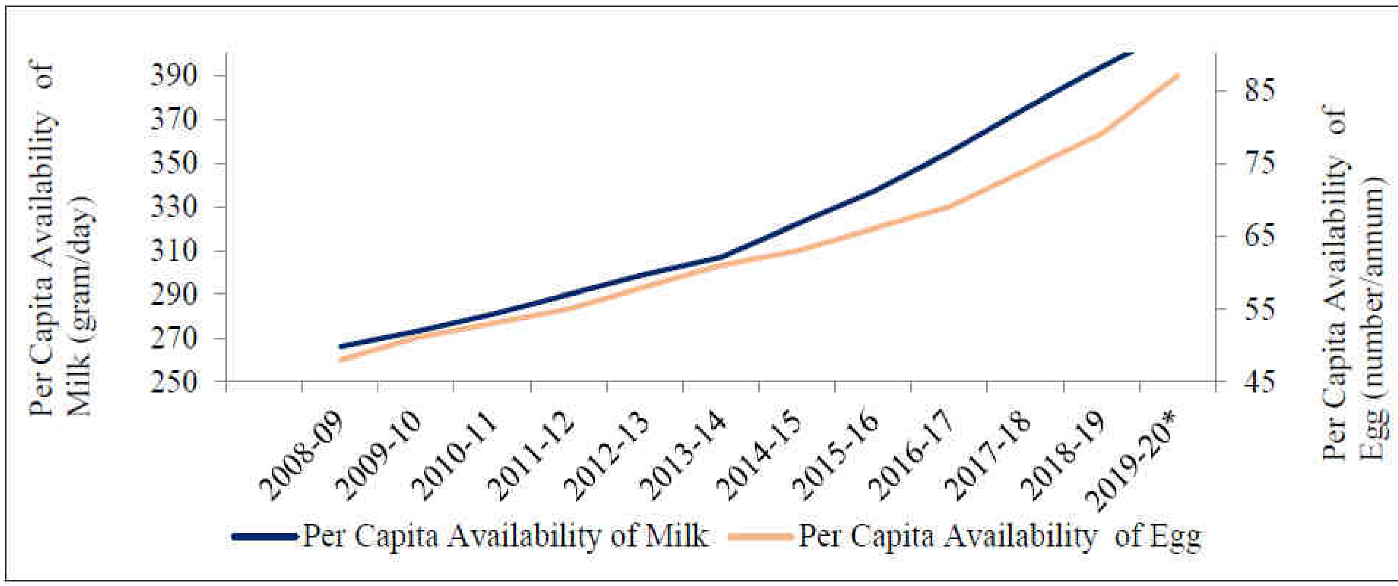

- एफएओएसटीएटी उत्पादन आकड़ों (2019) के अनुसार, संपूर्ण विश्व में मांस के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। देश में मांस का उत्पादन 6.7 मिलियन टन (2014-15) से बढ़कर 8.6 मिलियन टन (2019-20') हो गया। वर्ष 2019-20' में, मांस के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5.98 प्रतिशत थी। फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा के बाद, मिल्क कोआपरेटिव और मिल्क उत्पादक कंपनियों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया गया।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

- आत्म-निर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने 15000 करोड़ रूपये का एक पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) गठित किया है। एएचआईडीएफ (i) डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, (ii) मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, (iii) पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगी।
- योग्य लाभार्थियों को भारत सरकार ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देगी। ऋण के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अधिस्थगन और उसके बाद 6 वर्ष की अदायगी अवधि दी जाएगी। किए गए दावों के आधार, सरकार प्रति वर्ष बैंकों को ब्याज में छूट देगी। भारत सरकार ₹ 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी फंड भी स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट की गारंटी उन स्वीकृत परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी जो एमएसएमई की परिभाषा के दायरे में आते हैं। इस योजना के अंतर्गत, उधारकर्ता की क्रेडिट सुविधा के 25 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, एसआईडीबीआई द्वारा विकसित की गई एक ऑनलाइन पोर्टल 'ahidf-udyamimtra-in' उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत लोन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)

- सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी)" को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों को पैर और मुंह के रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उन्हें एफएमडी का टीका देना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए 4-8 माह के सभी दुधारू पशुओं को एफएमडी का टीका दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान कुल ₹13,343 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मत्स्यपालन

- मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान 7.58 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन उद्योग कुल राष्ट्रीय जीवीए के 1.24 प्रतिशत तथा कृषि जीवीए के 7.28 के बराबर योगदान देती है। वर्ष 2019-20 के दौरान 12.9 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया, जिनकी कीमत 46,662 करोड़ रूपये थी। इस क्षेत्र ने जीविकोपार्जन का बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया है और इसकी वजह से भारत में 28 मिलियन से भी अधिक लोग, विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदाय के लोग, निरंतर आय प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही, इस उद्योग ने सार्थक सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है।
- भारत सरकार ने इस स्केटर के असीम संभावनाओं का दोहन करने के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना - ब्लू रेवोलुशन अर्थात नीली क्रांति (सीएसएस-बीआर) वर्ष 2015-16 में 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने ₹ 3000 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया था ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र का एकीकृत, जिम्मेदार और समग्र विकास और प्रबंधन" का सबसे अधिक लाभ उठाया जाए। यह योजना मार्च 2020 में समाप्त हुई। भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 में ₹7522 करोड़ के एक समर्पित मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के गठन की स्वीकृति प्रदान की। एफआईडीएफ के अंतर्गत, नवंबर 2020 के अंत तक, 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ₹3467 करोड़ से अधिक के कुल परिव्यय वाली परियोजना के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मध्य जनवरी 2021 तक, मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले मछुआरों तथा कृषकों को कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं और मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले कृषकों के अतिरिक्त 4.04 लाख आवेदन बैंकों के पास कार्ड जारी करने के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।
- मत्स्यपालन उद्योग की असीम संभावनाओं, क्षमताओं तथा महत्त्व को समझते हुए, मई 2020 में एक नवीन महत्वकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई। यह योजना भारत सरकार के आत्म-निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में की गई है और सरकार ने इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 की कुल पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹ 20,050 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केंद्र सरकार 9407 करोड़ का योगदान देगी, राज्य सरकारों का योगदान 4880 करोड़ रूपये का होगा जबकि लाभार्थियों द्वारा 5763 करोड़ रूपये का योगदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) औसतन 9 प्रतिशत वार्षिक विकास दर को प्राप्त करते हुए वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सफल निष्पादन के परिणामस्वरूप निर्यात आय दुगुनी अर्थात 1,00,000 करोड़ हो जाएगी और इससे मत्स्यपालन उद्योग में अगले पांच वर्षों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पीएमएमएसवाई ने जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने (3 टन प्रति हेक्टेयर के राष्ट्रीय औसत से अधिक), घरेलू बाजार में मछली की खपत बढ़ाने और अन्य स्रोतों से मत्स्यपालन उद्योग में निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पहली बार मछली पकड़ने में इस्तेमाल किए जाने वाले नावों व जहाजों को बीमा कवरेज देने की योजना शुरू की जा रही है। जनवरी 2021 के मध्य तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 6567.20 करोड़ परिव्यय का प्रस्ताव दिया जा चुका था, जिसमें से 2309.08 करोड़ परिव्यय के विभिन्न प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर

- वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए विगत 5 वर्षों के दौरान, 2011-12 के कीमतों पर कृषि उद्योग के 3.12 तथा विनिर्माण उद्योग के 8.25 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) ने औसतन 9.99 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास किया हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जीडीपी, रोजगार और निवेश में अपने योगदान के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी उभरा है। वर्ष 2011-12 के कीमतों पर, इस उद्योग का वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण उद्योग में सकल मूल्य वर्धित योगदान 8.98 प्रतिशत रहा है। चित्र 13 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तुलनात्मक प्रदर्शन को दिखाया गया है।

विभिन्न उद्योगों में जीवीए का विकास

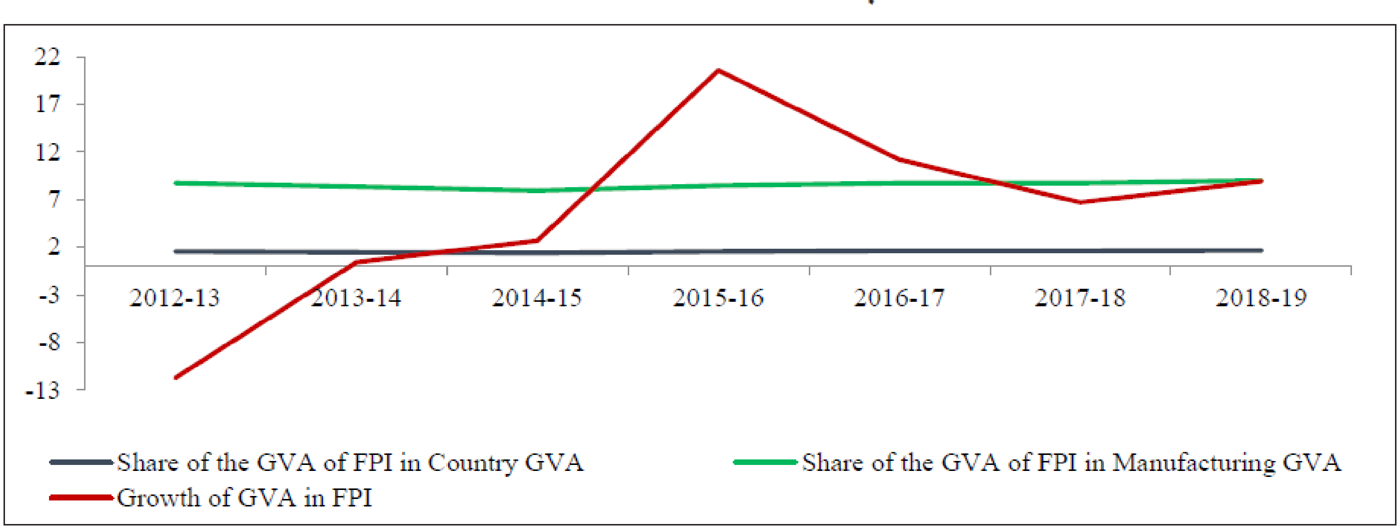

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवीन पहल

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का औपचारिकरण

- आत्म-निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने केंद्र प्रायोजित एक योजना शुरू की है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना (पीएम-एफएमई) रखा गया है और इस योजना के अंतर्गत 2020-2025 के बीच ₹10,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से इस योजना से लगभग 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभान्वित होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आदानों की खरीद, आम सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संदर्भ में बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यह योजना एक मंडल एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण पर कार्य करती है। राज्य को मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक मंडल के लिए खाद्य उत्पाद की पहचान करनी की जरूरत है। ओडीओपी उत्पादों के लिए सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग और विपणन की सुविधा देंगे। यह योजना अपशिष्ट से बेहतरीन उत्पादों, लघु वन उत्पाद और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। पर ध्यान देती है।
- अपने इकाई का आधुनिकीकरण करवाने के इच्छुक मौजूदा एकल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ अपनी योग्य परियोजना लागत के 35 प्रतिशत तक क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, हालाँकि इसके लिए प्रति यूनिट 10 लाख की अधिकतम सीमा तय की गई है। प्रति एसएचजी सदस्य को ₹ 40,000 की दर से प्रारंभिक पूँजी छोटे उपकरणों की खरीद तथा कार्यशील पूँजी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वैल्यू चेन के साथ पूँजी निवेश के लिए, एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक सहकारी संगठनों को 35 प्रतिशत का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान दिया जाएगा। एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों या निजी उद्यम के माध्यम से समूह में सूक्ष्म इकाइयों के उपयोग के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और इन्क्यूबेशन सेंटर सहित सामान्य अवसंरचना ढांचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत अनुदान के साथ सूक्ष्म इकाइयों और समूहों को ब्रांड विकसित करने के लिए विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म इकाईयाँ लाभान्वित होंगी। 35 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 703 मंडलों में 137 अद्वितीय उत्पादों के लिए ओडीओपी की अनुशंसा की गई है। 34 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 650 मंडलों में ओडीओपी की अनुशंसा की गई है।

हरित क्रांति (ऑपरेशन ग्रीन्स)

- एमओएफपीआई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना हरित क्रांति (ऑपरेशन ग्रीन्स) - टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक योजना-निष्पादित कर रही है ताकि कृषि उत्पादों की कीमत कम होने पर कृषकों की मदद की जा सकें। इस योजना का उद्देश्य कीमत बढ़ने के दौरान बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं है। इस योजना के अधीन लघु-अवधि में कीमतों को स्थिर करने के उपायों में अत्यधिक आपूर्ति के दौरान उत्पादन क्षेत्र से खपत केंद्र तक अतिरिक्त उत्पादों के परिवहन और भंडारण लागत में 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करना शामिल हैं। नवंबर 2020 तक, 5 स्वीकृत परियोजनाएँ (आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में टमाटर के लिए 2, गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज के लिए 2 और गुजरात में आलू के लिए 1) निष्पादित की जा रही हैं।
- आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत, इस योजना को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की फसलों से आगे अन्य अधिसूचित बागवानी फसलों (कुल) के लिए छः महीने के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय रेल द्वारा संचालित रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना

- नवंबर 2020 में सरकार ने उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को 10 मुख्य क्षेत्रों के लिए लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। इस योजना का लक्ष्य भारत के निर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाना तथा निर्यात में सुधार करना है। खाद्य प्रसंस्करण में पीएलआई योजना के लिए, 10900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। चिन्हित किए गए खाद्य क्षेत्रों में खाने के लिए तैयार/ पकाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, मरीन उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, मोज्जरेल्ला पनीर और एसएमई का नवीनतम/ कार्बनिक उत्पाद शामिल है। यह योजना विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी सहारा देगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एकछत्र योजना के अंतर्गत, मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को परियोजना के घटक के रूप में लागू कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मेगा फूड पार्क, (ii) इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iii) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (अ) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार, और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स शामिल है। तालिका 2 में 31.12. 2020 तक स्वीकृत और पूर्ण हुए परियोजनाओं/प्रगति के अधीन परियोजनाओं की स्थिति को देखा जा सकता हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं और पूर्ण/प्रगतिशील परियोजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण हुए परियोजनाओं/प्रगति के अधीन परियोजनाओं की संख्या
1	मेगा फूड पार्क	37	21
2	कोल्ड चेन	327	210
3	एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स	55	0
4	यूनिट स्कीम	287	44
5	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज	62	21
6	ऑपरेशन ग्रीन्स	5	0
	कुल	773	296

खाद्य प्रबंधन

- खाद्यान्न भंडार के विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए और केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, गेहूं और चावल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने निम्नलिवित उपाय किए हैं:
  - किसानों के हितों की रक्षा के लिए गेहूं और धान का एमएसपी बढ़ा दिया गया है
  - राज्य सरकारें, विशेष रूप से विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति करने वाले उपक्रमों को राज्य एजेंसियों द्वारा गेहूँ और चावल की अधिकतम खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  - मौजूदा बफर मानदंडों से 5 मिलियन टन अधिक खाद्यान्न के सामरिक भंडार को बनाए रखा गया है ताकि उनका उपयोग प्रतिकूल परिस्थितियों में किया जा सकें।
  - बाजार में भोजन की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के माध्यम से गेहूं और चावल की बिक्री की जाती है।

खाद्यानों की खरीद

- खरीफ के विपणन सत्र (केएमएस) 2019-20 के दौरान, अनुमानित लक्ष्य 529.05 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के विरूद्ध 519.97 एलएमटी धान की खरीद की गई थी। आगामी केएमएस 2020-21 में, 374.93 एलएमटी चावल की खरीद दिनांक 15.1.2021 तक की गई थी। रबी के विपणन सत्र (आरएमएस) 2020-21 के दौरान 389.92 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी जबकि आरएमएस 2019-20 के दौरान 347.89 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी। इस प्रकार, खरीफ के विपणन सत्र 2020-21 के दौरान 18.01.2021 तक कुल 4.78 एलएमटी मोटे अनाज की खरीद की गई थी। चित्र 14 तथा 15 विगत पांच वर्षो के दौरान खाद्यानों के खरीद की प्रवृति को प्रदर्शित करता हैं।

चावल को पोषणयुक्त बनाना तथा इसका वितरण करना

- एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या से निपटने और देश में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2019-20 में ₹ 174.64 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल को पोषणयुक्त बनाने और इसके वितरण" के लिए एक केंद्र प्रायोजित पायलट योजना स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार द्वारा पायलट योजना को उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और द्वीपीय राज्यों के संबंध में 90:10 के अनुपात में और बाकी राज्यों के लिए 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है।
- निष्पादन के शुरूआती चरण में पायलट योजना 15 मंडलों में लागू की जाएगी, मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के एक मंडल में निम्नलिखित राज्य सरकारों, यानि, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने अपनी सहमति दी है और पायलट योजना के लिए संबंधित मंडलों की पहचान की हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने योजना के अंतर्गत पहले ही अपने चयनित मंडलों में पोषणयुक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग सार्वजानिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)" नाम की एक योजना लागू कर रहा है, जिसकी वैधता अवधि 31.03.2022 तक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'एक राष्ट्र

एक राशन कार्ड' प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत देश भर में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को शुरू करना है। यह राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। वर्तमान समय में, राशन कार्ड की राष्ट्रीय/ अंतर्राज्यी पोर्टेबिलिटी 32 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू है जिससे 69 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं (जो कुल एनएफएसए आबादी का 86 प्रतिशत हैं)। इस प्रणाली के अंतर्गत चंडीगढ़ और पुदुचेरी में छूट पर खाद्यान्न के बदले खाद्यान्न के बराबर डीबीटी (नगद स्थानांतरण) उपलब्ध कराया जा रहा है।

खुले बाजार में बेचने की योजना (घरेलू)

- खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाएं रखने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्लूएस) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, सरकार के निर्देश पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बिक्री की योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के अंतर्गत समय-समय पर पहले से निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में बेचती हैं। वर्ष 2020-21 में, एफसीआई ने केंद्रीय पूल से ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में 150 लाख एमटी गेहूं की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 में, एफसीआई ने केंद्रीय पूल से ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में 50 लाख एमटी चावल की बिक्री का लक्ष्य निध र्रित किया है। विगत 4 वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2020-21 में ओएमएसएस (डी) योजना के अंतर्गत खुले बाजार में बेचे गए गेहूं और चावल की मात्राओं को चित्र 17 में प्रदर्शित किया गया है।

इथानोल

- 7.60 सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में एथेनॉल को मिश्रित करने का लक्ष्य 10: निर्धारित किया है और वर्ष 2030 तक मिश्रित करने का लक्ष्य 20: निर्धारित किया गया है। मिश्रित करने के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार चीनी मीलों और मोलासेस-आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरी को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देकर उनके विलयन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के अधीन एथेनॉल की आपूर्ति, जो वर्ष 2013-14 के दौरान मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वह एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2018-19 के दौरान बढ़कर 189 करोड़ लीटर हो गई और यह ईएसवाई 2019-20 के दौरान 173 करोड़ लीटर थी। ईएसवाई 2020-21 के दौरान, लगभग 325 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि ईएसवाई 2020-21 में 8.5 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वही ईएसवाई 2021-22 के दौरान लगभग 400 करोड़ लीटर एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ताकि ईएसवाई 2021-22 में 10 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सरकार ने एफसीआई के पास उपलब्ध अतिरिक्त चावल और मक्के को एथेनॉल में बदलने की अनुमति प्रदान की है ताकि मिश्रण करने के इन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकें।

हाल ही में कृषि सुधारः एक उपचार, एक व्याधि नहीं

- भारत के राष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2020 को तीन कृषि संबंधित क्षेत्र सुधारों-किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम-को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इन सुधारों के बड़े प्रावधानों का उल्लेख नीचे किया गया है।

किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020

- इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जहाँ किसान तथा व्यापारी अपने कृषि उत्पादों के खरीद और बिक्री अपनी इच्छा से कर सकें। यह सुधार किसानों और खरीदारों को कृषि उत्पादों को, यहां तक कि एपीएमसी मंडियों के बाहर भी, बेचने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यह कुशल विधयेक पारदर्शी और परेशानी-रहित अंतर-राज्यीय और राज्यान्तर्गत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को एक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020

- इसका लक्ष्य अनुबंध कृषि के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण करना है। यह सुधार किसानों की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए उन्हें कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों, प्रसंस्करण-कर्ताओं, थोक व्यापारियों, निर्यातकों या कृषि सेवाओं के बड़े खुदरा विक्रेताओं से जुड़ने में सक्षम बनाता है ताकि वे भविष्य की खेती की बिक्री के लिए एक उचित और पारदर्शी व आपसी सहमति पर आधारित पारिश्रमिक मूल्य पर उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

- इसका उद्देश्य जिंसों जैसे अनाजों, दालों तिलहनों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकालना है। यह सुधार असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बार-बार थोपे जाने वाले स्टॉक करने की सीमा को समाप्त करना चाहता है।

कृषि बाजार सुधार और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट के कुछ का उदाहरण

- कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण और विकास पर विशेषज्ञ समिति - अध्यक्षः श्री शंकरलाल गुरु (जून 2001) समिति ने मौजूदा नीतियों, विनियमों और विधिक प्रावधानों में व्यापक आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया, जो एक मुक्त विपणन प्रणाली के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यक्ष विपणन वैकल्पिक विपणन संरचना में से एक है जिसे बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है और निजी क्षेत्र की भूमिका को एपीएमसी के दायरे से बाहर प्रोत्साहित किया जा सकता है। गुणवत्ता आश्वासन, ग्रेडिंग के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अवसंरचना के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करने की अनुशंसा की ताकि बाजार की ताकतों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकें।
- रोजगार के अवसरों पर कार्यबल की रिपोर्ट - अध्यक्षः श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया (जुलाई 2001) टास्क फोर्स की अनुशंसा के अनुसार विनियंत्रण का लाभ कृषि को दिया जाना चाहिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि एपीएमसी के माध्यम से कृषि उपज के विपणन पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे एक राष्ट्रीय बाजार के विकास में बाधक हैं।
- विपणन सुधार पर अंतर-मंत्रालयी कार्यबल - अध्यक्षः श्री आर.सी.ए. जैन (जुलाई 2001) टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकारों को एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना चाहिए चाहिए ताकि निजी क्षेत्र को वैकल्पिक विपणन अवसंरचना और समर्थन सेवाओं को विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अनुशंसा के अनुसार कृषि उत्पादों के भंडारण पर प्रतिबंध को हटाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए है ताकि निजी क्षेत्र में पर्याप्त भंडारण क्षमता विकसित की जा सके।
- कृषि विपणन पर मॉडल अधिनियम - (सितंबर 2003) मॉडल अधिनियम के अधीन, कानूनी व्यक्तियों, उत्पादकों और स्थानीय अधिकारियों को मौजूदा प्रावधानों जो केवल राज्य सरकारों की पहल पर बाजार स्थापित करने की अनुमति देते हैं, के विरूद्ध किसी भी क्षेत्र में कृषि उपज के लिए नए बाजारों की स्थापना के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। नतीजतन, एक बाजार क्षेत्र में, निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा एक से अधिक बाजार स्थापित किए जा सकते हैं। एपीएमसी द्वारा नियंत्रित मौजूदा बाजारों के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए उत्पादकों पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
- किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य की सुरक्षा करना - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग.की पहली रिपोर्ट - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2004) इस रिपोर्ट में फसल कटाई के बाद के प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अंगूर उत्पादक संघ, एनडीडीबी, आदि द्वारा सफलतापूर्वक पैकिंग हाउस" की प्रसिद्ध अवधारणा को अपनाने वाले प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र के लिए कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एपीएमसी अधिनियम में तत्काल संशोधन करना जरूरी है और उत्पादकों को बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य हितधारकों को विपणन के लिए अनुमति देना जरूरी है।
- किसानों की सेवा करना और कृषि कार्य को सुरक्षित रखना - संकट से लेकर आत्मविश्वास तक - किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की - दूसरी रिपोर्ट- अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2005) रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एपीएमसी और राज्य कृषि बोर्डों की भूमिका को स्थानीय उत्पादों और बेहतर विपणन प्रथाओं के लिए बाजारों के विकास और संवर्धन से विनियमन तक परिवर्तन की जरूरत है।
- किसानों की सेवा और खेती की बचत 2006: कृषि नवीकरण का वर्ष- तीसरी रिपोर्ट- किसानों पर राष्ट्रीय आयोग - अध्यक्षः डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (2005) राज्य कृषि विपणन (विकास और विनियमन) नियम, 2007 का मसौदा ड्राफ्ट मॉडल एपीएमसी नियम, 2007 अन्य बातों के साथ-साथ बाजार समितियां के कार्यपद्धति का विवरण देता है।
- सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रियों की समिति, कृषि विपणन के प्रभारी की अंतिम रिपोर्ट राज्य मंत्रियों ने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन और खुले और पारदर्शी मानदंडों के साथ पंजीकरण की प्रगतिशील प्रणाली के साथ व्यापारियों/कमीशन एजेंटों के लाइसेंस की प्रणाली को बदलने की अनुशंसा की थी। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को बाजारों की स्थापना करने, संचालित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

बजट 2017-2018

- यह अनुशंसा की गई थी कि बाजार में सुधार किए जाएंगे और राज्यों से खराब होने वाले वस्तुओं को एपीएमसी से निकालने के लिए कहा जाएगा ताकि किसानों अपनी उपज को एपीएमसी से बाहर बेच सके और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।
- कृषि पर स्थायी समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग): कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाट की भूमिका (2018-19) समिति ने पाया कि विभिन्न कारणों जैसे एपीएमसी बाजारों में व्यापारियों की सीमित संख्या की वजह से प्रतिस्पर्द्धा की कमी, व्यापारियों की आपस में सांठ-गांठ, बाजार शुल्क, कमीशन शुल्क के नाम पर अनुचित कटौती, आदि की वजह से देश भर में एपीएमसी बाजार किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रहे है। समिति का यह मत था कि उत्पादन केंद्र के पास कृषि उपज के विपणन के लिए वैकल्पिक मंच के निर्माण की जरूरत है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य मिल प्राप्त हो सके। ये विपणन मंच उन्हें किसानों को कृषि विस्तार सेवाएं भी दे सकती हैं जो खेती के लिए इनपुट लागत को कम करने में मददगार साबित होगी।
- कई आर्थिक सर्वेक्षणों ने एपीएमसी के क्रियाकलाप और इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है कि वे एकाधिकार को बढ़ावा देते हैं। विशेष रूप से, वर्ष 2011-12, 2012-12, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण इस संदर्भ में सुधारों पर केंद्रित था। कृषि वस्तुओं का अवरोध मुक्त भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, कृषि उपज के विपणन के सुझावों में किसानों को अपने उत्पादों को सीधे एक प्रसंस्करण कारवाने या निजी क्षेत्र को बेचने, कृषि विपणन अवसंरचना के विकास, राज्य एपीएमसी अधिनियमों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को शामिल करने की आवश्यकता शामिल है।
- संसद तीन अधिनियम पारित किये है, जिसका उद्देश्य कृषि सुधारों का सूत्रपात करना है
  - किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
  - मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण)
  - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

अध्याय एक दृष्टि में

- कोविड की वजह से उत्पन्न हुए लॉकडाउन में भारतीय कृषि क्षेत्र ने अपनी लचीलता दिखाई। अन्य क्षेत्रों के निराशाजनक जीडीपी प्रदर्शन के मध्य निरंतर कीमतों पर वर्ष 2020-21 (पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार) के दौरान 3.4 प्रतिशत के विकास दर के साथ कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र एकमात्र उज्ज्वल स्थान थी।
- सीएसओ द्वारा 29 मई 2020 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए, मौजूद कीमतों पर देश के सकल योजित मूल्य (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 17.8 प्रतिशत हैं।
- इस सेक्टर में जीवीए के सापेक्ष कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता रहा है, जो वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 16.4 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में और घट कर 14.7 प्रतिशत रह गया। कृषि वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक), देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296. 65 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलयन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था।
- वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह का लक्ष्य 13,50,000 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य के विरूद्ध 13,92,469. 81 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया। वही वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह के लिए 15,00,000 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 30 नवंबर 2020 तक 973517.80 करोड़ रूपया वितरित किया गया था।
- फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा के बाद, मिल्क कोआपरेटिव और मिल्क उत्पादक कंपनियों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अधीन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिया गया।
- मध्य जनवरी 2021 तक, मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले मछुआरों तथा कृषकों को कुल 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए हैं और मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले कृषकों के अतिरिक्त 4.04 लाख आवेदन बैंकों के पास कार्ड जारी करने के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।
- प्रति वर्ष पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत 5.5 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 12 जनवरी 2021 तक, 900000 करोड़ का भुगतान दावे के रूप में पहले ही किया जा चुका है। आधार को जोड़ने से दावे के निपटान में तेजी आई है और दावे का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड -19 महामारी के दौरान लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए और दावा लगभग 8741.30 का भुगतान लाभार्थियों को किया गया।
- पीएम-किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ के 7वें किस्त के रूप में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में 180000 करोड़ रूपए जमा कराए गए है।
- वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, पशुपालन उद्योग ने 8.24 प्रतिशत की सीएजीआर दर से विकास किया। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रवार सकल मूल्य संवर्धन के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) 2020 के अनुमानों के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन का योगदान जीवीए में (निरंतर कीमत पर) 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63 प्रतिशत (2018-19) हो गया है। पशुपालन क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 में कुल जीवीए में 4.19 प्रतिशत का योगदान दिया।
- वर्ष 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। साथ ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यपालन उद्योग द्वारा योजित सकल मूल्य (जीवीए) 2,12,915 करोड़ है, जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.24 प्रतिशत तथा कृषि जीवीए के 7.28 के बराबर है।
- वर्ष 2018-19 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान, 2011-12 के कीमतों पर कृषि उद्योग के 3.12 प्रतिशत तथा विनिर्माण उद्योग के 8.25 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) औसतन 9.99 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास करता रहा हैं।

08 उद्योग और आधारभूत संरचना

प्रस्तावना

- वैश्विक महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 (FY 21) की शुरूआत हुई। इस महामारी से निपटने के लिए देशों ने अभूतपूर्व उपाय अपनाए जिनसे अर्थव्यवस्था अचानक रूक गई। लाकडाऊन में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को छोड़कर अन्य सभी लोगों व वस्तुओं के स्थानीय व वैश्विक आवाजाही पर लगने वाले प्रतिबंध एक प्रकार के बाह्य झटके जैसा था जिसने अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी तथा अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसी कारण से लोगों को आजीविका की भी भारी हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप लोग विस्थापित होने लगे।
- औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन इसलिए महत्व रखता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र इसके साथ अनेक प्रकार से जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य शर्त है। कोई भी पहल जिसका लक्ष्य तेजी से किए जाने वाला सुधार है, उसमें औद्योगिक मामले उसके केंद्र बिंदु होने चाहिए।
- 29.87 लाख करोड़ रुपये अथवा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 15% के समकक्ष आकर्षक-उपाय अर्थव्यवस्था को राहत व सहायता देने के लिए समाविष्ट किए गए हैं। इन उपायों के तदनंतर ऐसे प्रयास किगए जिनसे अर्थव्यवस्था और अधिक मज़बूत होती है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को एक आत्म-निर्भर राष्ट्र बनाने की भारत सरकार की दूरदर्शिता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत धोषणाएं तीन अलग-अलग चरणों में की गई थीं। उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

आत्मनिर्भर भारत 1.0

कोविड-19 का सामना करने के लिए एम.एस.एम.ई. को राहत और क्रेडिट सहायता

व्यवसाय, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मिलित हैं, को 3 लाख करोड़ का बिना किसी जमानत के आटोमैटिक ऋण: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ई.सी.एल.जी.एस.) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए बनाई गई जिसमें उनको 3 लाख करोड़ रुपयों तक की अतिरिक्त निधि पूर्णतः गारंटित (प्रत्याभूत) आपातकाल क्रेडिट लाइन के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। 25 करोड़ रूपयों तक के बकाया और 100 करोड़ रूपयों के पण्यावर्त वाले उधारकर्ता इसके पात्र होंगे। यह योजना मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एन.बी.एफ.सी. को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार के गारंटी शुल्क और नई जमानत की आवश्यकता नहीं है।

दबाव ग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 20,000 करोड़ रूपयों का गौण-ऋण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो कि अनर्जक परिसंपत्तियां हैं अथवा दबावग्रस्त हैं, के लिए 20,000 करोड़ रूपयों के गौण ऋण का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 4000 करोड़ रूपए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को दिए गए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों के प्रवर्तकों को, यूनिट में मौजूदा स्टेक के 15% के बराबर है, किंतु अधिकतम 75 लाख रूपए तक गौण-ऋण उपलब्ध करवाएं।

एम.एस.एम.ई. फंड आफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रूपए का इक्विटी इनफ्यूजन: सरकार ने 10,000 करोड़ रूपए की राशि फंड ऑफ फंड्स के लिए निर्धारित की है जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों को सामान्य शेयर निधिकरण (ईक्विटी फंडिंग) के माधयम से सहायता प्रदान की जाएगी। फंड ऑफ़ फंड्स का प्रचालन पोषक निधि (मदर फंड) और कुछ अनुजात निधियों (डाटर फंड) के माध्यम से किया जाएगा। यह व्यवहार्य एम.एस.एम.ई. को सामान्य शेयर निधिकरण (इक्विटी फंडिंग) उपलब्ध करवाएगा। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने आकार व क्षमता का विस्तार करने में सहायता करेगी तथा इसके साथ ही शेयर बाज़ार की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

एम.एस.एम.ई. की नई परिभाषा: एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में निम्न प्रारंभिक सीमा (थ्रेश होल्ड) ने एम.एस.एम.ई. में यह भय उत्पन्न कर दिया था कि अब उनको लाभ मिलने समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधन कर दिया। टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड जोड़ा गया है और विनिर्माण तथा सर्विस सेक्टर के मध्य भिन्नता दर्शाने वाले आधार को हटा दिया गया है।

200 करोड़ रूपयों तक की वैश्विक निविदाओं को स्वीकृति नहीं देना

सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) में संशोधन किया गया है जिसमें 200 करोड़ रूपयों से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं के मंगाए जाने को अस्वीकार कर दिया गया है। यह मेक-इन-इंडिया को सहायता देने वाला एक कदम है और इससे एम.एस.एम.ई. के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

एम.एस.एम.ई. के लिए अन्य सुधारक उपाय

एम.एस.एम.ई. के लिए ई-मार्केट लिंकेज, व्यापार में और प्रदर्शनियों का स्थान लेंगी, सरकार और सी.पी.एस.ई. से एम.एस.एम.ई. को प्राप्त होने वाली राशियों का भुगतान 45 दिनों के अंदर किया जाएगा। इससे एम.एस.एम.ई. की विपणन और नकदी की समस्याओं का निपटान किया जा सकेगा।

आयकर धन वापसी

लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों को आयकर धन वापसी के रूप में कुल 5204 करोड़ रूपये जारी किए गए, जिसका प्रयोजन एम.एस.एम.ई. की सहायता करना है, जिससे वे इस कठिन समय में वेतन कटौतियों और अस्थायी छंटनी किए बिना व्यापारिक गतिविधियां कर सकें।

- **मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रूपये की राहत:** भारत सरकार द्वारा उद्यत आदाताओं को ब्याज दर 2% की सरकारी सहायता 12 माह की अवधि के लिए दी गई है। इससे 'मुद्रा' के अंतर्गत छोटे व्यवसायों को लाभ मिलेगा।
- व्यवसायों के लिए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनस जिसमें एम.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं। सरकार ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टसी कोड (आई.बी.सी.) संबंधित उपायों के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस अर्थात् व्यापार करने में सरलता को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है–
  - दिवालियापन कार्रवाई शुरू किए जाने की न्यूनतम थ्रेशहोल्ड को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये किया गया (जिससे बड़े पैमाने पर एम.एस. एम.ई का बचाव हो जाएगा।)
  - कोड के सेक्शन 240क के अधीन एम.एस.एम.ई. के लिए विशेष दिवालियापन समाधान संरचना
  - वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि तक के लिए दिवालियापन संबंधी नई कार्रवाई के आरंभ को निलंबित करना
  - केंद्र सरकार को सशक्त करना कि वह कोविड-19 संबंधी ऋण को कोड के अधीन व्यतिक्रम की परिभाषा से निकाल सके, जिससे दिवालियापन संबंधी कार्रवाई शुरू ही न हो।
- **पावर सेक्टर के लिए सहायता–** डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रूपयों की आर्थिक सहायता (लिक्विडिटी इंजेक्शन)
- **रियल एस्टेट (स्थावर संपदा)–** रेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार। निम्नलिखित के संबंध में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों और उनके नियामक प्राधिकरणों को परामर्श देना–
  - रेरा के अधीन कोविड-19 को अप्रत्याशित घटना माना जाए।
  - व्यक्तिगत आवेदनों के बिना लिए जरूरत के 25 मार्च 2020 को या इसके बाद समाप्त होने वाली सभी।
  - पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण तथा समापन तिथि अपनी ओर से 6 महीने बढ़ाएं।
  - नियामक प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो, इसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा सकता है।
  - संशोधित समय सीमाओं के साथ स्वत: नए सिरे से परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करें।
  - रेरा के अधीन विभिन्न वैधानिक अनुपालन के लिए समय-सीमा का विस्तार करने की सहमति।
- ये उपाय रियल एस्टेट डेवलपर्स को तनाव मुक्त करेंगे और परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करेंगे जिससे घर खरीदने वालों को नई समय-सीमा के अंदर उनके द्वारा बुक कराए गए घर मिल सकेंगे।
- **नए आत्म निर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति:**
  - सरकार की नई सुसंगत नीति की घोषणा-जहां सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं, जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिभाषित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
  - जन हित में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा जहां सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को अनिवार्य समझा जाता है।
  - महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहेगा जबकि निजी क्षेत्र को भी अनुमत किया जाएगा।
  - अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा (संभाव्यता के आधार पर समय का निर्धारण किया जाएगा) व्यर्थ के प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 तक ही रखी जाएगी अन्य क्षेत्रों का निजीकरण/विलय किया जाएगा अथवा इनको होल्डिंग कंपनियों के अधीन रखा जाएगा।
- आत्म निर्भर भारत 2.0 (उपायों की द्वितीय श्रृंखला) के अंतर्गत सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को 25,000 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय बजट दिया गया है।

- सकल मूल्यवर्धन (जी.वी.ए.) के अद्यतन अनुमानों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि का अनुमान है जिसका वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 21) में जी.वी.ए. में समग्र अंशदान 25.8% है। औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान में वर्ष 2011-12 से लगातार गिरावट होती जा रही है। जी.वी.ए. में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का शेयर वित्त वर्ष 12 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 2.7% हो गया जबकि अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न घटक जैसे कि विनिर्माण, खनन, खुली खान, विद्युत और निर्माण के कार्य-निष्पादन को में दिखाया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्ति

- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों इस्पात, सीमेंट और विद्युत जैसी अवसंरचनाओं को संबल देने वाले आठ प्रमुख उद्योग,

औद्योगिक उत्पादन सुचकांक (आईआईपी) में कुल भार 40 प्रतिशत रखते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (अप्रैल-2020) के परिणामस्वरूप इन आठ महत्वपूर्ण सूचकांकों ने सबसे कम वृद्धि(-) 37.9 दर्ज की। वृद्धि और सूचकांक में गिरावट, सूचकांक बहाली की भांति ही अपेक्षित थी। नवम्बर, 2019 में 0.7 प्रतिशत और अक्टूबर, 2020 में (-) 0.9 प्रतिशत की तुलना में आठ महत्वपूर्ण उद्योगों में नवम्बर, 2019 में (-) 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान 0.3 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण उद्योगों की संचित वृद्धि अप्रैल-नवम्बर 2020 के दौरान (-) 11.4 प्रतिशत थी।

- मई, 2020 के बाद से आठ-महत्वपूर्ण सूचकांको के प्रक्षेपवक्र में सुधार हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2021 के बचे महीनों में अधिक बहाली/विस्तार अपेक्षित है। मौसमानुसार समायोजित आठ-महत्वपूर्ण सूचकांकों का वर्तमान स्तर (नवम्बर, 2020), फरवरी, 2020 में लोकडाउन पूर्व के स्तरों से अभी भी 6 प्रतिशत कम है वित्तीय वर्ष 2021में आठ-महत्वपूर्ण उद्योगों के निष्पादन की प्रमुखताएं तालिका-2 में प्रस्तुत की गई हैं और संबंधित सूचकांक का प्रक्षेपवक्र चित्र 4 में है। आठ महत्वपूर्ण सूचकांकों के सभी उप-घटक कोविड पूर्व के स्तरों तक ऊपर उठ रहे हैं।
- औद्योगिक उत्पाद सूचकांक ने नवंबर 2019 में 2.1 प्रतिशत की तुलना में नवंबर-2020 में (-)1.9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है। अप्रैल-नवंबर 2019 के 0.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पाद सुचकांक की संचित वृद्धि (-)15.5 प्रतिशत है। आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, मौसमानुसार समायोजित आधार पर दोनों सूचकांक लॉकडाउन पूर्व (फरवरी-2020) के स्तर से क्रमश: 9 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कम है।

तालिका 1: उद्योग में जी.वी.ए. की वृद्धि दर और उसके घटक

	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21
उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	6.3	4.9	0.9	-9.6
खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.8	4.9	-5.8	3.1	-12.4
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	6.6	5.7	0.0	-9.4
विद्युत*	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	11.2	8.2	4.1	2.7
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	5.9	5.0	6.1	1.3	-12.6

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

* विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

- अगस्त 2020 तक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मुख्यत: एक या दो क्षेत्रों द्वारा संचालित होता था। नवंबर 2020 के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कुछ सेक्टर जो पहले सुस्त थे, ने महत्वपूर्ण सुधार के संकेत दर्शाने प्रारंभ कर दिये हैं। व्यापक सेक्टर आधारित वर्गीकरण के आधार पर, नवंबर, 2019 में 1.9 प्रतिशत संकुचन के विपरित खनन में नवंबर-2020 में संकुचन 1.5 था। विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2019 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जो कि नवंबर 2020 में (-) 1.7 प्रतिशत हो गई, और विद्युत सेक्टर में नवंबर-2019 में 5.0 प्रतिशत के विपरित नवंबर-2020 में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी विन्यास

- उद्योग में सकल पूंजी विन्यास (जीसीएफ) की वृद्धि दर में वित्त वर्ष 18 में 1.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 19 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह पता चलता है कि जीसीएफ क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 2018-19 में खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोग संबंधी सेवाओं और निर्माण में वित्त वर्ष 19 में क्रमश: 14.9 प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत, 15.3 प्रतिशत और 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र के जीसीएफ शेयर में वित्त वर्ष 12 में 38.2 प्रतिशत से जीडीपी घट कर वित्त वर्ष 18 में जीडीपी का 30.2 प्रतिशत हो गया तथा वित्त वर्ष 19 की अवधि में बढ़ोतरी के बाद (31.9 प्रतिशत) दर्ज की गई।

तालिका 3: जनवरी-20 से सितम्बर-20 तक आईआईपी के विभिन्न घटकों की वृद्धि दर

	भार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
सेक्टर द्वारा												
खनन	14.4	4.4	9.6	-1.3	-26.9	-20.4	-19.5	-12.7	-8.7	1.4	-1.3	-7.3
विनिर्माण	77.6	1.8	3.8	-22.8	-66.6	-37.8	-17.0	-11.4	-7.6	-0.2	4.1	-1.7
विद्युत	8	3.1	11.5	-8.2	-22.9	-14.9	-10.0	-2.5	-1.8	4.9	11.2	3.5
सामान्य	100	2.2	5.2	-18.7	-57.3	-33.4	-16.6	-10.5	-7.1	0.5	4.2	-1.9
उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा												
प्राथमिक माल	34	1.8	8.2	-4.0	-26.6	-19.6	-14.5	-10.8	-10.7	-1.5	-3.2	-2.6
पुंजीगत माल	8.2	-4.4	-9.6	-38.8	-92.7	-65.9	-37.4	-22.8	-14.4	-1.3	3.5	-7.1
अर्धनिर्मित माल	17.2	15.6	23.0	-18.6	-63.9	-39.7	-20.7	-10.7	-4.8	-1.0	2.1	-3.0
अवसंरचना/निर्माण	12.3	-0.3	2.8	-24.3	-85.0	-39.0	-18.3	-8.2	0.0	2.5	9.9	0.7
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	12.8	-3.7	-6.2	-36.8	-95.7	-70.3	-34.8	-23.7	-10.2	3.4	18.0	-0.7
गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	15.3	-0.6	-0.3	-22.3	-48.1	-9.7	6.9	1.8	-3.0	2.4	7.1	-0.7
उपभोक्ता माल (56)	28.2	-1.8	-2.7	-28.3	-68.6	-35.6	-10.7	-9.1	-6.0	2.8	11.6	-0.7
विनियोजित माल	20.6	-1.7	-1.4	-29.2	-87.5	-47.7	-24.5	-12.6	-4.5	1.3	7.9	-1.7

नोट: लॉकडाउन के तुरंत बाद आईआईपी विकास दर की तुलना पूर्व लॉकडाउन अवधि से नहीं की जा सकती।

स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्रेडिट

- वर्ष प्रति वर्ष आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में अक्तूबर 2020 में सकल बैंक क्रेडिट में (-) 1.7 की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि इसकी तुलना में अक्तूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- निर्माण क्षेत्र सहित कुछ उद्योगों में नाममात्र क्रेडिट वृद्धि दर्ज की गई है। कांच और सभी इंजीनियरिंग, 'सीमेंट और सीमेंट उत्पाद' एवं 'मूलधातु और धातु उत्पाद' समूह में धीमी वृद्धि के कारण अक्तूबर 2020 में वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
- इस वर्ष कोविड-19 कंपनी कार्य मंत्रालय ने सीपीएसई सहित सभी कंपनियों के मामले में एजीएम के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है, इसलिए महामारी के कारण सीपीएसई के वार्षिक लेखापरीक्षा करने वित्तीय और विवरण तैयार करने में विलम्ब होगा। 15 जनवरी 2019 को लोक उद्यम विभाग से मिली अनंतिम सूचना के अनुसार 2020 तक 366 सीपीएसई हैं। इनमें से 256 सीपीएसई परिचालन में है, परन्तु केवल 17 सीपीएसई ने वित्त वर्ष दौरान लाभ अर्जित किया है। लाभ कमा रही सीपीएसई का कुल लाभ वित्त वर्ष 20 में 1.38 लाख करोड़ रुपए है, जबकि घाटे में चल रही उद्यमों का समेकित घाटा 44,816 करोड़ रुपये है। सीपीएसई में कुल निवल लाभ वित्त वर्ष 19 में 34.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ वित्त वर्ष 19 में 1.43 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 20 में 93,295 लाख करोड़ पहुंच गया। सीपीएसई का परिचालन 4 क्षेत्रों में हो रहा है-कृषि, खनन और खोज, विनिर्माण एवं सेवाएं।

व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

- भारत सरकार देश में व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि आर्थिक क्रियाकलापों और विनिर्माण के क्षेत्र में देश को वैश्विक केन्द्र बनाया जा सके। वर्षों पुराने विद्यमान नियमों और विनियम को सरल और युक्तिसंगत बनाने हेतु बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा व्यवसाय के वातावरण को बेहतर बनाने हेतु शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की शुरूआत करना उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदमों में से एक हैं। डुइंग बिजनेस रिपोर्ट (2020) के अनुसार ईज ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी) सूचकांक में भारत 190 देशों में से वर्ष 2018 में 77वें स्थान से वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 10 मापदंडों में से 7 में बेहतर किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के करीब समीप पहुंच गया है डीबीआर ने वर्ष 2020 में स्वीकार किया है कि भारत लगातार तीसरी बार मुख्य 10 सुधारवादी देशों में से एक है तथा भारत ने तीन वर्षों में तीसरी बार सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2009 से ईओडीबी रेंक में भारत प्रगति और डीबीआर 2020 के मुख्य समूह की तुलना में भारत की स्थिति चित्र 13(क और ख) और चित्र 14 में दर्शाई गई है। वर्ष 2011 से यह किसी भी बड़े देश के द्वारा सबसे ऊंची छलांग है।

स्टार्ट-अप-इंडिया

- स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए एक मंच है जिनके पास खुली-सोच है तथा ऐसे उत्पादों को विकसित करने की क्षमता है जो तेजी से बदलते विश्व में खुद की जगह बना सकते हैं। स्टार्ट-अप मध्यम से लंबी-दूरी तक विकास के बाहय होने की क्षमता रखते हैं। स्टार्ट-अप के विकास को सुकर बनाने के लिए, भारत सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया स्टैण्ड अप इंडिया पहल की घोषणा की। कार्रवाई-योजना/एक्शन प्लान तीन स्तंभों पर आधारित

है। ''सरलीकरण और सहयोग/हैडहॉल्डिंग'' ''निधियन रुपए एवं प्रोत्साहन; तथा ''इंडस्ट्री एकेड्किया भागीदारी तथा इन्क्यूवेशन''। 23/12/2020 को भारत सरकार ने 41,061 स्टार्ट-अप की पहचान की तथा 39,000 स्टार्ट-अप द्वारा 4,70,000 रोजगार दिए जाने की सूचना दी भारत ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन करने के लिए कई पहल की हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निवेश और निवेश वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है जो देश में आर्थिक विकास को गति देता है। एफडीआई प्रवाह देश में उत्पादकता कौशल और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने के साथ भी जुड़ा हुआ है। सक्रिय नीतिगत उपायों और देश में व्यापार करने में आसानी एवं किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप एफडीआई प्रवाह में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। एफडीआई इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 13 से लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 20 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 49.98 बिलियन यूएस डॉलर था जबकि वित्त वर्ष 19 के दौरान 44.37 बिलियन यूएस डॉलर था इसी तरह से वित्त वर्ष 21 के लिए (सितम्बर 2020 तक) 30.0 बिलियन यूएस डॉलर था। एफडीआई इक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा गैर विनिर्माण क्षेत्र में है, जिससे एफडीआई प्रवाह का विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातु, गैर पारंपरिक ऊर्जा, रसायन (उर्वरक के अलावा), खाद्य प्रसंस्करण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को एफडीआई इक्विटी प्रवाह अधिक मात्रा में मिलता है। वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों में हुए एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 67 प्रतिशत भाग था।

क्षेत्रवार मुद्दे और पहल

स्टील

- स्टील उद्योगों, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्वपूर्ण आदानों में से एक हैं। आर्थिक विकास के इन महत्वपूर्ण स्तंभों में इस महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (एनएसपी-17) ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हुए भी उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार पर जोर दिया है।
- एन.एस.पी. 17 का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 158 कि.ग्रा. प्रतिव्यक्ति उपभोग सहित 300 मिलियन टन (एमटी.) की अपरिष्कृत इस्पात (क्रूड़ स्टील) क्षमता तथा 230 एम.टी. तैयार इस्पात (फिनिशड स्टील) क्षमता प्राप्त करना है।

बॉक्स : 3 भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए गए उपाय

क) स्वच्छ कोयला (क्लीन कोल):

- कार्बन सिंक क्रिएट करना: 132 मिलियन वृक्षारोपण द्वारा लगभग 54500 हैक्टेयर भूमि को ग्रीनकवर के तहत लाया गया है अर्थात् 2.7 लाख टन कार्बन डाईआक्साईड के समान प्रतिवर्ष अनुमानित कार्बन सिंक का निर्माण किया गया। 2030 तक लगभग 50 मिलियन वृक्षारोपण द्वारा 20000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को इसमें लाने की योजना है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले दो कोल बैंड मीथेन (सी.ए.एम.) परियोजनाएं पाईपलाइन में हैं।
- कार्बन उत्सर्जन के साथ सर्फेस कोल गैसीकरण परियोजनाएं (वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (एम टी) प्रेषण कोयला)
- फर्स्ट माईल कनेक्टिवीटी परियोजना: खदान से प्रेषण स्थल तक कोयले का परिवहन।

ख) नियमों एवं अधिनियम में संशोधन तथा अन्य उपाय:

- दनांक 13.03.2020 को प्रदत्त खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम 2020 के कोयला खदान (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2015 में कई संशोधन किए गए।
- खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) (एम.एस.डी.आर.) अधिनियम के तहत 11 कोल ब्लॉक (कोयला ब्लाकों) का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त कोयले की बिक्री के लिए नीलामी द्वारा 25 कोयला ब्लॉकों में आवंटन हेतु नामित प्राधिकारी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
- वाणिज्यिक खनन के लिए 10 जून 2020 में 38 कोयला खानों की नीलामी में से 19 सफलतापूर्वक आवंटित की गई इनका सफलता प्रतिशत पूर्व की 30% की तुलना में 50% (50 प्रतिशत) रहा।

- चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान इसकी प्रतिव्यक्ति कुल फिनिशड इस्पात उपयोगिता 229 कि.ग्राम की वैश्विक औसत के प्रति 74.7 कि.ग्रा. के आसपास थी। इसके अतिरिक्त क्रूड़ स्टील प्लांट्स (कच्चे इस्पात के संयंत्रों) में क्षमता-उपभोग (खपत) कम ही बनी रही।
- हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत विभिन्न प्रयास किए हैं जैसे:- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पी.एस.आई.) के तहत प्रोत्साहन के लिए चार विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को शामिल करते हुए (स्पेशलिटी स्टील) का समावेशन; ऐसे एम.एस. एमई. को डी.जी.एफ.टी. की ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम के तहत निर्यात समता कीमत पर स्टील ऑफर करना जो अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य हैं; सरकारी खरीद में, जहां 25 करोड़ से अधिक लौह एवं इस्पात उत्पादों का अनुमान हो, वहां घरेलू निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के उपाय; उद्योग (इंडस्ट्री) को अनुचित व्यापार से बचाने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय करना जिसमें ऐसे उत्पादों पर अनुचित एन्टी डंपिंग ड्यूटी तथा प्रतिकारी शुल्क लगाना भी शामिल है जिन पर अन्य देशों द्वारा अनुचित व्यापार पद्धतियां अपनाई गई थीं।

कोयला

- भारत में कोयला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को 55% की पूर्ति करता है। कोयला न केवल देश में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वरन इसका उपयोग स्टील, स्पंज आयरन, सीमेंट, कागज ईंट के भट्ठे आदि जैसे कई उद्योग-धंधों में भी किया जाता है। वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम अर्थात् 0.05 प्रतिशत वृद्धि के साथ 729.1 मिलियन टन था। वित्त वर्ष-21 में (अप्रैल-अक्टूबर) अखिल भारतीय कोयला उतपादन 337.52 मिलियन टन था अर्थात् इसमें 3.3 प्रतिशत की कमी आई। इस कमी की वजह कोविड-19 ही है। भारत कोयले का आयातक भी है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष से अधिक 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर से वित्त वर्ष में 248.54 एम.टी. कोयला आयात किया। भारत में बिजली-आपूर्ति काफी हद तक कोयले पर ही निर्भर करती है। चूंकि कोयले को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता फिर भी भारत सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा पर्यावरण अनुकूलता के बीच सामांजस्य स्थापित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

- भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. को मौजूदा संकट से उबारने के लिए सशक्त बनाने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का वाहक बानाने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। 6 करोड़ से भी अधिक एम.एस.एमई. के साथ यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है तथा रोजगार सृजन तथा जी.डी.पी. में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग नियोजित हैं। यह जी.डी.पी. का लगभग 30 प्रतिशत है तथा सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में देश के आयात का आधे हिस्से में इसका योगदान है।
- राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान एम.एस.एम.ई. क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने के लिए कई सुधारात्मक एवं सहायक उपाय किए गए हैं। इनमें से सर्वप्रथम एम.एस. एम.ई. परिभाषा आवश्यकता में निवेश मानदंड का संशोधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 खंड 1 में परिवर्तन की उस आश्यकता पर विचार किया गया है जो छोटे फर्मों को प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन देती है और जिनके द्वारा वे लागत संबंधी बड़े पैमाने की किफायत लाभ उठाती है। 1 जुलाई 2020 को उद्यम (Udyam) Registrqation Portal) प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य उद्यमियों के लिए लेन-देन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है तथा बिजनेस करने की कारोबारी प्रक्रिया का सुगम बनाना है। निवेश मानदंड में इस ऊर्ध्वमुखी संशोधन से आशा है कि देश में एम.एस.एम.ई. का सुदृढ़ विस्तार करने में सुविधा होगी तथा वे वैश्विक तौर पर प्रतिस्पार्धात्मक बनेंगे। इससे एम.एस.एम.ई. यूनिट के लाभों से वंचित हुए बिना उत्पादन में लागत संबंधी लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में कुछ किए गए महत्वपूर्ण उपायों पर बॉक्स I में प्रकाश डाला गया है।

तालिका : 9 - एम.एस.एम.ई. सेक्टर की परिभाषा

पूर्ववर्ती एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण

मानदंड : संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरण में निवेश			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण	25 लाख रु. से कम निवेश	25 लाख रु. से अधिक और 5 करोड़ रू से कम निवेश	5 करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. से कम निवेश
सेवा	10 लाख रु. से कम निवेश	10 लाख रु. से अधिक और 2 करोड़ रू. से कम निवेश	2 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रू. से कम निवेश

Revised MSME Classification

समय मापदंड: निवेश और वार्षिक कुल बिक्री (टर्न ओवर)			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण एवं सेवाएं	करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ रु. से कम	कुल बिक्री निवेश करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. से कम तथा कुल बिक्री 5 करोड़ रु. अधिक और 50 करोड़; रु. से कम	निवेश 10 करोड़ रु. से अधिक और 20 करोड़ रु. से कम तथा कुल बिक्री 50 करोड़ रु. से अधिक तथा 100 करोड़ रु. से कम

स्रोत: एम.एस.एम.ई.

चैंपियंस: एमएसएम ई के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म

- भारत सरकार ने 09 मई 2020 को एक बड़ी पहल करते हुए एम.एस.एम.ई. की सहायता के लिए ''चैंपियन्स ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरूआत की। ''चैंपियंस'' का अर्थ है:-
- उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग। यह एक आई.सी.टी. आधारित प्रौदयोगिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य छोटी ईकाईयों की समस्याएं दूर करके, प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान करते हुए पूरी व्यापार चक्र प्रक्रिया के दौरान हैन्ड हॉल्डिंग/मार्गदर्शन द्वारा बड़ी ईकाईयों में परिवर्तित करना है। यह प्लेटफार्म एम.एस.एम.ई. की समस्त आवश्यकताओं के लिए एकल विन्डो समाधान उपलब्ध कराता है।
- यह एक प्रौद्यौगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है। टेलीफोन, इन्टरनेट तथा वीडियो-कान्फ्रेंस जैसे आई.सी.टी. टूल्स के अतिरिक्त, इस सिस्टम में आर्टिफिएल इन्टैलीजैंस डाटा एनेलिटिक्स तथा मशीन लर्निंग भी है।
- यह भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल सीपी ग्राम्स तथा एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के अन्य बैंक आधारित प्रणालियों के साथ वास्तविक समय के आधार पर पूर्णरूपेण एकीकृत हैं।
- प्रणाली के एक भाग के रूप में हब एवं स्पॉक मॉडल में 70 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। यह हब, नई दिल्ली स्थित सचिव, एम.एस.एम.ई. कार्यालय में हैं। स्पोक्स राज्यों में स्थित मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थानों में होंगे।
- भारत सरकार ने बिल सुविधाओं/चैंपियंस प्लेटफार्म के माध्यम से विस्तारित समर्थन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी भरोसा जताया है।

कपड़ा और परिधान

- कपड़ा और परिधान उद्योग देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपड़ा और वस्तु उद्योग का समग्र जी.डी.पी. में 2 प्रतिशत तथा 20 में जी.वी.ए. में कुल उत्पादन में 11 प्रतिशत योगदान रहा है जिससे लगभग 10.5 करोड़ लोगों को कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह क्षेत्र देश में कृषि के पश्चात् सबसे बड़ा नियोजक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों में एक बड़ा भाग महिलाओं का है तथा यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस प्रकार देश में समग्र सामाजिक विकास में भी योगदान करता है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू करती है जैसे कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए.टी.यू.एफ.एस.) एकीकृत कपड़ा पार्क (एस.आई.टी.पी.) तथा समर्थ योजना। ए.टी.यू.एफ.एस., टी.यू.एफ.एस. का ही एक संशोधित संस्करण है तथा इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना तथा अपग्रेड करना है।
- एस.आई.टी.पी. विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। एस.आई.टी.पी. के तहत एकीकृत किए गए 56 कपड़ा पार्कों में से अब तक 23 ही पूरे हुए हैं। समर्थ का ध्यान कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर है। इसके अतिरिक्त सिल्क, जूट, वूल (ऊन) हथकरघा और हस्तशिल्प सेक्टर से संबंधित अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।
- भारत का स्थान कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यातक के तौर पर चीन, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम तथा इटली के बाद छठे स्थान पर आता है। भारत सूती धागे, फैशन गार्मेन्टस, हैंडमेड कार्पेट आदि समेत कई उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में सुप्रसिद्ध है। इस उद्योग की डिजाईन क्षमता का विश्व में काफी सम्मान है जिसकी वजह से देश को औद्योगिक पावरहाउस की छवि बनाने में सहायता मिली। हालांकि यह क्षेत्र कई आंतरिक तथा बाहरी आर्थिक चुनौतियों के प्रति अतिसंवेदनशील है जो इसकी समग्र क्षमता को प्रभावित करते हैं।
- भारत की उत्पादन क्षमता तथा निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पी.एम.आई. स्कीम) की शुरूआत की। जिसमें सेक्टर विशिष्ट वित्त सीमाओं के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय होने का अनुमान है।

अवसंरचना

- देश में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति, विकास का आधार हैं। पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में, अर्थव्यवस्था एक सब ऑप्टिमम स्तर पर रहती है तथा अपनी संभावी व अग्रणी विकास इंडस्ट्री से दूर ही रहती है। बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र के बावजूद बैकवार्ड - फॉरवार्ड लिंकेज सुस्थापित हैं तथा इसीलिए अवसंरचना में निवेश किया जाना एक त्वरित तथा समग्र आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है।
- भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा ड्राईव करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाईपलाइन (एन.आई.पी.) शुरू की है। इसका वित्तपोषण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र निधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है एन.आई.पी. में 2020-2025 के दौरान 111 लाख करोड़ (1.5 ट्रिलियन) के कुल अवसंरचनात्मक निवेश की परिकल्पना की गई है। एन.आई.पी. में ऊर्जा, सड़क, शहरी अवसंरचना, रेलवे का मुख्य शेयर है।
- भारत में अवसंरचना में निवेश मुख्यत: सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी.पी.पी.) के रूप में ही आया। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश के एक तिहाई से अधिक निजी-क्षेत्र से आया। पी.पी.पी, अवसंरचना गैप को दूर करने के साथ-साथ अवसंरचना सेवा सुपुर्दगी में दक्षता सुधार में सहायता करती है।
- भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में पी.पी.पी. परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक, निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.)

का गठन किया। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, पी.पी.ए.सी. ने 4321 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 5 परियोजनाओं की सिफारिश की। वित्त वर्ष 21 में पी.पी.पी. ए.सी ने कुल 66,600.59 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली 7 परियोजनाएं की सिफारिश की थी। इन सात परियोजनाओं में से एक टेलीकॉम सेक्टर, 3 रेलवे सेक्टर (2 स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं तथा एक यात्री ट्रेन परियोजना), 2 एम एच ए सेंक्टर परियोजनाएं (इको-पर्यटन परियोजनाएं) तथा एक पत्तन क्षेत्र परियोजना है।

- इन 5 परियोजनाओं में से 04 रेलवे सेक्टर की कैम्प परियोजनाएं हैं (यात्री ट्रेन परियोजना है) एक परियोजना तथा पत्तन क्षेत्र की हैं। वित्त वर्ष 21 में भारत सरकार ने रिवैम्पड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर वायाबिलिटी गैप निधियन (बीजीएफ) योजना को 2024-25 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रस्तावित वी.जी.एफ. स्कीम और अधिक पी.पी.जी. परियोजनाओं को आकर्षित करेगी तथा सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति आदि) में निजी निवेश को सुगम बनाएगी। नई योजना मुख्यत: सामाजिक अवसंरचना में निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरूआत से संबंधित है।

व्यावहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ) में स्कीम

सब स्कीम 1 सामाजिक क्षेत्रों, जैसे:- अपशिष्ट जलोपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र इत्यादि, की आवश्कताओं की पूर्ति के लिए है। इस श्रेणी के तहत् सात परियोजनाओं में कम से कम शत-प्रतिशत परिचालन संबंधी लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत (टी.पी.सी.) का अधिकतम 30% उपलब्ध कराएगी क्योंकि वी.जी.एफ. तथा राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/सांविधिक संस्था, टी.जी.सी. की 30% तक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

सब स्कीम 2 निदर्शन/प्रायोगिक सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के सहयोग के लिए है। ये परियोजनाएं ऐसी स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं में से हो सकती है जिनसे कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली हो।

ऐसी परियोजनाओं में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें पहले पांच वर्षों तक मिलकर कुल ऐसी पूंजी व्यय का 80% तथा प्रचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) लागत का 50% उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार, परियोजना की टी.जी.सी. का अधिकतम 40% उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त यह वाणिज्यिक ऑपरेशन के प्रथम पांच वर्षों में परियोजना की संचालन संबंधी लागत का अधिकतम 25% उपलब्ध करा सकती है।

सड़क क्षेत्र

- भारत सड़कों पर दौड़ता है, चाहे वह यात्री परिवहन हो या माल की आवाजाही, सड़क परिवहन देश में यातायात का प्रमुख साधन है। जी.वी.ए. में वित्त वर्ष 19 के दौरान परिवहन क्षेत्र का शेयर, लगभग 4.6% था जिसमें से सड़क परिवहन की भागीदारी लगभग 67% थी।
- भारत में सड़क परिवहन, यातायात प्रणाली का आधार है तथा यह परिवहन के मल्टी-मॉडल सिस्टम के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है, जो कि हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, पत्तनों तथा अन्य लॉजिस्टिक हब्स के साथ महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराता है। भारत 63.86 लाख कि.मी. शहरी ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय-राज्यीय राजमार्गों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है जिसका सड़कों का नेटवर्क 66.45 लाख कि.मीहै। इस क्षेत्र में सक्रिय नीतिगत प्रयासों के साथ, देश में सड़क नेटवर्क में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- वित्त वर्ष-19 को समाप्त दशक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में 7.25% सी.ए.जी.आर. दर्ज किया गया जिसके बाद ग्रामीण सड़कों (6.25%) तथा शहरी सड़कों (4.27%) का स्थान आता है। जिस रफ्तार से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें 2014-15 की 12 कि.मी. प्रतिदिन से वर्ष 2018-19 में 30 कि.मी. प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा 2019-20 में यह औसत रही है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण में आई तीव्र कमी की मुख्य वजह कोविड्-19 ही रही है। अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के साथ ही सड़कों के निर्माण का कार्य कोविड-19 से पूर्व की तीव्र गति पर लौटने का अनुमान है।

भारत में सड़क निर्माण पर कुल निवेश के विवरण (करोड़ रू.)

Heads	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21*
कुल बजटीय सहायता	29359	45949	49172	59636	76137	75853	45508
आई.ई.बी.आर.	3343	23281	33118	50533	61217	74988	17128
निजी क्षेत्र निवेश	19232	29770	16029	16501	21605	21926	6029
कुल निवेश	51935	99000	98319	126670	158959	172767	68665

*सितंबर 2020 तक।

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

नागर विमानन (सिविल एविएशन)

- भारत का उड्डयन बाजार विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत के घरेलू ट्रैफिक (यातायात) में दोहरी/दोगुनी वृद्धि हुई है तथा यह 2013-14 में 61 मिलियन के आसपास था जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया है अर्थात इसमें 14% प्रतिवर्ष से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 तक उम्मीद है कि यह तृतीय सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार से बढ़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समग्र बाजार (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक सहित) बन जाएगा। नागर विमानन क्षेत्र के निष्पादन सूचक चार्ट-30ए से 30डी तक दर्शाए गए हैं।
- कोविड-19 के कारण उपजी गंभीर चुनौतियों के बावजूद, भारतीय उड्यन उद्योग संकट से उबरने का प्रयत्न करता रहा है और इस उद्योग से दीर्घकालिक लचीलेपन तथा पूर्ण सेवा भाव का प्रदर्शन किया है। वंदे भारत मिशन को 7 मई 2020 को विश्व में फंसे हुए भारतीय को वापिस लाने के लिए शुरु किया गया था। इसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2020 तक लगभग 30 लाख यात्रियों का आगमन हुआ है, इसमें से लगभग 27 लाख को चार्टेड उड़ानों तथा एयर इंडिया समूह की सहायता से, मानव इतिहास में सबसे बड़े बचाव मिशन के जरिए, सहायता दी गई। लाईफ लाइन उड़ान पहल के तहत भारत के सूदूर क्षेत्रों को जीवन-रक्षक सामग्री की आपूर्ति के परिवहन में एयर कार्गो ने नेतृत्व किया तथा आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के आयात की भी देखभाल की।
- सरकार द्वारा किए गए निर्णायक एवं तीव्र हस्तक्षेपों तथा प्रभावी उपायों के परिणाम स्वरुप हवाई यात्रीयों की यात्रा एवं हवाई जहाजों के परिचालन 2021 के आरंभ में पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंचने की संभावना है। सरकार ने 23 देशों के साथ इन संबंधाति देशों तथा भारत के बीच यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एयर-लिंक अथवा एयर बबल की शुरुआत भी कर दी है।

कोविड लॉकडाउन के दौरान कार्गो के सुगम एवं प्रभावी प्रचालन को सुनिश्चित करने की पहल

- उपयुक्त चिकित्सा सुरक्षा उपायों के साथ कार्गो टर्मिनल सुविधाओं के 24 ग7 परिचालन को सुनिश्चित करना।
- आवश्यक शिपमेंट के लिए रास्ते को खाली रखने के लिए हवाई अड्डों पर हवाई कार्गो वेयर हाउस की शीघ्र निकासी को प्रोत्साहन देना।
- हवाई माल वाहक जहाजों में 6 से 20 समर्पित हवाई माल वाहक जहाजों तक संख्या में वृद्धि।
- कार्गो-ऑन-सीट उड़ानों के रूप में तैनात लगभग 150 यात्री विमानों के साथ हवाई मालवाहकों की क्षमता में बढ़ोतरी।
- दिल्ली हवाई अड्डे पर आयात कार्गो चिकित्सा आपूर्तियों के भण्डारण एवं वितरण के लिए रिकार्ड 6 दिनों में 3800 वर्ग मीटर की समर्पित सुविधाओं का सृजन।
- दिल्ली हवाई अड्डों पर अस्थायी गोदामों की सुविधाओं का सृजन।
- अन्य हवाई अड्डों पर अस्थायी गोदामों की सुविधाओं का सृजन।
- प्रोजेक्ट-पंहुच-यात्रियों के कार्गो को खाली करने के लिए उनको डिलीवरी एवं सहायता के लिए लगातार आधार पर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक समर्पित टीम।
- जुलाई 2020 में कागजातों के इलेक्ट्रानिक जमा के लिए हवाई अड्डों पर ई-डिलीवरी तथा ई-गेट पास का आरंभ।
- वैश्विक एवं घरेलु आपूर्ति चेन एवं उत्पादन लाइनों के व्यवधानों के कारण भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (अस्पताल, लेब्रोरेट्री), सहायता ऑपरेशन में लगी एनजीओ) तथा विनिमार्ण क्षेत्रों के सन्मुख आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दी गई विभिन्न प्रकृति (परिधान, विनियमक तथा लॉजिस्टिक) के रियल-टाईम समाधान।
- अतर्राष्ट्रीय चिकित्सा एवम् पीपीई आवश्यकताओं की उपलब्धता:- सिंगापुर/चीन से भारत तक 2817 मी.ट. के साथ 121 मालवाहक सह-पी2सी के जरिये 158,000 पैकेट लाए गए।
- कार्गो टर्मिनल पर आयात कार्गो भण्डार के लिए ई.टी.वी. के प्रभावी उपयोग, चयनित स्थानों पर आयात कार्गो के रुकने के लिकस्टम एवम् सीआईएसएफ के रुप में टाई अप बेली-होल्ड कार्गो क्षमता में कमी को पूरा करने कि लिए हवाई माल वाहक प्रचालन की मांग में हुई बढ़ोतरी में सहयोग।
- सभी तापमान-नियंत्रित कार्गो के लिए त्वरित-कनेक्ट को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित टीम।

बंदरगाह और नौवाहन

- पत्तन एवं नौपरिवहन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन के लिए एक मजबूत साधान है। ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की लागत तथा बंदरगाह पर प्रतीक्षा अवधि को भी कम करता है। भारत में, नौ परिवहन द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा (मूल्य) लगभग 95 प्रतिशत (68 प्रतिशत) है।
- भारत में 7500 किलोमीटर की समृद्ध तटीय रेखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय समृद्ध व्यापार मार्गों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है। नौपरिवहन जल मार्ग का संभावित लाभ लेने के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने देश में बंदरगाह-लिंक वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम का आरंभ किया है।

- सागरमाला कार्यक्रम ने चार स्तंभ के अंतर्गत 500+ परियोजनाओं की पहचान की है- 211 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं, 200 बंदरगाह कनेक्टीवीटी परियोजनाएं, 32 बंदरगाह-लिंक औद्योगिकीकरण परियोजनाएं, तथा 62 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं, जो बंदरगाह-विकास के लिए अवसरों को खोज सकती हैं तथा इससे 3.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक बुनियादी निवेश करने का अनुमान है। जूलाई 2019 से अक्तूबर 2020 के बीच 8461 करोड़ रुपये की 37 सागरमाला परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनमें 2721 करोड़ की लागत वाली 17 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं, 5372 करोड़ की लागत वाली 14 बदंरगाह कनेक्टीवीटी परियोजनाएं, तथा 368 करोड़ वाली 6 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल है। 8.49 भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 871.52 एमटीपीए की तुलना में, मार्च, 2020 में बढ़कर 1534.91 एमटीपीए हो गई है। 2018-19 के दौरान प्रमुख बंदगाहों ने 704.92 एमटी कार्गो (Traffi) को संचालित (हैंडल) किया गया है। भारत सरकार मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से प्रमुख बदंरगाहों की परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। औसत टर्नअराऊंड समय में, 2010-11 में 107.23 घन्टे तथा 2014-15 में 96 घंटे की तुलना में 2019-20 में सुधार कर 62.11 घन्टे हो गया है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में ''औसत आउटपुट प्रति शिप-बर्थ-दिवस' 15,333 टन से बढ़कर 16,541 टन हो गया है पूर्वधारणा के विपरीत, बंदरगाह जो कुल ट्रेफिक में अधिक योगदान देना हैं वह उच्च टर्नओवर टाईम है, साक्ष्य सुझाने है कि औसत टर्नओवर टाईम बंदरगाह द्वारा हेंडल किगए ट्रेफिक की मात्रा से महत्वपूर्ण रुप से सम्बन्धित नहीं हैं। कुल ट्रेफिक के होते हुए भी कुछेक बड़े बंदरगाह हैं ऐसे भी हैं जो टर्नअरांण्ड के संदर्भ में भी सक्षम है।

रेल

- सिंगल प्रबंधन के तहत भारतीय रेल (आई.आर.) 67,580 कि॰मी॰ से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वित्त वर्ष 20 के दौरान, भारतीय रेल ने 1.2 बिलियन टन माल और 8.1 बिलियत यात्रियों का वहन किया है जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बनाता है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखकर और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के मानक को बरकरार रखकर भारतीय रेल ट्रेन के टकराव को टालने के लिए और ट्रेनों के वास्तविक समय प्रबंधन को समर्थ करने के लिए सिग्नल प्रणाली में विशिष्ट देशी प्रणालियों के विकास को शामिल कर प्रौद्येगिकी परिवर्तनों को अंगीकृत करते हुए परिवहन संबंधी सुरक्षा, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक साधन उपलब्ध करने का प्रयास करती है। वित्त वर्ष 2020 में भारतीय रेल द्वारा माल लदान से अर्जित होने वाला राजस्व वित्त वर्ष 2019 से 1.1 प्रतिशत की कमी के साथ 12,084 लाख टन से प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2019 की तुलना में (-) 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020 में यात्री संबंधी यातायात 80,857 लाख था।
- भारतीय रेल ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए एक अनवरत आधार पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई उपाय किये हैं। इसके परिणामस्वरूप, उसी अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा वहन किए गए यातायात परिणाम में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद आनुषंगिक रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वित्त वर्ष 2017 में 104 से वित्त वर्ष 2020 में 55 तक की कमी आई है।
- 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारतीय रेल ने एक विशेष स्वच्छता अभियान आरम्भ किया। स्वच्छता अभियान के तहत, सभी यात्री कोच में बायो-टॉयलेट्स लगाया है।
- भारत सरकार ने ''नया भारत नई रेल'' संबंधी नई पहल के तहत निर्मित पी.पी.पी. के जरिए रेल में परिचालन के लिए निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी है। इस पहल से निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रु॰ के निवेश को संचित करने की आशा की जाती है। रेल मंत्रालय ने निजी साझेदारी से 151 आधुनिक ट्रेन के सेट्सया रेक्स का सूत्रपात करने के लिए 150 जोड़ी से अधिक ट्रेन सेवाओं का अभिनिर्धारण किया है। निजी सत्वों पर इन ट्रेनों को वित्त पोषित करने, खरीद करने, परिचालित करने और और इनका रख रखाव करने की जिम्मेदारी होगी और उनके पास इनके यात्रियों से वसूले जाने वाले भाड़े (किराए) पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। जो निजी सत्व इस परियोजना को शुरू करेंगे, उन्हें दो-चरण वाली बोली लगाने की प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। बोली लगाने वाली इस प्रक्रिया को मई 2021 तक पूरा किए जाने की आशा की जाती है और इन निजी ट्रेनों को 2023-24 में शुरू किए जाने की संभावना की जाती है।
- दूध, मांस और मछली सहित खराब होने वाले और कृषि उत्पाद का वहन करके बेहतर बाज़ार अवसर उपलब्ध करने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान रेल सेवाओं को संचालित करने की घोषणा की गई है। किसान रेल सेवा को आरम्भ करने के लिए कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार, और स्थानीय निकाय सहित रेल ने विभिन्न पणधारियों का सक्रियता से अनुशीलन किया है। रेल ने अब तक तेरह रुटों में किसान रेल सेवा परिचालित किया है। 8 जनवरी 2021 तक, 34,000 टन से अधिक माल का वहन करते हुए, किसान रेल के कुल 120 दौरा परिचालित किया है।
- यद्यपि यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू की गई है, फिर भी इन समय तालिका वाली विशेष ट्रेन सेवाओं को जारी रखा गया। 25 दिसम्बर, 2020 तक, भारतीय रेल ने 7,267 पार्सल विशेष ट्रेनों का परिचालन किया है, जिनमें से 7,014 समय-तालिका संबंधी-सेवाएं थीं।
- इन सेवाओं के माध्यम से, लगभग 6.6 लाख टन माल की ढुलाई की गई थी। 8.58 अवसंरचना और रोलिंग स्टॉक दोनों की मांग से अधिक क्षमता विकसित करने के लिए, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल योजना (एन.आर.पी.) को विकसित किया है। यह 2050 तक परियोजित यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। एन.आर.पी. ने एक सामान्य प्लेटफार्म पर इस देश की समस्त परिवहन अवसंरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसने सभी तरीकों से वहन किए गए मौजूदा यात्रियों और माल का मूल्यांकन कर 2030 से 2050 की अवधि के लिए वृद्धि का आंकलन भी किया है, उसके बाद रेल की महत्वपूर्ण मॉडल शिफ्ट की रणनीति तैयार किया है। माल संबंधी रेल के मॉडल शेयर में 27 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक वर्तमान स्तर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं को फंड प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी वित्तीय प्रणाली का यत्न किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) पर्याप्त

अधिस्थगन अवधि के साथ संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और इन परियोजनाओं को इस अधिस्थगन अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं को इस प्रकार नियोजित किया जा रहा है, जिससे कि ये इस सेवा के लिए पर्याप्त रिटर्न दे सके।

दूरसंचार क्षेत्र

- दूरसंचार क्षेत्र जेएएम-ट्रीनिटी (जनधन आधार मोबाइल) आधारित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सरकार की अन्य विकास-समर्थक पहलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र को दुनियाभर में विकास और गरीबी को कम करने के शक्तिशाली उपकरण के रुप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया अभियान के एक भाग के रुप में "सभी के लिए ब्रॉडबेन्ड पर काफी जोर दिया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक तक समावेशी इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाकर डिजिटल-डीवाईड को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं तथा उनका सम्पूर्ण विवरण में सक्षेपित किया गया है। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर वायरलेस टेलीफोनी की हिस्सेदारी 98.29 प्रतिशत है जबकि लेंडलाइन टेलीफोन अब केवल 1.71 प्रतिशत ही रह गया है। भारत में कुल टेलीघनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक 86.37 प्रतिशत पर थी, जबकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व क्रमशः 58.85 प्रतिशत तथा 138.97 प्रतिशत था। 8.60 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रवेश किया है। इन्टरनेट उपभागताओं की संख्या (ब्रॉडबैंड तथा नेरोबेन्ड दोनो) की संख्या मार्च-2019 में 636.73 मिलीयन की तुलना में सितम्बर 2020 के अंत तक 776.45 मिलीयन पर पहुंच गई है। वायरलेस डाटा का उपयोग केलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान घातीय दर से बढ़ा ओर 76.47 एक्साबाईट्स पर था। जनवरी-सितम्बर 2020 के दौरान ही यह पहले से ही 75.21 एक्साबाईट पर पहुंच गया। प्रतिग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा की खपत मार्च 2019 में 9.1 जीबी से बढ़कर जून-2020 में 12.2 जीबी हो गई। डाटा की लागत को तीव्र गति पर सस्ते इंटरनेट की पहुंच को उपलब्ध करा कर कम किया जा सकता है। जून 2020 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस डेटा की लागत 10.55 प्रति जीबी पर थी। भारत सरकार ने डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत नेट सहित विभिन्न पहल की है। इस परियोजना के तहत नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थानों को गैर-विपणनकारी आधार पर ब्राडबेंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्रॉडबेंड हाईवे के नेटवर्क ढांचे की स्थापना राज्य तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ की जा रही है। 15.01.2020 की स्थिति के अनुसार 1.63 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में लगभग 4.87 लाख किलोमीटर की ओएससी (ओपटीकलफाइबर केबल) विछायी गई है तथा लगभग 1.51 लाख ग्राम पंचायतों में सेवाएं तैयार हो गई है।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसः

- भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारतीय ऊर्जा खपत बासकेट में, विश्व की प्राथमिक ऊर्जा खपत में 5.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ कोयले और कच्चे तेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कच्चे तेल का उत्पादन वित्त वर्ष -20 में घटकर 32.17 मिलीयन मीट्रीक टन (एमएमटी) हो गया है, जबकि यह वित्त वर्ष-19 में कुल कच्चे तेल का 34.20 मिलियन टन तथा ओएनजीसी से धनीभूत उत्पादन 64.1 प्रतिशत, ओआईएल से 9.7 प्रतिशत तथा उत्पादन शैयर अनुबंध (PSC) रिजीन से 26.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 21 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, तेल उत्पादन में वित्त वर्ष 20 की तदनुरूप अवधि की तुलना में 5.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से कोविड-19 के प्रसार के कारण है। अतएव, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ उत्पादन के सामान्य स्तर पर पहुंचपने का अनुमान है। 8.63 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रकृतिक गैस का उत्पादन 31.18 बिलियन क्यूसिक मीटर (BCM) था, जबकि 2018-19 में यह 32.87 बीसीएम था। प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में, ओएनजीसी का 76.1 प्रतिशत, ओआईएल का 8.6 प्रतिशत तथा पीएससी रिजिम से 15.3 प्रतिशत था। अप्रेल-दिसंबर 2020 के दौरान गैस उत्पादन 21.13 बीसीएम था जोकि इस को अनुगामी वर्ष 20 की तुलना में 11.3 प्रतिशत कम था।
- संसाधित कच्चे तेल वर्ष 2020 में 254.39 एमएमटी पर था जो कि वर्ष 2019 में 257.20 एमएमटी पर था। यह 1.1 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। 2020 के दौरान, गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकतर शोधनशालाओं को बंद रखने की योजना थी। कच्चे तेल की प्रसंस्करण अप्रेल-दिसंबर, 2020 के दौरान 16.36 एमएमटी था जो कि अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान कच्चे तेल के प्रसंस्करण से 15.8 प्रतिशत कम है। तथा सरकार ने निर्धन परिवारों को 14 करोड़ निःशुल्क एलपीजी सलेंडर वितरति करने बहु प्रतिक्षित सहायता प्रदान की तथा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी देशभर निर्बोध निरंतर ईंधन आपूर्ति जारी रखी।

ऊर्जा

- विद्युत आर्थिक गतिविधियों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है तथा विद्युत की आवश्यकता फर्सत के समय में भी है। ऊर्जा क्षेत्र मांग (सार्वभेमिक विद्युतीकरण) तथा आपूर्ति-पक्ष (हरित ऊर्जा के आगमन) दोनों के पर्याप्त परिवर्तन का साक्षी है। भारत में बिजली उत्पादन और उसके प्रसारण में सरहानीय प्रगति हुई है। कुल स्थापित क्षमता मार्च 2019 में 356100 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2020 में 370106 मेगावाट हो गई है। इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,73436 मेगावाट हो गई और इसमें 231321 मेगावाट थर्मल, 45699 मेगावाट हाइड्रो, 6780 मेगावाट परमाणु, और 89636 मेगावाट नवीकरणीय और अन्य शामिल है। वर्ष 2019-20 में बिजली क्षमता में हुई वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए सहयोग के कारण थी। 8.66 भारत में बिजली की कमी को ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी तथा ऊर्जा तीव्रता में सुधार कर पूरा किया जा सकता है। ऊर्जा तीव्रता को आउटपुट की इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए विद्युत की तीव्रता को कम करना बेहतर है। भारत में विद्युत तीव्रता (2011-12 की कीमतों में) 2011-12 में 65.6 टोस प्रति करोड़ रुपये से घटकार 2018-19 में 55.43 टोस प्रति करोड़ हो गई प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 0.47 टोस से बढ़कर 2018-19 में 0.58 टोस हो गई।

- 2014 में, भारत सरकार ने 32.612 करोड़ रु. के मूल परिव्यय के साथ शहरी क्षेत्रों ने गुणवत्ता और विश्वसनीय 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य उपयोगिता को सुविधाजनक बनाने के लि. एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) को मंजूरी दी है। अब तक राज्य में 30,991 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और वितरण सुदृढ़ीकरण सितम्बर 2020 के अब तक 442/546 सर्किलों में पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 6 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में देश पहले ही दो प्रमुख लक्ष्यों को पूरा कर चुका है:– (1)दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100: ग्रामीण विद्युतीकरण (पप) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण। 8.68 टी एंड डी हानियों में 2001-02 से लगातार कमी हो रही है परंतु अभी भी उनकी मात्रा काफी है। सहयोगी देशों की टी एंड डी हानियों की तुलना में भारत की टी एंड डी काफी उच्च हैं।

खनन क्षेत्र

- खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो परिमित और गैर-नवीकरणीय है और ये समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत 95 खजिनों का उत्पादन करता है, जिसमें हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज (कोयला,लिग्नाइट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) 5 परमाणु (इल्मेनाइट, रुटाईल, जिरकॉन, यूरेनियम एवं मोनाजाईट), 10 धात्विक, 21 गैर-धात्विक एवं 55 छोटे खजिन शामिल है। 2019-20 में खनन और उत्खनन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 393102 करोड़ (वर्तमान कीमत पर) था जो 2019-20 के दौरान कुल जीवीए का लगभग 2.14 प्रतिशत है। 2019-20 में प्रमुख खनिजों का उत्पादन 2018-19 में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक था। खनन के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुहैं। जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर अन्वेषण और उपयोग हुआ है।

खनन के क्षेत्र में नीतिगत पहल

- 2015 में खनन एवं उत्खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) संशोधन के साथ इस क्षेत्र में बेड सुधारों की शुरूआत हुई। पहले आओ पहले पाओ की पुरानी पद्धति के विपरीत नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत की मंजूरी देने की विधि से खनिज रियायत की मंजूरी देने में विवेकाधिकार को हटाया तथा पारदर्शिता आई। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना; 50 वर्षों की समान लीज अवधि; केन्द्र सरकार द्वारा परमाणु खजिनों, कोयला तथा लिग्नाईट के अलावा खनिज रियायतों के अनुदान के लिए दी गई पिछली मंजूरी की आवश्यकताओं का वितरण; जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना लोगों के भले तथा खनन से प्रभावित क्षेत्रों के अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए की गई।
- हाल ही में, भारत सरकार के निम्नलिखित विधायिका एवं नीतिगत सुधार उपाय किए हैं।
- एम एम डी आर अधिनियम में संशोधन जनवरी 2020 में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी ब्राउनफिल्ड खानों के लिए दो वर्ष की अवधि तक नए पट्टेदारों को पुरानी लीज के साथ सभी वैध-वैधानिक निकासी के हस्तातरण के लिए किया गया था। ताकि उद्योग में उत्पादन व कच्चे माल की आपूर्ति के वितरण में कोई व्यवधान न हो।
- राज्यों को नीलामी से पहले मंजूरी की जरूरत होगी। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन बिना किसी विलम्ब के शुरू हो सकता है। इस विचार के क्रियान्वयन के लिए, खान मंत्रालय ने (एम ओ ई एवं सी सी) तथा राज्यों के साथ परामर्श के साथ 3.6.2020 को पूर्व-सांविधिक वैधानिक मंजूरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, भारत सरकार ने 16.5.2020 को अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख पहलों की घोषणा की है जिसमें शामिल हैं– (1) एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन प्रक्रिया की शुरूआत (2) खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 500 खदान ब्लॉकों की नीलामी (3) बॉक्साईट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी (4) केन्द्रीय एवं गैर-केन्द्रीय खदानों की बीच के अंतर को खतम करना तथा (5) विभिन्न खनिजों के लिए मिनरल इंडेक्स और स्टाम्प ड्यूटी की वसूली।
- इन संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्यों सामान्य रूप से अभिवृद्धि, रोजगार तथा खनन क्षेत्र में स्टेट ऑट तकनीक को लाना तथा विशिष्ट रूप से अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार देश में एल्युमिनियम और कॉपर के आयात की निगरानी के लिए ''एल्यूमीनियम आयात निगरानी प्रणाली (AIMS) तथा कॉपर आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।
- एआईएमएस (एम्स) और सीआईएमएस (सीम्स) का उद्देश्य एल्यूमीनियम और कॉपर के आयात के बारे में पर्याप्त जानकारी होना है जिससे कि एक उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप को देश के भीतर समय से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए तैयार किया जा सके।
- पहली बार, भारत सरकार ने, 1.4.2020 से प्रभावी एनएफईटी से वित्तपोषित अन्वेषण परियोजनाओं के लिलागू अनुसूचित/प्रभार (शुल्क)(SOC)को अनुमोदित किया है।

आवास एवं शहरी अवसंरचना

- भारत विश्व में सबसे त्वरित गति से शहरीकरण की और बढ़ने वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों की जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, जिसका 2030 तक लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है। भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण एवं अपरिवर्तनीय बन गया है और यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हालांकि शहर विकास के वाहक हैं तेजी हो रहे शहरीकरण के मार्ग में आधारभूत अवसंरचना सेवाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन तथा गन्दे पानी का प्रबंधन प्रमख चुनौतियां हैं।
- भारत सरकार शहरी गरीबों की सामाजिक और व्यावसायिक कमियों को दूर करने के लिए सभी वैधानिक शहरों में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्रियान्वित कर रही है। मिशन के अंतर्गत, शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कराकर स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने में सहायता दी जाती है। मिशन शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करता है और फेरी लगाने वाले विक्रेताओं (Street Vender) के लिये अवसंरचना भी प्रदान करता है। 31 अक्टूबर 2020 तक राज्यों/केंन्द्रशासित प्रदेशों को 3,378 करोड़ रु. जारी किए गए है और 9.9 लाख लाभार्थियों को कौशल और प्रशिक्षण दिया गया है और उनकी रोजगार क्षमता के लिए इन्हें प्रमाणित किया गया है। इसमें से 5.3 लाख कौशल-प्रशिक्षितों को स्वरोजगार और वेतन आधारित रोजगार दिया गया है।

- प्रधानमन्त्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी एन एस वी ए निधि) को आत्म निर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, कोडिन-19 लॉकडाउन के पश्चात् स्ट्रीट वेन्डर को उनके व्यावसाय को पुनः आरंभ करने के लिए माईक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आरंभ किया गया था। यह योजना उन 50 लाख से अधिक स्ट्रीक वेंडरों को लाभांवित करने का लक्षय रखती है, जो 24 मार्च 2020 से पहले, शहरी क्षेत्रों सहित अर्ध-शहरी/ग्रामिण क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो एक वर्ष की मासिक किश्तों में चुकाना होता है। ऋण का समय पर/शीघ्र चुकौती पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रत्येक तिमाही में से लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना 01 जून, 2020 को शुरू की गई थी और 2 जुलाई, 2020 से इसका संचालन शुरू किया गया था। 9 नवम्बर 2020 तक 26.48 लाख ऋण आवेदनों में से 13.70 लाख से अधिक स्वीकृत किए गए और 6.30 लाख से अधिक ऋण वितरित किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न केन्द्रीय कल्याण योजनाओ के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी योग्यता का आंकलन करने का काम प्रक्रियाधीन है ताकि इन योजनाओं तक उनको जोड़ा जा सके।
- प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2022 तक हाउसहोल्ड को पक्का घर प्रदान करने के लिए एक विजन प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक इसमें 109 लाख घरों को मंजूरी दी चुकी है जिनमें से 70 लाख घरो का निर्माण हो चुका है।
- भारत सरकार ने बजटीय आबंटन तथा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत ईबीआर (EBR) के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 18000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय किया है और आत्मनिर्भर भारत 3.9 के तहत स्कीम के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन भी जुटाने का लक्ष्य हैं इसके अतिरिक्त पी एम ए वाई के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स (एआरएचसी) उप स्कीम प्रवासी मजदूरों के कार्य के स्थान के निकट अर्फोर्डेबल किराए का घर उपलब्ध करवाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई। 8.74 आवासन निर्माण के लिए नवोन्मेष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी 2021 को लाईट हाउस परियोजनाओं (एल.एच.पी.) की आधारशिला रखी। 1 जनवरी 2021 को इस परियोजना के अंतर्गत 790.57 करोड़ रू॰ की लागत से 6,360 मकानों के निर्माण हेतु छः एल.एच.पी., 6 स्थानों पर लखनउ, इंदौर, राजकोट, चैन्नई, रांची तथा अगरतला में ''ग्लोबल हाउसिंग टैक्नोलोजी चैलेंज इंडियां के माध्यम से पहचानी गई नवप्रवर्तनशील प्रौद्योगिकियों को उपयोग करते हुए लागू किया जा रहा है। ये एल.एच.पी. समस्त हितधारकों भारतीय संदर्भ में इन वैश्विक प्रौद्योगिकियों की मुख्यधारा में लाने के लिए लाईव लैबोरेट्री के तौर पर कार्य करेगी।

09 सेवाएँ

भारत में सेवा क्षेत्र का निष्पादन-सिंहावलोकन

- सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 का असर कोविड-19 महामारी और उसके कारण देशभर में तथा विश्वभर में मार्च 2020 से लगाए गए लॉक डाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना डाला। संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र विशेषकर पर्यटन, उड्डयन एवं आतिथ्य जैसे उप-क्षेत्र इससे बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
- पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वाद्ध में सेवा क्षेत्र लगभग 16% वर्ष दर वर्ष तक संकुचित हो गया जिसका कारण सभी उप-क्षेत्रों विशेषकर 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधित सेवाओं में तेजी से आई गिरावट थी जो पूर्वाद्ध वित्त-वर्ष 2020-21 में 31.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
- प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 में 8.8 प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगाया गया है जबकि 2019-20 में इनमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- उप-क्षेत्र 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं', 'वित्तीय रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं', तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं' में क्रमश: 21.41 प्रतिशत, 3.68 प्रतिशत तथा 0.82 प्रतिशत का संकुचन होने का अनुमान है।
- उल्लेखनीय है कि जहां वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही (Q1) में 20 प्रतिशत से अधिक का संकुचन हुआ वही दूसरी तिमाही (Q2) यह कम होकर 11.4% हो गया।

भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का निष्पादन

क्षेत्र	सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)					
	2020.21 (AE)	2018-19 (1st RE)	2019-20 (PE)	2020-21 (AE)	2020-21 (H1)	2020-21 Q1	2020-21 Q2
कुल सेवाएं (निर्माण कार्य के अलावा)	54.3	7.7	5.5	-8.8	-15.9	-20.6	-11.4
व्यापार, होटल पविहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	15.4	7.7	3.6	-21.41	-31.5	-47.0	-15.6
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	22.2	6.8	4.6	-0.82	-6.8	-5.3	-8.1
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	16.7	9.4	10.0	-3.68	-11.3	-10.3	-12.2

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: हिस्सा वर्तमान मूल्य पर है और वृद्धि-स्थिर 2011-12 मूल्य पर है; आरई संशोधित अनुमान; पीई अनंतिम अनुमान; एई अग्रिम अनुमान

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सेवा क्षेत्र का हिस्सा

33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 में सकल राज्य मूल्य संबर्द्धन (जीएसवीए) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज्यादा है। 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन में योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली में यह हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक है। जबकि सिक्किम का हिस्सा 27.02 प्रतिशत से सबसे कम बना हुआ है।

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई)

- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी टी ए डी) द्वारा जारी की गई नवीनतम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े एफ डी आई प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान वर्ष 2019 में 9वां है जबकि जो 2018 में 12वां था।
- अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान वैश्विक मंदी, कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन से जुड़े उपायों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं के अवरूद्ध होने के बावजूद भारत में एफ डी आई में पिछली वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई।

- सेवा क्षेत्र में, जो भारत में एफ डी आई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान मजबूत वद्धि देखने को मिली। सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाहों (पुन: निदेशित आय को छोड़कर) में अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप यह 23.61 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहूंच गया है।

सेवा क्षेत्र में व्यापार

- वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने सेवाओं संबंधी वैश्विक व्यापार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डाला उसके परिणाम स्वरूप विश्वभर में आपूर्ति शृंखलाएं भंग हो गई। जहां विश्व व्यापार संगठन ने वर्ष 2020 में वैश्विक वाणिज्य-वस्तु व्यापार वृद्धि में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया है वहीं आई एम एफ ने वैश्विक माल एवं सेवा व्यापार में वर्ष 2020 में 10.4 प्रतिशत तक संकुचन होने की आशंका जताई हैं विश्व व्यापार संगठन सेवा व्यापार गतिविधि सूचकांक ने वाणिज्यिक सेवाओं में विश्व व्यापार में 2020 के पहले तीन महीनों में 4.3 प्रतिशत की कमी आने का संकेत देकर कोविड-19 के प्रसार के प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से दर्शाया था। 2020 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 30 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई क्योंकि कई देशों ने लॉकडाउन तथा परिवहन संबंधी प्रतिबंध लगा दिए थे जिनमें सीमा-पार (क्रॉस बॉर्डर) उपाय भी शामिल थे।

निर्यात

- सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत की पकड़ बहुत मजबूत है। वर्ष 2019 में यह वाणिज्यिक सेवा में दस शीर्ष देशों में शामिल था तथा विश्व सेवा निर्यात क्षेत्र में इसकी भागीदारी 3.5% थी।
- महामारी से हुए नुकसान के बावजूद के माल व्यापार की तुलना में भारत सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत लचीलापन बना रहा।
- वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में निवल सेवा निर्यात आय पिछले वर्ष के 40.47 बिलियन यू.एस. डॉलर की तुलना में 41.67 यू.एस. डॉलर थी।
- वैश्विक मांग में गिरावट तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन संबंधी उपाय किए जाने के चलते वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई 6.39 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.87 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- महामारी से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजिटल सहायता, क्लाउड सेवाओं तथा अवसंरचना के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण इस कठिन परिस्थितियों में भी ये क्षेत्र उत्कर्ष पर रहे।
- अधिकांश सॉफ्टवेयर कंपनियों ने, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में ऋणात्मक राजस्व वृद्धि होने की रिपोर्ट दी थी, दूसरी तिमाही में वृद्धि होने की रिपोर्ट दी थी, सकारात्मक तेजी आने के संकंत दिए हैं क्योंकि उनकी वित्तीय, बैकिंग एवं बीमा, खुदरा, जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल यूनिटों से प्राप्त होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।

आयात

- वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही में सेवा निर्यातों की तुलना में सेवा आयातों में 13.95 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। सभी प्रमुख सेवाओं के आयात के लिए भुगतान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम हो गए।
- प्रमुख सेक्टरों के बीच, भारत से विदेश यात्रा प्रतिबंधों के कारण समुद्रपार यात्रा के भुगतान में 55.9 प्रतिशत की कमी आई। साल-दर-साल आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में परिवहन सेवाओं के भुगतान (कुल सेवा आयात में 16 प्रतिशत की हिस्सेदारी) में 25.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।
- निर्यात की तुलना में सेवा आयात में तीव्र कमी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में शुद्ध सेवा प्राप्तियों को 2.1 प्रतिशत बढ़ा दिया। वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा में तीव्र संकुचन और स्थिर शुद्ध सेवा प्राप्तियों के कारण 2020-21 की पहली तिमारी में जीडीपी का 3.9 प्रतिशत, चालू खाता अधिशेष था।

प्रमुख सेवाएं: सबसेक्टरवार प्रदर्शन और नव नीतियां

- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020-21 के दौरान सेवा सेक्टर के अधिकांश सबसेक्टर्स के विकास में संकुचन देखा गया।
- 2020 में विमानन और पर्यटन में तेजी से गिरावट आई। गत वर्ष जनवरी-जून के दौरान 5.29 मिलियन की तुलना में 2020, जनवरी-जून के दौरान केवल 2.46 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत में आए। नतीजन, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 2020 की पहली छमाही के दौरान 6.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक घट गई।

पर्यटन सेक्टर

- जीडीपी, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार के रूप में पर्यटन सेक्टर, आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन है जो महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि, भारत सहित विश्व यात्रा और पर्यटन पर कोविड-19 महामारी का दुर्बल प्रभाव पड़ा है।
- कोविड-19 महामारी के फैलाव और इसके परिणामस्वरूप विश्व भर में लगाए गए लॉकडॉउन के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, मई की शुरूआत में वंदे भारत मिशन का शुभारंभ किया गया।
- सरकार ने अपने नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए अन्य देशों के साथ ट्रांसपोर्ट बबल्स स्थापित किए है। वर्तमान में भारत 24 देशों के साथ सक्रिय एयर बबल्स रखा है।

- **पर्यटकों की देशों के संदर्भ में संरचना-** भारत में घूमने के लिए आने वाले शीर्षस्थ 10 देशों से आए विदेशी पर्यटक बांगलादेश, यू.एस.ए., यू., के., आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी और रूस से हैं। 2019 में भारत में कुल विदेशी पर्यटक आगमन 67 प्रतिशत था। विदेशी पर्यटकों में से 57% प्रतिशत पर्यटक आराम करने, छुटियाँ बिताने और मनोरंजन के लिए घूमने आए थे, 14.7% प्रतिशत व्यवसाय के उद्देश्य से यहां आए थे। और 12.7 प्रतिशत भारतीय डायसपोरा थे।
- **पसंदीदा गंतव्य-** राज्य के स्तर पर पर्यटन संबंधी रूझानों के देखने पर, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष पांच राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, जो वर्ष 2019 में इस देश में घूमने आने वाले कुल घरेलू पर्यटक का लगभग 71 प्रतिशत था।
- विदेशी पर्यटकों को आकर्षिक करने वाले शीर्ष पाँच राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं।, जिनकी संख्या वर्ष 2019 में इस देश में घूमने वाले कुल विदेशी पर्यटकों का 69.4 प्रतिशत थी।

विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा योजना

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को सहयोग देने के लिए, भारत ने 46 देशों के लिए सितम्बर 2014 में ई.-टूरिस्ट विज़ा पद्धति प्रारम्भ किया है। इस योजना को आरम्भ करने से पहले, केवल 12 देशों के लिए ही ई.-विज़ा की सुविधा उपलब्ध थी। सरकार ने आगे 2016 में विज़ा पद्धति का 'ई.-टूरिस्ट विज़ा' 'ई.-बिजनेस विज़ा' 'ई.-मेडिकल विज़ा' 'ई.-कॉफ्रेंस विज़ा' और 'ई.-मेडिकल अटेंडेंट विज़ा' जैसे पाँच उप-वर्गों वाले ई.-विज़ा योजना का पुनः नामकरण करते हुए, इसे उदार बनाया।

आई.टी.-बी.पी.एम. सेवा

- भारतीय आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग भारत के निर्यात का ध्वज-वाहक रहा है। जबकि 1999-2000 से 2009-10 वृद्धि का दशक था, इसका अंतिम दशक, इसके एकीकरण और उद्योग को राजस्व और कर्मचारी वृद्धि को अलग करने में सफल रहा है। गत दशक से, इस उद्योग में 2019-20 में राजस्व का 190.5 यू.एस.+बिलियन डॉलर के आकार तक पहुँच कर 102 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- गत छह वर्षों से, आई.टी. संबंधी सेवाओं ने 2019-20 में लगभग 97 विलियन यू.एस. डॉलर के राजस्व के साथ, आई.टी.-बी.पी.एम. से सेक्टर का बहुतायत शेयर (50 प्रतिशत से अधिक) है। साफ्टवेयर व इंजिनियरी सेवाएं 2019-20 में इस क्षेत्र में 21 प्रतिशत का शेयर और 40.2 बिलियन यू.एसडॉलर का राजस्व संघटित कर प्रत्येक वर्ष एक अनवरत वृद्धि का साक्ष्य रही हैं।
- जी.पी.एम. सेवओं में 19.8 प्रतिशत का शेयर है, जबकि हार्डवेयर सेवाओं में प्रत्येक वर्ष के शेयर में कमी रही है लेकिन इसने राजस्व में वृद्धि बरकरार है।

निर्यात संचालित (IT-BPM)

- आई.टी.-बी.पी.एम. उद्योग (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) का महत्वपूर्ण भाग (लगभग 84 प्रतिशत) 2019-20 में 146 बिलियन यू.एस. डॉलर से अधिक निर्यात राजस्व के साथ निर्यात चालित है।
- वर्ष 2019-20 में आई.टी.-बी.पी.एम. सेक्टर के निर्यात में कुल 146.55 बिलियन यू.एस. डॉलर में से आई.टी. सेवाओं ने 54 प्रतिशत निर्यात का हिसाब लगाते हुए 79.1 बिलियन यू.एस. डॉलर का योगदान दिया है।
- निर्यात संबंधी राजस्व के वितरण को देश-वार देखने पर, 91 बिलियन यू.एस. डॉलर के कुल योग के साथ यू.एस.ए. निर्यात का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना रहा है। जिसका 2019-20 में कुल आईटी.-बी.पी.एम. निर्यात (हार्डवेयर को छोड़कर) का 62 प्रतिशत हिसाब लगाया गया है, इसके बाद यू.के. के आता है।
- यूरोप (यू.के. को छोड़कर) और एशिया प्रशांत महासागरीय के लिए क्रमशः भारत के निर्यात संबंधी उपार्जन का 11.4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत है।

आई.टी. बीपीएम सेक्टर की नीति संबंधी प्रमुख पहल

- अन्य सेवा प्रदाताओं (ओ.एस.पी.)की शर्तों में रियायत- आई.टी. उद्योग विशेषकर व्यवसाय प्रक्रिया के लिए बाहरी स्रोत से सेवाएं प्राप्त करने (बीपी.ओ.) और आई.टी. द्वारा समर्थकृत सेवाओं से संबंधित व्यवसाय को करने की सुगमता में सुधार करने के लक्ष्य के साथ, नवम्बर, 2020 में, सरकार ने दूरसंचार विभाग को अन्य सेवा प्रदाता (ओ.एस.पी.) के दिशा-निर्देशों को सरल किया है। नए दिशा-निर्देशों ने बी.पी.ओ. उद्योग के अनुपालन संबंधी भार में पर्याप्त रूप से कमी की है और जिसके द्वारा 'वर्क फ्रॉम होम' को समर्थ किया गया है।
- वस्तुतः, अन्य सेवा प्रदाताओं (ओ.एस.पी.) पंजीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था, और डेटा संबंधी परिचालनों में नियुक्त व्यवसाय प्रक्रिया संबंधी आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.) को ओ.एस.पी. की परिधि से बाहर लाया गया है। इसके अलावा, बैंक प्रत्याभूति जमा, अपरिवर्ती आई.पी. की आवश्यकता, रिपोर्टिंग संबंधी नियमित वाध्यता, नेटवर्क आरेख का प्रकाशन, दंड संबंधी उपबंध आदि जैसी अन्य आवश्यकताओं को दूर भी किया जाएगा। ये परिवर्तन आई.टी.-बी.पी.एम. कम्पनियों को 'वर्क फ्राम होम' तथा 'वर्क फ्रॉम एनिव्हेयर ' को समर्थ करेंगे।
- यह अधिनियम उपभोक्ताओं के समर्थ बनाते हुए 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है और यह उन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद सुधार आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद देयता और मिलावट/अवैध माल बाले उत्पाद के विनिमार्ण या उनकी बिक्री की सज़ा जैसे इनके भिन्न-भिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों को संरक्षित करने में सहायता करता है।

बंदरगाह, नौपरिवहन और जलमार्ग सेवाएँ-

- बंदरगाह यात्रा के द्वारा वस्तुओं का भारत में लगभग 90 प्रतिशत निर्यात-आयात की खेप और मूल्यानुसार 70 प्रतिशत किया जाता है। AS के अनुसार प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो क्षमता मार्च 2014 के अंत तक 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) थी, उसमें मार्च 2020 के अंत तक 1,534.91 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है।
- दीनदयाल (कांडला), पारादीप, जे.एन.पी.टी., विशाखापटनम और चेन्नई सहित इन बंदरगाहों में मार्च 2020 की स्थिति सेवाएं के अनुसार सर्वाधिक कार्गो क्षमता वाले पत्तन है।
- भारतीय पत्तनों की क्षमता जहाजों का टर्न अराउंड (मोड़ का) समय, जो पत्तन क्षेत्र की क्षमता का एक महत्वपूर्ण सूचक है, उसमें 2014-15 में 4 दिनों से 2020-21 (अप्रैल-सितम्बर) में 2.62 दिनों तक की कमी आई है। पोत-परिवहन के टर्न अराउंड समय में सभी मुख्य बंदरगाहों में कमी आई है, जोकि कोचीन बंदरगाह पर सबसे कम और मोरमुगाओं बंदरगाह में सबसे अधिक है।

वैश्विक नौवहन में भारत का हिस्सा

- जनवरी 2020 तक भारत का वैश्विक नौवहन में भागीदारी 0.9 प्रतिशत था।

सागरमाला कार्यक्रम

- 14,500 किलोमीटर की अंतर्निहित नौ-गम्य तटरेखा और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती व्यापार मार्गों के कारोबार-स्थानों को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने उच्चाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिससे देश में पत्तन सृजन और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

सागरमाला कार्यक्रम में कुल 504 परियोजनाओं की पहचान चार स्तंभों के अंतर्गत की गई है, जोकि इस प्रकार हैं- 211 पतन आधुनिकीकरण परियोजनाएं-199 पत्तन संयोजन परियोजनाएं-32 पत्तन सृजन और विकास आधारित औद्योगीकरण परियोजनाएं तथा 62 तटीय संप्रदाय विकास परियोजनाएं, जिनके द्वारा पत्तन सृजन और विकास संभावनाएं प्रकट हो जाएंगी और ऐसा अपेक्षित है कि 3.57 लाख करोड़ से अधिक का आधारभूत संरचना निवेश जुटाया जा सकेगा।

अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसायीकरण और निजी निवेश को आकर्षित करने की संभावनाएं

- भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया में सुविकसित कार्यक्रमों में से एक है और इसने अपने राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से कई सफलताएं प्राप्त की हैं, जो भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए जिम्मेदार है।
- देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ, जून 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया, जिससे भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष गतिविधियों के समग्र क्षेत्र में भागीदार बन सकें।
- अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रौद्योगिकियों की जानकारी का अन्यत्र उपयोग करने और भारतीय उद्योग को उच्च-प्रौद्योगिकियों विनिर्माण आधार को प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बनाया गया है।
- भारत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, इसरो अपनी स्पिन-ऑफ नीतियों के आधार पर उत्पादन के लिए आधारभूत-संरचना को साझा करेगा, और प्रौद्योगिकी की जानकारी देगा।
- पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष
- अर्थव्यवस्था का मान 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जोकि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2 प्रतिशत है।

अंतरिक्ष क्षेत्र

- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में धीमी शुरूआत के बाद पिछले छह दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चरघातांकी वृद्धि हो चुकी है।
- 1960 के दशक की सामान्य स्पेस-मैपिंग सेवाओं से लेकर अब तक अनेक प्रकार के विविध उपयोग किए जा रहे हैं जिनमें प्रेक्षण यानों की अभिकल्पना और विकास की श्रृंखला तैयार करना तथा संबंधित प्रौद्यागिकी, भू-प्रेक्षण के लिए उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकियां, दूरसंचार और ब्रॉड-बैंड, दिक्चालन, मौसम-विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान और विकास और सबसे निकटवर्ती समय में ग्रहीय-गवेषण सम्मिलित हैं।

वैश्विक अभिकर्त्ताओं का तुलना में भारत का व्यय

- वर्ष 2019-2020 में भारत ने लगभग 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का व्यय अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर किया था, तथापि हमारा देश अभी भी इस क्षेत्र में बड़े देशों से पीछे है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसने भारत से लगभग 10 गुना अधिक धन का व्यय वर्ष 2019-2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किया है, और चीन जिसने भारत से लगभग 6 गुना अधिक का व्यय किया है।
- विश्व के सापेक्ष सफलता दर-भारत ने हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। दूसरी ओर यूएसए, रूस और चीन ने वर्ष 2019 में क्रमश: 19,25 और 34 उपग्रहों को छोड़कर उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के क्षेत्र में अभी बभी बढ़त बना रखी है।

10 सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

परिचय

- कोविड-19 ने महामारी का सामना करने वाले समाजों, राज्यों और देशों की कमजोरियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत ने 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिसने कोविड-19 की वजह से मौतों की संख्या को कम करने में मदद की और साथ ही बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए और इससे भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली। ज्ञातव्य है कि सरकार ने मार्च, 2020 में ''प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना'' के तहत ₹1.70 लाख करोड़ के प्रथम राहत पैकेज और मई, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत ₹20 लाख करोड़ के व्यापक प्रोत्साहन-सह-राहत पैकेज की घोषणा की।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च में रुझान

- केंद्र और राज्यों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों) पर व्यय 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान 6.2 से बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में यह 2014-15 के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत और इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत रही।

मानव विकास

- यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की रैकिंग 131 है।
- एचडीआई संकेतकों के उप घटक-कर प्रदर्शन को देखते हुए भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई (2017 पीपीपी$) 2018 में 6442 अमरीकी $ से बढ़कर 2019 में 6681 अमरीकी $ हो गया है तथा ''जन्म के समय जीवन प्रत्याशा'' 2018 में 69.4 वर्ष से सुधरकर वर्ष 2019 में 69.7 वर्ष हो गई है। हालांकि वर्ष 2018 की तुलना में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और अनुमानित वर्षों में 2019 में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- भारत के लिए एचडीआई का मूल्य 2010 में 0.579 से बढ़कर 2019 में 0.645 हो गया है। 2010-2019 के दौरान औसत वार्षिक एचडीआई वृद्धि, 2000-2010 की अवधि के दौरान 1.58 प्रतिशत की तुलना में 1.21 प्रतिशत थी।
- ब्रिक्स में भारत 1.21 प्रतिशत औसत वार्षिक HDI वृद्धि के साथ सबसे तेजी से सुधार करने वाले देशों में शामिल हुआ है तथा चीन 0.95, दक्षिण अफ्रीका 0.73, रूस 0.60 और ब्राजील 0.59 से आगे है।

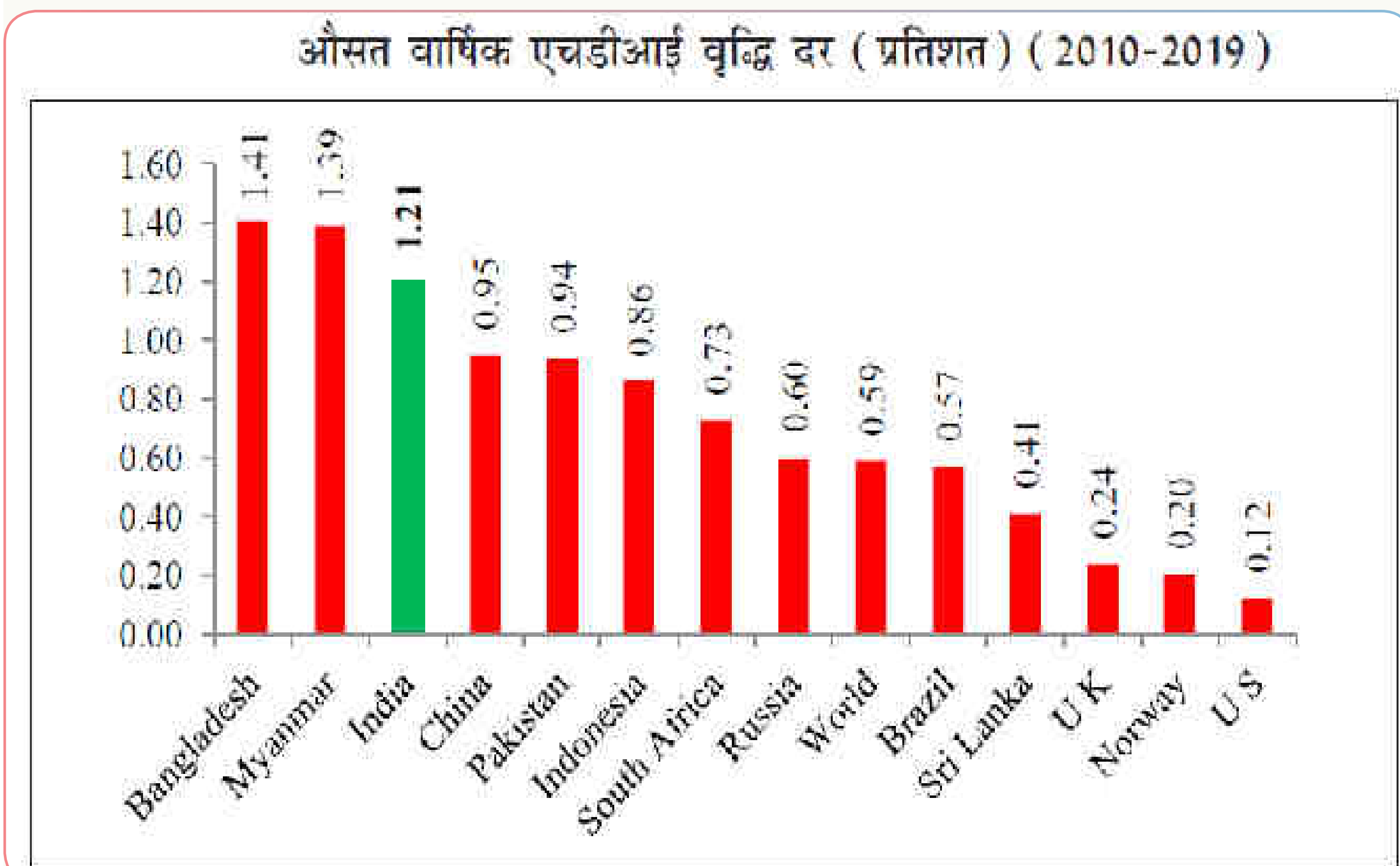

2020-21 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए कार्यक्रम और योजनाएँ

- समग्र शिक्षा स्कूलिंग के समान अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल प्रभावी उपायों में सुधार के विस्तृत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समग्र शिक्षा, एक अति महत्वपूर्ण को स्कूल शिक्षा सेक्टर में प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक कार्यान्वित किया गया है। योजना की परिकल्पना, शिक्षा के लिए एसडीजी के साथ प्री-स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है।
- योजना के मुख्य परिणामों में व्यवसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को मजबूत करने को शामिल करते हुए वैश्विक पहुंच, समानता और गुणवत्ता पर विचार करना है।

योजनाओं से संबंधित प्रमुख विशेषताएं

- **शिक्षा में समग्रतात्मक दृष्टिकोण:** पहली बार उच्च माध्यमिक स्तर और प्री-स्कूल स्तर पर सहायता को शामिल करते हुए प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक एक सांतव्यक के रूप में स्कूली शिक्षा के साथ समग्रतात्मक बर्ताव।
- **शिक्षा की गुणवत्ता पर बल:** दो टी-टीचर और टेक्नालाजी, पर बल देते हुए, शिक्षा की गुणवत्ता और अधिनियम परिणाम में सुधार पर अधिक बल।
- **डिजिट शिक्षा को बढ़ावा देना:** स्कूलों में उच्च प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्ड तथा डीटीएच चैनलों तथा आईसीटी अवसंरचना के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाना।
- **विद्यालयों को मज़बूती प्रदान करना:** सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना की गुणवत्ता में सभी स्तरों पर सुधार करना। विद्यालयों में सार्वभौमिक प्रवेश के लिए कक्षा I से लेकर VIII तक के बच्चों को वर्धित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
- **बालिका शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:** कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) का उन्नयन। प्राथमिक से ऊपर वाले कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक के चरण वाले कक्षाओं में मौजूद बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना।
- **समावेश पर ध्यान केंद्रित करना:** प्रति वर्ष ₹400 से बढ़ाकर ₹600 प्रति बच्चे के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के तहत यूनिफार्म्स का आवंटन करना। प्रति वर्ष ₹150/250 से बढ़ाकर ₹250/400 तक प्रति बच्चे के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के तहत पाठ्य-पुस्तकों का आवंटन करना। अत: इसमें क्यू.आर. कोड वाले पाठ्य-पुस्तकों की शुरूआत की गई।
- **कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** कक्षा 9-12 के लिए इस पाठ्यक्रम में समन्वित व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्थित कर इसे अत्यधिक व्यावहारिक व उद्योग उन्मुख बनाया जाना चाहिए।
- **खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:** खेल शिक्षा इस पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय खेल के औचित्य को समझकर इसके महत्व पर बल देने के लिए ₹5,000 से लेकर ₹25,000 तक की लागत पर खेल उपकरण प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

- **इसका उद्देश्य:** वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के साथ प्राग्विद्यालय (प्री. स्कूल) से माध्यमिक स्तर तक सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- वर्तमान 10+2 की प्रणाली के स्थान पर 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए क्रमश: 5+3+3+4 वर्ष की नई पाठ्यक्रम संरचना को प्रतिस्थापित किया जाना है।
- **एनईपी-2020:** सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालयों के लिए सार्वजनिक डॉमेन में ऑनलाइन घोषणा पर आधारित नया मानक फ्रेमवर्क लाकर स्कूल प्रशासन के स्वरूप को बदलने की तैयारी है।
- व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ की जाएगी और साथ में इंटर्नशिप भी करायी जाएगी।
- जहां तक संभव हो सकेगा कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। किसी भी छात्र को किसी भाषा को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

- 10 मार्च 2020 से ज्यादातर स्कूल कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते बंद पड़े हैं तथा बच्चों को घर पर उपलब्ध साधनों का उपयोग करके उनके घर में ही ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान दूरस्थ-अधिगम एवं दूरस्थ स्थानों से कार्य के मद्देनजर डाटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक-उपकरणों-कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की उपलब्धता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।
- ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों की संख्या, जिनके पास स्मार्टफोन हैं, वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में वर्ष 2020 में यह भारी बढ़ोतरी के साथ 61.8 प्रतिशत हो गयी है। परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, महिलाओं और पुरूषों, विभिन्न आयु समूहो, विभिन्न आय वर्गों के बीच डिजिटल विभाजन की विषमता में जो कमी आई है, यदि इस स्थिति का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो शैक्षिक परिणामों में पाई जाने वाली विषमता को कम किया जा सकता है।

कोविड-19 महामारी के समय में स्कूल के छात्रों के लिए की गई पहल

- **पी एम ई विद्या:** इस पहल की घोषणा मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। यह छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा को बहु-पद्धति से और न्यायसंगत रूप से पहुंचाने को सुगम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल है। स्कूली शिक्षा के चार पी एम ई - विद्या घटक इस प्रकार हैं:
  - एक राष्ट्र, एक डिजिटल शैक्षिक बुनियादी ढांचा
  - एक कक्षा, स्वयं प्रभा टी.वी. चैनलों के माध्यम से एक टी.वी. चैनल
  - रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग
  - दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था
- **मुक्त विद्यालयों एवं पूर्व-सेवा शिक्षा के लिए स्वयं एम ओ ओ सी (मैसिव ओपन ऑन लाइन कोर्स):** कक्षा 9 से 12 तक मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए से जुड़े एम स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। लगभग 92 पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं तथा स्वयं के तहत 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है।
- **मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार (एन आर ओ ई आर):** एन आर ओ ई आर, ई-पाठ्य सामग्री का मुक्त ज्ञान भंडर है। यहां सभी कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों पर लगभग 17,500 खंडों में ई-पाठ्य सामग्री उपलब्ध है।
- **डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञता दिशानिर्देश:** ये दिशानिर्देश ऑनलाइन/संयुक्त/डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए थे जो वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल बंद होने के कारण घर पर ही रहकर पढ़ रहे हैं।
- **मनोदर्पण:** आत्मनिर्भर भारत अभियान में 'मनोदर्पण' पहल को मनोसामाजिक सहयोग देने के लिए शामिल किया गया है।

कौशल विकास

- ग्रामीण, शहरी और लिंग आधारित वर्गीकरण में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के वार्षिक चक्र में कुशल लोगों के अनुपात में सुधार हुआ है हालांकि कौशल अर्जन का स्तर कम रहा क्योंकि 15-59 वर्ष आयु वर्ग के केवल 2.4 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसके अलावा अन्य 8.9 प्रतिशत कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

कौशल विकास पहलों के तहत नीतिगत सुधार

- **एकीकृत कौशल नियामक का संचालन करना:** कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक गतिशील और विश्वसनीय बनाने के लिए एकीकृत कौशल नियामक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीईटी) के संचालन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0):** पीएमकेवीवाई 3.0 का प्रथम चरण 2020-21 में प्रारंभ किया गया था। पीएमकेवीवाई जिला कौशल समिति (DSC) 3.0 में राज्य कौशल विकास मिशन के नेतृत्व के तहत (DSC) को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिला कौशल समिति (DSC) पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन का केंद्र बिंदु होगा और जिला स्तर योजना, संघटन और अभ्यर्थियों को परामर्श, प्रशिक्षण बैचों की संरचना, गुणता आश्वासन की मॉनीटरिंग और प्रशिक्षण पश्च सहायता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
- **गुणता संवर्धन:** दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणता संवर्धन तथा संस्थान के बारे में विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने के लिए, आईटीआई की ग्रेडिंग उनकी गुणता सुधार और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। 11,000 ITI का ड्राफ्ट ग्रेडिंग पहले सि ही मौजूद है।
- **स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में व्यावसायिक और औपचारिक एकीकरण:** स्कूल तथा उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा दोनों का एकीकरण सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के एकीकरण के प्रयास से एनईपी, 2020 को काफी प्रोत्साहन मिला, जिससे स्कूल और उच्चतर शिक्षा के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले 5 वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिला है।

रोजगार की स्थिति

- पीएलएफ आंकलनों के आधार पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, प्रधान स्तर (पीएस) और गौण स्तर पर (एसएस) ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लिए सभी आयु-वर्ग के लिए (तालिका 7) पुरुष-महिला के संबंध में कुल श्रम बल, रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े ज्ञात किए गए हैं।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रमिक बल, रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान (सभी आयु पी एस. एस एस, करोड़ में)

श्रेणी	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18									
श्रमिक बल	25.48	8.67	34.15	13.25	3.57	16.82	38.73	12.24	50.97
रोजगार	23.91	7.70	31.61	12.39	3.15	15.53	36.29	10.85	47.14
बेरोजगारी	1.57	0.97	2.54	0.86	0.42	1.29	2.44	1.39	3.83
2018-19									

श्रमिक बल	25.77	8.77	34.54	13.60	3.68	17.28	39.37	12.45	51.82
रोजगार	24.37	8.46	32.83	12.64	3.31	15.96	37.01	11.77	48.78
बेरोजगारी	1.40	0.31	1.71	0.96	0.37	1.33	2.36	0.68	3.04

- 2018-19 में लगभग 51.8 करोड़ श्रमिक थे जिसमें से 48.8 करोड़ नियोजित और 3.0 करोड़ बेरोजगार थे। 2017-18 और 2018-19 के बीच लगभग 0.85 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति देश के श्रम बल में शामिल हुए। इनमें से शहरी क्षेत्र से 0.46 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र से 0.39 करोड़ थे। इन में लगभग 0.64 करोड़ पुरुष और 0.21 करोड़ महिलाएं थीं।
- कार्यरत कर्मचारियों के उद्योगवार अनुमानों से पता चलता है कि सबसे बड़े, लगभग 21.5 करोड़ व्यक्ति कृषि में कार्यरत हैं, जो अभी भी 42.5 प्रतिशत कार्यबल वाले सबसे बड़े नियोक्ता हैं।
- अगला महत्वपूर्ण उद्योग 'अन्य सेवाएं' हैं जहां लगभग 6.4 करोड़ व्यक्ति (13.8 प्रतिशत) लगे हुए हैं। विनिर्माण और 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' ने 12.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ लगभग 5.9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, जबकि 'निर्माण' उद्योग ने 2018-19 में लगभग 5.7 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कृषि, विनिर्माण परिवहन भंडारण और संचार एवं अन्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों की वृद्धि हुई।

औपचारिक रोजगार

- 20 दिसंबर, 2020 तक ईपीएफओ का शुद्ध वेतनपत्रक (पेरोल) डेटा वर्ष 2018-19 के 61.1 लाख की तुलना में वर्ष 2019-20 में 78.58 लाख था जो कि ईपीएफओ में नए अभिदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है।

बेरोजगारी

- सामान्य स्थिति के अनुसार, सभी आयु के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर, वर्ष 2018-19 में मामूली रूप से घटकर 5.8 प्रतिशत रही जो कि वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी।
- बेरोजगारी दर में गिरावट सभी श्रेणियों में व्यापक से देखी गई। उन लोगों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- शहरी युवाओं (उम्र 15-29 वर्ष) में बेरोजगारी का स्तर उच्चतम 20.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है, और यह 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जिनका शैक्षिक स्तर विभिन्न प्रकार का है के उप-वर्ग निरक्षर के लिए सबसे कम है
- भारत के राज्यों में युवा बेरोजगारी दर में व्यापक भिन्नता है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर और बिहार जैसे राज्यों में यह सबसे अधिक है जबकि गुजरात, कर्नाटक, पं. बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों में कम है। जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश रेड लाइन या उसके आस-पास हैं जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र दर्शाते हैं कि उनकी शहरी-युवा बेरोजगारी दर ग्रामीण बेरोजगारी दर के लगभग बराबर है और लाइन के ऊपर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दर्शाते हैं कि गांवों की अपेक्षा शहरों में युवा बेरोजगारी अधिक है।

श्रमिक सुधार

- वर्ष 2019 और वर्ष 2020 श्रम सुधारों के इतिहास में ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं, जब देश ने लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक सुरक्षा पर चार श्रम संहिताओं में समहित, तर्कसंगत और सरलीकृत किया जा रहा है, यथा (i) मजदूरी संहिता, 2019, (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, (iii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यचालन परिस्थितियों संहिता 2020 और (iv) सामाजिक सुरक्षा 2020।

काम की प्रकृति में बदलाव: गिग और प्लेटफार्म श्रमिक

- तकनीक में बदलाव, नई आर्थिक गतिविधियों के विकास, संगठन संरचनाओं में नवीनता और व्यावसायिक मॉडल विकसित करने के साथ काम की प्रकृति बदल रही है। बिचौलियों की अनुपस्थिति में नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों की आसानी से खोज करने की शक्ति के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म रोजगार सृजन के लिए प्रवर्तक बन गए हैं।
- कोविड-19 के कारण हुई लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाईन व्यापार की महत्वपूर्ण वृद्धि गिग अर्थव्यवस्था की बढ़ती भूमिका की साक्षी है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को 'घर से काम' करने की प्राथमिकता दी, कर्मचारियों की संख्या में कटौती और ओवरहैड लागत को कम करने के साथ-साथ सिक्लड सेवाओं को किराए पर लेने के लिए फ्री लांसर या कार्यों के लिए आऊट सोर्सिंग को शामिल किया गया। फलस्वरूप, जबकि गिग अर्थव्यवस्था भारत में ब्लू-कॉलर श्रमिकों में लोकप्रिय रही है।
- उबर/ओला, स्विगी, बिग-बास्केट, पिज्जाहट जैसे प्लेटफार्मों में लगे डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर, अब व्हाईट-कॉलर श्रमिकों के लिए संभावित उद्योगों के साथ-साथ हायर प्रोजेक्ट में इनकी भी विशिष्ट सलाहकार, लोगों एवं कंटेट डिजाईनर, बेवडिज़ाइनर आदि के लिए उद्योगों में मांग बढ़ रही है।
- गिग श्रमिक के लिए नौकरी अनुबंध की प्रकृति नियोक्ता और कर्मचारी/श्रमिक के बीच होने वाले अनुबंध से अलग होती है। उनका श्रम-अनुबंध आमतौर पर कम या निर्धारित कार्य या सेवा या नौकरी के लिए अधिक विशिष्ट होता है। उनके रोजगार की प्रवृति निश्चित रूप से नियमित के बजाय अस्थायी या संविदात्मक हो सकती है।

रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए कार्यक्रम और योजनाए

- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनाः** नवम्बर 2020 में आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक घटक की घोषणा की गई थी। इस योजना की कुल अनुमानित राशि यानि मजदूरी माह 31 मई, 2023 तक की अवधि के लिए ₹ 22.810 करोड़ है।
- इस योजना में अक्तूबर 2020 से जून 2021 के दौरान, 1000 कर्मचारियों (यूएएन के साथ इपीएफ सदस्यों का अंशदान) तक को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ वेतन कर्मचारियों और नियोक्ताओं का कुल 24 प्रतिशत, (स्थापना पर लागू प्रत्येक या वैधानिक दर से कर्मचारियों के ई.पी.एफ. का 12 प्रतिशत) का भुगतान करने का तथा कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का भी प्रस्ताव है।
- **प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई):** पीएमआरपीवाई की घोषणा 9 अगस्त, 2016 को की गई थी। जिसमें नए रोजगार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33 प्रतिशत तथा रुपए 15000 प्रतिमाह तक की मजदूरी वाले गारमेंट एवं मेड-अप में लगे नए श्रमिकों के नियोक्ताओं को अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

अन्य उपाय

- संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को राहत देने के लिए, सरकार द्वारा 28 मार्च 2020 को जारी की गई अधिसूचना में बकाया शेष के 75 प्रतिशत के वापिस न करने योग्य अग्रिम या तीन माह से मजदूरी, जो भी कम हो, का प्रावधान ईपीएफओ के सदस्यों के लिए किया गया है।
- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अंतर्गत भवन और निर्माण श्रमिकों (Bocw) को वित्तीय सहायता दी गई थी, जिसमें व्यापक रूप से बीओसीडब्ल्यू के उपकर के अंतर्गत संगहित निधियों से प्रवासी श्रमिक शामिल थे।

रोजगार का लैंगिक आयाम

- 2018-19 में उत्पादक आयु (15-59 वर्ष) में महिलाओं की एलएफपीआर पुरूषों (शहरी + ग्रामीण) की 80.3 प्रतिशत की तुलना में, 26.5 प्रतिशत थी। जबकि 54.7 प्रतिशत शहरी महिलाओं को नियमित वेतन और वेतन भोगी श्रेणी में नियुक्त किया गया था। लगभग 59.6 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं न केवल स्वरोजगार थी, बल्कि उनमें से 37.9 प्रतिशत घरेलु उद्यमों में सहायक थीं।
- एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर, 2019 के दौरान अपनी तरह का पहला टाइम यूज सर्वे (टीयूएस) आयोजित किया जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस पर अंतदृष्टि प्रदान करता है कि 24 घंटे की समयावधि के दौरान विभिन्न गतिविधियों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरूष एवं महिलाएं अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। यह देखा गया कि एक महिला द्वारा अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर और घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल सेवाओं पर खर्च किया जाने वाला समय पुरूषों से अधिक है। महिला सदस्यों द्वारा रोजगार से सम्बन्धित गतिविधियों पर खर्च किया जाने वाला समय पुरूषों की तुलना में 127 मिनट कम है।
- महिलाओं द्वारा घरेलू एवं देखभाल संबंधी अवैतनिक सेवाएं देने में उनके शैक्षिक स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महिलाओं द्वारा दी गई अवैतनिक सेवाएं उनके शैक्षणिक स्तर से प्रभावित नहीं होती है।, ''माध्यमिक और उससे उपर के शैक्षणिक स्तर वाली महिलाएं भी, घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू सेवाओं में 295 मिनट तथा घर के सदस्यों के लिए देखभाल सेवाओं में 146 मिनट बिताती है।

स्वास्थ्य

- कोविड-19 ने दिखाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश और सुदृढ़ता का कितना महत्व है। भारत ने पिछले दो दशकों में पोलियो, गुनिया कृमि रोग, पोर्स तथा मातृ और नवजात टेटनिस का उन्मूलन करके अपने स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य संकेतक बताते हैं कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1991 में 3.6 से घटकर 2018 में 2.2 हो गई है। 2016-2018 की अवधि के लिए मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 113 पर था और 2018 में अंडर फाईव मृत्यु दर (U5MR) प्रति 1000 जन्म पर 36 थी।
- भारत में ठीक होने की 95 प्रतिशत से अधिक दर के साथ 1 करोड़ से अधिक कोविड मामले दर्ज हैं। हालांकि, महामारी के कारण देश में 1.52 लाख लोगों की जान चली गई।7 सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को, विकसित होते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आगे बढ़कर एवं चरणबद्ध तरीके से किया गया था। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15000 करोड़ के आपातकालीन और स्वास्थ्य-पूर्व तैयारी प्रणाली पैकेज की घोषणा की गई और इसे आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली क्षमता निर्माण प्रयासों को संयोजित करने के उद्देश्य से लागू किया गया।
- कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए उसकी रोकथाम, नियंत्रण एवं शमन के लिए सरकार ने कई उपाय किए जिनमें विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शामिल है।

कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई की उपलब्धियां

- सरकार ने आवश्यक दवाओं, हैन्ड सैनिटाइज़र के साथ-साथ मास्क, पीपीई किट सहित सुरक्षात्मक उपकरणों का आकलन किया है और उपलब्धता को सुनिश्चित किया है।
- आपातकालीन और अपूर्ण चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सीडीएससीओ ने कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए देश में प्रतिबंधित तीन दवाओं के आपातकालीन उपयोग और विपणन के लिए अनुमोदित किया है।
  - रेनडेडिवीयर इंजकेटेवल
  - फवीपीराबीर गोलियां
  - साइटोकिन रिलीज इटोलिजुआव इंजेक्शन
- फ्रंटलाइन-स्वास्थ्य कर्मियों में गैर-संचारी रोगों की जांच और शीघ्र पता लगाने में समर्थ बनाने के लिए आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों पर एक स्वस्थ-कर्मी अभियान शुरू किया गया।
- कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना' की घोषणा 30 मार्च 2020 को की गई थी। इस योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओ के लिए 50 लाख रुपए का बीमा शामिल है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल के अंतर्गत रहना पड़ सकता है और इस वजह से उन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
- **कोविड-19 वैक्सीन:** कोविशिल्ड और कोवैक्सीन जैसे दो स्वदेश में विनिर्मित टीके के माध्यम से 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा प्रतिरक्षात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया। संक्रमिक होने के अधिकतम जोखिम वाले लोगों के लिए मानव सिद्धांत के आधार पर, 3 करोड़ लोगों, मुख्यत: फंडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, को पहले चरण में वैक्सीन दी गई, जबकि बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा।

बाल स्वास्थ्य परिणाम

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5), के पहले चरण में पता चला है कि केरल को छोड़कर विश्लेषण के तहत सभी 10 राज्यों में बच्चों के लिए टीकाकरण में वृद्धि हुई।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत गर्भवती महिलाओं और आशा कर्मियों को संस्थागत प्रसव के लिए नकद प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पीएमएमवाईवाई) के तहत सशर्त नकद हस्तांतरण करने का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

आयुष:

- राष्ट्रीय आयुष अभियान के माध्यम से 12,500 HWC (Health wellness Centres) तैयार किया जाएंगे। ये आयुष HWC मौजूदा, आयुष औषधालयों (10,000) तथा उप स्वास्थ्य केंद्र (2500) में सुधार करके तैयार किए जाएंगे। इनके द्वारा सामान्य जनता को आयुष चिकित्सा पद्धति पर ध्यान केंद्रित हुए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।

जल और स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी)

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में, 2014 से अब तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण के साथ 2014 में 39 प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि से लेकर 2019 में 100 प्रतिशत अविश्वसनीय छलांग लगाकर लक्ष्य प्राप्ति की है।
- 'ग्रामीण भारत में महिलाओं की, शौचालय और सुरक्षा, सुविधा और स्वाभिमान तक पहुंच' फरवरी, 2020' विषय पर यूनीसेफ के अध्ययन में कहा गया है कि 91 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि शौचालयों के निर्माण के बाद से वे एक घंटे का समय बचा पा रही है और उन्हें शौच के लिए एक किलोमीटर तक की यात्रा नहीं करनी पड़ रही।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

- सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा करके, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों के ''जीवन गुणवत्ता सुधार'' और ''जीवन जीने में सुविधा'' को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

- जेजेएम का उद्देश्य क्रियात्मक नल जल कनेक्शन द्वारा दीर्घकालिक आधार पर नियमित तौर पर 55 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर पाइपलाइन द्वारा पेय जल की आपूर्ति प्रत्येक ग्रामीण घर तक सुनिश्चित करना है।
- जेजेएम एक विकेन्द्रीकृत, मांग द्वारा संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत और इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति पानी समिति/उपभोक्ता समूहों आदि के साथ पेयजल आपूर्ति प्रणाली के नियोजन, कार्यान्वय, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ग्रामीण विकास

- भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लोकडाउन की अवधि के दौरान प्रतिलोम प्रवास की घटना देखी गई, जिसमें प्रवासियों को परिवहन के सभी संभावित साधनों का लाभ मिला था यहां तक की घरों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा।
- 2020 में पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित किए गए पहले उपायों में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत मौजूदा वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए ₹500 की दो किस्तों में ₹1000 का हस्तांतरण शामिल है।

मनरेगा के प्रमुख तत्व और उल्लेखनीय उपलब्धियां

- मनरेगा को परस्पर मजबूत करने के लिए, इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस), आधार का उपयोग, संपत्ति की जियो टैगिंग और सोशल ऑडिट सिस्टम को मजबूत करना, रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग कर अनुमानित गणना के लिए सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना, कार्य आकलन की क्षमता बढ़ाने के लिए समय और गमन अध्ययन (टीएमएस), जन-मनरेगा- मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम, ई-सक्षम-डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, खराब कार्यान्वयन क्षमता के साथ चयनित ब्लॉकों में सभी स्तरों पर विषयगत विशेषज्ञों की स्थिति के लिए क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट (सीएफपी) और लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट उन्नति शामिल है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएआई-एन एल एम)

- डी ए वाई-एन आर एल एम गरीबों के सतत सामुदायि संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करती है। इस मिशन का उद्देश्य एस एच जी एस में लगभग 9 से 10 करोड़ को गतिशील करके तथा उन्हें वित्त के औपचारिक स्रोत, सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों और सेवाओं तक समर्थ बनाकर तथा उनके कौशलों का निर्माण करके सतत् आजीविका अवसरों तक उनसे पहुंच बनाकर मिशन से जोड़ना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों को निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (मैदानी क्षेत्रों में 500+ उत्तर पूर्व तथा हिमालयी राज्यों 250) के सभी अर्हक अनगिनत आवासों को सभी मौसमों में जोड़ने वाली एक सड़क उपलब्ध कराना है।
- ज्ञातव्य है कि पी एम जी एस वाई ने दो चरण को समाप्त कर लिया है तथा तीसरे चरण को 125 लाख कि. मी. की सभी मौसमों में जोड़ने वाली सड़क के लक्ष्य आवंटन के साथ आरंभ किया गया है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA)

- जी के आर ए को 6 राज्यों में 125 दिन की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। यह अभियान 12 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच एक अभिसरण प्रयास है लौटते प्रवासियों तथा ऐसे ही प्रभावित ग्रामीण नागरिकों की आजीविका अवसरों का प्रावधान, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से गांवों को मुक्त करना और सड़क, आवास, आंगनवाड़ियों, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका संपत्तियों और सामुदायिक परिसरों के निर्माण द्वारा आजीविका के अवसरों को विकसित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।

निष्कर्ष

- भारत के आर्थिक विकास में सामाजिक अवसंरचना में निवेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरकार सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में पूरी तरह से सुधार लाने के लिए रोजगार अवसर, हाउसिंग, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराकर और एस.डी.जी. प्राप्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के बावजूद, सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में 2020-21 में वृद्धि हुई है और जिसके लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एम.जी.एन.आर. ई.जी.एस. के तहत उच्चतर आवंटन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान और पथप्रवर्तक-श्रम सुधार आदि के जरिए प्रयास जारी रहा था। सामाजिक पूंजी में निवेश करने में अर्थ-व्यवस्था की ओर भारत का विकास सुदृढ़ है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

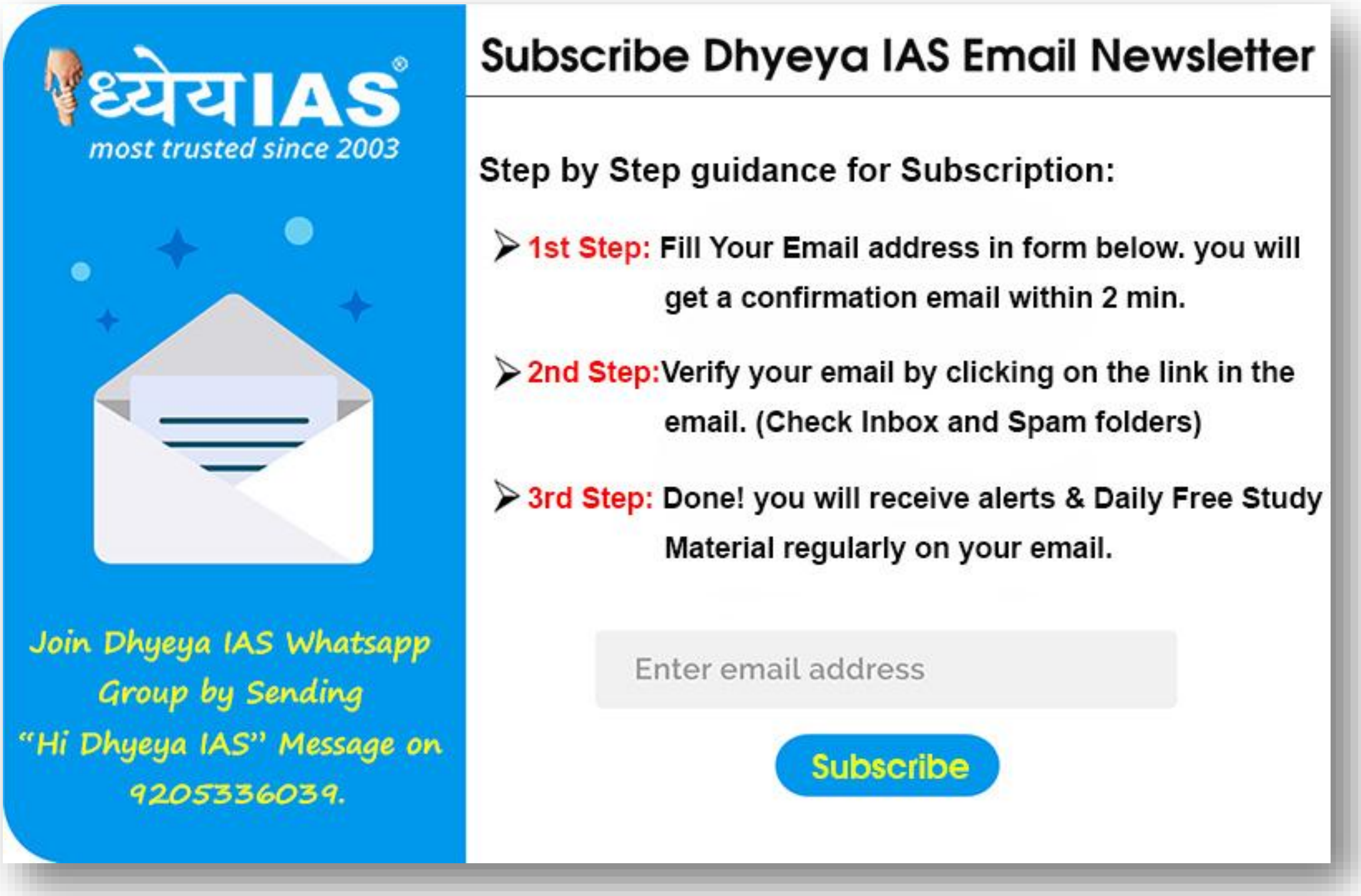

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com